



सत्यमेव जयते

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड सरकार
प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2022

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

**उत्तराखण्ड सरकार
प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2022**

विषय-सूची			
क्र. सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
1.	प्राक्कथन		vii
2.	कार्यकारी सारांश		ix
अध्याय-1:विहंगावलोकन			
3.	राज्य की रूपरेखा	1.1	1
4.	उत्तराखण्ड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.1	1
5.	स रा घ उ में क्षेत्रीय योगदान	1.1.2	2
6.	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण	1.2	3
7.	प्रतिवेदन संरचना	1.3	4
8.	सरकारी लेखों की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	1.4	5
9.	वित्त का सूक्ष्मावलोकन	1.4.1	8
10.	सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों का सूक्ष्मावलोकन	1.4.2	9
11.	राजकोषीय शेष: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि	1.5	9
12.	मुख्य राजकोषीय मापदंडों पर एफ आर बी एम लक्ष्य तथा उन पर उपलब्धियाँ	1.5.1	11
13.	मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना	1.5.2	13
14.	घाटे/अधिशेष की प्रवृत्तियाँ	1.5.3	14
15.	लेखापरीक्षा परीक्षण के बाद घाटे तथा कुल ऋण	1.6	15
16.	पश्च लेखापरीक्षा-घाटा	1.6.1	16
17.	पश्च लेखापरीक्षा - कुल लोक ऋण	1.6.2	17
18.	निष्कर्ष	1.7	17
19.	संस्तुतियाँ	1.8	18
अध्याय-2: राज्य के वित्त			
20.	2019-20 के सापेक्ष 2020-21 के दौरान प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में हुए मुख्य परिवर्तन	2.1	19
21.	निधियों के स्रोत एवं उपयोग	2.2	19
22.	राज्य के संसाधन	2.3	21
23.	राज्य की प्राप्तियाँ	2.3.1	21
24.	राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ	2.3.2	22
25.	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और वृद्धि	2.3.2.1	22
26.	राज्य के स्वयं के संसाधन	2.3.3	23
27.	स्वयं का कर राजस्व	2.3.3.1	24
28.	राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस जी एस टी)	2.3.3.2	25

29.	राजस्व के बकाए एवं निर्धारण के बकाए का विश्लेषण	2.3.3.3	26
30.	करेत्तर राजस्व	2.3.3.4	28
31.	केंद्रीय अंतरण	2.3.4	29
32.	केंद्रीय कर अंतरण	2.3.4.1	29
33.	भारत सरकार से सहायता अनुदान	2.3.4.2	31
34.	पंद्रहवें वित्त आयोग का अनुदान	2.3.4.3	32
35.	पूँजीगत प्राप्तियाँ	2.4	32
36.	संसाधनों को जुटाने में राज्य का निष्पादन	2.5	33
37.	संसाधनों का उपयोग	2.6	34
38.	राजस्व व्यय	2.6.1	36
39.	राजस्व व्यय में मुख्य बदलाव	2.6.1.1	38
40.	वचनबद्ध व्यय	2.6.2	39
41.	वेतन एवं मजदूरी	2.6.2.1	40
42.	ब्याज भुगतान	2.6.2.2	41
43.	पेंशन	2.6.2.3	42
44.	सब्सिडी	2.6.2.4	43
45.	राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2.6.2.5	43
46.	पूँजीगत व्यय	2.6.3	44
47.	पूँजीगत व्यय में बड़े बदलाव	2.6.3.1	45
48.	पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता	2.6.3.2	46
49.	व्यय की प्राथमिकताएँ	2.7	52
50.	लोक लेखा	2.8	54
51.	लोक लेखा में निवल बकाया	2.8.1	54
52.	आरक्षित निधियाँ	2.8.2	55
53.	निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ	2.8.2.1	56
54.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	2.8.2.2	56
55.	गारंटी मोचन निधि	2.8.2.3	57
56.	राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि	2.8.2.4	58
57.	आरक्षित निधियों एवं ब्याज सहित जमाओं के सापेक्ष ब्याज की देनदारियों का निर्वहन न करना	2.8.3	59
58.	ऋण प्रबंधन	2.9	59
59.	सम्पूर्ण ऋणों की प्रवृत्ति	2.9.1	60
60.	ऋण संरचना: घटक	2.9.2	60
61.	वर्ष 2020-21 के अंत में कुल बकाया ऋणों का घटक-वार विवरण	2.9.3	61

62.	घटक-वार ऋण की प्रवृत्ति	2.9.4	61
63.	लिए गये आंतरिक ऋण के सापेक्ष पुनर्भुगतान	2.9.5	62
64.	ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान	2.9.6	64
65.	ऋण स्थिरता विश्लेषण	2.9.7	66
66.	ऋण स्थिरता सूचकों की प्रवृत्ति	2.9.8	67
67.	उधार ली गई निधियों का उपयोग	2.9.9	68
68.	गारंटी की स्थिति - आकस्मिक दायित्व	2.10	69
69.	नकद बकाये का प्रबन्धन	2.11	71
70.	नकद बकाये का निवेश	2.11.1	71
71.	निष्कर्ष	2.12	74
72.	संस्तुतियाँ	2.13	75
अध्याय-3: बजटीय प्रबंधन			
73.	बजट प्रक्रिया	3.1	77
74.	बजट तैयारी प्रक्रिया	3.2	78
75.	वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक वितरणों एवं बचतों का सारांश	3.2.1	79
76.	भारित एवं दत्तमत संवितरण	3.2.2	79
77.	विनियोग लेखे	3.3	80
78.	बजटीय एवं लेखाप्रणाली प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी	3.3.1	80
79.	विधि प्राधिकार के बिना व्यय करना	3.3.1.1	80
80.	पूँजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में एवं इसके विपरीत त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण	3.3.2	81
81.	अनावश्यक अथवा अत्यधिक अनुपूरक अनुदान	3.3.3	83
82.	किए गए पुनर्विनियोग, जिनमें पूर्व वैधानिक प्राधिकार की आवश्यकता है	3.4	85
83.	अनावश्यक/अत्यधिक पुनर्विनियोग	3.4.1	85
84.	अव्ययित राशि और समर्पित विनियोजन और/अथवा वृहद बचत/समर्पण	3.5	89
85.	अनुदान/विनियोग जिसमें बजट उपयोग 50 प्रतिशत से कम हुआ	3.5.1	91
86.	₹ एक करोड़ से अधिक की निधियों के समर्पण का विवरण	3.5.2	92
87.	उपयोग की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या	3.5.3	92
88.	वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति के पूर्व बचत एवं समर्पण का विवरण	3.5.4	92

89.	बजट आवंटन और उसका उपयोग	3.5.5	93
90.	अधिक व्यय और उसका नियमितीकरण	3.6	93
91.	2020-21 से संबन्धित अधिक व्यय	3.6.1	94
92.	प्राधिकार से अधिक मुख्य शीर्ष वार वितरण का विवरण	3.6.2	94
93.	कतिपय अनुदानों में निरंतर आधिक्य	3.6.3	95
94.	विगत वित्तीय वर्षों के अतिरिक्त व्यय का विनियमितीकरण	3.6.4	96
95.	पूँजीगत परिसंपत्ति के सृजन के लिए सहायता अनुदान	3.7	97
96.	अपेक्षा एवं वास्तविकता के बीच बजट प्रक्षेपण और अंतराल	3.8	99
97.	अनुपूरक बजट और अवसर लागत	3.9	100
98.	विनियोग के संबंध में वित्तीय शक्ति का उल्लंघन	3.10	101
99.	व्यय की तीव्रता	3.11	101
100.	चयनित अनुदानों की समीक्षा	3.12	103
101.	चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	3.12.1	103
102.	निष्कर्ष	3.13	114
103.	संस्तुतियाँ	3.14	114
अध्याय-4: लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य			
104.	राज्य की समेकित निधि अथवा लोक लेखा के अलावा निधि	4.1	115
105.	नियामक	4.1.1	115
106.	विभागों की स्पष्ट देयताओं को सम्मिलित नहीं करना	4.2	115
107.	ब्याज सहित जमाओं के ब्याज के सम्बंध में देनदारियों का निर्वहन नहीं किया जाना	4.3	116
108.	क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित की जाने वाली निधियाँ	4.4	117
109.	स्थानीय निधियों में जमा	4.5	118
110.	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब	4.6	119
111.	अनुदानग्राही संस्थानों को "अन्य" के रूप में दर्ज करना	4.6.1	120
112.	सार आकस्मिक बिल	4.7	121
113.	व्यक्तिगत जमा लेखे	4.8	122
114.	निष्क्रिय और गैर-मिलान किए गए व्यक्तिगत जमा खाते	4.8.1	124
115.	लघु शीर्ष 800 का अविवेकी उपयोग	4.9	124
116.	प्रमुख उचन्त एवं प्रेषण शीर्ष के तहत बकाया शेष	4.10	126
117.	विभागीय आँकड़ों का मिलान न करना	4.11	130
118.	नकद शेष राशि का मिलान	4.12	131
119.	लेखांकन मानकों का अनुपालन	4.13	131
120.	स्वायत्त निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को जमा करना	4.14	133

121.	निकायों एवं प्राधिकरणों के लेखों का बकाया	4.14.1	133
122.	निकायों और प्राधिकरणों को दिये गए अनुदानों/ऋणों का विवरण प्रस्तुत नहीं करना	4.15	134
123.	समयबद्धता और लेखों की गुणवत्ता	4.16	134
124.	गबन, हानि, चोरी आदि	4.17	134
125.	राज्य के वित्त की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही	4.18	134
126.	निष्कर्ष	4.19	135
127.	संस्तुतियाँ	4.20	135
अध्याय-5: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम			
128.	सरकारी कंपनियों की परिभाषा	5.1	137
129.	लेखापरीक्षा अधिदेश	5.2	137
130.	रा सा क्षे उ की संख्या	5.2.1	138
131.	रा सा क्षे उ और राज्य के स रा घ उ में उनका योगदान	5.3	139
132.	रा सा क्षे उ में निवेश एवं बजटीय सहायता	5.4	139
133.	रा सा क्षे उ में इक्विटी होल्डिंग और ऋण	5.4.1	139
134.	रा सा क्षे उ द्वारा प्राप्त अनुदान/सब्सिडी	5.4.2	140
135.	विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण	5.4.3	141
136.	रा सा क्षे उ से प्रतिफल	5.5	141
137.	रा सा क्षे उ द्वारा अर्जित लाभ	5.5.1	141
138.	रा सा क्षे उ की परिचालन दक्षता	5.5.2	141
139.	रा सा क्षे उ द्वारा लाभांश का भुगतान	5.5.3	142
140.	ऋण सेवा	5.6	143
141.	ब्याज कवरेज अनुपात	5.6.1	143
142.	उत्तराखण्ड सरकार के ऋणों पर अदत्त ब्याज का आयु-वार विश्लेषण	5.6.2	144
143.	रा सा क्षे उ का प्रदर्शन	5.7	144
144.	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	5.7.1	144
145.	रा सा क्षे उ द्वारा इक्विटी पर प्रतिफल	5.7.2	145
146.	सरकारी निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आर ओ आर आर)	5.7.3	146
147.	रा सा क्षे उ जिनमें हानि हुई	5.8	147
148.	वहन की गई हानि	5.8.1	147
149.	रा सा क्षे उ में पूँजी का क्षरण	5.8.2	148
150.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की लेखापरीक्षा	5.9	148
151.	नि म ले प द्वारा राज्य रा सा क्षे उ के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	5.10	149

152.	रा सा क्षे उ द्वारा लेखों का प्रस्तुतिकरण	5.11	149
153.	वार्षिक रिपोर्ट और लेखे समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता	5.11.1	149
154.	रा सा क्षे उ द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता	5.11.2	150
155.	सांविधिक निगमों द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता	5.11.3	151
156.	नि म ले प का पर्यवेक्षण-लेखों की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.12	151
157.	वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचा	5.12.1	151
158.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा	5.12.2	151
159.	सरकारी कंपनियों के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.12.3	152
160.	नि म ले प के पर्यवेक्षण की भूमिका का परिणाम	5.13	152
161.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा	5.13.1	152
162.	सरकारी कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के अनुपूरक के रूप में जारी नि म ले प की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ	5.13.2	152
163.	सांविधिक निगम जहाँ नि म ले प एकमात्र लेखापरीक्षक है	5.13.3	153
164.	लेखा मानकों/इंड-एएस के प्रावधानों का अनुपालन न करना	5.14	153
165.	प्रबंधन पत्र	5.15	154
166.	निष्कर्ष	5.16	154
167.	संस्तुतियाँ	5.17	155

परिशिष्ट		
परिशिष्ट-1.1	राज्य की रूपरेखा	157
परिशिष्ट-2.1	राज्य सरकार के वित्त पर समय श्रृंखला आँकड़े	158
परिशिष्ट-3.1	बजट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली	161
परिशिष्ट-5.1	नवीनतम वर्ष के लिए राज्य सा क्षे उ के वित्तीय परिणाम जिसके लेखे प्राप्त हुए	163
परिशिष्ट-5.2	31 मार्च 2021 को रा सा क्षे उ से संबंधित इक्विटी और दीर्घावधि ऋणों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण	165
परिशिष्ट-5.3	कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति दर्शाने वाले निवेश का (ऋण और अनुदान / सब्सिडी) विवरण जिस अवधि के लिए उनके लेखे बकाया है	167
परिशिष्ट-6.1	शब्दावली	169

यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय-1** में राज्य की रूपरेखा और पूर्व एवं पश्च लेखापरीक्षा में राज्य की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन है।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय-2 एवं 3** में 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे एवं विनियोग लेखों की जाँच से उत्पन्न मामलों की लेखापरीक्षा सम्मिलित हैं।

अध्याय-4 लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन से संबन्धित राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधियों एवं निर्देशनों के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति प्रस्तुत करता है।

अध्याय-5 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय प्रदर्शन और इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय प्रतिवेदनों की पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी टिप्पणियों के प्रभाव की चर्चा करता है।

प्रतिवेदन में विभिन्न विभागों में की गयी निष्पादन लेखापरीक्षा व लेन-देनों की लेखापरीक्षा, सांविधिक निगमों, परिषदों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं राजस्व प्राप्तियों पर अभ्युक्तियों को पृथक से प्रस्तुत किया गया है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

पृष्ठभूमि

उत्तराखण्ड सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 के दौरान बजट, मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण (एम टी एफ पी एस) और पंद्रहवें वित्त आयोग (पं वि आ) की सिफरिशों के सापेक्ष राज्य के वित्तीय निष्पादन का आकलन करने और प्रभावी प्रवृत्तियों तथा सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरण की संरचनात्मक रूपरेखा का विश्लेषण करने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के लेखापरीक्षित लेखों और विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए गए अतिरिक्त आँकड़ों जैसे कि राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय विवरण एवं जनगणना पर आधारित, यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा पाँच अध्यायों में प्रस्तुत करता है।

अध्याय-1 राज्य की वित्तीय स्थिति का विहंगावलोकन है।

अध्याय-2 वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा 31 मार्च 2021 को उत्तराखण्ड सरकार की राजकोषीय स्थिति का आकलन करता है। यह मुख्य राजकोषीय समग्रों, वचनबद्ध व्ययों, ऋण पद्धति इत्यादि की प्रमुख प्रवृत्तियों और रूपरेखाओं पर एक गहन अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है।

अध्याय-3 विनियोग लेखे पर आधारित है और यह विनियोगों का अनुदानवार विवरण एवं वह ढंग, जिसमें सेवा प्रदाता विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों को व्यवस्थित किया गया, प्रदान करता है।

अध्याय-4 उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रतिवेदनीय आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन तथा लेखाओं के अप्रस्तुतिकरण का विवरण प्रदान करता है।

अध्याय-5 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय प्रदर्शन और इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामों पर टिप्पणियों के प्रभाव की चर्चा करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय-1

विहंगावलोकन

- वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व घाटा राजस्व अधिशेष में बदल गया और यह ₹ 1,114 करोड़ (स रा घ उ का 0.47 प्रतिशत) था। आस्थगित देयता, राजस्व और पूँजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण, ब्याज देयता का हस्तांतरण न करने आदि के कारण राजस्व अधिशेष ₹ 697 करोड़ (62.57 प्रतिशत) से अधिक दर्शाया गया था।

[प्रस्तर 1.5.3 एवं 1.6.1]

- चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 5,439 करोड़ (स रा घ उ का 2.29 प्रतिशत) रहा जो पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित स रा घ उ के 3.50 प्रतिशत के मानक लक्ष्य के भीतर था। वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व अधिशेष हो जाने के कारण, राजकोषीय घाटे में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ। राजकोषीय घाटा आस्थगित देयता, ब्याज दायित्व के अहस्तांतरण आदि के कारण ₹ 542 करोड़ (9.97 प्रतिशत) कम दर्शाया गया था।

[प्रस्तर 1.5.3 एवं 1.6.1]

अध्याय-2

राज्य के वित्त

- सहायता अनुदान (₹ 7,218 करोड़), स्वयं के कर राजस्व (₹ 425 करोड़) एवं करेत्तर राजस्व (₹ 172 करोड़) में वृद्धि के कारण, गत वर्ष की तुलना में, वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में ₹ 7,482 करोड़ (24.35 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि आंशिक तौर पर संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश में कमी (₹ 333 करोड़) से प्रति-संतुलित हुई।

[प्रस्तर 2.3.2.1 एवं 2.3.4.2]

- 2016-21 की अवधि के दौरान, राजस्व व्यय कुल व्यय का औसतन 84.02 प्रतिशत (82.92 प्रतिशत से 85.57 प्रतिशत के बीच) था। 2016-21 की पंचवर्षीय अवधि के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि दर ने उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति प्रस्तुत की। 2016-21 की पंचवर्षीय अवधि के दौरान, वचनबद्ध व्यय राजस्व व्यय के 62 प्रतिशत से 68 प्रतिशत के बीच था, जबकि, यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों के 60 प्रतिशत से 73 प्रतिशत के बीच लेखांकित किया गया।

[प्रस्तर 2.6.1 एवं 2.6.2]

- चालू वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में ₹ 1,124 करोड़ (20.76 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य द्वारा किया गया पूँजीगत व्यय एम टी एफ पी एस में किए गए अनुमान (₹ 7,609 करोड़) से ₹ 1,071 करोड़ कम रहा साथ ही साथ यह बजट में किए गए अनुमान (₹ 7,383 करोड़) के सापेक्ष, ₹ 845 करोड़ कम था।

[प्रस्तर 2.6.3]

- राज्य सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल नगण्य था। चालू वर्ष के दौरान, पुनर्भुगतानित राशि ₹ 23.05 करोड़ थी जो 31 मार्च 2021 तक बकाया ऋण (₹ 2,047.91 करोड़) का 1.13 प्रतिशत थी।

[प्रस्तर 2.6.3.2 (i), (iv)]

- वर्ष 2020-21 के वित्त लेखों के अनुसार, 31 मार्च 2021 को लोक निर्माण के विभिन्न प्रभागों में ₹ 614.08 करोड़ की 143 अपूर्ण/चालू परियोजनाएँ थीं।

[प्रस्तर 2.6.3.2 (v)]

- 2020-21 के दौरान, शिक्षा क्षेत्र में, राज्य में कुल व्यय के अनुपात में व्यय उ पू-हिमालयी राज्यों के औसत से अधिक था जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत 2020-21 के दौरान यह उ पू-हिमालयी राज्यों के औसत से कम था।

[प्रस्तर 2.7]

- प्राप्त होने वाली गारंटी कमीशन फीस ₹ 8.54 करोड़ के सापेक्ष, ₹ 2.83 करोड़ ही प्राप्त हुई, फलस्वरूप ₹ 5.71 करोड़ की गारंटी कमीशन फीस कम प्राप्त हुई। प्राप्त गारंटी फीस को गारंटी मोचन निधि के अन्तर्गत लोक लेखे में जमा करना था, जबकि राज्य सरकार इसे राजस्व प्राप्ति के रूप में दर्ज कर रही थी। फलस्वरूप उस सीमा तक राजस्व घाटा कम दर्शाया गया था।

[प्रस्तर 2.8.2.3]

- गत वर्ष की तुलना में कुल राजकोषीय दायित्व से स रा घ उ अनुपात में 2020-21 में 4.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 30.05 प्रतिशत पर रहा, जो कि राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन के लक्ष्य 25 प्रतिशत से अधिक था।

[प्रस्तर 2.9.2]

अध्याय 3

बजटीय प्रबंधन

- 2020-21 के दौरान, कुल अनुदान और विनियोग ₹ 57,590.76 करोड़ के सापेक्ष ₹ 5,590.65 करोड़ की कुल बचत हुई।

[प्रस्तर 3.2]

- ₹ 14.30 करोड़ का व्यय राजस्व संवर्ग के अन्तर्गत दर्ज किया गया। इस व्यय को पूँजीगत संवर्ग के अन्तर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था क्योंकि यह व्यय वृहद निर्माण कार्यों से संबंधित था। इसी प्रकार, ₹ 207.85 करोड़ का व्यय पूँजीगत संवर्ग के अन्तर्गत दर्ज किया गया था। इस व्यय को राजस्व संवर्ग के अन्तर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था। क्योंकि यह व्यय सहायता अनुदान, लघु निर्माण कार्यों और रख-रखाव से संबंधित था।

[प्रस्तर 3.3.2]

- उनतीस प्रकरणों में ₹ 3,421.56 करोड़ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। 32 प्रकरणों में निधियों का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण ढंग से किया गया जिसके परिणामस्वरूप प्रावधानों में ₹ एक करोड़ से अधिक की बचत हुई।

[प्रस्तर 3.3.3 एवं 3.4.1]

- वर्ष 2005-06 से 2019-20 तक के लिए ₹ 42,873.61 करोड़ के व्ययाधिक्य को राज्य विधानमण्डल द्वारा विनियमित किया जाना था।

[प्रस्तर 3.6.4]

अध्याय-4

लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य

- विभागीय अधिकारियों ने विशिष्ट प्रयोजनों के लिए मार्च 2020 तक दिये गए ₹ 872.65 करोड़ के अनुदान से संबन्धित 119 उपयोगिता प्रमाण पत्र (मार्च 2021 तक प्रस्तुति हेतु देय) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड को प्रस्तुत नहीं किए। मार्च 2021 तक, ₹ 3.44 करोड़ के 77 सार आकस्मिक बिल बकाया थे।

[प्रस्तर 4.6, 4.7]

- विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्षों '800-अन्य व्यय' और '800 अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत व्यापक मात्रा में व्यय और प्राप्तियों को दर्ज किया गया था, जो वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है। लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/अन्य प्राप्तियों के सार्वत्रिक संचालन ने वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित किया और आवंटन प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को असुरक्षित किया।

[प्रस्तर 4.9]

- 2020-21 के दौरान मुख्य नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्ति और व्यय का मिलान क्रमशः 95.57 और 73.59 प्रतिशत था। राज्य के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई प्राप्तियों और व्यय का महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के आंकड़ों के साथ मिलान न किया जाना सरकार के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और लेखों की शुद्धता से संबंधित चिंताओं को बढ़ाता है।

[प्रस्तर 4.11]

- राज्य सरकार ने अभी तक राज्य में अधिसूचित भारत सरकार के लेखा मानकों को पूर्णतया लागू नहीं किया है, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता से समझौता हो रहा है।

[प्रस्तर 4.13]

अध्याय 5

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

- 31 मार्च 2021 तक, 32 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (रा सा क्षे उ) थे, इनमें 27 सरकारी कंपनियां, एक सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी और चार सांविधिक निगम शामिल हैं। 32 रा सा क्षे उ में से, नौ रा सा क्षे उ अकार्यरत हैं और नौ रा सा क्षे उ ने तीन वर्षों से अधिक समय से अपने लेखे तैयार और प्रस्तुत नहीं किए हैं। ये रा सा क्षे उ सात से 34 वर्षों से अकार्यरत हैं।

[प्रस्तर 5.2.1 एवं 5.11.2]

- नौ रा सा क्षे उ द्वारा अर्जित कुल ₹ 276.58 करोड़ के लाभ में से, 98.29 प्रतिशत का योगदान केवल पाँच रा सा क्षे उ द्वारा किया गया था। तीन रा सा क्षे उ द्वारा वहन की गयी कुल हानि ₹ 171.82 करोड़ में से, ₹ 151.75 करोड़ की हानि का योगदान उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया था। दो रा सा क्षे उ द्वारा न तो लाभ अर्जित किया गया और न ही हानि वहन की गई।

[प्रस्तर 5.5.1 एवं 5.8.1]

- कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार रा सा क्षे उ अपने वार्षिक लेखे जमा करने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं कर रहे थे। परिणामस्वरूप, 21 सरकारी कंपनियों के 234 वार्षिक लेखे बकाया थे। इसके अतिरिक्त चार सांविधिक निगमों के 15 लेखे बकाया थे।

[प्रस्तर 5.11.2 एवं 5.11.3]

- रा सा क्षे उ के वित्तीय विवरणों पर नि म ले प की टिप्पणियों से लाभप्रदता पर ₹ 88.82 करोड़ का प्रभाव पड़ा।

[प्रस्तर 5.13.2]

अध्याय-1
विहंगावलोकन

अध्याय-1

विहंगावलोकन

1.1 राज्य की रूपरेखा

भारत के उत्तरी भाग में उत्तराखण्ड एक राज्य है, जिसे पूर्व में उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। इसकी सीमाओं के उत्तर में चीन का तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, पूर्व में नेपाल, दक्षिण में भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम और उत्तर-पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है। राज्य को दो मंडलों गढ़वाल और कुमांऊ में विभाजित किया गया है, जिसमें कुल 13 जिले (10 पर्वतीय जिले और तीन मैदानी जिले) हैं। यह 53,483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से 46,035 वर्ग किलोमीटर पर्वतीय है तथा 7,448 वर्ग किलोमीटर मैदानी है। राज्य में 38,117 वर्ग किलोमीटर (71 प्रतिशत) वन क्षेत्र है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तराखण्ड की आबादी 1.01 करोड़ है, जिससे यह भारत का 20 वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बन गया है। भारत सरकार (भा स) द्वारा राज्यों के संवर्गीकरण के आधार पर उत्तराखण्ड, उत्तर-पूर्वी तथा हिमालयी राज्यों में से एक है।

राज्य में बीते दशक में उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि हुई तथा वर्ष 2011-12 से 2020-21 तक की अवधि के लिए राज्य की प्रचलित दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) तथा प्रति व्यक्ति स रा घ उ की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी ए जी आर) क्रमशः 8.37 प्रतिशत तथा 9.17 प्रतिशत रही, तथापि यह अखिल भारतीय स घ उ के सी ए जी आर (9.48 प्रतिशत) से कम तथा अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति स घ उ सी ए जी आर (8.21 प्रतिशत) से अधिक थी।

सामाजिक संकेतक यथा साक्षरता दर और जन्म पर नवजात शिशु मृत्यु दर दर्शाते हैं कि राज्य में साक्षरता दर (78.80 प्रतिशत) तथा नवजात शिशु मृत्यु दर (27 प्रति 1,000 जीवित जन्म) अखिल भारतीय औसत दर (73 प्रतिशत एवं 30 प्रति 1,000 जीवित जन्म) से बेहतर थी। राज्य में गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) जनसंख्या की प्रतिशतता 11.26 प्रतिशत थी, यह भी अखिल भारतीय औसत (21.92) से काफी कम थी (परिशिष्ट-1.1)।

1.1.1 उत्तराखण्ड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) एक निर्धारित समयावधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। स रा घ उ में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि यह एक समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है। अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए स रा घ उ में क्षेत्रीय योगदान में बदलाव भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधियों को सामान्यतः प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं।

देश के स घ उ के सापेक्ष उत्तराखण्ड राज्य के स रा घ उ (नाममात्र) की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियों को तालिका-1.1 में दर्शाया गया है।

तालिका-1.1: प्रचलित दरों पर स घ उ तथा स रा घ उ में वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19 ♥	2019-20 ♠	2020-21♣
राष्ट्रीय स घ उ (2011-12 श्रृंखला)	1,53,91,669	1,70,90,042	1,88,86,957	2,03,51,013	1,97,45,670
प्रचलित दरों पर पिछले वर्ष की तुलना में स घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.76	11.03	10.51	7.75	-2.97
राज्य का स रा घ उ (2011-12 श्रृंखला)	1,95,125	2,19,954	2,36,768	2,53,666	2,37,747
प्रचलित दरों पर पिछले वर्ष की तुलना में स रा घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.14	12.72	7.64	7.14	-6.28

आँकड़ों का स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखण्ड।


♥ अनंतिम अनुमान, ♠ त्वरित अनुमान, ♣ अग्रिम अनुमान।

जैसा कि ऊपर दिये गए विवरण से देखा जा सकता है, 2017-18 के दौरान उत्तराखण्ड के स रा घ उ की वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक थी। तथापि, शेष चार वर्षों के दौरान यह राष्ट्रीय वृद्धि दर से कम थी।

1.1.2 स रा घ उ में क्षेत्रीय योगदान

चार्ट-1.1 से पता चलता है कि 2016-17 से 2020-21 तक पाँच साल की अवधि के दौरान, स रा घ उ में कृषि एवं सेवा क्षेत्र के संबंधित अंश में वृद्धि हुई है, जो क्रमशः 2016-17 में 8.68 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 9.92 प्रतिशत तथा 2016-17 में 35.92 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 38.22 प्रतिशत हो गई है। हालांकि, उद्योग क्षेत्र के संबंधित अंश में 2016-17 में 47.57 प्रतिशत से 2020-21 में 45.13 प्रतिशत की कमी देखी गई।


चार्ट-1.1: स रा घ उ (2016-17 से 2020-21) में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन



आँकड़ों के स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखण्ड।

जैसा कि चार्ट-1.2 में देखा जा सकता है, 2020-21 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में, उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और सेवा क्षेत्रों में वृद्धि दर में गिरावट देखी गई:

चार्ट-1.2: स रा घ उ में क्षेत्रीय वृद्धि



आँकड़ों के स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखण्ड।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के प्रावधानों के अनुसार राज्य के लेखों से संबंधित, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि म ले प) के प्रतिवेदनों को राज्य के राज्यपाल को सौंपा जाना है, जिसे उनके द्वारा राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाया जाएगा। 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उत्तराखण्ड की राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत उत्तराखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करने वाले ऐसे लेखों को रखने के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रदान किए गए वाउचर, चालान और प्रारंभिक एवं सहायक लेखों और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से प्रति वर्ष राज्य के वित्त लेखों और विनियोग लेखों को तैयार करता है। इन लेखों की लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाती है और नि म ले प द्वारा प्रमाणित की जाती है।

वर्ष 2020-21 के लिए राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन के लिए मुख्य आँकड़े निर्मित करते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- वर्ष 2020-21 के लिए राज्य का बजट, आँकड़ों के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में है - राजकोषीय मापदंडों और अनुमानों की तुलना में आवंटित प्राथमिकताओं का आकलन करने के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने और संबंधित नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन के लिए;

- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड के कार्यालय द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय अधिकारियों और कोषागारों (लेखांकन के साथ-साथ प्रबंधन सूचना प्रणाली) के साथ अन्य आँकड़े;
- स रा घ उ के आँकड़े और अन्य राज्य से संबंधित सांख्यिकी; और
- वर्ष 2016-21 के दौरान भारत के नि म ले प के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का यथोचित उपयोग इस विश्लेषण/टिप्पणी को तैयार करने के लिए भी किया गया है।
- यथा आवश्यक, राज्य सरकार से भी सूचना प्राप्त की गई।

यह विश्लेषण, पंद्रहवें वित्त आयोग (एफ एफ सी) की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (यू एफ आर बी एम) अधिनियम 2020, भारत सरकार की सर्वोत्तम प्रथाओं और दिशा-निर्देशों के संदर्भ में किया गया है। उत्तराखण्ड सरकार, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ अगस्त 2021 में एक प्रवेश गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा दृष्टिकोण को समझाया गया। ड्राफ्ट प्रतिवेदन नवंबर 2021 में टिप्पणियों के लिए राज्य सरकार को प्रेषित किया गया और जनवरी 2022 में बहिर्गमन गोष्ठी की गयी जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। सरकार के उत्तर इस प्रतिवेदन में उचित स्थानों पर शामिल किए गए हैं।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, प्रतिवेदन में दिये गए सभी सुझावों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया गया।

1.3 प्रतिवेदन संरचना

रा वि ले प्र निम्नलिखित पाँच अध्यायों में संरचित है:

अध्याय - 1	विहंगावलोकन यह अध्याय रिपोर्ट और अंतर्निहित आँकड़ों के आधार एवं दृष्टिकोण का वर्णन करता है तथा सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के वृहद राजकोषीय विश्लेषण और घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रदान करता है।
अध्याय - 2	राज्य के वित्त यह अध्याय राज्य के वित्त का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है; पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियाँ, राज्य की ऋण स्थिति और राज्य के वित्त लेखों के आधार पर प्रमुख लोक लेखा लेनदेनों का विश्लेषण करता है।
अध्याय - 3	बजटीय प्रबंधन यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है तथा राज्य सरकार के विनियोगों और आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं एवं बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर प्रतिवेदनों की समीक्षा करता है।

अध्याय - 4	लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों का अनुपालन न करने के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।
अध्याय - 5	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यह अध्याय सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखों के आधार पर उनके वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा करता है।

1.4 सरकारी लेखों की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

इस रिपोर्ट के अध्याय-2 में दिए गए राज्य सरकार के वित्त के विश्लेषण का अध्ययन करने के लिए सरकारी लेखों की संरचना को समझना आवश्यक है। राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है:

1. राज्य की समेकित निधि {भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (1)}

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा जुटाए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉण्ड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और ऋणों के पुनर्भुगतान में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन शामिल हैं। इस निधि से विधि के अनुसार और उद्देश्यों के लिए तथा भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए तरीकों के अतिरिक्त किसी भी धन को विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (उदाहरण के लिए, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान आदि), राज्य की समेकित निधि (भारत व्यय) पर भारित होती हैं और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। अन्य सभी व्यय पर (दत्तमत व्यय) विधायिका द्वारा मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि {भारत के संविधान का अनुच्छेद 267 (2)}

यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की होती है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा कानून के अंतर्गत स्थापित किया गया है तथा इसे ऐसे अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम प्रदान करने के लिए राज्यपाल के अधीन रखा जाता है जिस पर राज्य विधानमंडल की स्वीकृति लंबित हो। इस निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से संबंधित क्रियाशील मुख्य शीर्ष से व्यय को नामें करते हुए की जाती है।

3. राज्य के लोक लेखा {संविधान का अनुच्छेद 266 (2)}

उपरोक्त के अलावा, सरकार द्वारा या सरकार की ओर से प्राप्त अन्य सभी लोक धन, जहाँ सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, को लोक लेखे में जमा किया जाता है। लोक लेखे के अंतर्गत देनदारियाँ जैसे लघु बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), प्रेषण और उचंत शीर्ष (दोनों ही क्षणिक शीर्ष हैं, अंतिम

बुकिंग लंबित होने पर) शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष राशि भी लोक लेखा के अंतर्गत शामिल की गयी है। लोक लेखा विधानमंडल के मत के अधीन नहीं है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है (अनुच्छेद 202)। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज का गठन करता है। इसके अतिरिक्त, बजट में राजस्व लेखों में व्यय को अन्य व्यय से अलग करना आवश्यक होता है।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, केंद्रीय करों/शुल्कों का अंश और भारत सरकार से अनुदान शामिल होते हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता है। यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कामकाज के लिए किए गए व्ययों, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदानों से संबंधित है (यद्यपि कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए हो सकते हैं)।

पूँजीगत प्राप्तियों में सम्मिलित हैं:

- **ऋण प्राप्तियाँ:** बाजार ऋण, बॉण्ड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेनदेन, केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम आदि;
- **गैर-ऋण प्राप्तियाँ:** विनिवेश से आय, ऋण और अग्रिमों की वसूली;

पूँजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षे उ) और अन्य पक्षों को सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम पर होने वाला व्यय शामिल है।


वर्तमान में, हमारे पास सरकार में एकल लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली है जो क्रियाशील और आर्थिक दोनों है।

	लेन-देन की विशेषता	वर्गीकरण
महालेखा नियंत्रक की मुख्य और लघु शीर्ष की सूची में मानकीकृत	कार्य-शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि/विभाग	अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (4 अंक)
	उप-कार्य	उप मुख्य शीर्ष (2 अंक)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंक)
राज्यों के लिए छूट	योजना	उप शीर्ष (2-अंक)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2 अंक)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	वस्तु शीर्ष- वेतन, लघु कार्य आदि (2-अंक)

कार्यात्मक वर्गीकरण हमें विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के उद्देश्य की जानकारी देता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूँजी, ऋण, आदि के रूप में व्यवस्थित करने में मदद करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4-अंकीय मुख्य शीर्षों के पहले अंक में सन्निहित संख्या से तर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, 0 और 1 राजस्व प्राप्तियों के लिए, 2 और 3 राजस्व व्यय

आदि के लिए है। आर्थिक वर्गीकरण भी एक अंतर्निहित परिभाषा और कुछ वस्तु शीर्षों के वितरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, सामान्यतः "वेतन" वस्तु शीर्ष राजस्व व्यय है, "निर्माण" वस्तु शीर्ष पूँजीगत व्यय है। वस्तु शीर्ष बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

सरकारी लेखों की संरचना



बजटीय प्रक्रियाएँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अंतर्गत, राज्य का राज्यपाल वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने के लिए उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 203 के अंतर्गत, यह विवरण अनुदान/विनियोगों की मांग के रूप में राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के बाद संचित निधि में से अपेक्षित धन का विनियोग प्रदान करने के लिए विधानमंडल द्वारा अनुच्छेद 204 के अंतर्गत विनियोग विधेयक पारित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य बजट नियमावली में बजट निर्माण प्रक्रिया का ब्यौरा और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमान तैयार करने और उसकी व्यय गतिविधियों का अनुश्रवण करने के दिशानिर्देश दिये गये हैं। बजट की लेखा परीक्षा जाँच और राज्य सरकार के अन्य बजटीय पहलुओं के कार्यान्वयन के परिणाम इस रिपोर्ट के अध्याय-3 में वर्णित हैं।

1.4.1 वित्त का सूक्ष्मावलोकन

तालिका-1.2 वर्ष 2019-20 के वास्तविक के सापेक्ष वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करती है।

तालिका-1.2: वास्तविक के सापेक्ष बजट की तुलना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2019-20 (वास्तविक)	2020-21 (बजट अनुमान)	2020-21 (वास्तविक)	ब अ से वास्तविक की प्रतिशतता	स रा घ उ से वास्तविक की प्रतिशतता
1.	कर राजस्व	11,513	13,761	11,938	86.75	5.02
2.	करेत्तर राजस्व	3,999	3,539	4,171	117.86	1.75
3.	केंद्रीय करों का अंश	6,902	8,657	6,569	75.88	2.76
4.	सहायता अनुदान और योगदान	8,309	16,482	15,527	94.21	6.53
5.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	30,723	42,439	38,205	90.02	16.07
6.	ऋण और अग्रिमों की वसूली	19	35	23	65.71	0.01
7.	अन्य प्राप्तियाँ	0	0	0.2	0.00	0.00
8.	उधार और अन्य देनदारियाँ (क)	7,657	7,549	5,439	72.38	2.29
9.	पूँजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	7,676	7,584	5,462	72.34	2.30
10.	कुल प्राप्तियाँ (5+9)	38,399	50,023	43,667	87.35	18.37
11.	राजस्व व्यय	32,859	42,389	37,091	87.50	15.60
12.	ब्याज भुगतान	4,504	5,892	4,773	81.01	2.01
13.	पूँजीगत व्यय	5,540	7,634	6,576	86.14	2.77
14.	पूँजीगत परिव्यय	5,414	7,383	6,538	88.55	2.75
15.	ऋण और अग्रिम	126	251	38	15.14	0.02
16.	कुल व्यय (11+13)	38,399	50,023	43,667	87.29	18.37
17.	राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+) (5-11)	(-) 2,136	50	1,114	2,226.00	0.47
18.	राजकोषीय घाटा {16-(5+6+7)}	7,657	7,549	5,439	72.05	2.29
19.	प्राथमिक घाटा (18-12)	3,153	1,657	666*	40.18	0.28

स्रोत: वित्त लेखे।

(क) उधार और अन्य देनदारियाँ: निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ-वितरण) + आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखा का निवल (प्राप्तियाँ-वितरण) + आरंभिक रोकड़ शेष तथा अंतिम रोकड़ शेष का निवल।

1.4.2 सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों का सूक्ष्मावलोकन

सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों और किए गए व्यय से सृजित परिसंपत्तियों को परिलक्षित करते हैं। दायित्वों में मुख्य रूप से आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम, लोक लेखों और आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ शामिल हैं, और परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम और नकद शेष शामिल हैं। राज्य की परिसंपत्तियों और दायित्वों की सारांशित स्थिति तालिका-1.3 में नीचे दी गई है:

तालिका-1.3: परिसंपत्तियों और दायित्वों की सारांशिक स्थिति

(₹ करोड़ में)

दायित्व					परिसंपत्तियाँ				
		2019-20	2020-21	प्रतिशत वृद्धि			2019-20	2020-21	प्रतिशत वृद्धि
समेकित निधि									
अ	आंतरिक ऋण	49,436.68	53,301.55	7.82	अ	सकल पूँजी परिव्यय	57,787.26	64,325.48	11.31
ब	भा स से ऋण और अग्रिम	812.87	3,813.10	369.09	ब	ऋण और अग्रिम	2,033.40	2,047.91	0.71
आकस्मिकता निधि		232.16	7.45	(-) 96.79					
लोक लेखा									
अ	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	8,565.28	8,996.75	5.04		अग्रिम	0.42	0.42	00
ब	जमा	3,835.27	4,217.28	9.96		नकद शेष (चिन्हित निधि में निवेश सहित)	1,922.35	3,575.97	86.02
स	रिजर्व फंड	4,670.68	4,910.59	5.14		योग	61,743.43	69,949.78	13.29
द	उचत और विविध	797.74	203.19	(-) 74.53		राजस्व लेखे में घाटा	6,672.38	5,558.85	(-) 16.69
य	प्रेषण	65.13	58.72	(-) 9.84		योग	68,415.81	75,508.63	10.37
योग		68,415.81	75,508.63	10.37					

स्रोत: वित्त लेखे।

1.5 राजकोषीय शेष: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि

जब सरकार राजस्व संग्रह से अधिक खर्च करती है, तो उसे घाटा होता है। सरकारी घाटे को मापने हेतु विभिन्न मापक हैं।

<p>राजस्व घाटा/अधिशेष (राजस्व व्यय - राजस्व प्राप्तियाँ)</p>	<p>राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को संदर्भित करता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> जब सरकार राजस्व घाटा उठाती है, तो इसका तात्पर्य यह है कि सरकार के पास बचत नहीं है तथा अपने उपभोग व्यय के एक भाग के वित्तपोषण के लिए अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बचत का उपयोग कर रही है। राजस्व घाटे का अस्तित्व चिंता का कारण है क्योंकि राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व व्यय को भी पूरा नहीं कर पा रही हैं। इसके अलावा, पूँजीगत प्राप्तियों के एक भाग का उपयोग राजस्व व्यय को पूरा करने, पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उस सीमा तक पूँजीगत संसाधनों की उपलब्धता को कम करने के लिए किया जाता है।
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • इस स्थिति का तात्पर्य है कि सरकार को न केवल अपने निवेश के वित्तपोषण के लिए बल्कि अपनी उपभोग की आवश्यकताओं के लिए भी उधार लेना होगा। इससे ऋण और ब्याज देनदारियों के भार में वृद्धि होती है और अंततः सरकार व्यय में कटौती करने के लिए बाध्य हो जाती है। • यदि राजस्व व्यय का प्रमुख हिस्सा वचनबद्ध व्यय (ब्याज देनदारियाँ, वेतन, पेंशन) है, तो सरकार उत्पादक व्यय या कल्याणकारी व्यय को कम करती है। इसका तात्पर्य कम वृद्धि और प्रतिकूल कल्याणकारी निहितार्थ होंगे।
<p>राजकोषीय घाटा/ अधिशेष {कुल व्यय- (राजस्व प्राप्तियाँ + गैर- ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ)}</p>	<p><i>यह राजस्व प्राप्तियों के साथ-साथ गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर है। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उधारी को छोड़कर उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। • गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ हैं, जो उधार नहीं हैं, और इसलिए, ऋण को बढ़ने नहीं देती हैं। ऋणों की वसूली और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बिक्री से होने वाली आय इसके उदाहरण हैं। • राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण उधार के माध्यम से करना होगा। इस प्रकार, यह सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को इंगित करता है। <p>सरकारें सामान्यतः राजकोषीय घाटे से गुजरती हैं और पूँजी/परिसंपत्तियों के सृजन या आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए धन उधार लेती हैं, ताकि उधार के माध्यम से बनाई गई परिसंपत्तियाँ आय स्रोत पैदा करके अपने लिए भुगतान कर सकें। इस प्रकार पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उधार ली गई निधियों का पूरी तरह से उपयोग करना और मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिए राजस्व प्राप्तियों का उपयोग करना वांछनीय है।</p>
<p>प्राथमिक घाटा/ (सकल राजकोषीय घाटा- निवल ब्याज देनदारियाँ)</p>	<p><i>यह ब्याज भुगतान को घटाकर राजकोषीय घाटे को संदर्भित करता है।</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • निवल ब्याज देयताओं में, ब्याज भुगतान में से सरकार द्वारा निवल घरेलू ऋण पर प्राप्त ब्याज घटाना शामिल होता है। • सरकार की उधारी की आवश्यकता में संचित ऋण पर ब्याज दायित्व शामिल हैं। राजस्व से अधिक वर्तमान व्यय के कारण उधार लेने का अनुमान प्राप्त करने के लिए हमें प्राथमिक घाटे की गणना करने की आवश्यकता होती है।

सरकारी ऋण को बढ़ा कर घाटे का वित्तपोषण उधारियों द्वारा किया जाना चाहिए। घाटे और ऋण की अवधारणाओं का गहरा संबंध है। घाटे को एक प्रवाह के रूप में माना जा सकता है जो ऋण के भार में वृद्धि करता है। यदि सरकार हर वर्ष कर्ज लेती रहेगी तो इससे कर्ज बढ़ेगा और सरकार को ब्याज के रूप में ज्यादा से ज्यादा भुगतान करना होगा। ये ब्याज भुगतान स्वयं ऋण में योगदान देते हैं।

उधार लेकर सरकार भावी पीढ़ी पर कम खपत का बोझ स्थानांतरित कर देती है। इसका कारण यह है कि यह वर्तमान में रहने वाले लोगों को बॉण्ड जारी करके उधार लेती है लेकिन करों में वृद्धि या व्यय को कम करके कुछ वर्षों बाद बॉण्ड का भुगतान करने का निर्णय ले सकती है। साथ ही लोगों से सरकार द्वारा उधार लेने से निजी क्षेत्र को उपलब्ध बचत भी कम हो जाती है। इससे पूँजीगत निर्माण और वृद्धि इस हद तक कम हो जाती है कि ऋण भावी पीढ़ी पर 'बोझ' के रूप में कार्य करता है।

हालाँकि, अगर सरकारी घाटा उत्पादन बढ़ाने के अपने लक्ष्य में सफल होता है, तो अधिक आय होगी और इसलिए अधिक बचत होगी। इस मामले में, सरकार और उद्योग दोनों ही ज्यादा कर्ज ले सकते हैं। साथ ही, यदि सरकार बुनियादी ढाँचे में निवेश करती है, तो आने वाली पीढ़ियाँ बेहतर हो सकती हैं, बशर्ते ऐसे निवेशों पर रिटर्न ब्याज दर से अधिक हो। उत्पादन में वृद्धि से वास्तविक ऋण का भुगतान किया जा सकता है। इसके बाद कर्ज को बोझ नहीं माना जाना चाहिए। कर्ज में वृद्धि को पूरी तरह से अर्थव्यवस्था (रा स घ उ) की वृद्धि से आंका जाना चाहिए।

करों में वृद्धि या खर्च में कमी से सरकारी घाटे को कम किया जा सकता है। हालाँकि, इसका मुख्य जोर सरकारी व्यय में कमी की ओर रहा है। कार्यक्रमों की बेहतर योजना और बेहतर प्रशासन के माध्यम से सरकारी गतिविधियों को और अधिक दक्ष बनाने के माध्यम से इसे प्राप्त किया जा सकता है।

1.5.1 मुख्य राजकोषीय मापदंडों पर एफ आर बी एम लक्ष्य तथा उन पर उपलब्धियाँ

राजकोषीय प्रबंधन में विवेक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 (एफ आर बी एम) पारित किया था, जो की वर्ष 2011, 2016 व 2020 में संशोधित किया गया। इसे राजस्व घाटे को समाप्त करके, राजकोषीय घाटे और समग्र/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक कम करके, बेहतर ऋण प्रबंधन स्थापित कर तथा मध्यावधि ढाँचे की पारदर्शिता में सुधार कर किया जाना था। इस संदर्भ में, अधिनियम में घाटे के उपायों और ऋण स्तर के संबंध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्यों का प्रावधान है।

वर्ष 2011 में एफ आर बी एम अधिनियम में संशोधन के अनुसार, राज्य सरकार को 2013-14 तक राजकोषीय घाटे को अनुमानित स रा घ उ के तीन प्रतिशत तक कम करना और उसके बाद इसी स्तर को बनाए रखना था। 2016 में हुए एफ आर बी एम अधिनियम संशोधन में राजस्व घाटे हेतु किसी लक्ष्य का उल्लेख नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में यह भी उल्लेखित किया गया था कि राज्य सरकार कुल बकाया ऋण को स रा घ उ के 25 प्रतिशत तक सीमित करेगी।

जुलाई 2020 में एफ आर बी एम अधिनियम में हुए संशोधन में पंद्रहवें वित्त आयोग (एफ एफ सी) की सिफारिशों, जो कि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य को अनुशंसित राजकोषीय घाटे की सीमा से

संबन्धित थी, को समाहित किया गया। अधिनियम के अनुसार, 'राज्य का राजकोषीय घाटा स रा घ उ के तीन प्रतिशत की वार्षिक सीमा की स्थिरता प्रदान करेगा। राज्य को बिना किसी शर्त के वर्ष 2020-21 के लिए स रा घ उ की 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा तथा कुछ शर्तों¹ के कार्यान्वयन के अधीन अतिरिक्त 1.50 प्रतिशत मिल सकती है।'

अधिनियम में कुछ शर्तों के अंतर्गत वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से विचलन के लिए गुंजाइश प्रदान की गई थी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटे को स रा घ उ की 3.5 प्रतिशत की वार्षिक सीमा तक सीमित कर दिया गया था।

एफ आर बी एम अधिनियम में परिकल्पित प्रमुख राजकोषीय मापदंडों से संबंधित लक्ष्य और 2016-17 से 2020-21 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान उनकी उपलब्धि तालिका-1.4 में दी गई है।

तालिका-1.4: एफ आर बी एम अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय मापदंड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धि (₹ करोड़ में)				
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	राजस्व घाटा का शून्य होना	(-) 383	(-) 1,978	(-) 980	(-) 2,136	(+) 1,114
		X	X	X	X	✓
राजकोषीय घाटा (-) / अधिशेष (+) (स रा घ उ की प्रतिशतता के रूप में)	2016-17 से 2019-20 तक तीन प्रतिशत तथा 2020-21 में 3.5 प्रतिशत	(-) 5,467 (-2.80)	(-) 7,935 (-3.61)	(-) 7,320 (-3.09)	(-) 7,657 (-3.02)	(-) 5,439 (-2.29)
		✓	X	X	X	✓
कुल बकाया ऋण का स रा घ उ से अनुपात (प्रतिशत में)	25 प्रतिशत	22.85	23.56	24.51	26.01	30.05*
		✓	✓	✓	X	X

स्रोत: वित्त लेखे और एफ आर बी एम अधिनियम।

* जी एस टी मुआवजे की कमी के बदले वर्ष 2020-21 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ₹ 2,316 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण को बकाया ऋण का स रा घ उ से अनुपात की गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है। भारत सरकार के स्पष्टीकरण² के अनुसार इस उधार को किसी भी मानदंड जो कि वित्त आयोग आदि, द्वारा निर्धारित किया जा सकता है के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

राज्य ने 2016-17 से 2019-20 के दौरान शून्य राजस्व घाटे के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया था परंतु 2020-21 में यह लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहा था। इसके अतिरिक्त, राज्य वर्ष 2016-17 तथा

¹ क) एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन (0.25 प्रतिशत)

ख) ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स (0.25 प्रतिशत)

ग) शहरी स्थानीय निकाय/उपयोगिता सुधार (0.25 प्रतिशत)

घ) विद्युत क्षेत्र में सुधार (0.25 प्रतिशत)

ड) उपरोक्त 4 में से कोई 3 सुधार करने पर अतिरिक्त 0.50 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त की जा सकती है।

² वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग भारत सरकार के पत्र संख्या। एफ.सं.40 (1) पी एफ-एस/2021-22 दिनांक 10 दिसंबर 2021।

2020-21 के अलावा, विगत पाँच वर्षों में राजकोषीय घाटे को निर्धारित मापदंडों के अन्तर्गत रखने में भी सफल नहीं रहा था।

वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक की तीन वर्ष की अवधि के दौरान राज्य का बकाया ऋण लगातार एफ आर बी एम अधिनियम में निर्धारित मापदंडों के अन्तर्गत अर्थात् स रा घ उ के 25 प्रतिशत से कम रहा। हालाँकि, वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान यह एफ आर बी एम के 25 प्रतिशत के लक्ष्य से क्रमशः 1.01 प्रतिशत तथा 5.05 प्रतिशत ऊपर था।

1.5.2 मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना

एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को वार्षिक बजट के साथ-साथ पाँच वर्षीय राजकोषीय योजना राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है। मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण (एम टी एफ पी एस) को निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लिए पाँच साल का रोलिंग लक्ष्य निर्धारित करना होगा।

तालिका-1.5 2020-21 के वार्षिक बजट (04 मार्च 2020 को प्रस्तुत) और वर्ष के वास्तविक के साथ राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत एम टी एफ पी एस में 2020-21 के लिए किए गए अनुमानों के बीच अंतर को प्रदर्शित करता है।

तालिका-1.5: 2020-21 के लिए एम टी एफ पी में अनुमान की तुलना में वास्तविक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजकोषीय चर	एम टी एफ पी एस के अनुसार लक्ष्य	वास्तविक (2020-21)	भिन्नता (प्रतिशत में)
1.	स्वयं कर राजस्व	10,791	11,938	10.63
2.	करेत्तर राजस्व	3,400	4,171	22.68
3.	केंद्रीय करों का अंश	6,072	6,569	8.19
4.	भारत सरकार से अनुदान	16,748	15,527	(-) 7.29
5.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	37,011	38,205	3.23
6.	राजस्व व्यय	40,091	37,091	(-) 7.48
7.	राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) (5-6)	(-) 3,080	(+) 1,114	(+) 136.17
8.	राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-) 10,802	(-) 5,439	(-) 49.65
9.	ऋण- स रा घ उ अनुपात (प्रतिशत)	30.24	30.05*	(-) 0.19
10.	चालू कीमतों पर स रा घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-) 4.20	(-) 6.28	(-) 2.08

स्रोत: वित्त लेखे और उत्तराखण्ड के बजट दस्तावेज 2020-21।


* जी एस टी मुआवजे की कमी के बदले वर्ष 2020-21 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ₹ 2,316 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण को बकाया ऋण का स रा घ उ से अनुपात की गणना हेतु सम्मिलित नहीं किया गया है। भारत सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार इस उधार को किसी भी मानदंड जो कि वित्त आयोग आदि, द्वारा निर्धारित किया जा सकता है के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, राज्य ने 2020-21 के दौरान एम टी एफ पी एस में राजस्व घाटे का अनुमान लगाया था, जिसके विपरीत राज्य को ₹ 1,114 करोड़ का अधिशेष हुआ, जो कि अनुमान से 136.17 प्रतिशत अधिक था। इसी प्रकार, एम टी एफ पी एस में अनुमानित राजकोषीय घाटे का लक्ष्य भी न केवल हासिल किया गया बल्कि यह अनुमान का लगभग 50 प्रतिशत था। ऋण-स रा घ उ अनुपात और स रा घ उ की वृद्धि दर से संबंधित अनुमानों को प्राप्त नहीं किया जा सका था तथा वर्ष की समाप्ति, एम टी एफ पी एस में अनुमानित दरों से अधिक ऋण स रा घ उ अनुपात और स रा घ उ में कम वृद्धि के साथ हुई थी।

1.5.3 घाटे/अधिशेष की प्रवृत्तियाँ


राज्य प्रमुख राजकोषीय मापदंडों के संबंध में 2020-21 के दौरान XV वि आ द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम था। वर्ष 2020-21 के दौरान इसका राजकोषीय घाटा ₹ 5,439 करोड़ था, जो स रा घ उ का 2.29 प्रतिशत था। 2019-20 के दौरान ₹ 3,153 करोड़ का प्राथमिक घाटा चालू वर्ष के दौरान घटकर ₹ 666 करोड़ हो गया और 2019-20 में ₹ 2,136 करोड़ का राजस्व घाटा 2020-21 के दौरान ₹ 1,114 करोड़ के राजस्व अधिशेष में बदल गया। वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक पाँच वर्ष की अवधि में इन अधिशेष/घाटे की प्रवृत्ति को चार्ट-1.3 में दर्शाया गया है और स रा घ उ के अनुपात में घाटे की प्रवृत्ति चार्ट-1.4 में दी गई है। राजकोषीय देयताओं के घटक और प्रवृत्ति तथा स रा घ उ से इसकी प्रतिशतता चार्ट-1.5 में दी गई है।

चार्ट-1.3: घाटे के मापदंडों की प्रवृत्तियाँ




स्रोत: वित्त लेखे।

चार्ट-1.4: स रा घ उ के सापेक्ष घाटे की प्रवृत्तियाँ



स्रोत: वित्त लेखे।

चार्ट-1.5: राजकोषीय देनदारियाँ और स रा घ उ की प्रवृत्तियाँ



स्रोत: वित्त लेखे।

जैसा कि ऊपर के ग्राफ से देखा जा सकता है, पिछले पाँच वर्षों के दौरान कुल बकाया दायित्वों में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई और विगत दो वर्षों से यह एफ आर बी एम लक्ष्य से ऊपर थी।

1.6 लेखापरीक्षा परीक्षण के बाद घाटे तथा कुल ऋण

राज्य वित्त की बेहतर स्थिति दर्शाने के लिए, राजस्व व्यय को पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत करने और गैर बजट राजकोषीय संचालन संपादित करने की प्रवृत्ति है।

1.6.1 पश्च लेखापरीक्षा-घाटा

पूँजी के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण और गैर बजट राजकोषीय संचालनों से घाटे के आँकड़ों पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, स्पष्ट कटौती दायित्वों को स्थगित करना, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा नहीं करना, नई पेंशन योजना, मोचन निधियाँ आदि में कम अंशदान भी राजस्व और राजकोषीय घाटे के आँकड़ों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक घाटे के आँकड़ों पर पहुँचने के लिए, ऐसी अनियमितताओं के प्रभाव का विश्लेषण किया गया और नीचे तालिका-1.6 में दर्शाया गया:

तालिका-1.6: लेखापरीक्षा द्वारा जाँच के पश्चात राजस्व और राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव [न्यूनदर्शित (+) / अतिदर्शित (-)]	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव [न्यूनदर्शित (+) / अतिदर्शित (-)]	प्रस्तर संदर्भ
अगले वित्त वर्ष के लिए स्पष्ट दायित्वों को आस्थगित करना	(-) 373.63	(+) 373.63	4.3
गारंटी कमीशन शुल्क का लोक लेखे में हस्तांतरण न करना	(-) 2.83	(+) 2.83	2.8.2.3
पूँजीगत के स्थान पर राजस्व अनुभाग के अंतर्गत बुक किए गए मुख्य कार्य	(+) 14.22	00	2.6.3.2 (iv)
लघु कार्य और अनुरक्षण कार्य को राजस्व के स्थान पर पूँजीगत अनुभाग के अन्तर्गत बजटीय/दर्ज किया गया	(-) 4.37	00	2.6.3.2 (iv)
राजस्व के स्थान पर पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत बुक किया गया सहायता-अनुदान	(-) 80.30	00	2.6.3.2 (iv)
आरक्षित निधि और जमा तथा अग्रिमों के विरुद्ध ब्याज देनदारियों का निर्वहन न करना	(-) 143.97	(+) 143.97	2.8.3
नई पेंशन योजना में अधिक योगदान	(+) 24.97	(-) 24.97	2.6.2.3
केन्द्रीय सड़क निधि का लेखांकन न किया जाना	(-) 61.34	(-) 23.84	4.10 (स)
हरित ऊर्जा उपकर का हरित ऊर्जा निधि में हस्तांतरण न किया जाना	(-) 70.00	(+) 70.00	एन टी ए का 5(स) (vi)
योग	(-) 697.25	(+) 541.62	

स्रोत: वित्त लेखे और लेखापरीक्षा विश्लेषण।

उपर्युक्त सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, राजस्व अधिशेष ₹ 1,114 करोड़ से घटकर ₹ 417 करोड़ रह जाएगा और राजकोषीय घाटा ₹ 5,439 करोड़ से बढ़कर ₹ 5,981 करोड़ (स रा घ उ का 2.52 प्रतिशत) हो जाएगा, जो फिर भी एफ आर बी एम अधिनियम 2005 (2020 में संशोधित) के निर्धारित लक्ष्य के अंदर ही रहेगा।

1.6.2 पश्च लेखापरीक्षा - कुल लोक ऋण

व्यापक परिभाषा में सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण में निम्न ऋण सम्मिलित हैं:

- सरकार (केंद्र, सामाजिक सुरक्षा निधियाँ, और अतिरिक्त बजटीय निधियाँ सहित);
- वित्तीय सार्वजनिक उद्यम (केंद्रीय बैंक सहित) और गैर-वित्तीय सार्वजनिक उद्यम;
- सरकार के दीर्घकालिक दायित्व, जैसे सामाजिक सुरक्षा निधियों के वित्त पोषित दायित्व (जब उन्हें स्पष्ट रूप से सामान्य सरकारी ऋण के हिस्से के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है);
- आकस्मिक दायित्वों की ज्ञात और प्रत्याशित मान्यता (जैसे, वित्तीय संस्थानों के चल रहे पुनर्गठन से या सार्वजनिक-निजी भागीदारी से जहाँ माँग या अन्य प्रतिभूतियाँ हुई हैं या ट्रिगर होने की ओर अग्रसर हैं)।

ऋण स्थिरता का आकलन करने के लिए, आदर्श रूप में, एक व्यापक लोक ऋण कवरेज महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, सकल ऋण उचित अवधारणा है क्योंकि यह ऋण सेवा दायित्वों के वित्तपोषण के भार को मापता है जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। तरल वित्तीय परिसंपत्तियों की उपलब्धता कम होती है, लेकिन ऋण स्थिरता के जोखिम (जैसे मुद्रा या परिपक्वता असमानता, और सामान्य सरकारी कार्यों के लिए कुछ न्यूनतम स्तर की संपत्ति की आवश्यकता होती है) को समाप्त नहीं कर सकते हैं।

हाल ही में केंद्र सरकार ने ऋण की अपनी परिभाषा का विस्तार किया। एफ आर बी एम अधिनियम में 2018 में संशोधनों के अनुसार, ऋण में अब लोक ऋण (आंतरिक और वाह्य ऋण), लोक लेखे पर कुल बकाया दायित्व और केंद्र सरकार³ द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित किसी भी कॉर्पोरेट या अन्य इकाई के ऐसे वित्तीय दायित्व शामिल हैं, जिन्हें सरकार को उस दिनांक के अंत में नकद शेष राशि से कम करते हुए ए एफ एस से चुकाना या कम करना होता है।

जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया था, राज्य सरकार की ओर से राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा उधार, विशेष प्रयोजन वाहन (एस पी वी) आदि जैसे ऑफ-बजट वित्तीय संचालन के मामले नहीं थे, जहाँ मूलधन और / या ब्याज को राज्य के बजट से चुकाया जाना है।

1.7 निष्कर्ष

- 2016-17 में राज्य का राजस्व घाटा ₹ 383 करोड़ था जो 2017-18 के दौरान हासित होकर ₹ 1,978 करोड़ हो गया। वर्ष 2018-19 के दौरान स्थिति में सुधार हुआ और राजस्व घाटा ₹ 980 करोड़ पर था। वर्ष 2019-20 के दौरान राजस्व घाटा पुनः हासित होकर ₹ 2,136 करोड़

³ यू के एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार, "कुल बकाया ऋण/दायित्व" में मात्र राज्य के समेकित निधि तथा लोक लेखे के दायित्व शामिल हैं।

- हो गया। जबकि, चालू वर्ष के दौरान राजस्व घाटा राजस्व अधिशेष में परिवर्तित हो गया तथा राज्य ने ₹ 1,114 करोड़ (स रा घ उ का 0.47 प्रतिशत) राजस्व अधिशेष प्राप्त किया। आस्थगित देयता, राजस्व और पूँजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण, ब्याज देयता का गैर-हस्तांतरण, आदि के कारण राजस्व अधिशेष को ₹ 697 करोड़ (62.57 प्रतिशत) से अधिक दर्शाया गया था।
- चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 5,439 करोड़ (स रा घ उ का 2.29 प्रतिशत) रहा जो पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित स रा घ उ के 3.50 प्रतिशत के मानक लक्ष्य के भीतर था। वर्ष के दौरान, राजस्व अधिशेष के कारण राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता में सुधार आया। राजकोषीय घाटे में निवल पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता 2019-20 में 71 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 120 प्रतिशत हो गयी। यह 20 प्रतिशत के राजस्व अधिशेष के योगदान से प्रतिसंतुलित हुआ था। आस्थगित देयता, ब्याज दायित्व का अहस्तांतरण आदि के कारण राजकोषीय घाटा ₹ 542 करोड़ (9.97 प्रतिशत) कम दर्शाया गया था।

1.8 संस्तुतियाँ

- *उत्तराखण्ड सरकार चालू वर्ष (2020-21) के दौरान राजस्व अधिशेष हो गई है और आगामी वर्षों में इसे बनाए रखने की आवश्यकता है। यह अपनी वर्तमान देनदारियों के निर्वहन में उचित कदम उठा सकती है और इन्हें आस्थगित न किया जाए ताकि सही वित्तीय स्थिति को दर्शाया जा सके। राज्य सरकार द्वारा ब्याज सहित आरक्षित निधियों एवं जमा पर ब्याज का प्रावधान किया जाना चाहिए।*

अध्याय-2
राज्य के वित्त

अध्याय-2

राज्य के वित्त

यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है और गत वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह अध्याय पंच-वर्षीय अवधि 2016-17 से 2020-21 के दौरान राज्य के वित्त लेखों के आधार पर राज्य की ऋण स्थिरता और प्रमुख लोक लेखे में लेन-देन, की समग्र प्रवृत्तियों पर चर्चा करता है।

2.1 2019-20 के सापेक्ष 2020-21 के दौरान प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में हुए मुख्य परिवर्तन

तालिका-2.1 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में गत वर्ष की तुलना में हुए मुख्य परिवर्तन के संबंध में एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है। इन सभी संकेतकों को अनुवर्ती प्रस्तारों में विश्लेषित किया गया है।

तालिका-2.1: 2019-20 के सापेक्ष 2020-21 के दौरान प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में मुख्य परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियों में 24.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई	<ul style="list-style-type: none"> ➤ राज्य की स्वयं कर प्राप्तियों में 3.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ स्वयं की करेत्तर प्राप्तियों में 4.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ केंद्रीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश 4.82 प्रतिशत कम हुआ। ➤ भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 86.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
राजस्व व्यय में 12.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 7.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 17.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 18.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ सहायता अनुदान पर व्यय में 12.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
पूँजीगत व्यय में 20.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 108.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 20.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 11.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
ऋण एवं अग्रिम	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण 69.84 प्रतिशत कम हुआ। ➤ ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में 21.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> ➤ लोक ऋण प्राप्तियों में 59.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ लोक ऋणों का पुनर्भुगतान 37.07 प्रतिशत बढ़ा।
लोक लेखे	<ul style="list-style-type: none"> ➤ लोक लेखा प्राप्तियों में 4.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ लोक लेखा संवितरण में 11.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.2 निधियों के स्रोत एवं उपयोग


तालिका-2.2 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य की निधियों के स्रोतों एवं उपयोग के घटकों की तुलना वर्ष 2019-20 के आँकड़ों से करती है जबकि चार्ट-2.1 एवं 2.2 वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिशतता के रूप में “प्राप्ति कहाँ से आयी” तथा “कहाँ व्यय हुआ” का विवरण प्रदान करते हैं।

तालिका-2.2: 2019-20 और 2020-21 के दौरान निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2019-20	2020-21	वृद्धि/कमी (प्रतिशत में)
स्रोत	आर बी आई के साथ प्रारम्भिक रोकड़ शेष	2,583.08	1,922.35	(-) 25.58
	राजस्व प्राप्तियाँ	30,722.57	38,204.36	24.35
	विविध पूँजीगत प्राप्ति	00	0.20	---
	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	18.92	23.05	21.83
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	4,016.93	6,865.10	70.90
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	2,910.96	452.41	(-) 84.46
	आकस्मिकता निधि (निवल)	68.64	-224.71	(-) 427.37
	योग	40,321.10	47,242.76	17.17
उपयोग	राजस्व व्यय	32,858.80	37,091.03	12.88
	पूँजीगत व्यय	5,414.18	6,538.21	20.76
	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	125.77	37.55	(-) 70.14
	आर बी आई के साथ अंतिम रोकड़ शेष	1,922.35	3,575.97	86.02
	योग	40,321.10	47,242.76	17.17

स्रोत: वित्त लेखे।



स्रोत: वित्त लेखे।

2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों को नीचे वर्णित किया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियाँ** में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों और शुल्कों में राज्यांश एवं भारत सरकार (भा स) से प्राप्त सहायता अनुदान समाहित हैं।
2. **पूँजीगत प्राप्तियाँ** में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे कि विनिवेश से आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ) बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/व्यावसायिक बैंकों से ऋण) और भा स से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियाँ दोनों ही राज्य की समेकित निधि के भाग हैं।


3. **निवल लोक लेखे प्राप्तियाँ:** कुछ लेन-देन, जैसे कि लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमाओं, उचंत, प्रेषणों, आदि से संबन्धित प्राप्तियाँ और संवितरण शामिल हैं, जो समेकित निधि का भाग नहीं होते हैं।

इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है और यह राज्य विधानमण्डल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। यहाँ सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। निधियों के संवितरण के पश्चात शेष धनराशि सरकार के उपयोग हेतु उपलब्ध रहती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की संरचना चार्ट-2.3 में दी गई है।

चार्ट-2.3: वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य में प्राप्तियों की संरचना



2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और वृद्धि

तालिका-2.3 पाँच वर्ष की अवधि 2016-21 के दौरान, स रा घ उ से संबन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं वृद्धि के साथ-साथ राजस्व की उत्प्लावकता प्रदान करती है। आगे, स रा घ उ के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ और राजस्व प्राप्तियों की संरचना क्रमशः चार्ट-2.4 एवं 2.5 में दी गई है।

तालिका-2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व प्राप्तियाँ (रा प्र) (₹ करोड़ में)	24,889	27,105	31,216	30,723	38,205
रा प्र की वृद्धि दर (प्रतिशत)	17.21	8.90	15.17	(-) 1.58	24.35
स्वयं के कर राजस्व (₹ करोड़ में)	10,897	10,165	12,188	11,513	11,938
करेत्तर राजस्व (₹ करोड़ में)	1,346	1,770	3,310	3,999	4,171
स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.53	(-) 2.52	29.85	0.09	3.85
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,95,125	2,19,954	2,36,768*	2,53,666*	2,37,747*
स रा घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.14	12.72	7.64	7.14	- 6.28
रा प्र/स रा घ उ (प्रतिशत)	12.76	12.32	13.18	12.11	16.07
उत्प्लावकता अनुपात ¹					
स रा घ उ के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.70	0.70	1.99	- 0.22	- 3.88
स रा घ उ के संदर्भ में राज्य के स्वयं के राजस्व की उत्प्लावकता	1.53	- 0.20	3.91	0.01	- 0.61

स्रोत: वित्त लेखे, स रा घ उ के आँकड़े www.des.uk.gov.in (उत्तराखण्ड सांख्यिकी विभाग) से प्राप्त किये गये हैं।


♣अनंतिम अनुमान, ♠त्वरित अनुमान और ♥अग्रिम अनुमान

चार्ट-2.4: स रा घ उ की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



¹ उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत आँकड़ों में किए गए परिवर्तन के संदर्भ में राजकोषीय आँकड़ों की लोच अथवा जवाबदेही के स्तर को इंगित करता है।

चार्ट-2.5: राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्तियाँ



- राजस्व प्राप्तियों में 12.81 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि के साथ, 2016-17 में ₹ 24,889 करोड़ से 2020-21 में ₹ 38,205 करोड़ तक 53.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2020-21 के दौरान गत वर्ष की तुलना राजस्व प्राप्तियों में ₹ 7,482 करोड़ (24.35 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, यह वृद्धि सहायता अनुदान (₹ 7,218 करोड़), स्वयं के कर राजस्व (₹ 425 करोड़) एवं करेत्तर राजस्व (₹ 172 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई। यह वृद्धि आंशिक तौर पर संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश में कमी (₹ 333 करोड़) से प्रतिसंतुलित हुई।
- 2020-21 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का लगभग 42.16 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों से प्राप्त हुआ जबकि केन्द्रीय कर हस्तांतरण एवं सहायता अनुदान ने मिल कर 57.84 प्रतिशत का योगदान दिया। इस प्रकार, उत्तराखण्ड की राजकोषीय स्थिति काफी हद तक केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भर है।
- चालू वर्ष के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में 24.35 प्रतिशत (₹ 7,482 करोड़) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। दूसरी ओर राजस्व व्यय में केवल 12.88 प्रतिशत (₹ 4,232 करोड़) की वृद्धि हुई। जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान राज्य को राजस्व अधिशेष प्राप्त हुआ।
- 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान, राज्य की राजस्व उत्प्लावकता में व्यापक उतार-चढ़ाव था। 2020-21 के दौरान, मुख्यतः स रा घ उ की नकारात्मक वृद्धि दर (-6.28 प्रतिशत) के कारण स रा घ उ के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता नकारात्मक रही।

2.3.3 राज्य के स्वयं के संसाधन

केन्द्रीय करों में राज्यांश वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर निर्धारित किया जाता है, सहायता अनुदान में राज्यांश, एकत्र किए गए केंद्रीय करों की प्राप्तियों एवं योजनाओं के लिए प्रत्याशित केन्द्रीय सहायता


आदि पर निर्धारित किया जाता है। अतिरिक्त संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन उसके स्वयं के संसाधनों जिनमें स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व सम्मिलित हैं, के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

2016-21 के दौरान, कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व के संबंध में सकल संग्रहण एवं इनके सापेक्ष स रा घ उ में अंश **परिशिष्ट-2.1** में प्रदर्शित है।

2.3.3.1 स्वयं का कर राजस्व

राज्य के स्वयं के कर राजस्व में राज्य जी एस टी, राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, निबंधन शुल्क एवं पंजीकरण फीस, भू-राजस्व तथा माल एवं यात्रियों पर कर इत्यादि शामिल हैं। राज्य की पंच-वर्षीय अवधि 2016-21 के स्वयं के कर राजस्व के आँकड़े नीचे **चार्ट-2.6** में दिये गये हैं।

चार्ट-2.6: 2016-21 के दौरान स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि



वर्ष 2016-21 के दौरान संग्रहित किए गए स्वयं के कर राजस्व का घटक-वार विवरण **तालिका-2.4** में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.4: 2016-21 के दौरान घटक-वार स्वयं का कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	प्रवृत्तियाँ
विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर	7,154	3,703	1,883	1,811	1,858	
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	0	1,972	4,802	4,931	5,053	
राज्य आबकारी	1,906	2,262	2,871	2,727	2,966	
वाहनों पर कर	556	816	909	908	741	
निबंधन एवं पंजीकरण शुल्क	778	882	1,015	1,072	1,107	
भू-राजस्व	160	24	34	24	17	
अन्य कर	343	506	674	40	196	
योग	10,897	10,165	12,188	11,513	11,938	
राज्य के स्वयं के राजस्व में स्वयं के कर राजस्व की प्रतिशतता	89.01	85.17	78.64	74.22	74.11	
कुल राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर राजस्व की प्रतिशतता	43.78	37.50	39.04	37.47	31.25	


स्रोत: वित्त लेखे।

राज्य के स्वयं कर राजस्व में, 5.51 प्रतिशत वार्षिक औसत दर के साथ, 2016-2017 में ₹ 10,897 करोड़ से 2020-21 में ₹ 11,938 करोड़ तक ₹ 1,041 करोड़ की वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान, कर राजस्व में मुख्य अंशदाता वस्तु एवं सेवा कर (42.33 प्रतिशत), राज्य आबकारी (24.85 प्रतिशत), बिक्री, व्यापार आदि पर कर (15.56 प्रतिशत) और निबंधन एवं पंजीकरण शुल्क (9.27 प्रतिशत) थे। गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्वयं कर राजस्व में ₹ 425 करोड़ की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः राज्य आबकारी (₹ 239 करोड़), अन्य कर (₹ 156 करोड़), राज्य वस्तु एवं सेवा कर (₹ 122 करोड़) और बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 47 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई। हालाँकि, यह वृद्धि वाहनों पर करों में कमी (₹ 167 करोड़) के कारण आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई। स्वयं के कर राजस्व की कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता में 2016-17 के दौरान 43.78 प्रतिशत से 2020-21 के दौरान 31.25 प्रतिशत तक गिरावट देखी गई।

2.3.3.2 राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस जी एस टी)

2005 में मूल्य वर्धित कर (वैट) लागू होने के 12 वर्ष पश्चात, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) लागू किया। उत्तराखण्ड वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 राज्य विधानसभा द्वारा मई 2017 में पारित हुआ और 01 जुलाई 2017 से लागू हुआ।

चार्ट-2.7: वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान एस जी एस टी के अंतर्गत तुलनात्मक प्राप्तियाँ



वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस जी एस टी) के अंतर्गत राजस्व का वास्तविक संग्रहण तालिका-2.5 में दिया गया है।

तालिका-2.5: जी एस टी से पूर्व एवं एस जी एस टी से संग्रहण, आई जी एस टी का अनंतिम विभाजन और अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की अवधि के लिए राज्य के अनुमानित राजस्व के सापेक्ष भारत सरकार से प्राप्त आई जी एस टी की क्षतिपूर्ति

(₹ करोड़ में)

माह	मासिक राजस्व संरक्षित किया जाता था	जी एस टी पूर्व कर संग्रहण	एस जी एस टी संग्रहण	आई जी एस टी का अग्रिम विभाजन	कुल प्राप्त धनराशि	प्राप्त क्षतिपूर्ति	वृद्धि (+)/ कमी (-)	टिप्पणी
	1	2	3	4	5=(2+3+4)	6	7={1-(5+6)}	
अप्रैल 2020	796.033	5.42	57.24	25.81	88.47	289.62	417.943	संरक्षित राजस्व की तुलना में क्षतिपूर्ति के घटक को ध्यान में रखते हुए राज्य को कम राजस्व प्राप्त हुआ है।
मई 2020	796.033	0.20	171.70	30.83	202.73	0.00	593.303	
जून 2020	796.033	-1.72	233.48	111.45	343.21	0.00	452.823	
जुलाई 2020	796.033	-3.79	250.58	63.66	310.45	1,162.00	-676.417	
अगस्त 2020	796.033	-0.96	247.57	92.26	338.87	0.00	457.163	
सितम्बर 2020	796.033	37.40	278.78	113.72	429.90	0.00	366.133	
अक्टूबर 2020	796.033	14.98	336.92	59.45	411.35	263.64	121.043	
नवम्बर 2020	796.033	-2.93	324.95	85.02	407.04	0.00	388.993	
दिसम्बर 2020	796.033	-9.05	321.17	120.20	432.32	263.64	100.073	
जनवरी 2021	796.033	10.93	317.61	110.36	438.90	0.00	357.133	
फरवरी 2021	796.033	8.65	90.34	416.27	515.26	0.00	280.773	
मार्च 2021	796.033	17.66	346.69	256.24	620.59	516.98	-341.537	
योग	9,552.40	76.79	2,977.03	1,485.27	4,539.09	2,495.88	2,517.426	

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले एवं हक) द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े।

*स्तम्भ 3 एवं 4 का कुल योग ₹ 4462.30 करोड़ है तथा ₹ 591.19 करोड़ का अंतर वर्ष 2020-21 के दौरान साइबर ट्रेजरी, उत्तराखण्ड से प्राप्त जुलाई 2017 से सितम्बर 2017 तथा मार्च 2018 के लेखा सुधार के कारण है।

जी एस टी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अनुसार राज्य के राजस्व में हुई किसी भी कमी को केंद्र सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति की जाती है। वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹ 9,552.40 करोड़ के संरक्षित राजस्व के सापेक्ष जी एस टी के अंतर्गत कुल राजस्व संग्रहण क्षतिपूर्ति सहित ₹ 2,517.43 करोड़ कम था। हालाँकि, एस जी एस टी के अंतर्गत गत वर्ष (₹ 4,931.04 करोड़) की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण (₹ 5,053.49 करोड़) में ₹ 122.45 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान जी एस टी मुआवजे के एवज में बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹ 2,316 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। इस ऋण का ऋण शोधन जी एस टी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रह से किया जाएगा और इसलिए, राज्य के अन्य संसाधनों से पुनर्भुगतान दायित्व को पूरा नहीं किया जाएगा।

2.3.3.3 राजस्व के बकाए एवं निर्धारण के बकाए का विश्लेषण

राजस्व का बकाया रहना सरकार को देय राजस्व की विलंबित वसूली का सूचक है। इसी प्रकार, निर्धारण का बकाया संभावित राजस्व को दर्शाता है जो विलंब से निर्धारण के कारण अवरुद्ध रहता है। दोनों ही, राज्य को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं।

राजस्व का बकाया

31 मार्च 2021 को वाणिज्यिक कर/मूल्य वर्धित कर के अंतर्गत ₹ 11,821.59 करोड़ राजस्व का बकाया था, जिसमें से ₹ 3,968.17 करोड़ (33.57 प्रतिशत) विगत पाँच वर्षों से अधिक से लंबित था, जैसाकि तालिका-2.6 में नीचे दिखाया गया है।

तालिका-2.6: राजस्व का बकाया

राजस्व शीर्ष ²	31 मार्च 2021 तक बकाया कुल धनराशि (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2021 तक पाँच वर्षों से अधिक से लंबित धनराशि (₹ करोड़ में)
वाणिज्यिक कर/मूल्य वर्धित कर	11,821.59	3,968.17
योग	11,821.59	3,968.17

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।

निर्धारण में बकाया

राज्य कर विभाग द्वारा सूचित, वर्ष के प्रारम्भ में लंबित प्रकरण, निर्धारण हेतु देय होने वाले प्रकरण, वर्ष के दौरान निपटाए गए प्रकरण और वर्ष के अंत में अंतिम रूप दिये जाने हेतु लंबित प्रकरणों से संबन्धित पूर्ण विवरण तालिका-2.7 में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.7: निर्धारण में बकाया

राजस्व शीर्ष	प्रारम्भिक शेष	2020-21 के दौरान निर्धारण के लिए नये मामले	कुल बकाया निर्धारण	2020-21 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष	निपटान की प्रतिशतता
वाणिज्यिक कर मूल्य वर्धित कर	1,14,724	33,426	1,48,150	79,304	68,846	53.53

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।

विभाग द्वारा पता लगाए गए कर चोरी, वापसी आदि के प्रकरण

कराधान विभाग द्वारा कर चोरी के पता लगाए गए मामलों, अंतिम रूप दिये गए प्रकरणों और अतिरिक्त करों की माँग किए गए प्रकरण राज्य सरकार की राजस्व संग्रहण के प्रयत्नों के महत्वपूर्ण सूचक हैं। कर वापसी के प्रकरणों का त्वरित निपटान, विभाग के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। वापसी प्रकरणों का अधिक मात्रा में लंबित रहना लाल फीताशाही, निहित स्वार्थ, और रिश्वत खोरी के प्रचलन आदि का सूचक है। राज्य कर विभाग द्वारा कर चोरी के पता लगाए गए प्रकरणों का विवरण तालिका-2.8 में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.8: कर चोरी का पता लगना

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2020 पर लंबित मामले	2020-21 के दौरान पता चले मामले	कुल	उन मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जाँच पूरी हुई और जुर्माना आदि के साथ अतिरिक्त माँग की गई		31 मार्च 2021 तक अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या
				मामलों की संख्या	माँग की गई धनराशि (₹ करोड़ में)	
वाणिज्यिक कर/मूल्य वर्धित कर	15	0	15	15	2.30	0

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।

² राज्य कर विभाग द्वारा दी गई सूचना के आधार पर। निबंधन एवं पंजीकरण विभाग और राज्य आबकारी विभाग द्वारा ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई (फरवरी 2022)।

कर वापसी के प्रकरण

राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत वापसी के प्रकरणों का विवरण तालिका-2.9 में नीचे दिया है।

तालिका-2.9: 31 मार्च 2021 पर कर वापसी के प्रकरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	जी एस टी		वाणिज्यिक कर/ मूल्य वर्धित कर	
		मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया के प्रकरण	11	5.32	1,200	36.02
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	948	267.93	2,204	162.44
3.	वर्ष के दौरान की गई कर वापसी	799	214.09	2,449	163.86
4.	वर्ष के दौरान कर वापसी जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया	95	18.32	2	0.04
5.	वर्ष के अंत में अदत्त शेष	65	40.84	953	34.56

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है जी एस टी के अंतर्गत 948 प्रकरण प्राप्त हुए और ₹ 214.09 करोड़ कर वापसी के रूप में भुगतान करने के पश्चात 799 प्रकरणों का निपटारा किया गया। जबकि वाणिज्यिक कर/ मूल्य वर्धित कर के अंतर्गत 2,204 प्रकरण प्राप्त हुए और ₹ 163.86 करोड़ का कर वापसी के रूप में भुगतान करने के पश्चात 2,449 प्रकरणों का निपटारा किया गया।

2.3.3.4 करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व में ब्याज की प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ, खनन प्राप्तियाँ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि शामिल हैं। वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान करेत्तर राजस्व संग्रहण का घटक-वार विवरण तालिका-2.10 में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.10: 2016-17 से 2020-21 के दौरान घटक-वार करेत्तर राजस्व

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	प्रवृत्तियाँ
ब्याज प्राप्तियाँ	71.77	85.39	55.70	47.81	98.52	
लाभांश एवं लाभ	15.21	22.69	18.69	14.08	41.02	
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	335.17	439.81	480.86	396.75	506.41	
वानिकी एवं वन्य जीव	318.21	312.20	368.73	410.16	512.27	
पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ के लिए योगदान एवं वसूली	55.13	47.97	1714.70	2492.90	2109.78	
विद्युत	130.08	286.21	186.67	0.30	70.35	
अन्य	420.25	575.26	484.53	636.81	832.22	
योग	1345.82	1769.53	3309.88	3998.81	4170.57	
राज्य के स्वयं से राजस्व में गैर कर राजस्व की प्रतिशतता	10.99	14.83	21.36	25.78	25.89	
कुल राजस्व प्राप्तियों में गैर कर राजस्व की प्रतिशतता	5.41	6.53	10.60	13.02	10.92	


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

पाँच वर्ष की अवधि 2016-17 से 2020-21 के दौरान, करेत्तर राजस्व, राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति का पाँच प्रतिशत से 13 प्रतिशत तक रहा। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान करेत्तर राजस्व (एनटीआर) में ₹ 172 करोड़ (4 प्रतिशत) की वृद्धि, मुख्य रूप से अन्य ₹ 195 करोड़ (31 प्रतिशत), अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग 110 करोड़ (28 प्रतिशत) और वानिकी और वन्यजीवन ₹ 102 करोड़ (25 प्रतिशत) के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई।

2.3.4 केन्द्रीय अंतरण

केन्द्रीय अंतरण मुख्य रूप से (i) संघ करों और शुल्कों की निवल आय में अंश और (ii) सहायता अनुदान से गठित होता है। चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप केन्द्र प्रायोजित योजना और केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत योजना के लिए अनुदान अब राज्य बजट के माध्यम से दिए जा रहे हैं। केन्द्रीय अन्तरण मुख्य रूप से वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्भर हैं। विगत 10 वर्षों में केन्द्रीय अन्तरण की प्रवृत्ति नीचे दिए गए चार्ट-2.8 में दी गई है।

चार्ट-2.8: विगत दस वर्षों में केन्द्रीय अंतरण की प्रवृत्ति



2.3.4.1 केन्द्रीय कर अंतरण

चौदहवें वि आ ने अनुशंसा की थी कि वर्ष 2015-16 से केन्द्रीय करों में राज्यांशों में 42 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाए। फलस्वरूप, केन्द्रीय करों से निवल आय में (सेवा कर के अतिरिक्त) उत्तराखण्ड का अंश 1.052 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। हालांकि, वर्ष 2020-21 के लिए पंद्रहवें वि आ द्वारा अंश को बढ़ाकर 1.104 प्रतिशत कर दिया गया था। वित्त आयोग के अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक हस्तांतरण को तालिका-2.11 में नीचे दिया है।

तालिका-2.11: केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यांश: वास्तविक हस्तांतरण के सापेक्ष वित्त आयोग के अनुमान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्त आयोग के अनुमान	वित्त आयोग प्रतिवेदन में प्रक्षेपण	वास्तविक कर हस्तांतरण	अन्तर
1.	2.	3.	4.	5.=(4-3)
2011-12	सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.120 प्रतिशत और सेवा कर की निवल आय का 1.138 प्रतिशत (तेरहवें वित्त आयोग की अनुसंशा के अनुसार)	2,679.00	2,866.05	187.05
2012-13		3,160.00	3,272.88	112.88
2013-14		3,727.00	3,573.38	(-) 153.62
2014-15		4,396.00	3,792.30	(-) 603.70
2015-16	सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.052 प्रतिशत और साझा करने योग्य सेवा कर की निवल आय का 1.068 प्रतिशत (चौदहवें वि आ की अनुसंशा के अनुसार)	6,112.00	5,333.19	(-) 778.81
2016-17		7,053.00	6,411.55	(-) 641.45
2017-18		8,150.00	7,084.91	(-) 1,065.09
2018-19		9,429.00	8,011.59	(-) 1,417.41
2019-20		10,921.00	6,901.54	(-) 4,019.46
2020-21	सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.104 प्रतिशत (पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुसंशाओं के अनुसार)	9,441.00	6,568.72	(-) 2,872.28

स्रोत: राज्य सरकार एवं वित्त लेखे।

राज्य को वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान केन्द्रीय कर के अन्तरण का विवरण तालिका-2.12 में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.12: केन्द्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
निगम कर	2,056.02	2,169.91	2,786.13	2,353.14	1,981.20
सीमा शुल्क	884.42	715.10	567.89	437.46	349.64
आय कर	1,428.94	1,832.34	2,051.86	1,843.85	2,031.05
वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	0.02	00	4.14	4.37	4.69
सेवा कर	1,027.52	804.25	73.45	00	28.21
संपदा कर	4.71	(-) 0.07	1.02	0.10	0
संघ उत्पाद शुल्क	1,009.94	747.50	377.39	304.15	220.89
आय एवं व्यय पर अन्य कर	00	00	14.51	00	0
सी जी एस टी	अनुपलब्ध	100.52	1,977.40	1,958.47	1953.04
आई जी एस टी	अनुपलब्ध	715.36	157.80	00	0
कुल केन्द्रीय करों का अंतरण	6,411.57	7,084.91	8,011.59	6,901.54	6,568.72
गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता	20.22	10.50	13.08	(-) 13.86	-4.82
केंद्रीय कर अंतरण की राजस्व प्राप्ति से प्रतिशतता	25.76	26.14	25.67	22.46	17.19

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

पाँच वर्ष की अवधि (2016-17 से 2020-21) के दौरान, केन्द्रीय करों के अंतरण में 2016-17 में ₹ 6,412 करोड़ से वर्ष 2020-21 में ₹ 6,569 करोड़ तक 2.45 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। पूर्व वर्ष के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान, इसमें ₹ 333 करोड़ (4.82 प्रतिशत) की कमी मुख्यतः निगम कर (₹ 372 करोड़), सीमा शुल्क (₹ 88 करोड़) तथा संघ उत्पाद शुल्क (₹ 83 करोड़) कम प्राप्त होने के कारण हुई है। वर्ष के दौरान केन्द्रीय करों का अंतरण राजस्व प्राप्तियों का 17.19 प्रतिशत था। आगे, जैसा कि तालिका 2.11 में वर्णित है, राज्य ने वर्ष 2013-14 से 2020-21 की अवधि के दौरान वित्त आयोगों (XIII, XIV एवं XV) की अनुशंसा के अनुसार केन्द्रीय करों एवं शुल्कों का अपना अंश प्राप्त नहीं किया है। चालू वर्ष के दौरान, यह अंश ₹ 2,872.28 करोड़ कम था।

2.3.4.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान राज्य को भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान (जी आई ए) तालिका-2.13 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.13: भारत सरकार से सहायता अनुदान

शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
आयोजनेत्तर अनुदान	824	714	*	*	*
राज्य योजनाओं के लिए अनुदान	1,532	1,621	*	*	*
केन्द्रीय योजनाओं के लिए अनुदान	843	76	*	*	*
केंद्र प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	3,035	4,391	*	*	*
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	-	-	4,966	4,477	6,166
वित्त आयोग अनुदान	-	-	485	975	6,865
राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	--	1,283	2,256	2,857	2,496
कुल	6,234	8,085	7,707	8,309	15,527
गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	18	30	(-) 5	8	87
राजस्व प्राप्ति से जी आई ए की प्रतिशतता	25	30	25	27	41

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख।

* आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर अनुदान का नामकरण वर्ष 2018-19 से समाप्त करने के बाद से कोई आँकड़े नहीं हैं और सी एस एस के लिए अनुदान, वित्त आयोग अनुदान और राज्यों को अन्य अनुदान द्वारा परिवर्तित किया गया।

गत वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹ 7,218 करोड़ (86.87 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2020-21 के दौरान सहायता अनुदान राजस्व प्राप्तियों का 40.64 प्रतिशत था। 2020-21 के दौरान, राज्य को वित्त आयोग अनुदान (₹ 6,865 करोड़) प्रदान किया गया जिसमें राजस्व घाटा अनुदान (₹ 5,076 करोड़), स्थानीय निकायों के लिए अनुदान (₹ 852 करोड़) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस डी आर एफ) (₹ 937 करोड़) शामिल हैं। यह वर्ष के दौरान कुल अनुदान का 44.21 प्रतिशत था। राज्य को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए दिया गया अनुदान (₹ 6,166 करोड़) वर्ष के दौरान कुल अनुदान का 39.71 प्रतिशत था।

वर्ष के दौरान, राज्य द्वारा प्राप्त अन्य अनुदान जी एस टी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व के नुकसान की क्षतिपूर्ति (₹ 2,496 करोड़) थी।

2.3.4.3 पंद्रहवें वित्त आयोग का अनुदान

जैसाकि पूर्व प्रस्तर में इंगित किया गया है XV वि आ अनुदान राज्यों को स्थानीय निकाय तथा राज्य आपदा मोचन निधि हेतु प्रदान किया गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान भारत सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य को प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण तालिका-2.14 में दिया गया है।

तालिका-2.14: XV वि आ की अनुसंशा के अनुसार भारत सरकार द्वारा अवमुक्त किया गया अनुदान

(₹ करोड़ में)

अंतरण	XV वि आ की अनुसंशा	वर्ष के दौरान भा स से वास्तविक अवमुक्त	वर्ष के दौरान राज्य द्वारा अंतरण
	2020-21	2020-21	2020-21
1. स्थानीय निकाय	852	852	852
(अ) पी आर आई को अनुदान	574	574	574
(ब) यू एल बी को अनुदान	278	278	278
2. राजस्व घाटा अनुदान	5,076	5,076	5,076
3. आपदा मोचन निधि (केंद्रान्श)	937	937	937
4. पोषण के लिए अनुदान	70	00	00
महायोग	6,935	6,865	6,865

स्रोत: वित्त विभाग, उत्तराखण्ड।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य को पी आर आई और यू एल बी दोनों में पंद्रहवें वि आ अनुदान का अपना पूर्ण अंश प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को वर्ष के दौरान आपदा मोचन निधि के अंतर्गत ₹ 937 करोड़ प्राप्त हुए। तथापि, राज्य को वर्ष के दौरान पोषण के लिए पंद्रहवें वि आ द्वारा अनुशंसित ₹ 70 करोड़ की धनराशि प्राप्त नहीं हुई।

2.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तिओं में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे कि विनिवेश से आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ, आंतरिक स्रोतों से कर्ज की प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/व्यापारिक बैंकों से उधारियाँ) एवं भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं। तालिका-2.15 में निवल पूँजीगत प्राप्तिओं की वृद्धि एवं संरचना की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है।

तालिका-2.15: निवल पूँजीगत प्राप्तिओं की वृद्धि और संरचना की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य पूँजीगत प्राप्तिओं के स्रोत	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
पूँजीगत प्राप्तियाँ	6,536	7,560	7,302	6,167	9,810
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--	--	--	--	0.20
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	35	34	27	19	23
निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ	5,373	5,805	5,218	4,017	7,178

आंतरिक ऋण	5,262	5,731	5,157	3,994	4,178
वृद्धि दर	11.13	8.91	(-) 10.02	(-) 22.55	4.61
भा स से ऋण एवं अग्रिम (निवल)	111	74	61	23	3,000
वृद्धि दर	68.18	(-) 33.33	(-) 17.57	(-) 62.30	12,943.48
ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-) 4.37	15.77	(-) 3.34	(-) 15.49	59.19
गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	29.63	(-) 2.86	(-) 20.59	(-) 29.63	22.11
स रा घ उ की वृद्धि दर	10.14	12.72	7.64	7.14	(-) 6.28
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-) 4.23	15.67	(-) 3.41	(-) 15.54	59.08
कुल प्राप्तियों से पूँ प्रा की प्रतिशतता	20.80	21.81	18.96	16.72	20.43

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख।

पूँजीगत प्राप्तियों में 2016-17 में ₹ 6,536 करोड़ से 2020-21 में ₹ 9,810 करोड़ तक ₹ 3,274 करोड़ (50.09 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान ₹ 3,643 करोड़ (59.07 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिम में वृद्धि (₹ 2,977 करोड़) के कारण हुई। 2020-21 के दौरान भारत सरकार के ऋण में वृद्धि जी एस टी मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 2,316 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण के कारण हुई थी। इस ऋण का ऋण शोधन जी एस टी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रहण से किया जाएगा और इसलिए, राज्य के अन्य संसाधनों से पुनर्भुगतान दायित्व को पूरा नहीं किया जाएगा।

लोक ऋणों की प्राप्तियों ने भविष्य के पुनर्भुगतान दायित्वों की संरचना की है और ये बाजार, वित्तीय संस्थाओं एवं भारत सरकार से प्राप्त किए जाते हैं। पंच-वर्षीय अवधि 2016-21 के दौरान, लिए गए लोक ऋणों की प्राप्तियों (₹ 37,237 करोड़) में से 25.90 प्रतिशत का उपयोग लोक ऋणों के पुनर्भुगतान (₹ 9,646 करोड़) में किया गया तथा शेष 74.10 प्रतिशत का उपयोग अन्य उद्देश्यों पर किया गया।

2.5 संसाधनों को जुटाने में राज्य का निष्पादन

संसाधन जुटाने में राज्य के निष्पादन का आकलन उसके स्वयं के संसाधनों, जिसमें स्वयं के कर एवं करेत्तर स्रोत सम्मिलित हैं, के संदर्भ में किया गया। 2020-21 के दौरान राज्य के अपने संसाधनों के संबंध में पन्द्रहवें वित्त आयोग के अनुमान, बजट अनुमान एवं मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरण (एम टी एफ पी एस) के अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक को तालिका-2.16 में दिया गया है।

तालिका-2.16: राज्य के स्वयं के संसाधन: अनुमान के सापेक्ष वास्तविक

(₹ करोड़ में)

राज्य के स्वयं के संसाधन	पं वि आ के अनुमान	बजट आकलन	एम टी एफ पी एस अनुमान	वास्तविक	वास्तविक से प्रतिशतता भिन्नता		
					पं वि आ के अनुमान	बजट आकलन	एम टी एफ पी एस अनुमान
स्वयं के कर राजस्व	16,762	13,761	10,791	11,938	(-)28.78	(-)13.25	10.63
करेत्तर राजस्व	1,956	3,539	3,400	4,171	113.24	17.86	22.68

स्रोत: पं वि आ की रिपोर्ट, बजट प्रलेख एवं वित्त लेख।

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य का स्वयं का कर राजस्व पं वि आ के अनुमान एवं बजट आकलन के सापेक्ष क्रमशः ₹ 4,824 करोड़ एवं ₹ 1,823 करोड़ कम था परन्तु एम टी एफ पी एस से ₹ 1,147 करोड़ अधिक रहा।

वर्ष 2020-21 के दौरान करेत्तर राजस्व (एन टी आर) पं वि आ अनुमानों, ब आ और एम टी एफ पी एस की तुलना में क्रमशः ₹ 2,215 करोड़, ₹ 632 करोड़ और ₹ 771 करोड़ अधिक था। इस प्रकार, एन टी आर में, राज्य बजट और एम टी एफ पी एस में अनुमानित अपने स्वयं के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम था।

2.6 संसाधनों का उपयोग

राजकोषीय दायित्व विधायन ढाँचे के अंतर्गत राज्य सरकार को व्यय करने का दायित्व प्रदान किया जाता है, जबकि साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य का सतत् राजकोषीय सुधार और समेकन प्रक्रिया पूँजीगत अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र की विकास की दिशा में उन्मुख व्यय की कीमत पर न हो।

पूँजीगत व्यय: वह सभी व्यय जो किसी परियोजना के प्रथम निर्माण पर और साथ ही साथ कार्य के मध्यवर्ती रख-रखाव पर होने वाले व्यय जिसे सेवा के लिए खोला न गया हो और वह व्यय भी जो कार्य के परिवर्धन एवं सुधार के लिए हों तथा जिन्हें नियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकता हो पूँजीगत व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

राजस्व व्यय: वह सभी व्यय जो रख-रखाव, मरम्मत, संधारण एवं कार्यदायी व्यय जो परिसम्पत्ति को क्रियाशील बनाए रखने के लिए आवश्यक हो और दूसरे सभी व्यय जो किसी संगठन को दैनिक रूप से कार्य करने में आवश्यक हों जिनमें स्थापना एवं प्रशासकीय व्यय सम्मिलित हैं राजस्व व्यय में वर्गीकृत होते हैं।

वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान कुल व्यय, इसकी संरचना और स रा घ उ में इसका अंश तालिका-2.17 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.17: कुल व्यय और इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)


मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल व्यय (कु व्य)	30,391	35,074	38,563	38,399	43,667
राजस्व व्यय (रा व्य)	25,272	29,083	32,196	32,859	37,091
पूँजीगत व्यय (पू व्य)	4,954	5,914	6,184	5,414	6,538
ऋण एवं अग्रिम	165	77	183	126	38
स रा घ उ से प्रतिशतता के रूप में					
कुल व्यय/स रा घ उ	15.58	15.95	16.29	15.14	18.37
राजस्व व्यय/स रा घ उ	12.95	13.22	13.60	12.95	15.60
पूँजीगत व्यय/स रा घ उ	2.54	2.69	2.61	2.13	2.75
ऋण एवं अग्रिम/स रा घ उ	0.08	0.04	0.08	0.05	0.02

स्रोत: वित्त लेखे।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य का कुल व्यय वर्ष 2016-17 में ₹ 30,391 करोड़ से 43.68 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 43,667 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान, गत वर्ष की अपेक्षा यह व्यय 13.72 प्रतिशत बढ़ा। सरासरी की प्रतिशतता के रूप में, कुल व्यय 2016-17 से 2019-20 के दौरान 15.14 प्रतिशत से 16.29 प्रतिशत के बीच रहा, लेकिन चालू वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (12.88 प्रतिशत) तथा पूँजीगत व्यय (20.76 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण यह उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 18.37 प्रतिशत हो गया।


चार्ट-2.9 कुल व्यय में घटकों के अंश की प्रवृत्ति को दर्शाता है जबकि **चार्ट-2.10** वर्ष 2020-21 के दौरान समेकित निधि से कुल संवितरण की संरचनाओं को दर्शाता है।

चार्ट-2.9: कुल व्यय: इनके घटकों में अंश की प्रवृत्तियाँ (प्रतिशत में)



चार्ट-2.10: वर्ष 2020-21 के दौरान समेकित निधि से कुल संवितरण की संरचना

(प्रतिशत में)




गतिविधियों के अनुसार, ब्याज के भुगतान सहित सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा अन्य पर हुए व्यय से कुल व्यय बना है। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल व्यय ₹ 43,667 करोड़ (परिशिष्ट-2.1 से संदर्भित) में इन घटकों का संबन्धित अंश तालिका-2.18 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.18: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का संबन्धित अंश

(प्रतिशत में) मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
सामान्य सेवाएँ	32.92	37.67	36.25	37.00	35.68
सामाजिक सेवाएँ	37.77	34.26	34.51	36.99	38.24
आर्थिक सेवाएँ	26.33	23.88	25.46	21.54	21.65
अन्य (स्थानीय निकायों को अनुदान तथा सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम)	2.98	4.19	3.78	4.47	4.43

चार्ट-2.11 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए कुल व्यय में क्षेत्रवार घटकों की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चार्ट-2.11: कुल व्यय: गतिविधि के अनुसार व्यय



व्यय के उपरोक्त घटकों से संबन्धित अंश इंगित करते हैं कि वर्ष 2020-21 के दौरान गत वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं के अंश में वृद्धि हुई है। हालाँकि, सामान्य सेवाओं तथा अन्य से संबन्धित अंश में चालू वर्ष के दौरान कमी हुई है।

2.6.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने तथा पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। इसी कारण, यह राज्य के बुनियादी ढाँचे और सेवा नेटवर्क में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी में योगदान नहीं देता है।

वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान, राजस्व व्यय, कुल व्यय का औसतन 84.02 प्रतिशत (2016-21 के दौरान 82.92 प्रतिशत से 85.57 प्रतिशत के मध्य) रहा। पाँच वर्ष की अवधि 2016-17 से 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि दर ने उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया है। समग्र राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, कुल व्यय एवं उत्प्लावकता से इसके अनुपात के सापेक्ष स रा घ उ और राजस्व प्राप्तियाँ तालिका-2.19 में दर्शायी गई हैं। राजस्व व्यय की प्रवृत्ति और स रा घ उ से इसकी

प्रतिशतता चार्ट-2.12 में दर्शायी गई है, जबकि चार्ट-2.13 में 2020-21 से संबन्धित राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण दर्शाया गया है।

तालिका-2.19: राजस्व व्यय-आधार मापदंड

(₹ करोड़ में)


मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल व्यय (कु व्य)	30,391	35,074	38,563	38,399	43,667
राजस्व व्यय (रा व्य)	25,272	29,083	32,196	32,859	37,091
रा व्य की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.47	15.08	10.70	2.06	12.88
राजस्व व्यय कुल व्यय से प्रतिशतता के रूप में	83.16	82.92	83.49	85.57	84.94
रा व्य/स रा घ उ (प्रतिशत)	12.95	13.22	13.60	12.95	15.60
रा व्य रा प्रा की प्रतिशतता के रूप में	101.54	107.30	103.14	106.95	97.09
राजस्व व्यय का उत्प्लावकता के साथ					
स रा घ उ (अनुपात)	0.93	1.19	1.40	0.29	-2.05
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	0.55	1.69	0.71	-1.30	0.53

स्रोत: वित्त लेखों।

चार्ट-2.12: 2016-17-2020-21 के दौरान राजस्व व्यय की प्रवृत्ति



चार्ट-2.13: 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण (प्रतिशत में)



वर्ष 2020-21 के दौरान, गत वर्ष की अपेक्षा स रा घ उ से राजस्व व्यय की प्रतिशतता अधिक थी। गत वर्ष की अपेक्षा इसमें ₹ 4,232 करोड़ (12.88 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी देखी गई। राजस्व व्यय मध्य अवधि राजकोषीय नीति (एम टी एफ पी) में दिये गए आकलन (₹ 40,091 करोड़) के सापेक्ष ₹ 3,000 करोड़ कम था।

2.6.1.1 राजस्व व्यय में मुख्य बदलाव

तालिका-2.20, गत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय से संबन्धित विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण विचलन (50 प्रतिशत से अधिक) का विवरण दर्शाती है। सकारात्मक विचलन के साथ कुछ प्रमुख कार्यक्रम/योजनाएँ (i) प्राकृतिक आपदा के कारण राहत के अन्तर्गत आपदा संबंधी गतिविधियों का प्रबंधन, (ii) शहरी विकास के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों को सहायता, (iii) ऊर्जा के अन्तर्गत ट्रांसमिशन और वितरण (iv) सड़क एवं पुलों के अंतर्गत जिला सड़क के तहत सड़क निर्माण कार्य थीं।

तालिका-2.20: 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय में महत्वपूर्ण विचलन

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2019-20	2020-21	विचलन (प्रतिशतता)
2801 ऊर्जा	0.06	11.38	11.32 (18666.67)
2217 शहरी विकास	110.98	629.72	518.74 (467.42)
2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर	8.43	35.49	27.06 (321.00)
2245 प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	358.29	1102.82	744.53 (207.80)
2408 खाद्य भंडारण और गोदाम	35.80	80.85	45.05 (125.84)
2853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	9.35	19.25	9.90 (105.88)
2425 सहकारिता	55.97	112.22	56.25 (100.50)
3055 सड़क परिवहन	83.95	165.08	81.13 (96.64)
2220 सूचना और प्रचार	56.38	106.88	50.50 (89.57)
2505 ग्रामीण रोजगार	145.75	253.90	108.15 (74.20)
3054 सड़क एवं सेतु	199.58	318.04	118.46 (59.35)
2501 ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	136.23	57.94	-78.29 (- 57.47)
2015 चुनाव	119.72	37.34	-82.39 (- 68.82)
2407 वृक्षारोपण	0.67	0.00	-0.67 (- 100)
2250 अन्य सामाजिक सेवाएँ	12.31	0.00	-12.31 (-100)

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

उपरोक्त तालिका मुख्य विचलन (50 प्रतिशत से अधिक) वाले लेखा शीर्षों को दर्शाती है। तालिका यह भी इंगित करती है कि वर्ष के दौरान चुनाव के अन्तर्गत राजस्व व्यय में उल्लेखनीय गिरावट आई है। आगे, शिक्षा खेल कला और संस्कृति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जल आपूर्ति और स्वच्छता, आवास, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण तथा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में पिछले वर्ष की तुलना में चालू

वर्ष के दौरान व्यय में कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं देखा गया। इन शीर्षों पर वर्ष 2019-20 में 39.55 प्रतिशत के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान राजस्व व्यय का लगभग 37.66 प्रतिशत व्यय किया गया था।

2.6.2 वचनबद्ध व्यय

राज्य सरकार के राजस्व लेखे में वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, ब्याज भुगतान एवं पेंशन सम्मिलित हैं। यह सरकारी संसाधनों पर पहला प्रभार है। वचनबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति, विभिन्न क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सरकार को कम विकल्प देती है। राज्य का एफ आर बी एम अधिनियम निर्धारित करता है कि राजस्व अधिशेष होना चाहिए, इसको प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि राजस्व व्यय का एक बड़ा अंश वेतन एवं मजदूरी, ब्याज भुगतान एवं पेंशन जैसी वचनबद्ध मदों में चला जाता है।


तालिका-2.21 वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान वचनबद्ध व्यय के घटकों में प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करती है। कुल राजस्व व्यय में वचनबद्ध व्यय का अंश चार्ट-2.14 के माध्यम से दर्शाया गया है, जबकि 2016-21 के दौरान राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय में वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता चार्ट-2.15 में दी गई है।

तालिका-2.21: वचनबद्ध व्यय के घटक


(₹ करोड़ में)					
वचनबद्ध व्यय के घटक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
वेतन एवं मजदूरी	8,670	10,496	11,525	11,714	11,755
ब्याज भुगतान	3,723	3,987	4,475	4,504	4,773
पेंशन पर व्यय	3,170	5,033	5,396	5,507	6,168
सब्सिडी	208	186	174	35	139
योग	15,771	19,702	21,570	21,760	22,835
राजस्व प्राप्तियों (रा प्रा) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	34.83	38.72	36.92	38.13	30.77
ब्याज भुगतान	14.96	14.71	14.34	14.66	12.49
पेंशन पर व्यय	12.74	18.57	17.29	17.92	16.14
सब्सिडी	0.84	0.69	0.56	0.11	0.36
योग	63.37	72.69	69.10	70.83	59.77
राजस्व व्यय (रा व्य) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	34.31	36.09	35.80	35.65	31.69
ब्याज भुगतान	14.73	13.71	13.90	13.71	12.87
पेंशन पर व्यय	12.54	17.31	16.76	16.76	16.63
सब्सिडी	0.82	0.64	0.54	0.11	0.37
योग	62.41	67.75	67.00	66.22	61.56
स्वयं के कर राजस्व की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	79.56	103.26	94.56	101.75	98.47
ब्याज भुगतान	34.17	39.22	36.72	39.12	39.98
पेंशन पर व्यय	29.09	49.51	44.27	47.83	51.67
सब्सिडी	1.91	1.83	1.43	0.30	1.16
योग	144.73	193.82	176.98	189.00	191.28

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

चार्ट-2.14: कुल राजस्व व्यय में वचनबद्ध एवं गैर-वचनबद्ध व्यय के अंश



चार्ट-2.15: राजस्व प्राप्तियों और व्यय में वचनबद्ध व्यय का अंश




जैसाकि उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है, पाँच वर्ष की अवधि 2016-17 से 2020-21 के दौरान, वचनबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 62 प्रतिशत से 68 प्रतिशत के मध्य रहा, जबकि यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 60 प्रतिशत से 73 प्रतिशत रहा।

2.6.2.1 वेतन एवं मजदूरी

गत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष में राजस्व व्यय में वेतन के अंश में गिरावट हुई। वर्ष 2020-21 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर व्यय राजस्व व्यय का 31.69 प्रतिशत लेखाबद्ध किया गया। पाँच वर्ष की अवधि 2016-17 से 2020-21 के दौरान, यह 2016-17 में ₹ 8,670 करोड़ से ₹ 3,085 करोड़ (36 प्रतिशत) बढ़ कर 2020-21 में ₹ 11,755 करोड़ हो गया। वर्ष 2020-21 के दौरान वेतन पर व्यय (₹ 11,755 करोड़) एम टी एफ पी एस में अनुमानित ₹ 14,951 करोड़ के सापेक्ष ₹ 3,196 करोड़ कम था। राज्य सरकार ने वेतन व्यय के अतिरिक्त, व्यावसायिक तथा विशिष्ट सेवाओं पर ₹ 89.82 करोड़ व्यय किये तथा ₹ 1,179.53 करोड़ वेतन एवं भत्तों एवं अन्य व्ययों के लिए सहायता अनुदान के रूप में दिये।

2016-17 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान, कर्मचारियों की संख्या और भुगतान किए गए वेतन की राशि की तुलना नीचे चार्ट-2.16 में दी गई है।

चार्ट-2.16: कर्मचारियों की संख्या और भुगतान की गई वेतन की राशि की तुलना



राज्य में कर्मचारियों की संख्या में 2017-18 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति रही। जबकि इस अवधि के दौरान, वेतन के व्यय में 2016-17 से वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई। हालाँकि, 2019-20 और 2020-21 के दौरान यह वृद्धि मामूली थी।

2.6.2.2 ब्याज भुगतान

वर्ष 2019-20 में ब्याज भुगतान ₹ 4,504 करोड़ से ₹ 269 करोड़ (5.97 प्रतिशत) बढ़ कर वर्ष 2020-21 में ₹ 4,773 करोड़ मुख्यतः बाजार ऋण पर ब्याज भुगतान ₹ 345 करोड़ एवं जमा पर ब्याज भुगतान ₹ 16 करोड़ की वृद्धि के कारण हुआ जोकि राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज ₹ 75 करोड़ तथा अन्य आंतरिक ऋण पर ब्याज ₹ 24 करोड़ के घटने से प्रतिसंतुलित हुआ। चालू वर्ष के दौरान, आंतरिक ऋण (₹ 3,950 करोड़), लघु बचत, भविष्य निधि, आदि, (₹ 657 करोड़), केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम (₹ 68 करोड़) और अन्य दायित्वों (₹ 98 करोड़) पर ब्याज भुगतान किया गया। चालू वर्ष के दौरान, राज्य सरकार को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित सा भ नि पर ब्याज के रूप में ₹ 120.10 करोड़ की राशि का भुगतान करना पड़ा।

सभी डी डी ओ द्वारा प्रत्येक अभिदाता के खाते में वास्तविक ब्याज जमा किए जाने के अभाव में प्रधान महालेखाकार (ले एवं हक), उत्तराखण्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी सा भ नि लेखों पर ब्याज की गणना काल्पनिक रूप से की जा रही है।

ब्याज भुगतान को राज्य सरकार के बजट एवं एम टी एफ पी एस में अनुमानों के संदर्भ में तालिका-2.22 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.22: राज्य के अनुमानों के सापेक्ष ब्याज भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक	राज्य सरकार द्वारा किया गया आकलन			
		बजट		एम टी एफ पी एस	
		अनुमान	विचलन (प्रतिशत)	अनुमान	विचलन (प्रतिशत)
2020-21	4,773	5,892	1,119 (23.44)	5,475	702 (14.71)

स्रोत: चौ वि आ रिपोर्ट, बजट दस्तावेज़ एवं वित्त लेख।

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि राज्य सरकार द्वारा ब्याज भुगतान बजट और एम टी एफ पी एस में किए गए अपने अनुमानों से काफी कम था।

2.6.2.3 पेंशन

वर्ष 2020-21 के दौरान पेंशन भुगतान पर व्यय ₹ 6,168 करोड़ हुआ जोकि राजस्व प्राप्तियों का 16.14 प्रतिशत था। चालू वर्ष के दौरान, गत वर्ष 2019-20 की अपेक्षा यह 12 प्रतिशत (₹ 661 करोड़) बढ़ा तथा राज्य सरकार द्वारा अपने बजट तथा एम टी एफ पी एस में किए गए अनुमान से क्रमशः ₹ 137 करोड़ एवं ₹ 129 करोड़ कम था।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अप्रयुक्त दायित्व

1 अक्टूबर 2005 को या इसके बाद नियुक्त किए गए राज्य सरकार के सभी कर्मचारी नयी पेंशन योजना (एन पी एस) के अंतर्गत आच्छादित हैं, जोकि एक परिभाषित योगदान पेंशन योजना है। योजना की शर्तों के अनुसार, कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान देता है तथा सरकार कर्मचारी के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत का योगदान करती है। राज्य सरकार का दायित्व है कि वह कर्मचारी एवं सरकार दोनों का अंश नामित प्राधिकरण, राष्ट्रीय सिन्डिकेटेड डिपॉज़िटरी लिमिटेड (एन एस डी एल)/ट्रस्टी बैंक के पास एन पी एस के दिशा निर्देशों के अनुसार इसको आगे निवेश के लिए जमा करे।

वर्ष के दौरान, परिभाषित योगदान पेंशन योजना में कुल योगदान ₹ 1,151.87 करोड़ (कर्मचारियों का योगदान ₹ 469.54 करोड़ और सरकार का योगदान ₹ 682.33 करोड़) था। सरकार द्वारा ₹ 1,151.87 करोड़ को मुख्य शीर्ष-8342-117 परिभाषित योगदान पेंशन योजना के अंतर्गत लोक लेखे में हस्तांतरित किया गया। एन पी एस में सरकार का योगदान ₹ 24.97 करोड़ आधिक्य में था, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व आधिक्य इस सीमा तक कम दर्शाया गया एवं राजकोषीय घाटा इस सीमा तक अधिक दर्शाया गया था।

वर्ष के दौरान, एन एस डी एल/ट्रस्टी बैंक को ₹ 1,177.31 करोड़ हस्तांतरित किया गया। बकाया शेष धनराशि, ₹ 164.64 करोड़ (2019-20) के सापेक्ष, ₹ 139.20 करोड़ (2020-21) एन एस डी एल को हस्तांतरित होना बाकी है। योजना के अंतर्गत, अर्जित ब्याज के साथ असंग्रहित, बेमेल एवं अहस्तांतरित राशि सरकार के बकाया दायित्व को प्रदर्शित करती है।

2.6.2.4 सब्सिडी

विगत वर्ष के सापेक्ष, वर्ष 2020-21 के दौरान सब्सिडी पर हुए व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जैसाकि तालिका-2.23 में दिये गए विवरण में देखा जा सकता है। राजस्व प्राप्तियों से सब्सिडी की प्रतिशतता में 2018-19 में 0.56 प्रतिशत से 2019-20 में 0.11 प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी आयी परंतु वर्ष 2020-21 में इसमें पुनः 0.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निरपेक्ष रूप से, 2019-20 में सब्सिडी के भुगतान पर व्यय ₹ 35 करोड़ से ₹ 104 करोड़ बढ़कर कर वर्ष 2020-21 में ₹ 139 करोड़ हो गया।

तालिका-2.23: 2016-21 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	208	186	174	35	139
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	0.84	0.69	0.56	0.11	0.36
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	0.82	0.64	0.54	0.11	0.37

2020-21 के दौरान, जिन प्रमुख योजनाओं में सब्सिडी पर व्यय किया गया था वे दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता कृषक कल्याण योजना (₹ 50 करोड़), खाद्य भंडारण और भंडारण के अंतर्गत खाद्य सब्सिडी (₹ 41 करोड़), पौली हाउस विविधिकरण एवं स्प्रिंकलर वॉटर पम्प योजना (₹ 4 करोड़), मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (₹ 35 करोड़), और खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट (₹ 5 करोड़) थी। 2020-21 के दौरान राज्य सरकार ने अपने बजट में ₹ 225 करोड़ एंव एम टी एफ पी एस में ₹ 149 करोड़ सब्सिडी का आकलन किया था।

2.6.2.5 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय तथा अन्य संस्थाओं को अनुदान एवं ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान, स्थानीय निकाय तथा अन्य संस्थाओं को अनुदान के माध्यम से प्रदान की गई वित्तीय सहायता को तालिका-2.24 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-2.24: स्थानीय निकायों आदि के लिए वित्तीय सहायता

क्र. सं.	संस्थानों को वित्तीय सहायता	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	शैक्षिक संस्थान (सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेज, विश्वविद्यालय)	650.63	464.93	544.70	573.62	1,531.82
2.	नगर निगम और नगर पालिकाएँ	397.77	753.33	717.07	902.05	976.91
3.	जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थान	508.40	715.21	742.25	814.62	955.29
4.	विकास एजेंसियाँ	953.33	546.93	555.82	494.84	539.27
5.	अस्पताल और अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ	319.17	252.98	436.19	353.03	552.66
6.	ऊर्जा (ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत)	18.12	11.78	11.69	13.30	9.17
7.	कृषि अनुसंधान और शैक्षिक संस्थान, भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन करने के लिए भूमि सुधार और वन्य जीवन संरक्षण	337.78	476.94	593.57	585.49	915.03
8.	सहकारी समितियाँ	5.07	3.73	2.67	1.55	15.18
9.	पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन	32.00	38.77	41.80	51.17	55.77

(₹ करोड़ में)

10.	सचिवालय आर्थिक सेवाएँ और पर्यटन	30.69	46.92	51.12	47.27	56.38
11.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	446.96	232.65	216.54	238.66	250.85
12.	अन्य संस्थान	150.30	119.64	552.36	724.60	582.44
योग		3,850.22	3,663.81	4,465.78	4,800.18	6,440.77
रा व्य के प्रतिशतता के अनुसार सहायता		15.23	12.60	13.87	14.61	17.36

स्रोत: महालेखाकार (ले एवं हक), उत्तराखण्ड का वी एल सी डाटा।

चालू वर्ष के दौरान गत वर्ष की अपेक्षा प्रदान की गई सहायता में ₹ 1,641 करोड़ की वृद्धि हुई है। चालू वर्ष के दौरान, नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद तथा अन्य पंचायती राज संस्थाओं को दी गई सहायता कुल वित्तीय सहायता की 30 प्रतिशत लेखांकित की गई।

चौथे राज्य वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को राज्य के स्वयं कर राजस्व का 11 प्रतिशत हस्तांतरण राशि के रूप में सिफारिश की थी। 2016-17 से 2020-21 के दौरान हस्तांतरित की जाने वाली राशि और वास्तविक हस्तांतरित राशि तालिका-2.25 में दी गई है।

तालिका-2.25: हस्तांतरित की जाने वाली राशि की तुलना में स्थानीय निकायों को दी गई वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राज्य के स्वयं के कर राजस्व (रा स्व क रा)	10,897.00	10,165.00	12,188.00	11,513.00	11,938.00
हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि (2016-17 से आगे रा स्व क रा का 11 प्रतिशत)	1,198.67	1,118.15	1,340.68	1,266.43	1,313.18
स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कुल धनराशि	906.17	1,468.54	1,459.32	1,716.67	1,932.2
स्थानीय निकायों को वास्तविक हस्तांतरित धनराशि रा स्व क रा की प्रतिशतता के रूप में	8.32	14.45	11.97	14.91	16.19

स्रोत: महालेखाकार (ले एवं हक), उत्तराखण्ड वी एल सी डाटा और राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियाँ।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2016-17 के दौरान स्थानीय निकायों को राज्य के स्वयं के कर राजस्व का वास्तविक हस्तांतरण 8.32 प्रतिशत था जो कि 2020-21 के दौरान बढ़कर 16.19 प्रतिशत हो गया। 2017-18 से 2020-21 के दौरान वास्तविक हस्तांतरण राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत राशि से अधिक था।


2.6.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय प्रमुख रूप से स्थायी बुनियादी ढाँचागत सम्पत्तियों जैसे सड़क, भवन आदि के निर्माण पर होने वाला व्यय है।


कुल पूँजीगत व्यय 2016-17 में ₹ 4,954 करोड़ से 2018-19 में ₹ 6,184 करोड़ लगातार बढ़ा है। हालाँकि, वर्ष 2019-20 में पूँजीगत व्यय ₹ 770 करोड़ (12.45 प्रतिशत) घटा परंतु चालू वित्त वर्ष के दौरान यह पुनः ₹ 1,124 करोड़ (20.76 प्रतिशत) से बढ़ गया। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य द्वारा किया गया पूँजीगत व्यय एम टी एफ पी एस में किए गए अनुमान/लक्ष्य (₹ 7,609 करोड़) के सापेक्ष

₹ 1,071 करोड़ कम रहा साथ ही साथ बजट में किए गए अनुमान (₹ 7,383 करोड़) के सापेक्ष, ₹ 845 करोड़ कम रहा। चार्ट-2.17 में पाँच वर्ष की अवधि 2016-17 से 2020-21 के दौरान, बजट आवंटन के सापेक्ष पूँजीगत व्यय का विवरण दिया गया है और चार्ट-2.18 में स रा घ उ से और कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति दी गई है।

चार्ट-2.17: 2016-17 से 2020-21 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति



चार्ट-2.18: पूँजीगत व्यय का स रा घ उ व कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रवृत्ति



2.6.3.1 पूँजीगत व्यय में बड़े बदलाव

तालिका-2.26 में गत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2020-21 के दौरान पूँजीगत व्यय में विभिन्न लेखाशीर्षों में हुई महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी या कमी को दिखाने वाले प्रकरण दर्शित हैं।

तालिका-2.26: 2019-20 के सापेक्ष 2020-21 के दौरान पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2019-20 के दौरान पूँजीगत व्यय	2020-21 के दौरान पूँजीगत व्यय	वृद्धि (+)/ कमी (-) (प्रतिशत में)
5053 नागरिक उड्डयन पर पूँजीगत परिव्यय	0.51	3.61	3.1 (607.84)
4225 अनु. जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	28.25	94.80	66.55 (235.57)
4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय	16.25	42.09	25.84 (159.02)
4059 लोक निर्माण पर पूँजीगत व्यय	339.32	733.66	394.34 (116.21)
4210 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	97.60	172.94	75.34 (77.19)
4515 ग्रामीण विकास योजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1270.19	2000.43	730.24 (57.49)
4403 पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	9.92	4.19	-5.73 (-57.76)
4401 फसल उत्पादन पर पूँजीगत परिव्यय	12.48	2.34	-10.14 (-81.25)
4235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	39.90	6.77	-33.13 (-83.03)
4859 दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय	17.79	2.86	-14.93 (-83.92)
4408 खाद्य भंडारण एवं भंडार गृह पर पूँजीगत परिव्यय	569.19	71.29	-497.90 (-87.48)
4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	30.24	0.00	-30.24 (-100)

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशतता वृद्धि/कमी हैं।

मुख्य योजनाएँ जिनमें सारभूत वृद्धि चिन्हित हुई, वे (i) ग्राम्य विकास के अंतर्गत केंद्र पोषित योजनाओं/केंद्रीय योजना के अंतर्गत समूह विकास तथा (ii) लोक निर्माण के अंतर्गत केंद्र पोषित योजना/केंद्रीय योजना थीं।

2.6.3.2 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

अगर राज्य सरकार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों में निवेश जारी रखती है, जिनकी निवल संपत्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी है, वहाँ निवेश पर प्रतिलाभ की संभावना नहीं होती है। ऐसे ही, घाटे में चल रहे निगमों तथा अन्य निकायों जैसे कि चीनी मिल, वित्त निगम आदि को दिये गए ऋणों को बट्टे खाते में डालने की अनिवार्यता का पता अनुभव से चलता है। ऐसे वित्तीय संचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए अपेक्षित कदम उठाने होंगे। इस खण्ड में चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश एवं अन्य पूँजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

(i) कंपनियों, निगमों तथा अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

ऐसी कंपनियों (जैसे ऊर्जा वितरण कंपनियाँ), निगमों (जैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त निगम), एवं सहकारिता (जैसे चीनी मिल) जो घाटे में चल रही हैं और जिनकी निवल संपत्ति पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, को दिये गए ऋण धारणीय नहीं हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेशित शेयर पूँजी में निवेश पर प्रतिफल और विभिन्न निकायों को प्रदान किए गए ऋणों के पुनर्भुगतान का इतिहास पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं।

वर्ष 2020-21 के वित्त लेखों के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य में 31 मार्च 2021 तक एक संविधिक निगम तथा 16 सरकारी कंपनियों में ₹ 3,683.54 करोड़ का निवेश किया था। 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार ने इन निवेशों से ₹ 40.02 करोड़ प्रतिफल अर्जित किया। तालिका-2.27 में 2016-17 से 2020-21 तक पाँच वर्ष की अवधि में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किए गए निवेश का वर्ष-वार विवरण प्रस्तुत किया गया है:

तालिका-2.27: निवेश का विवरण और निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश /प्रतिफल/ उधार की लागत	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
वर्ष के अंत तक निवेश	3,123.73	3,209.24	3,402.45	3,534.95	3,683.54
निवेश पर प्रतिफल	15.21	22.69	18.69	14.08	40.02
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत)	0.49	0.71	0.55	0.40	1.09
सरकारी उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	8.91	8.27	8.15	7.26	6.83
ब्याज दर और प्रतिफल (प्रतिशत) के बीच अंतर	8.42	7.56	7.60	6.86	5.74
सरकारी उधारों की ब्याज दर और निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर के कारण परिकल्पित नुकसान	263.02	242.62	258.59	242.50	211.44

वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान, सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर औसत प्रतिफल नगण्य था और निवेश के (ऐतिहासिक लागत पर) 0.40 प्रतिशत से 0.71 प्रतिशत के बीच था लेकिन चालू वर्ष के दौरान यह बढ़कर 1.09 प्रतिशत हो गया। हालांकि, सरकार ने 2016-17 से 2020-21 के दौरान अपनी उधारियों पर ब्याज का भुगतान 7.88 प्रतिशत की औसत ब्याज दर से किया।

(ii) शेष राशि का समाधान

राज्य के साक्षे उ के अभिलेखों के अनुसार, अद्वैत इक्विटी ऋण एवं गारंटी के संबंध में आँकड़े उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखों के आँकड़ों के साथ मेल खाने चाहिए। यदि इन आँकड़ों में कोई भिन्नता होती है तो, संबन्धित रासाक्षे उ तथा वित्त विभाग को भिन्नता का समाधान करना चाहिए। तालिका-2.28 में दिनांक 31 मार्च 2021 को इक्विटी, ऋण एवं गारंटी के आँकड़ों में भिन्नता प्रदर्शित की गयी है।

तालिका-2.28- वित्त लेखों के साक्षे रासाक्षे उ के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, ऋण एवं गारंटी के बकायों के आँकड़े

(₹ करोड़ में)

के साक्षे बकाया	वित्त लेखों के अनुसार	एस पी एस ई के आँकड़ों के अनुसार	अंतर
अ	ब	स	(ब-स)
इक्विटी	3683.54	3755.24	-71.70
ऋण	470.09	852.21	-382.12
गारंटी	219.28	217.38	1.90

स्रोत: विद्युत क्षेत्र के रासाक्षे उ और वित्त लेखों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलन।

आँकड़ों में भिन्नता (अनुलग्नक-IV) पिछले कई वर्षों से बनी हुई है। प्रारम्भिक रूप से यह भिन्नता महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में राजकीय लेखों में वाउचर के आधार पर निवेश लेन-देन की प्रविष्टि एवं व्यक्तिगत साक्षे उ के द्वारा प्रदान की गयी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार पर जनित

हुई। राज्य सरकार द्वारा इन सा क्षेत्रों में किए गए निवेश में भिन्नता का समायोजन किया जा रहा है। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान वित्त विभाग द्वारा इसकी पुष्टि भी की गयी थी।

(iii) पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण

राजस्व अनुभाग के अलावा पूँजीगत शीर्ष में उत्तराखण्ड सरकार की संस्थाओं को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में निधियों का आवंटन एवं संचालन जारी है। वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹ 80.30 करोड़ के ऐसे अनुदान दिये गए और छः पूँजीगत मुख्य लेखाशीर्षों के अंतर्गत लेखांकित किए गए थे। यह भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भारत सरकार लेखांकन मानक (भा स ले मा)-2 का उल्लंघन है जिसमें कहा गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत मामलों को छोड़कर परिसंपत्ति के सृजन के उद्देश्य हेतु सहायता अनुदान से व्यय को सरकार की वित्तीय विवरणों के एक पूँजीगत लेखाशीर्ष में डेबिट नहीं किया जाएगा। यह विशेष तौर पर इस तथ्य के कारण है कि पूँजीगत परिसंपत्तियाँ सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं की पुस्तकों में अभिलेखित की जाती हैं न कि सहायता अनुदान प्रदान करने वाले की अर्थात् सरकार की।

शासकीय लेखांकन नियमों के अंतर्गत मुख्य कार्य पर किया गया व्यय पूँजीगत अनुभाग में दर्ज किया जाता है तथा लघु कार्य पर किया गया व्यय राजस्व अनुभाग में दर्ज किया जाता है। तथापि, राज्य सरकार ने मुख्य निर्माण कार्यों पर हुए ₹ 14.22 करोड़ का व्यय को तीन राजस्व लेखाशीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया है। इसके अलावा, ₹ 4.37 करोड़ के व्यय जो रख-रखाव से संबन्धित थे, उसे पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत दर्ज किया गया था (विवरण अध्याय-3 के प्रस्तर- 3.3.3 में है)।


तालिका-2.29 राज्य द्वारा राजस्व के बजाय पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) के रूप में जी आई ए के वर्गीकरण की सीमा पर प्रकाश डालती है। **चार्ट-2.19** 2016-17 से 2020-21 के दौरान राज्य द्वारा भा स ले म -2 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के प्रभाव को पूर्ण रूप से दर्शाता है क्योंकि 2016-17 से 2019-20 के दौरान, राजस्व घाटे को कम करके आंका गया था और 2020-21 में राजस्व अधिशेष को अधिक बताया गया था। उक्त अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय को भी उस सीमा तक अधिक बताया गया था। बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, वित्त विभाग ने अवगत कराया कि अगले बजट में आवश्यक प्रावधान किया जाएगा।

तालिका-2.29: भा स ले मा-2 के गैर-अनुपालन का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
पूँजीगत व्यय	4,954	5,914	6,184	5,414	6,538
सहायता अनुदान को पूँजीगत व्यय के रूप में इन्द्राज किया गया	138	48	47	46	80
पूँजीगत व्यय में सहायता अनुदान की इन्द्राज करने की प्रतिशतता	2.79	0.81	0.76	0.85	1.22
राज्य का राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-) 383	(-) 1,978	(-) 980	(-) 2,136	(+) 1,114
वास्तविक राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+), यदि सहायता अनुदान से व्यय को राजस्व के रूप में माना जाता है	(-) 521	(-) 2,026	(-) 1,027	(-) 2,182	(+) 1,034

चार्ट-2.19: वास्तविक राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)



(iv) पाँच वर्षों के दौरान ऋणों के वितरण एवं वसूली की मात्रा

सहकारी समितियों, निगमों तथा कंपनियों में निवेश के अलावा राज्य सरकार ने बहुत संस्थाओं/ संगठनों को ऋण प्रदान किए हैं। तालिका-2.30, 31 मार्च 2021 को पाँच वर्षों 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि के लंबित ऋणों एवं अग्रिमों के साथ ब्याज की प्राप्ति तथा भुगतान को प्रस्तुत करता है।

तालिका-2.30: 2016-21 के दौरान संवितरित ऋणों की मात्रा एवं वसूलियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

ऋणों की मात्रा/ब्याज प्राप्तियाँ/उधार की लागत	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
बकाया ऋण का प्रारम्भिक शेष	1,596.45 ³	1,726.65	1,769.97	1,926.54	2,033.40
वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई राशि	165.05	76.83	183.48	125.78	37.56
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	34.85	33.51	26.91	18.92	23.05
लंबित ऋण का समापन बकाया	1,726.65	1,769.97	1,926.54	2,033.40	2,047.91
निवल परिवर्धन	130.20	43.32	156.57	106.86	14.51
प्राप्त ब्याज	0.17	0.08	1.13	25.65	58.78
लंबित ऋण और अग्रिम की प्रतिशतता के रूप में प्राप्त ब्याज	0.01	0.005	0.06	1.33	2.89
सरकारी उधार पर दिये गए औसत ब्याज की दर (प्रतिशत)	8.91	8.27	8.15	7.26	6.83
ब्याज भुगतान और ब्याज प्राप्त के बीच अंतर (प्रतिशत)	8.90	8.27	8.09	5.93	3.94

31 मार्च 2021 को लंबित ऋणों एवं अग्रिमों की कुल धनराशि ₹ 2,047.91 करोड़ थी। ऋणों के संवितरण की धनराशि 2019-20 में ₹ 125.78 करोड़ से 70.15 प्रतिशत घट कर वर्ष 2020-21 में ₹ 37.56

³ मुख्य शीर्ष 6551 के अंतर्गत अनावंटित शेष से उत्तराखण्ड राज्य को ₹ 494.15 करोड़ की धनराशि आवंटित करने के कारण यह पिछले वर्ष के अंतिम शेष से भिन्न है।

करोड़ हो गई। आर्थिक सेवाओं में प्रमुख प्राप्तकर्ता ऊर्जा क्षेत्र ₹ 32.97 करोड़ (87.78 प्रतिशत) के बाद परिवहन क्षेत्र ₹ 4.29 करोड़ (11.42 प्रतिशत) था। यह राज्य सरकार द्वारा भा सा ले म-3 के गैर अनुपालन के कारण है।

ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली वर्ष 2019-20 में ₹ 18.92 करोड़ से ₹ 4.13 करोड़ बढ़ कर वर्ष 2020-21 में ₹ 23.05 करोड़ हो गई। तथापि, इस संबंध में वर्ष 2018-19 से 2019-20 और पुनः 2020-21 में ब्याज प्राप्ति उल्लेखनीय रूप से बढ़ गयी।

कुल लंबित ऋणों की जाँच में पाया गया है कि पिछले पाँच वर्षों में (मार्च 2021 तक) चार क्षेत्रों नामतः सामान्य सेवाएँ (अन्य ऋण), विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास एवं परिवहन क्षेत्र द्वारा पुनर्भुगतान नहीं किया गया था जैसाकि तालिका-2.31 में वर्णित किया गया है और एक क्षेत्र (कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ) को आंशिक पुनर्भुगतान के बावजूद अतिरिक्त ऋणों को दिया गया था। विगत वर्षों में संपूर्ण लंबित बकाया बढ़ा है।

तालिका-2.31: लंबे समय के लिए बढ़ाए गए ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	सामान्य सेवाएँ (अन्य ऋण)	19.47	19.47	19.47	19.47	19.47
2.	जलापूर्ति एवं स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	47.89	47.89	42.09	42.09	42.09
3.	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	895.31	899.79	1,011.24	1,119.57	1,117.47
4.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	503.68 [#]	503.16	503.16	503.16	503.16
5.	परिवहन	140.29	148.53	153.80	153.80	158.09
	योग	1,606.64	1,618.84	1,729.76	1,838.09	1840.28

[#]उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश के बीच अनावंटित बकायों के विभाजन के कारण ₹ 494.15 करोड़ से बढ़ा हुआ।

2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान, सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए ₹ 588.70 करोड़ की धनराशि का अग्रिम दिया गया। जबकि ₹ 137.24 करोड़ की धनराशि की वसूली की गई। वर्ष के प्रारम्भ में बकाया धनराशि तथा वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई धनराशि के सापेक्ष वसूली, प्रत्येक वर्ष कम हो कर वर्ष 2016-17 में 1.98 प्रतिशत से 2020-21 में 1.11 प्रतिशत हो गयी। चालू वर्ष के दौरान, पुनर्भुगतान की गयी राशि ₹ 23.05 करोड़ थी जो 31 मार्च 2021 तक बकाया ऋण (₹ 2,047.91 करोड़) का 1.13 प्रतिशत थी।

चूँकि ऋणों की वसूली खराब रही है, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाते सही स्थिति दर्शाते हैं, इन ऋणों और अग्रिमों को अनुदान के रूप में लेने तथा इन्हें राजस्व व्यय के रूप में दर्ज करने पर विचार कर सकती है।

(v) अपूर्ण/जारी परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

अपूर्ण पूँजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूँजी की प्रवृत्ति का आकलन भी पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता की ओर संकेत करता है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरुद्ध व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक

प्रभाव डालता है तथा राज्य को अपेक्षित लाभ से लंबे समय तक वंचित रखता है। आगे, संबन्धित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गयी निधियाँ, ऋण और ब्याज की देयता के रूप में अतिरिक्त बोझ का कारण बनती हैं।

वर्ष 2020-21 के राज्य वित्त लेखे के अनुसार, 31 मार्च 2021 तक लोक निर्माण के विभाग में 143 अपूर्ण/चालू परियोजनाएँ थीं। 31 मार्च 2021 को इन परियोजनाओं के स्वीकृति वर्ष/कार्य प्रारम्भ होने के वर्ष के आधार पर अपूर्ण परियोजनाओं की आयु-वार रूपरेखा तालिका-2.32 में दी गयी है।

तालिका-2.32: 31 मार्च 2021 तक अपूर्ण परियोजनाओं की आयु-वार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय	वित्तीय स्थिति (प्रतिशत में)
2015-16 तक स्वीकृत	51	369.55	292.27	79.09
2016-17	16	63.34	44.51	70.27
2017-18	23	88.24	51.51	58.37
2018-19	43	78.24	42.85	54.77
2019-20	09	13.33	5.47	41.04
2020-21	01	1.38	1.00	72.46
योग	143	614.08	437.61	71.26

स्रोत: वित्त लेखे।

इन सभी परियोजनाओं को त्वरित रूप से पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि लागत वृद्धि से बचा जा सके। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, वित्त विभाग ने अवगत कराया कि इन परियोजनाओं को त्वरित रूप से पूर्ण करने के लिए नीचे तक आवश्यक अनुदेश जारी किये जाएँगे।

(vi) सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य के संसाधनों की उपलब्धता

सार्वजनिक निजी सहभागिता सरकार या सांविधिक इकाई और एक निजी क्षेत्र के मध्य एक व्यवस्था है, जो कि बुनियादी विकास हेतु लोगों की माँग को पूरा करने के लिए उन्हें साथ कार्य करने में सक्षम बनाने हेतु एक संरचना प्रदान करती है। तालिका-2.33 में राज्य में चल रही परियोजनाओं का विवरण दिया गया है।

तालिका-2.33: पी पी पी परियोजनाओं का क्षेत्रवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	पूर्ण		चल रही है	
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत
1.	परिवहन	2	30.00	3	63.76
2.	ऊर्जा	0	0	2	117.50
3.	शहरी	2	292.03	5	364.55
4.	पर्यटन	1	0	2	50.00
5.	स्वास्थ्य	6	84.40	0	0
योग		11	406.43	12	595.81

स्रोत: उत्तराखण्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेल डैशबोर्ड (<http://www.upppc.org/projects/projects>)।

2.7 व्यय की प्राथमिकताएँ

मानवीय विकास स्तर को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार अपने व्यय को प्रमुख सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर करने के लिए कदम बढ़ाये। अगर आवंटन संबन्धित राष्ट्रीय औसत से कम है तो निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय का एक श्रेणी के अंतर्गत व्यय का अनुपात) एक विशेष क्षेत्र के साथ जुड़ी होती है। इन घटकों का कुल व्यय से अनुपात जितना उच्चतर हो व्यय की गुणवत्ता को उतना अच्छा समझा जाता है।

तालिका-2.34 में राज्य सरकार की राजस्व प्राथमिकता का उ पू एवं हिमालयी राज्यों से विकास व्यय, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र पर व्यय तथा पूँजीगत व्यय का, वर्ष 2016-17 को आधार वर्ष मानते हुए, 2020-21 के दौरान तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है।

तालिका-2.34: 2016-17 और 2020-21 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	कु व्य/ स रा घ उ	सा क्षे व्य/ कु व्य	आ क्षे व्य/ कु व्य	वि व्य/ कु व्य	पूँ व्य/ कु व्य	शिक्षा/ कु व्य	स्वास्थ्य/ कु व्य
2016-17 में औसत (अनुपात)							
उ पू एवं हिमालयी	26.50	35.64	31.30	66.20	15.97	16.67	5.67
उत्तराखण्ड	15.58	37.76	25.79	64.09	16.30	18.91	4.60
2020-21 में औसत (अनुपात)							
उ पू एवं हिमालयी	26.92	32.95	27.14	57.33	15.67	15.22	6.15
उत्तराखण्ड	18.37	38.24	21.56	59.89	14.97	19.06	5.43
कु व्य: कुल व्यय; वि व्य: विकास व्यय; सा क्षे व्य: सामाजिक क्षेत्र व्यय; आ क्षे व्य: आर्थिक क्षेत्र व्यय; पूँ व्य: पूँजीगत व्यय।							

2020-21 में उत्तराखण्ड राज्य के औसत व्यय का 2016-17 के साथ तुलनात्मक अध्ययन निम्न दर्शाता है-

- स रा घ उ के अनुपात में राज्य सरकार का कुल व्यय 2016-17 की तुलना में 2020-21 में 2.79 प्रतिशतता अंक अधिक था।
- 2020-21 में कुल व्यय के अनुपात में विकास व्यय 2016-17 की तुलना में 4.20 प्रतिशतता अंक कम था।
- 2016-17 की तुलना में 2020-21 में कुल व्यय के अनुपात के रूप में सामाजिक क्षेत्र का व्यय 0.48 प्रतिशतता अंक अधिक था।
- 2016-17 की तुलना में 2020-21 में कुल व्यय के अनुपात के रूप में आर्थिक क्षेत्र का व्यय 4.23 प्रतिशतता अंक कम था।
- कुल व्यय में पूँजीगत व्यय (पूँ व्य) का अनुपात 2016-17 की तुलना में 2020-21 में 1.33 प्रतिशतता अंक कम था।


2016-17 के साथ 2020-21 में उ पू और हिमालयी राज्यों के औसत और उत्तराखण्ड के औसत के तुलनात्मक अध्ययन से निम्नलिखित दर्शाया:

- राज्य में स रा घ उ के अनुपात में कुल व्यय (कु व्य) दोनों वर्षों के दौरान उ पू और हिमालयी राज्यों के औसत से काफी कम रहा।
- 2016-17 के दौरान राज्य में कुल व्यय के अनुपात में विकास व्यय उ पू और और हिमालयी राज्यों के औसत से थोड़ा कम था। हालाँकि यह 2020-21 में थोड़ा ज्यादा था।
- 2016-17 एवं 2020-21 के दौरान उ पू और और हिमालयी राज्यों के औसत की तुलना में राज्य में कुल व्यय के अनुपात में सामाजिक क्षेत्र व्यय अधिक था।
- राज्य में कुल व्यय के अनुपात में आर्थिक क्षेत्र व्यय उ पू और और हिमालयी राज्यों के व्यय की तुलना में दोनों वर्षों के दौरान कम था।
- राज्य सरकार द्वारा पूँजीगत व्यय को प्राथमिकता दी गयी थी तथा 2016-17 में कुल व्यय से पूँजीगत व्यय का अनुपात उ पू और और हिमालयी राज्यों के औसत से अधिक था। हालाँकि, 2020-21 में यह थोड़ा कम था।
- शिक्षा क्षेत्र में व्यय, राज्य में कुल व्यय के अनुपात के रूप में उ पू और हिमालयी राज्यों के औसत की तुलना में दोनों वर्षों के दौरान अधिक था।
- स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यय, कुल व्यय के अनुपात में उ पू और हिमालयी राज्यों के औसत से दोनों वर्षों के दौरान कम था।

वस्तु शीर्ष वार व्यय

वस्तु शीर्ष वार व्यय, व्यय के लक्ष्य/उद्देश्य के बारे में सूचना देता है। वस्तु शीर्ष वार व्यय का विवरण चार्ट-2.20 में नीचे दिया गया है।

चार्ट-2.20: वस्तु शीर्ष वार व्यय का विवरण



2.8 लोक लेखा

कुछ लेन देनों जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियाँ, जमाओं, उचन्तों, प्रेषणों इत्यादि जो कि संचित निधि का भाग नहीं होते हैं, से संबन्धित प्राप्तियों एवं संवितरण को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) द्वारा स्थापित लोक लेखा के अधीन रखा जाता है तथा ये राज्य विधायिका द्वारा मत के विषयाधीन नहीं है। इनके संबंध में सरकार एक बैंकर की तरह कार्य करती है। वर्ष के दौरान सरकार के पास वितरण के बाद अवशेष निधि विभिन्न उद्देश्यों में उपयोग करने के लिए उपलब्ध होती है।

2.8.1 लोक लेखा में निवल बकाया

राज्य के लोक लेखे में वर्षों (2016-17 से 2020-21) के दौरान घटक वार निवल बकाया शेषों को नीचे तालिका-2.35 में दिया गया है।

तालिका-2.35: वर्ष के 31 मार्च तक लोक लेखे में घटक-वार निवल बकाया

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
I. लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि						
जे. आरक्षित निधि	(अ) ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ	(-)135.69	109.77	112.77	2,759.12	89.90
	(ब) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ	59.05	(-) 4.7	(-) 1.23	149.48	150.00
	आ नि से निवेश	0	0	0	(-) 150.00	(-) 150.00
	योग	(-) 76.63	105.07	111.54	2,758.60	89.90
के. जमा एवं अग्रिम	(अ) ब्याज सहित जमा	41.48	0.58	53.02	(-) 2.77	3.57
	(ब) ब्याज रहित जमा	(-) 176.76	718.09	(-) 64.08	504.35	378.43
	(स) अग्रिम	(-) 0.03	0	0	0	0
	योग	(-) 135.31	718.67	(-) 11.06	501.58	382.00
एल. उचंत एवं विविध	(अ) उचंत	180.11	122.44	102.82	(-) 124.82	(-) 103.72
	(ब) अन्य लेखे*	870.19	607.90	70.26	(-) 1,039.63	(-) 490.83
	(स) विदेशी सरकारों के साथ लेखे	(-) 0.01	(-) 0.01	(-) 0.01	0.04	0
	(द) विविध	0	0	0	0	0
	योग	1,050.29	730.33	173.07	(-) 1,164.41	(-) 594.55
एम. प्रेषण	(अ) मनी ऑर्डर, और अन्य प्रेषण	1.64	15.89	(-) 4.5	(-) 4.38	0
	(ब) अंतर- सरकारी समायोजन लेखे	(-) 4.99	15.48	683.65	3.76	(-) 6.41
	योग	(-) 3.35	31.37	679.15	(-) 0.62	(-) 6.41
महायोग		1,247.69	2,204.91	1,842.56	2,760.94	302.40


नोट- (-) डेबिट बकाया दर्शाता है और (+) क्रेडिट बकाया दर्शाता है।

*एल उचंत और विविध के अंतर्गत अन्य लेखे में विभागीय शेष, स्थायी नकद अग्रदाय और नकद शेष निवेश लेखे को छोड़कर।

2016-21 की पाँच वर्ष की अवधि में लोक लेखा के अवशेषों की संरचना में वार्षिक परिवर्तन चार्ट-2.21 में दिया गया है।

चार्ट-2.21: लोक लेखा अवशेषों की संरचना में वर्षवार परिवर्तन

(₹ करोड़ में)



जैसाकि तालिका-2.35 में दर्शाया गया है, वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 तक घटक वार निवल-लोक लेखा शेषों में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दर्शायी है। निवल-लोक लेखा शेष 2019-20 में ₹ 2,760.94 करोड़ से ₹ 2,458.54 करोड़ घटकर 2020-21 में ₹ 302.40 करोड़ हो गया था। यह निवल आरक्षित निधि (₹ 2,668.70 करोड़), निवल लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि (₹ 234.33 करोड़) और जमा एवं अग्रिम (₹ 119.58 करोड़) में कमी के कारण थी।


2.8.2 आरक्षित निधियाँ

आरक्षित निधियाँ राज्य सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत विशिष्ट और सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिए सृजित की जाती हैं। ये निधियाँ राज्य के समेकित निधि से प्राप्त अंशदान या अनुदान द्वारा बनाई जाती हैं।

31 मार्च 2021 तक राज्य सरकार नौ आरक्षित निधियों का संचालन कर रही थी जिसमें से दो आरक्षित निधियाँ ब्याज सहित (₹ 3,343.45 करोड़ क्रेडिट) और सात आरक्षित निधियाँ ब्याज रहित (₹ 1,567.13 करोड़ क्रेडिट) हैं। इन नौ निधियों में से, दो निधियाँ (शेष ₹ 36.48 करोड़ डेबिट) निष्क्रिय हैं और सात निधियाँ (शेष ₹ 4,947.07 करोड़ क्रेडिट) सक्रिय हैं, जिसमें से ₹ 1,488.62 करोड़ (30.54 प्रतिशत) का निवेश किया गया था।

सक्रिय एवं निष्क्रिय निधियों के अंतर्गत संचित बकायों की प्रवृत्ति नीचे चार्ट-2.22 में दिखायी गयी है।

चार्ट-2.22: सक्रिय एवं निष्क्रिय आरक्षित निधियों की प्रवृत्ति



आरक्षित निधियों (सक्रिय-निष्क्रिय) में वर्ष के दौरान लेन-देन के विवरण पर नीचे चर्चा की गई है।

2.8.2.1 निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ

दो आरक्षित निधियाँ लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी हुई हैं। इन दो निधियों में ₹ 36.48 करोड़ (डेबिट) का अवशेष है। इन निष्क्रिय निधियों का विवरण नीचे तालिका-2.36 में दिया गया है।

तालिका-2.36: निष्क्रिय आरक्षित निधियों का विवरण

क्र. सं.	निधि का नाम	31 मार्च 2021 तक राशि (₹ करोड़ में)	स्थापना वर्ष	निष्क्रिय (कब से)
1.	शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विकास निधि	0.01 (क्रेडिट)	2000-01	2007-08
2.	विद्युत विकास निधि	36.49 (डेबिट)	2005-06	2015-16
योग		36.48 (डेबिट)		

2.8.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

भारत सरकार ने 2010-11 में आपदा राहत निधि के स्थान पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस डी आर एफ) की स्थापना की। निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्र और विशेष श्रेणी राज्यों जैसे उत्तराखण्ड को इस निधि में 90:10 के अनुपात में योगदान करना है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह योगदान लोक-लेखे के अंतर्गत मुख्य लेखा शीर्ष 8121 को स्थानांतरित करना है। वर्ष के दौरान किए गए व्यय मुख्य लेखा-शीर्ष 2245 द्वारा संचालित होंगे। आपदा प्रतिक्रिया पर वर्ष के दौरान किए गए व्यय को लोक खाते को डेबिट के साथ व्यय मुख्य लेखा शीर्ष 2245 को कौंट्रा डिडकट डेबिट करके

समायोजित किया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में व्यय हेतु धन अपर्याप्त होता है तो भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एन डी आर एफ) से अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है। एन डी आर एफ के अंतर्गत प्रदान की गई सम्पूर्ण निधि को सीधे प्राकृतिक आपदा पर खर्च किया जाता है। वर्ष 2020-21 के लिए एस डी आर एफ पर भारित व्यय का विवरण तालिका-2.37 के साथ एस डी आर एफ के विवरण तालिका-2.38 में दिये गये हैं।

तालिका-2.37: एस डी आर एफ पर भारित व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	लघु-लेखा शीर्ष	2020-21 के दौरान व्यय
2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	101-आरक्षित निधि और जमा लेखों में स्थानांतरण	1,992.10
	901-कटौती-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से मिली राशि	(-) 951.10
05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	उप-योग	1,041.00
2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	102-आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंधन	48.94
	800-अन्य व्यय	12.88
80-सामान्य	उप-योग	61.82
	महायोग	1,102.82

स्रोत: वित्त लेखे।

तालिका-2.38: एस डी आर एफ का विवरण

(₹ करोड़ में)

प्रारम्भिक शेष (01 अप्रैल 2020)	केंद्र द्वारा योगदान	राज्यांश	योग	निर्धारित राशि (मुख्य शीर्ष 2245-05)	निधि में शेष राशि (31 मार्च 2021)	वर्ष के दौरान आर बी आई के माध्यम से निवेश की गई राशि
578.46	937.00	104.00	1,041.00	951.10	668.36	शून्य

स्रोत: वित्त लेखे।

राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान एस डी आर एफ से न तो कोई निवेश किया है और न ही बकाया निधि पर कोई ब्याज दिया है जो एस डी आर एफ के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।

2.8.2.3 गारंटी मोचन निधि

वर्ष 2006-07 में उत्तराखण्ड सरकार ने गारंटी मोचन निधि का गठन राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य निकायों द्वारा ली गयी उधारियों एवं सरकार द्वारा जारी बॉन्ड के संबंध में जारी गारंटियों एवं लाभार्थियों द्वारा मांगे गए भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए किया था। निधियों के संचय का उपयोग केवल सरकार द्वारा जारी गारंटियों के भुगतान हेतु ही किया जाना है न कि संस्थाओं, जिनकी तरफ से गारंटी दी गई है, के भुगतान हेतु।

उत्तराखण्ड राजपत्र अधिसूचना दिसम्बर 2006 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को बढ़ती हुई गारंटियों के नतीजेसार माँगी जा सकने वाली गारंटियों की राशि और बकाया माँगी गयी गारंटियों की

कम से कम 1/5वीं धनराशि का योगदान करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निधियों का निवेश किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया कि 2020-21 के दौरान कोई गारंटी नहीं ली गई थी। चालू वर्ष के दौरान, समेकित निधि से गारंटी मोचन निधि में ₹ 50.00 करोड़ राशि का योगदान किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार जो निधि का प्रशासक भी है, निधि के संग्रह को धीरे-धीरे लंबित गारंटियों के पाँच प्रतिशत के वांछित स्तर तक बढ़ाया जाना था, जिसका पूरी तरह पालन किया गया था, चूकी ₹ 728.68 करोड़ की लंबित गारंटियों के सापेक्ष निधि का संग्रह ₹ 133.64 करोड़ (₹ 85 करोड़ मूलधन + ₹ 48.64 करोड़ ब्याज) था। ₹ 8.54 करोड़ के प्राप्त होने वाली गारंटी कमीशन फीस के सापेक्ष ₹ 2.83 करोड़ प्राप्त हुए जिसके फलस्वरूप ₹ 5.71 करोड़ का कमीशन फीस कम प्राप्त हुआ। उत्तराखण्ड राजपत्र अधिसूचना दिनांक 19 दिसम्बर 2016 के अनुसार प्राप्त होने वाली गारंटी फीस को गारंटी मोचन निधि के अंतर्गत लोक लेखे में जमा कराना होता है। जबकि राज्य सरकार इसको राजस्व प्राप्ति के रूप में मान रही थी। इसके फलस्वरूप उस सीमा तक राजस्व अधिशेष को अधिक दर्शाया गया तथा राजकोषीय घाटे को कम दर्शाया गया था। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, राज्य सरकार भविष्य में प्राप्त करने योग्य गारंटी कमीशन फीस को लोक लेखे में दर्ज करने के लिए सहमत हुई। विगत पाँच वर्षों के दौरान गारंटी मोचन निधि से किए गए निवेश से औसत आय 7.68 प्रतिशत थी। गारंटी मोचन निधि का विवरण तालिका-2.39 में दिया गया है।

तालिका-2.39: गारंटी मोचन निधि का विवरण

(₹ करोड़ में)

प्रारम्भिक शेष (01 अप्रैल 2020)	निधि में जमा (योगदान और ब्याज)		निधि से भुगतान	निधि में कुल शेष	वर्ष के दौरान आर बी आई द्वारा निवेश की गई राशि	अंतिम शेष (31 मार्च 2021)
	वांछित स्तर का योगदान (31 मार्च 2020 को लंबित गारंटियों का 5 प्रतिशत)	वास्तविक किया गया योगदान				
77.45 (35.00 मूलधन एवं 42.45 ब्याज)	42.72	56.19 (50.00 मूलधन एवं 6.19 ब्याज)	शून्य	133.64 (85.00+48.64)	133.64	शून्य

स्रोत: वित्त लेखे।

2.8.2.4 राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि

उत्तराखण्ड राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि की स्थापना उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सितम्बर 2018 में, प्राप्त हुई धनराशि पर प्रबंधन हेतु तथा एकत्र हुए पैसों को प्रतिपूर्ति वनीकरण के उपयोग हेतु, प्राकृतिक पुनर्जनन हेतु सहायक बनने, वनों का संरक्षण एवं सुरक्षा बुनियादी ढाँचागत विकास, वन्य जीव संरक्षण

एवं सुरक्षा मामले तथा आकस्मिक मामलों पर व्यय करने हेतु, की गई थी। इस निधि के अंतर्गत लेखांकन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश भारत सरकार के वन, जलवायु परिवर्तन एवं वातावरण मंत्रालय द्वारा नवम्बर 2018 में जारी किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा हालाँकि अभी तक इन दिशा-निर्देशों को अपनाया नहीं गया है और लेखांकन प्रक्रिया⁴ को लागू नहीं किया है। वर्ष 2019-20 के दौरान भारत सरकार के वन, जलवायु परिवर्तन एवं वातावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि से उत्तराखण्ड के अंश के रूप में ₹ 2,675.09 करोड़ स्थानांतरित किए हैं। यह धनराशि 8121-129 राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि के अंतर्गत दर्ज की गई है।

2.8.3 आरक्षित निधियों एवं ब्याज सहित जमाओं के सापेक्ष ब्याज की देनदारियों का निर्वहन न करना

लोक लेखे की ₹ 143.97 करोड़ की ब्याज की देनदारियों जे एवं के क्षेत्रों के अंतर्गत क्रमशः ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ एवं ब्याज सहित जमा में वार्षिक देयता है जिसे राज्य सरकार को निर्वहन करने की आवश्यकता है। इन आरक्षित निधियों और जमाओं के ऐसे बकायों पर राज्य सरकार द्वारा ब्याज भुगतान हेतु बजट प्रावधान करने की आवश्यकता है। 01 अप्रैल 2020 को देय ब्याज का विवरण नीचे तालिका-2.40 में दिया गया है।

तालिका-2.40: आरक्षित निधि और जमाओं में ब्याज की अनिर्वाहित देयता का विवरण

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	ब्याज की दर	2020-21 की शुरुआत में अवशेष	बकाया ऋण (₹ करोड़ में)
जे-आरक्षित निधि	(अ) ब्याज सहित आरक्षित निधि (एस डी आर एफ सहित)	4.06 प्रतिशत (अर्थोपाय ब्याज दर का औसत)	3,253.55	132.09
के-जमा और अग्रिम	(ब) ब्याज सहित जमा (सी पी एस मुख्य शीर्ष-8342-117 को छोड़कर)	4.06 प्रतिशत (अर्थोपाय ब्याज दर का औसत)	292.68	11.88
कुल ब्याज				143.97

राज्य विभाग को बजट में आरक्षित निधि व जमा पर ब्याज देनदारी का प्रावधान करना चाहिए।

2.9 ऋण प्रबंधन


ऋण प्रबंधन वांछित धनराशि जुटाने हेतु सरकार के ऋण के प्रबन्धन के लिए एक रणनीति की स्थापना एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया है जो जोखिम एवं लागत उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं किसी अन्य प्रभुत्व ऋण प्रबन्धन के लक्ष्यों, जिसे सरकार ने अधिनियमित किया हो या वार्षिक बजट के द्वारा घोषणा की हो, को प्राप्त करना है।

⁴ यह दिशानिर्देश बताते हैं, कि उपयोगकर्ता एजेंसियों से राज्य सरकार को प्राप्त धनराशियों को मुख्य शीर्ष 8336 सिविल जमा के नीचे लघु शीर्ष "राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण जमा" में डाला जायेगा। इसमें से 90 प्रतिशत राज्य के लोक लेखे में मुख्य शीर्ष-8121-129 में हस्तांतरित किया जाएगा एवं 10 प्रतिशत राष्ट्रीय निधि में। इसी तरह व्यय शुरुआत में मुख्य शीर्ष-2406 के तहत दर्ज किया जाएगा और तब संबंधित मुख्य लेखा शीर्ष-2406 में घटा दर्ज कर लोक लेखे में मुख्य शीर्ष-8121-129 में हस्तांतरित किया जाएगा।

2.9.1 सम्पूर्ण ऋणों की प्रवृत्ति

2020-21 के अंत में राज्य सरकार का कुल बकाया ऋण ₹ 73,750.64 करोड़ था। तथापि, कुल बकाया देयताएं ₹ 2,316 करोड़ से कम होती, यदि जी एस टी क्षतिपूर्ति में कमी के बदले भारत सरकार से इतनी धनराशि का बैंक-टु-बैंक ऋण राजस्व प्राप्तियों के रूप में प्राप्त होती। 2016-17 से 2020-21 के दौरान वर्षवार कुल ऋणों को नीचे चार्ट-2.23 में दिखाया गया है।

चार्ट-2.23: सम्पूर्ण ऋणों की प्रवृत्ति



* जी एस टी मुआवजे की कमी के बदले वर्ष 2020-21 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ₹ 2,316 करोड़ के बैंक-टु-बैंक ऋण को स रा घ उ के लिए बकाया ऋण के अनुपात की गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है। भारत सरकार के स्पष्टीकरण⁵ के अनुसार इस उधार को किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा, जो कि वित्त आयोग, आदि द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

2.9.2 ऋण संरचना: घटक

राज्य सरकार के कुल ऋणों में आमतौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थापाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण आदि), केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखों की देयता शामिल हैं। उत्तराखण्ड के एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार कुल देनदारियों का अर्थ है राज्य की समेकित निधि एवं राज्य के लोक लेखे के अंतर्गत देनदारियाँ। घटक-वार ऋण प्रवृत्तियाँ नीचे तालिका-2.41 में दिखाई गई हैं।

तालिका-2.41: घटकवार ऋण प्रवृत्तियाँ

		(₹ करोड़ में)				
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
बकाया ऋण		44,583	51,831	58,039	65,982	73,751*
लोक ऋण	आंतरिक ऋण	34,555	40,286	45,443	49,437	53,302
	केंद्र सरकार से ऋण	655	729	790	813	3,813

⁵ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग पत्र संख्या एफ.सं.40 (1) पीएफ-एस/2021-22 दिनांक 10 दिसंबर 2021।

लोक लेखा देयताएँ	9,373	10,816	11,806	15,732	16,636
बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	14.11	16.26	11.98	13.69	11.77
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ)	1,95,125	2,19,954	2,36,768	2,53,666	2,37,747
ऋण/स रा घ उ (प्रतिशत)	22.85	23.56	24.51	26.01	30.05
कुल ऋण प्राप्तियाँ	15,548	20,124	22,225	22,194	23,327
कुल ऋण पुनर्भुगतान	10,034	12,875	16,017	14,251	15,558
कुल उपलब्ध ऋण	5,514	7,249	6,208	7,943	7,769
ऋण पुनर्भुगतान/ऋण प्राप्तियाँ (प्रतिशतता)	64.54	63.98	72.07	64.21	66.70

स्रोत: वित्त लेखे।


*इसमें जी एस टी मुआवजे की कमी के एवज में वर्ष 2020-21 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ₹ 2,316 करोड़ का बैंक-टू-बैंक ऋण शामिल है। इस ऋण का ऋण शोधन जी एस टी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रह से किया जाएगा और इसलिए, राज्य के अन्य संसाधनों से पुनर्भुगतान दायित्व को पूरा नहीं किया जाएगा। इस बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर वर्ष 2020-21 के अंत में राज्य का कुल ऋण (₹ 73,751 करोड़- ₹ 2,316 करोड़ = ₹ 71,435 करोड़) था।

2.9.3 वर्ष 2020-21 के अंत में कुल बकाया ऋण का घटक-वार विवरण

वर्ष 2020-21 के अंत में राज्य सरकार का कुल बकाया ऋण ₹ 73,751 करोड़ था। चार्ट-2.24 में ऋण का घटक-वार विवरण दिया है।

चार्ट-2.24: वित्त वर्ष 2020-21 के अंत में बकाया ऋण का विवरण

(₹ करोड़ में)




आंतरिक ऋण, जोकि मुख्यतः बाजार से लिए गए उधार हैं, कुल बकाया ऋणों का 56 प्रतिशत है।

2.9.4 घटक-वार ऋण की प्रवृत्ति

वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि में शामिल आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण, लोक लेखे के ऋण की प्रवृत्तियाँ नीचे चार्ट-2.25 में दर्शाई गई हैं।

चार्ट-2.25: घटक वार ऋण की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)




2.9.5 लिए गये आंतरिक ऋण के सापेक्ष पुनर्भुगतान

2016-17 से 2020-21 के दौरान आन्तरिक ऋणों को प्राप्त करने और पुनर्भुगतान करने की संरचना चार्ट-2.26 में दी गई है।

चार्ट-2.26: लिए गये आंतरिक ऋण के सापेक्ष पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)



राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण प्रतिरूप में एक रचनात्मक बदलाव आया है जैसाकि तालिका-2.42 में दिखाया गया है।

तालिका-2.42: राजकोषीय घाटा और उसके वित्त पोषण प्रतिरूप के घटक

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
अ	राजकोषीय घाटे के घटक (1 से 3)	(-) 5,467	(-) 7,935	(-) 7,320	(-) 7,657	(-) 5,439
1.	राजस्व घाटा (-)/अधिशेष(+)	(-) 383	(-) 1,978	(-) 980	(-) 2,136	(+) 1,114
2.	निवल पूँजीगत व्यय	(-) 4,954	(-) 5,914	(-) 6,184	(-) 5,414	(-) 6,538
3.	निवल ऋण और अग्रिम	(-) 130	(-) 43	(-) 156	(-) 107	(-) 14
ब	राजकोषीय घाटे की वित्तपोषण पद्धति					
1.	निवल लोक ऋण	5,373	5,806	5,217	4,017	6,865
अ.	निवल बाजार उधारियाँ	(+) 5,081	(+) 5,830	(+) 5,289	(+) 4,500	(+) 5,209
ब.	भारत सरकार से निवल ऋण	(+) 111	(+) 74	(+) 61	(+) 23	(+) 3,000
स.	एन एस एस एफ को जारी निवल विशेष प्रतिभूतियाँ	(-) 348	(-) 374	(-) 411	(-) 781	(-) 781
द.	वित्तीय संस्थानों से निवल ऋण ⁶	(+) 529	(+) 276	(+) 278	(+) 275	(-)563
2.	निवल लोक लेखे	1,248	2,204	1,843	2,761	302
अ.	निवल लघु बचत, भ नि आदि	(+) 413	(+) 619	(+) 890	(+) 666	(+) 431
ब.	निवल जमा और अग्रिम	(-) 135	(+) 719	(-) 11	(+) 501	(+) 382
स.	निवल उचंत और विविध	(+) 1,050	(+) 730	(+) 173	(-)1,164	(-) 595
द.	निवल प्रेषण	(-) 3	(+) 31	(+) 679	(-) 01	(-) 6
ड.	निवल आरक्षित निधि	(-) 77	(+) 105	(+) 112	(+) 2,759	(+) 90
3.	निवल आकस्मिकता निधि	(+) 167	(-) 127	(+)110	(+)68	(-) 225
4.	नकद शेष राशि में वृद्धि	(-) 1,321	(+) 52	(+)150	(+) 811	(-) 1,503

स्रोत: उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा मुख्य रूप से बाजार से लिए गए उधार (96 प्रतिशत) एवं भारत सरकार से ऋण (55 प्रतिशत) द्वारा प्रबंधित किया गया था। यह नकद शेष (28 प्रतिशत), एन एस एस एफ को जारी निवल विशेष प्रतिभूतियाँ (14 प्रतिशत), उचंत और विविध (11 प्रतिशत) और वित्तीय संस्थानों से ऋण (10 प्रतिशत) द्वारा प्रतिसंतुलित हुआ था। चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण चार्ट-2.27 में दिया गया है जबकि तालिका-2.43 राजकोषीय घाटे के घटकों के अन्तर्गत प्राप्ति और संवितरण को दर्शाती हैं।

⁶ निवल अर्थापाय अग्रिम शामिल हैं।

चार्ट-2.27: राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण



तालिका-2.43: राजकोषीय घाटे को पूरा करने वाले घटकों के अंतर्गत प्राप्तियाँ और संवितरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1.	बाजार उधारियाँ	6,200	991	5,209
2.	भारत सरकार से ऋण	3059	59	3,000
3.	एन एस एस एफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	00	781	-781
4.	वित्तीय संस्थानों से ऋण ⁷	5,876	6,439	-563
5.	लघु बचत, भ नि इत्यादि	1,910	1,479	431
6.	जमा और अग्रिम	5,090	4,708	382
7.	उचंत और विविध	39,370	39,965	-595
8.	प्रेषण	01	07	-06
9.	आरक्षित निधि	1,191	1101	90
10.	आकस्मिकता निधि	01	226	-225
11.	समग्र घाटा	62,698	55,756	6,942
12.	नकद शेष में वृद्धि/कमी	--	--	-1,503
13.	सकल राजकोषीय घाटा	--	--	5,439

2.9.6 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान रूपरेखा राज्य सरकार की ओर से ऋणों के पुनर्भुगतान या ऋण शोधन की प्रतिबद्धता को इंगित करता है। राज्य के लम्बित ऋणों एवं अग्रिमों (लोक ऋण) की परिपक्वता रूपरेखा तालिका-2.44 और चार्ट-2.28 में दी गयी है।


⁷ निवल अर्थात् अग्रिम शामिल हैं।

तालिका-2.44: लोक ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता रूपरेखा


(₹ करोड़ में)

परिपक्वता का वर्ष	परिपक्वता रूपरेखा	धनराशि			लोक ऋण का प्रतिशत
		आंतरिक ऋण	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	योग	
2021-22 तक	0-1 वर्ष	2,181.01	55.85	2236.86	3.92
2022-23 एवं 2023-24 के बीच	1-3 वर्ष	5,812.03	123.47	5935.50	10.39
2024-25 एवं 2025-26 के बीच	3-5 वर्ष	7,853.91	103.23	7957.14	13.93
2026-27 एवं 2027-28 के बीच	5-7 वर्ष	13,608.22	98.36	13,706.58	24.00
2028-29 से आगे	7 वर्ष से ऊपर	20,069.80	399.49	20,469.29	35.84
अन्य		3,776.58	3,032.70	6,809.28	11.92
योग		53,301.55	3,813.10	57,114.65	100

चार्ट-2.28: लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा



31 मार्च 2021 को लोक ऋणों की लम्बित पूँजी की परिपक्वता रूपरेखा इंगित करती है कि लम्बित लोक ऋण ₹ 57,114.65 करोड़ में से, 52.24 प्रतिशत (₹ 29,836.08 करोड़) अगले सात वर्षों में भुगतान योग्य हैं जबकि 35.84 प्रतिशत (₹ 20,469.29 करोड़) ऋण सात वर्ष से अधिक के परिपक्वता कोष्ठक में हैं। बकाया 11.92 प्रतिशत की परिपक्वता रूपरेखा उपलब्ध नहीं है। जिसमें मुख्य रूप से वित्तीय संस्थानों से आंतरिक ऋण (जी आई सी, एल आई सी, एस बी आई, नाबार्ड आदि) ₹ 3,776.57 करोड़ (6.61 प्रतिशत) और जी एस टी क्षतिपूर्ति के बदले भारत सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋण ₹ 2,316 करोड़ (4.06 प्रतिशत) सम्मिलित है। बाजार से उधार, नाबार्ड से ऋण, केन्द्र सरकार की एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियों से बने आन्तरिक ऋण कुल बकाया लोक ऋण का 93.03 प्रतिशत (₹ 53,136.12 करोड़) है। 10 वर्ष की अवधि में बकाया बाजार ऋण राशि तथा उस पर भुगतान किए जाने वाले ब्याज का विवरण चार्ट-2.29 में नीचे दिया गया है।



नोट: 31 मार्च 2021 को बकाया बाजार ऋणों के लिए परिपक्वता रूपरेखा विकसित की गई है और ब्याज उस वित्तीय वर्ष तक के लिए आगणित किया गया है जिसमें ऋण समाप्त होंगे।

राज्य को अगले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2023-24 तक बाजार ऋणों का ₹ 5,650.00 करोड़ और ब्याज के ₹ 9,454.26 करोड़ का भुगतान करना होगा। अगले दो वर्षों 2025-26 तक, मूलधन ₹ 6,300 करोड़ और ब्याज ₹ 5,336.39 करोड़ देय होगा। ऋण और ब्याज के रूप में अगले पाँच वर्षों के दौरान 2025-26 तक ₹ 5,348.13 करोड़ का वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा।

2026-27 से 2030-31 की अवधि के दौरान, ₹ 29,710 करोड़ के ऋण और ₹ 6,626.86 करोड़ का ब्याज भुगतान योग्य होगा। ऐसे ही वर्ष 2025-26 से 2029-30 की अवधि में लगभग ₹ 7,267.37 करोड़ का वार्षिक भुगतान राज्य को करना होगा। ब्याज सहित चालू वर्ष का ऋण पुनर्भुगतान ₹ 3,992.85 करोड़ है।

2.9.7 ऋण स्थिरता विश्लेषण

ऋण स्थिरता को वर्तमान और भविष्य में अपनी ऋण सेवाओं के लिए राज्य की क्षमता को परिभाषित किया गया है। यह एक बहुत ही जटिल मुद्दा है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से भविष्य को देखते हुये आसान आकलन छूट जाता है। यह एक "ज्ञात अज्ञात पर सूचित न्याय" है। तथापि, लोक ऋण का स्तर जितना उच्च होगा राजकोषीय नीति और लोक ऋण अस्थिर होने की उतनी ही अधिक संभावना है क्योंकि उच्च ऋण को बनाए रखने के लिए उच्च प्राथमिक आधिक्य की आवश्यकता होती है। एक उच्च स्तर का ऋण बहुत सी चुनौतियाँ प्रदान करता है:

- उच्च स्तरीय ऋण सेवा हेतु विशाल प्राथमिक राजकोषीय आधिक्य आवश्यक है; आर्थिक और राजनीतिक तौर पर ऐसे आधिक्य को बनाये रखना मुश्किल हो सकता है।
- एक उच्च स्तरीय ऋण ब्याज दर और विकास में झटकों के प्रति अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाता है।
- एक उच्च ऋण स्तर सामान्यतः उच्चतर उधार आवश्यकताओं से सम्बन्धित है और इसलिए यह

एक रोलओवर संकट (यानि निजी स्रोतों से उधारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होना या केवल उच्च ब्याज दर पर ऐसा करने में समर्थ होना) है।

- उच्च स्तरीय ऋण आर्थिक विकास के लिये हानिकारक हो सकते हैं, जबकि निम्न विकास अपने आप में चिन्ता का कारण है, और इसका लम्बे समय तक ऋणों की गतिशीलता एवं ऋणों की स्थिरता पर भी प्रभाव पड़ता है।

ऋण के प्रति कमजोरी इसके प्रोफाइल से भी सम्बन्धित होती है। मूल परिपक्वता पर अल्प अवधि के ऋण का एक बड़ा हिस्सा रोलओवर (पुनः वित्तपोषण जोखिम) एवं ब्याज दर के जोखिम को बढ़ाते हैं। लोक ऋण की स्थिरता सुनिश्चित करती है कि वह विस्फोट ना करे और सरकारें कर बढ़ाने या व्यय घटाने के लिए बाध्य न हों।

2.9.8 ऋण स्थिरता सूचकों की प्रवृत्ति

2016-17 की शुरुआत से पाँच वर्षों की अवधि के संकेतकों के अनुसार राज्य की ऋण स्थिरता तालिका-2.45 एवं चार्ट-2.30 में दर्शित है।

तालिका-2.45: ऋण स्थिरता: सूचक एवं प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)


ऋण स्थिरता के संकेतक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
बकाया लोक ऋण	35,210	41,015	46,233	50,250	57,115**
बकाया लोक ऋण की वृद्धि की दर	18.01	16.49	12.72	8.69	13.66
राज्य का स रा घ उ	1,95,125	2,19,954	236,768	2,53,666	2,37,747
स रा घ उ की वृद्धि दर	10.14	12.72	7.64	7.14	-6.28
ऋण/स रा घ उ अनुपात	18.04	18.65	19.53	19.81	24.02
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	9.67	8.97	8.78	7.81	7.48
ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	12.64	12.61	12.27	12.27	10.52
ऋण पुनर्भुगतान की ऋण प्राप्तियों से प्रतिशतता [#]	17.35	22.87	28.27	34.66	29.85
राज्य को उपलब्ध निवल ऋण*	2,227	2,388	1,388	247	2,848
ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत में उपलब्ध निवल ऋण	34.26	31.73	19.08	4.02	29.10
ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम प्रसार + प्राथमिक घाटा)	14,805	1,49,858	-55,551	-36,821	-7,86,568
कुल उधार पर ऋण और उसके ऊपर ब्याज के पुनर्भुगतान की प्रतिशतता	65.74	68.27	80.92	95.98	70.90

* राज्य सरकार को उपलब्ध निवल ऋण की गणना लोक ऋण पुनर्भुगतान, लोक ऋण पर ब्याज भुगतान पर, लोक ऋण प्राप्तियों की अधिकता के रूप में की जाती है।

** इसमें जी एस टी क्षतिपूर्ति में कमी के बदले वर्ष 2020-21 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ₹ 2,316 करोड़ रुपये का बैंक-टू-बैंक ऋण शामिल है। इस ऋण का ऋण शोधन जी एस टी क्षतिपूर्ति निधि में उपकर के संग्रह से किया जाएगा और इसलिए, पुनर्भुगतान दायित्व को राज्य के अन्य संसाधनों से पूरा नहीं किया जाएगा। इस बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर, वर्ष 2020-21 के अंत में राज्य का समग्र ऋण (₹ 57,115 करोड़ - ₹ 2,316 करोड़ = ₹ 54,799 करोड़ रुपये) था।

अर्थोपाय अग्रिम को छोड़कर

चार्ट-2.30 ऋण स्थिरता सूचकों की प्रवृत्तियाँ



#अर्थोपाय अग्रिम को छोड़कर।

जैसाकि तालिका-2.45 में देखा जा सकता है पाँच वर्ष की अवधि 2016-17 से 2020-21 के दौरान उत्तराखण्ड के स रा घ उ से लोक ऋणों का अनुपात 18.04 से 24.02 प्रतिशत के बीच रहा। चालू वर्ष के दौरान स रा घ उ से लोक ऋणों का अनुपात 24.02 प्रतिशत, बजट में निर्धारित लक्ष्य 19.18 प्रतिशत से अधिक था। ब्याज भुगतान का बोझ राजस्व प्राप्तियों के 10.52 से 12.64 प्रतिशत था।

तथापि, 2016-17 से 2020-21 की पाँच वर्ष की अवधि के दौरान, लम्बित लोक ऋण 13.87 प्रतिशत की दर से तेजी से बढ़े हैं, जबकि स रा घ उ का विकास सी ए जी आर की 6.06 प्रतिशत की दर से हुआ है।

2.9.9 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का उपयोग आदर्श रूप में पूँजीगत रचना तथा विकास की गतिविधियों पर किया जाना चाहिये। उधार ली गई निधियों का उपयोग चालू उपभोग एवं बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी हेतु धारणीय नहीं है। विगत पाँच वर्षों में उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति तालिका-2.46 एवं चार्ट-2.31 में नीचे दिखाई गई है।

तालिका-2.46: उधार ली गई धनराशि का उपयोग


(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उधारियाँ	पूर्व उधारियों की अदायगी (प्रतिशतता)	निवल पूँजीगत व्यय* (प्रतिशतता)	आहरित निवल ऋण एवं अग्रिम (प्रतिशतता)	कुल उधारियों में से राजस्व व्यय का भाग (प्रतिशतता)
2016-17	6,501	1,128 (17)	4,954 (76)	130 (02)	289 (5)
2017-18	7,526	1,721 (23)	5,805 (77)	ला न	ला न

2018-19	7,275	2,057 (28)	5,218 (72)	ला न	ला न
2019-20	5,834	2,131 (37)	3,703 (63)	ला न	ला न
2020-21	9,787	2,921 (30)	6,538 (67)	38 (0.39)	ला न ⁸

*निवल पूँजीगत व्यय = कुल पूँजीगत व्यय - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ ला न - लागू नहीं।

चार्ट-2.31: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति



- 2016-17 के दौरान, राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए कुल उधारी में से ₹ 289 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया था।
- वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में राज्य ने कुल उधारियों को पूर्व के मूलधन को चुकाने तथा पूँजीगत व्यय पर उपयोग किया।
- वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य के पास ₹ 1,114 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष था। इसलिए उधार ली गई निधियों से राजस्व खाते पर कोई व्यय करने की आवश्यकता नहीं थी।

2.10 गारंटी की स्थिति - आकस्मिक दायित्व

संविधिक निगम, सरकारी कंपनियाँ, सहकारी संस्थाएं, वित्तीय संस्थान, स्वायत्त निकाय और प्राधिकरण विशिष्ट वैधानिक इकाईयाँ हैं जो उनके ऋणों के लिए जिम्मेदार हैं। उनके वित्तीय दायित्वों की गारंटी सरकार द्वारा दी जा सकती है और इस प्रकार सरकार की यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता है कि इन्हें पूरा किया जाए। जब ये संस्थाएं सीधे बाजार से उधार लेती हैं, तो यह उन्हें सरकार के बजटीय समर्थन और सरकार के उधारों की मात्रा को कम कर देती है। हालाँकि, यह सरकार द्वारा दी गई गारंटियों के स्तर को बढ़ाता है। इस प्रकार, गारंटियाँ आमतौर पर सरकार की आकस्मिक देनदारियों का गठन करती हैं और उधारकर्ता द्वारा चूक के मामले में राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक होती है, जिसके लिए गारंटी दी गई है।

⁸ उधार से कोई राजस्व व्यय पूरा नहीं किया गया क्योंकि राज्य के पास 2020-21 के दौरान राजस्व अधिशेष था।

एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 में उल्लेखित है कि राज्य सरकार किसी भी नियम कानून के अन्तर्गत तय सीमा से अधिक किसी भी धनराशि पर मौजूदा नियमों के तहत गारंटी प्रदान नहीं करेगी। तथापि, राज्य विधानसभा (संविधान की धारा 293 के अन्तर्गत राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर राज्य सरकार अधिकल्प सीमा, जिसकी गारंटी दी जा सके, निर्धारित कर सकती है) ने संबन्धित प्रावधान को संशोधित एफ आर बी एम अधिनियम में दिसम्बर 2016 में ही कर दिया था।


वित्त लेखे के विवरण-9 के अनुसार तालिका-2.47 एवं चार्ट-2.32 में राज्य द्वारा अधिकतम राशि जिस पर गारंटी दी गई और विगत पाँच वर्षों की लम्बित गारंटी का विवरण दिया गया है।

तालिका-2.47: उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ

(₹ करोड़ में)

गारंटियाँ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
31 मार्च को गारंटियों की बकाया राशि	1,248	1,499 [#]	893 [#]	854 [#]	729
राज्य सरकार अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा	उस विशेष वर्ष के स रा घ उ के एक प्रतिशत के भीतर बकाया गारंटी। किसी भी वर्ष के दौरान दी गई नई गारंटी उस वर्ष के लिए स रा घ उ के 0.3 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।				
वर्ष के दौरान परिवर्धन	295	251	निरंक	402	400
वर्ष के दौरान हटायी गई	790	75	188	713	525

चार्ट-2.32: लंबित गारंटियों की स्थिति




स्रोत: वित्त लेखे।

#पूर्व वर्ष के अंतिम अवशेष से भिन्न है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा सहकारिता क्षेत्र को दी गई धनराशि को परिवर्तित कर दिया गया था।

31 मार्च 2021 को लम्बित गारंटियों की धनराशि ₹ 729 करोड़ थी, जिसमें उर्जा क्षेत्र (₹ 218 करोड़), सहकारी समितियाँ (₹ 357 करोड़) तथा अन्य (₹ 154 करोड़) शामिल है। 31 मार्च 2021 को कुल लम्बित गारंटियाँ ₹ 729 करोड़ थीं जो कि वर्ष के स रा घ उ की 0.31 प्रतिशत है और इसलिए ये एफ आर बी एम की सीमा के अन्दर थीं। चार्ट-2.33 में कम्पनी वार विवरण दिया गया है।

चार्ट-2.33: 31 मार्च 2021 के अंत में गारंटियाँ प्राप्त करने वाले निकाय

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे।

वर्ष के दौरान कोई गारंटी लागू नहीं की गई थी। गारंटी की अधिकतम धनराशि के बारे में सूचना राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गई, और इसलिए विवरण उस सीमा तक अपूर्ण है। इन विवरणों में भा स ले मा-1 की आवश्यकताओं की पूर्ण पूर्ति नहीं हुई है। “गारंटी अधिनियम 2016 पर उत्तराखण्ड सिलींग” की आवश्यकतानुसार गारंटी कमीशन को निधि कोष में प्राप्त करना चाहिए, राज्य सरकार ने ₹ 2.83 करोड़ गारंटी मोचन निधि के बजाय राजस्व प्राप्तियों के तहत गारंटी कमीशन के रूप में प्राप्त किये।

2.11 नकद बकाये का प्रबन्धन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए समझौते के अनुसार, राज्य सरकार को प्रतिदिन बैंक में एक न्यूनतम नकद राशि रखनी होगी। अगर किसी दिन बकाया, तय न्यूनतम से कम रहता है तो इसकी कमी को अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू एम ए)/विशेष अर्थोपाय अग्रिम (एस डब्ल्यू एम ए)/ओवर ड्राफ्ट (ओ डी) के द्वारा समय-समय पर पूरा किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सामान्य डब्ल्यू एम ए के लिए राज्य सरकार की सीमा समय-समय पर संशोधित की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए समझौते के अनुसार राज्य सरकार को ₹ 0.16 करोड़ का न्यूनतम नकद बकाया प्रतिदिन बैंक में रखना होगा। 01 अप्रैल 2020 से सामान्य डब्ल्यू एम ए के लिए राज्य सरकार की सीमा ₹ 808 करोड़ है और बैंक द्वारा एस डब्ल्यू एम ए की सीमा समय-समय पर संशोधित की जाती है। 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार ने बिना किसी अग्रिम के 269 दिनों तक न्यूनतम प्रतिदिन नकद बकाया बैंक में रखा था और वर्ष के दौरान सामान्य डब्ल्यू एम ए, एस डब्ल्यू एम ए तथा ओ डी का उपयोग क्रमशः 39 दिन, 53 दिन एवं चार दिन के लिए किया गया था।

2.11.1 नकद बकाये का निवेश

वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा नकद बकाया और उसमें से किया गया निवेश तालिका-2.48 में दिया गया है।

तालिका-2.48: नकद बकाया और उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

	01 अप्रैल 2020 को प्रारम्भिक शेष	31 मार्च 2021 को अंतिम शेष
अ. सामान्य नकद बकाया		
कोषागार में नकद	0.00	0.00
भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	595.25	167.30
अन्य बैंकों में जमा	0.00	0.00
पारगमन में प्रेषण-स्थानीय	0.00	0.00
योग	595.25	167.30
नकद बकाया निवेश लेखे में निवेश	0.00	1,931.57
योग (अ)	595.25	2,098.87
ब. अन्य नकद बकाया और निवेश		
विभागीय अधिकारियों के पास नकद, जैसे लो नि वि, वन अधिकारी	(-) 10.71	(-) 10.71
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	(-) 0.81	(-) 0.81
निर्धारित निधि में निवेश	1,338.62	1,488.62
योग (ब)	1,327.10	1,477.10
योग (अ + ब)	1,922.35	3,575.97
अर्जित ब्याज	21.73	32.01

स्रोत: वित्त लेखे।

चालू वर्ष के अन्त में राज्य सरकार का नकद बकाया 2019-20 में ₹ 1,922.35 करोड़ से ₹ 1,653.62 करोड़ (86 प्रतिशत) महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर 2020-21 में ₹ 3,575.97 करोड़ हो गया। यह मुख्यतः नकद शेष निवेश खाते (₹ 1,931.57 करोड़) में निवेश और निर्धारित निधि (₹ 150 करोड़) में निवेश में वृद्धि के कारण था, जो रिजर्व बैंक के साथ जमा राशि (₹ 427.95 करोड़) में कमी से प्रतिसंतुलित हुआ था।

राज्य सरकार अपने आधिक्य नकद बकाये को भारत सरकार की लघु एवं दीर्घ अवधि की प्रतिभूतियों तथा कोषागार बिलों में निवेश करती है। ऐसे निवेश से प्राप्त होने वाले लाभ को शीर्ष "0049-ब्याज प्राप्तियाँ" में प्राप्ति के अन्तर्गत क्रेडिट किया जाता है। भारत सरकार की प्रतिभूतियों एवं कोषागार बिलों में निवेश से राज्य सरकार ने 2020-21 के दौरान ₹ 32.01 करोड़ अर्जित किए।

निर्धारित निधियों में निवेशित कुल धनराशि ₹ 1,488.62 करोड़ में से, ₹ 1,403.62 करोड़ समेकित सिंकिंग निधि तथा ₹ 85 करोड़ गारंटी मोचन निधि में वर्ष के अन्त में निवेशित थे।

2016-17 से 2020-21 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य के नकद शेष निवेशों को तालिका-2.49 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.49: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)


वर्ष	प्रारम्भिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि (+)/कमी (-)	अर्जित ब्याज
2016-17	344.74	451.51	106.77	24.06
2017-18	451.51	385.49	(-) 66.02	14.05
2018-19	385.49	247.48	(-) 138.01	10.49
2019-20	247.48	00	(-) 247.48	21.73
2020-21	00	1,931.57	(+) 1,931.57	32.01

वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान राज्य सरकार के नकद शेष निवेश की प्रवृत्ति का विश्लेषण दर्शाता है कि 2016-17 के दौरान निवेश बढ़ गया था तथा फिर धीरे-धीरे कम होता गया और 2019-20 में यह शून्य हो गया। चालू वर्ष के दौरान, मुख्य शीर्ष नकद शेष निवेश खाते के अंतर्गत ₹ 1,931.57 करोड़ रुपये की राशि शेष पड़ी थी।

यह वांछनीय नहीं है कि राज्य सरकार बड़े नकद शेष होने के बावजूद बाजार ऋणों का सहारा ले और इसे उत्पादक उपयोग में लाये बिना नकद शेष में वृद्धि करे।

2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान राज्य द्वारा लिये गये बाजार ऋण और उपलब्ध औसत नकद शेष के बीच तुलना चार्ट-2.34 में दर्शायी गई है। बाजार ऋण उच्च ब्याज दर पर लिए गए थे जबकि कोषागार बिलों में निवेश से ब्याज कम दर पर मिला।


चार्ट-2.34: बाजार ऋण के सापेक्ष औसत नकद शेष



चार्ट-2.35 में वर्ष 2020-21 के दौरान माहवार नकद शेष निवेश लेखा और नकद शेष के बीच तुलना दर्शायी गई है।

चार्ट-2.35: 2020-21 के दौरान नकद शेष निवेश लेखा और नकद शेष की माहवार गति

(₹ करोड़ में)



पूर्ववर्ती चार्ट इंगित करता है कि राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान नकद शेष होने के बावजूद एवं उसका उत्पादक उपयोग किये बिना कई बार बाजार ऋणों का सहारा लिया था। वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 6,200 करोड़ बाजार से उठाये। वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार के पास माह अप्रैल 2020, अक्टूबर 2020 एवं जनवरी 2021 में पर्याप्त नकद शेष था। तथापि, सरकार ने इन माहों में बाजार ऋण उठाया, जिससे बचा जा सकता था।

2.12 निष्कर्ष

- 2020-21 के दौरान, गत वर्ष की अपेक्षा राजस्व प्राप्तियों में ₹ 7,482 करोड़ (24.35 प्रतिशत) की वृद्धि, सहायता अनुदान (₹ 7,218 करोड़), स्वयं का कर राजस्व (₹ 425 करोड़) एवं राजस्व (₹ 172 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई। वृद्धि को आंशिक तौर पर संघ करों एवं शुल्कों में राज्यांश में कमी (₹ 333 करोड़) से प्रतिसंतुलित किया गया।
- 2016-21 की अवधि के दौरान, राजस्व व्यय कुल व्यय का औसतन 84.02 प्रतिशत (वर्ष 2016-21 के दौरान, 82.92 प्रतिशत से 85.57 प्रतिशत के बीच) था। 2016-21 की पाँच वर्ष अवधि के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि दर ने उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति प्रस्तुत की। वचनबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 62 प्रतिशत से 68 प्रतिशत के बीच था जबकि पाँच वर्ष की अवधि 2016-21 के दौरान, यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों के 60 प्रतिशत से 73 प्रतिशत के बीच लेखांकित किया गया।

- चालू वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में ₹ 1,124 करोड़ (20.76 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य द्वारा किया गया पूँजीगत व्यय एम टी एफ पी एस लक्ष्यों में किये गये अनुमानों (₹ 7,609 करोड़) से ₹ 1,071 करोड़ तथा बजट अनुमानों (₹ 7,383 करोड़) से ₹ 845 करोड़ कम था।
- सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल नगण्य था। चालू वर्ष के दौरान, पुनर्भुगतानित राशि ₹ 23.05 करोड़ थी जो 31 मार्च 2021 तक बकाया ऋणों (₹ 2,047.91 करोड़) का 1.13 प्रतिशत थी।
- 2020-21 के दौरान, राज्य में कुल व्यय के अनुपात में शिक्षा क्षेत्र में व्यय उ पू एवं हिमालयी राज्यों के औसत से अधिक था जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत 2020-21 के दौरान यह उ पू एवं हिमालयी राज्यों के औसत से कम था।
- वर्ष 2020-21 के वित्त लेखों के अनुसार, 31 मार्च 2021 को लोक निर्माण के विभिन्न प्रभागों में ₹ 614.08 करोड़ की 143 अपूर्ण/ चालू परियोजनाएँ थीं।
- ₹ 8.54 करोड़ प्राप्त होने वाली गारंटी कमीशन फीस के सापेक्ष, ₹ 2.83 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई जिसके फलस्वरूप ₹ 5.71 करोड़ की गारंटी कमीशन फीस कम प्राप्त हुई। प्राप्त हुई गारंटी फीस को गारंटी मोचन निधि के अन्तर्गत लोक लेखे में जमा करना था जबकि राज्य सरकार इसे राजस्व प्राप्ति के रूप में दर्ज कर रही थी। इसके फलस्वरूप उस सीमा तक राजस्व घाटा कम दर्शाया गया था।
- पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में स रा घ उ से कुल राजकोषीय दायित्वों के अनुपात में 4.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 30.05 प्रतिशत पर रहा, जो कि राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन के 25 प्रतिशत लक्ष्य से अधिक था।

2.13 संस्तुतियाँ

- राज्य सरकार को अपने स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि हेतु प्रयत्न करने की आवश्यकता है। सरकार को लंबित कर दावों को समय पर निपटाने के साथ करों के आकलन में बकाया का निपटान एवं राजस्व के बकाया की वसूली तथा बेहतर संसाधन जुटाने के लिए करेत्तर राजस्व में सुधार करना चाहिए;
- राज्य सरकार अपने पूँजीगत व्यय, विशेषकर सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में वृद्धि कर सकती है, क्योंकि यह परिसंपत्ति आधार को जोड़ता है जो बदले में आर्थिक विकास में योगदान देगा;
- राज्य सरकार, इसके द्वारा ली गई उधारियों की अत्यधिक उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए, लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में निवेश की गई पूँजी पर उचित प्रतिफल सुनिश्चित करने के तरीकों का पता लगा सकती है;
- क्योंकि सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को दिये गये ऋणों की वसूली संतोषजनक नहीं है, अतः राज्य

- सरकार ऋणों और अग्रिमों को अनुदान के रूप में लेखांकित करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखे सही स्थिति दर्शाते हैं, उन्हें राजस्व व्यय के तौर पर दर्ज करने हेतु विचार कर सकती है;
- राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में संसाधनों का आवंटन बढ़ा सकती है ताकि इसे उ पू एवं हिमालयी राज्यों की औसत के बराबर लाया जा सके;
 - राज्य सरकार अपूर्ण परियोजनाओं के समयबद्ध समापन को सुनिश्चित कर सकती है तथा यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि आगे कोई लागत वृद्धि न हो; तथा
 - राज्य सरकार गारंटी कमीशन शुल्क की वसूली सुनिश्चित कर सकती है और इसे गारंटी मोचन निधि में जमा कर सकती है।
 - राज्य सरकार बजट में ब्याज सहित आरक्षित निधि और जमाओं के सापेक्ष ब्याज देयताओं का प्रावधान करना सुनिश्चित कर सकती है।
 - राज्य सरकार को बाजार उधारी का सहारा लेने से पहले अपने नकद शेष का उपयोग करने के लिए प्रयास करने चाहिए।

अध्याय-3
बजटीय प्रबंधन


अध्याय- 3

बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय बजटीय प्रक्रिया और आवंटित प्राथमिकताओं, अनुपूरक अनुदान और सहवर्ती वित्तीय प्रबंधन सहित, की सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और प्रभावशीलता की समीक्षा से संबन्धित है।

3.1 बजट प्रक्रिया

बजट की वार्षिक कार्यवाही लोक संसाधन के प्रभावी उपयोग का ब्यौरा देने के लिए एक माध्यम है। बजट शब्दावली **परिशिष्ट-3.1** में दी गई है। बजट प्रक्रिया सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अगस्त में बजट परिपत्र जारी करने से प्रारम्भ होती है जिसमें विभागों को अगले वित्तीय वर्ष हेतु आकलन निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के अनुसार राज्य में बजट तैयार करने की प्रक्रिया निम्न चित्र में दी गई है।



3.2 बजट तैयारी प्रक्रिया

वित्त विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) और अनुदान की माँग भारत के संविधान के अनुच्छेद क्रमशः 199, 202 तथा 203 में अधिदिष्ट है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 में अपेक्षित है कि राज्य के विधानमंडल के सदन में उस वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण “वार्षिक वित्तीय विवरण” के रूप में रखा जाए। वित्तीय विवरण में संचित निधि पर भारित व्यय और अन्य व्यय पृथक-पृथक दर्शाये जाने चाहिए। इसमें राजस्व लेखे पर किए गए व्यय को अन्य व्यय से अलग दिखाया जाएगा।

संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुपालन में राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे सामान्य बजट भी कहते हैं, प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राप्तियों एवं संवितरण एवं व्यय के अनुमान और अनुदान के लिए माँग संविधान के अनुच्छेद 150 में दिये वर्गीकरण के अनुसार दर्शाये जाते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 204 में दिये गए प्रावधानों के अनुसार विनियोग के अंतर्गत कानून पारित करने को छोड़कर राज्य की संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार वित्तीय वर्ष में अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान अथवा विनियोग दिया जाता है। बजटीय राशि से अधिक के व्यय हेतु यह प्रावधानित है।

उत्तराखण्ड में बजट तैयार करने की ज़िम्मेदारी वित्त विभाग के पास है:

- संविधान के अनुच्छेद 166 (2) तथा (3) और उसके अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों के अनुसार राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत वित्त विभाग के पास अनुमानित राजस्व और व्यय का विवरण, जो कि प्रत्येक वर्ष विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है, तैयार करने की ज़िम्मेदारी होती है। यद्यपि विभाग प्रमुखों एवं अन्य अधिकारियों द्वारा सामग्री प्रेषित की जाती है, इस प्रकार आकलनो और बजट की वास्तविक तैयारी वित्त विभाग के ऊपर है और यह पूरी तरह से उस विभाग का कार्य और ज़िम्मेदारी है कि प्राप्तियों एवं संवितरण के अनुमानों का निपटारा करें।
- राज्य सरकार राज्य की संचित निधि से व्यय की वैधानिक स्वीकृति, अनुदानों/विनियोगों के लिए वार्षिक बजट और माँगों¹ को प्रस्तुत करके सुनिश्चित करती है।
- वास्तविक बजटीय राशि से अधिक के व्यय को पूर्ण करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान अनुपूरक अथवा अतिरिक्त माँग/ विनियोग दिया जाता है।
- आगे, वर्ष के दौरान राज्य सरकार विनियोग की विभिन्न इकाइयों जहाँ बचत पूर्वानुमानित हैं, से उन इकाइयों जहाँ अतिरिक्त व्यय संभावित (अनुदान/विनियोग के अंदर) है, में निधियों को पुनर्विनियोजित/पुनरावंटित भी करती है।

¹ 2020-21 के अनुदान/विनियोग के लिए 31 माँग हैं।

बजट के विभिन्न घटक नीचे चार्ट-3.1 में दर्शाये गए हैं :

चार्ट- 3.1: वर्ष 2020-21 के लिए उत्तराखण्ड के बजट एवं व्यय का सारांश



विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत

शासन द्वारा कार्यान्वित

स्रोत: उत्तराखण्ड बजट नियम पुस्तिका एवं विनियोग लेखों में विहित प्रणाली पर आधारित।

3.2.1 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक वितरणों और बचतों का सारांश

कुल बजट प्रावधान, संवितरण और बचत/आधिक्य के साथ ही इसके आगे, मतदेय/भारित में वर्गीकरण की सारांशीकृत स्थिति तालिका- 3.1 में दी गई है।

तालिका-3.1: वित्तीय वर्ष के दौरान बजट प्रावधान, संवितरण और बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत (+) आधिक्य /(-)	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
47,927.43	9,663.33	38,726.01	13,274.10	(-) 9,201.42	(+) 3,610.77

स्रोत: विनियोग लेखे

3.2.2 भारत एवं दत्तमत संवितरण

2016-17 से 2020-21 तक भारत एवं दत्तमत में कुल संवितरण का विभाजन तालिका 3.2 में दिया गया है।

तालिका- 3.2: 2016-17 से 2020-21 में संवितरण और बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संवितरण		बचत/आधिक्य/	
	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
2016-17	28,180.63	9,065.26	(-) 7,595.99	(+) 2,911.80
2017-18	31,742.73	11,702.03	(-) 3,866.04	(+) 4,337.28
2018-19	34,617.56	14,778.29	(-) 4,950.03	(+) 6,308.38
2019-20	34,147.37	13,825.82	(-) 8,395.33	(+) 5,170.72
2020-21	38,726.01	1,3274.10	(-)9,201.42	(+)3,610.77

स्रोत: विनियोग लेखे

जैसाकि ऊपर से देखा जा सकता है कि विगत पाँच वर्षों 2016-17 से 2020-21 के दौरान दत्तमत खंड में निरन्तर बचत और भारित खंड में निरन्तर आधिक्य हुआ है।

3.3 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अंतर्गत विनियोग अधिनियम की संलग्न अनुसूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों हेतु दत्तमत अनुदान एवं भारित विनियोग की राशि की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के व्यय, के लेखे होते हैं। विनियोग लेखे कुल योग आधारित होते हैं। विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत बजट की दोनों मदों दत्तमत एवं भारित के सापेक्ष ये लेखे मूल बजट प्राक्कलन, अनुपूरक अनुदान, समर्पण एवं पुनर्विनियोग को स्पष्टतया सूचीबद्ध करते हैं एवं विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे, निधियों के उपयोग, वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय प्रावधानों के अनुश्रवण को समझने में सुगम बनाते हैं और इसलिए वित्तीय लेखों के अनुपूरक होते हैं।

भारत के नि म ले प द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या विनियोग अधिनियम के अंतर्गत दिये गए प्राधिकार में निहित विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत वास्तविक रूप से व्यय किया गया है और जो व्यय, संविधान (अनुच्छेद 202) के प्रावधानों के अंतर्गत भारित होना चाहिए, वही भारित किया गया है। यह ये भी सुनिश्चित करता है कि क्या किया गया व्यय विधि, सुसंगत नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप था।

3.3.1 बजटीय एवं लेखाप्रणाली प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी

3.3.1.1 विधि प्राधिकार के बिना व्यय करना

संविधान के अनुच्छेद 204, के प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा पारित विनियोग को छोड़कर राज्य की संचित निधि में से कोई भी धन आहरित नहीं किया जाएगा। राज्य की आकस्मिकता निधि में से पुनर्विनियोग, अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग अथवा अग्रिम द्वारा से अतिरिक्त निधियाँ प्राप्त करने को छोड़कर निधियों के प्रावधानों के बिना नई योजना पर कोई व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

यह पाया गया कि चार विभागों ने वर्ष के दौरान विधानमंडल के प्राधिकार के बिना कुल ₹ 59.32 करोड़ का व्यय किया जैसाकि नीचे तालिका-3.3 में वर्णित है।

तालिका-3.3: बिना बजट प्रावधानों के व्यय का सारांश

अनुदान/ विनियोग	लेखा शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	योजनाओं/उप-शीर्षों की संख्या
17 - कृषि कार्य एवं अनुसंधान	4401 फसल व्यवस्था पर पूँजीगत परिव्यय	25.00	02
20 - सिंचाई एवं बाढ़	2700 मुख्य सिंचाई	0.52	02
20 - सिंचाई एवं बाढ़	2701 मध्यम सिंचाई एवं बाढ़	1.55	02
29 - उद्यान विभाग	4401 फसल व्यवस्था पर पूँजीगत परिव्यय	8.00	01
31 - अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण	2501 ग्रामीण विकास के लिए विशेष योजनाएँ	24.25	01
योग		59.32	

3.3.2 पूँजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में एवं इसके विपरीत त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

व्यय और प्राप्तियों का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण वित्तीय विवरणों की सत्यनिष्ठा पर सीधा प्रभाव डालते हैं। संविधान के अनुच्छेद 202 में विहित है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उस वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण, जिसे “वार्षिक वित्तीय विवरण” (अथवा “बजट”) कहा जाता है, को राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में रखा जाना है। व्यय के अनुमान को ‘भारित’ (ऐसा व्यय जिसको संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत विधान सभा में मतदान हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाता है) और ‘दत्तमत’ मदों में पृथक रूप से वर्गीकृत किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण राजस्व लेखे में व्यय को अन्य व्यय से पृथक करता है, जैसाकि अध्याय-2 में व्याख्या की गई है।

राज्य वित्तीय नियम विनियोग की प्राथमिक इकाइयों को वर्गीकृत करते हैं। पूँजीगत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और अन्य पूँजीगत व्यय के प्रावधान हेतु विशिष्ट वस्तु शीर्ष हैं। ये वस्तु शीर्ष पूँजीगत प्रकार के व्यय की बुकिंग से संबन्धित पूँजीगत मुख्य शीर्षों के अनुरूप होना चाहिए।

राजस्व प्रकृति के व्यय का पूँजीगत व्यय में वर्गीकरण अथवा इसके विपरीत, राजस्व व्यय और राजस्व कमी/ आधिक्य में अतिदर्शित/न्यूनदर्शित परिणामित होता है। वर्ष 2020-21 के व्यय के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का विवरण नीचे तालिका-3.4 में दिया गया है।

तालिका- 3.4: व्यय के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का विवरण

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या व लेखा शीर्ष	त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्ति
1.	04, 2014	पूँजीगत की राजस्व में बुकिंग	0.06	वृहद कार्यों पर व्यय की पूर्ति राजस्व व्यय से की गई।
2.	06, 2245		12.88	
3.	22, 3054		1.28	
4.	07, 2043		0.08	
उप-योग			14.30	
5.	01, 4059	राजस्व की पूँजीगत में बुकिंग	0.50	सहायता अनुदान, लघु निर्माण कार्य और अनुरक्षण पर व्यय की पूर्ति पूँजीगत व्यय से की गई।
6.	13, 4215		1.10	
7.	13, 4217		25.48	
8.	15, 4225		51.29	
9.	23, 4851		0.06	
10.	23, 4859		1.86	
11.	20, 4711		4.37	
12.	17, 4401		29.66	
13.	29, 4401		9.53	
14.	25, 4408		17.81	
15.	18, 4425		2.65	
16.	30, 4217		6.00	
17.	28, 4405		4.30	
18.	27, 4406		4.00	
19.	25, 4408		3.24	
20.	19, 4515		42.10	
21.	20, 4701		0.25	
22.	21, 4801		2.20	
23.	23, 4859		1.00	
24.	26, 5452		0.45	
उप-योग		207.85		

आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि राजस्व खंड में ₹ 14.30 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया है। यह व्यय पूँजीगत खंड में दर्ज होना चाहिए क्योंकि यह व्यय वृहद निर्माण कार्यों से संबन्धित है, इसी प्रकार ₹ 207.85 करोड़ का व्यय पूँजीगत खंड में दर्ज हुआ है। यह व्यय राजस्व खंड में दर्ज होना चाहिए क्योंकि यह व्यय सहायता अनुदान, लघु निर्माण कार्य व अनुरक्षण से संबन्धित है। त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है जहाँ स्थापना एवं प्रशासनिक खर्चों पर किए व्यय को पूँजीगत खंड में दर्ज किया गया हो।

बहिर्गमन गोष्ठी में राज्य सरकार ने आश्वस्त किया कि इस बारे में संशोधनात्मक कदम उठाए जाएंगे।

इसके अलावा, उत्तराखण्ड में राज्य समिति द्वारा अनुमोदित अनुसूचित जाति उप-योजना/जनजातीय उप-योजना के परिव्यय/बजट को क्रमशः अनुदान संख्या 30 और 31 के तहत विभागों के लिए अनुदान माँगों में शामिल किया गया है। यह भी देखा गया कि अनुदान की अन्य माँगों में लघु शीर्ष 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना एवं लघु शीर्ष 796-जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है।

3.3.3 अनावश्यक अथवा अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम के द्वारा प्रावधान के अलावा एक अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान अथवा विनियोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में किया जा सकता है किन्तु वर्तमान वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद नहीं, जो कि निम्न की पूर्ति के लिए आवश्यक है-

- नये व्यय की योजनाओं पर व्यय जो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में लिया जाना है।
- प्रावधान की अपर्याप्तता
- नया व्यय किन्तु तकनीकी रूप से “नये व्यय की योजनाएँ” नहीं
- प्रावधानों का न लिया जाना

जब इस तरह के अतिरिक्त व्यय अपरिहार्य पाए जाते हैं और पुनर्विनियोग के द्वारा अधिक्य की पूर्ति के लिए अनुदान के भीतर बचत को प्रभावी बनाने की कोई संभावना न हो, तो संबंधित विभाग का सचिव, वित्त विभाग को अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान या विनियोग के लिए प्रस्ताव देगा। योग्य प्रकरणों में जो कि अप्रत्याशित हैं और जिनमें अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान अथवा विनियोग की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं, संविधान के प्रावधानों संबंधित नियमों के अनुसार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किये जा सकते हैं। ऐसे स्वीकृत अग्रिमों को अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग द्वारा विनियमित किये जाते हैं और आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति की जाती है। एक उप-शीर्ष से दूसरे उप-शीर्ष में बहुत अधिक पुनर्विनियोग से सदैव बचना चाहिए। नया व्यय अपरिहार्य है अथवा अनिवार्य रूप से आवश्यक है अथवा यह अनुवर्ती अर्थशास्त्र उत्पन्न करेगा अथवा यह लोक राजस्व को बचाने के लिए आवश्यक है अथवा लोक सुरक्षा कार्य के दौरान नये व्यय का सूत्रपात करने के लिए तर्कसंगत कारण है। हालाँकि, ऐसे प्रकरणों में यह अवश्य दर्शाना चाहिए कि आवश्यकताओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता और बजट में दिया गया है। पुनर्विनियोग की प्रक्रिया मात्र विलोपन को सुधारने और दूरदृष्टि की कमी का परिकल्पना नहीं है।

ऐसे प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुआ है, नीचे तालिका-3.5 में दिखाया गया है:

तालिका-3.5: ऐसे प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुआ है

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	प्रावधानों से बचत
राजस्व (दत्तमत)					
1.	06- राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	1,180.62	659.60	1,634.52	205.70
2.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	9,781.03	10.82	9,091.88	699.97
3.	10- पुलिस व जेल	2,123.84	18.91	1,865.15	277.60
4.	11- शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	8,755.28	279.82	7,791.75	1,243.35
5.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,271.59	111.82	2,099.04	284.37
6.	13- जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	1,659.65	83.55	1,012.61	730.59
7.	14-सूचना	100.29	31.00	106.43	24.86
8.	15-कल्याण योजनाएँ	1,890.59	82.36	1,494.45	478.50
9.	16-श्रम एवं रोजगार	355.23	135.37	334.85	155.75
10.	17- कृषि कार्य एवं शोध	1,037.18	139.28	988.48	187.98
11.	19-ग्रामीण विकास	983.22	41.60	772.91	251.91
12.	21-ऊर्जा	13.04	11.27	20.54	3.77
13.	22-लोक निर्माण	966.86	20.00	769.70	217.16
14.	23-उद्योग	331.82	36.65	222.21	146.26
15.	24- परिवहन	144.42	90.50	179.27	55.65
16.	27- वन	1,036.17	30.99	779.99	287.17
17.	28- पशुपालन	386.77	15.69	321.84	80.62
18.	29- उद्यान विकास	380.86	39.81	323.51	97.16
19.	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण	1,082.17	129.49	932.89	278.77
20.	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	352.20	40.44	280.14	112.50
योग		34,832.83	2,008.97	31,022.16	5,819.64
पूँजीगत (दत्तमत)					
1.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	124.67	460.00	445.32	139.35
2.	11- शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	393.96	30.25	352.53	71.68
3.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	205.43	100.00	172.94	132.49
4.	13- जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	1,300.70	433.10	1,100.40	633.40
5.	15-कल्याण योजनाएँ	123.50	28.48	72.75	79.23
6.	16-श्रम एवं रोजगार	35.00	10.00	35.85	9.15
7.	22-लोक निर्माण	1,079.70	200.00	1,044.64	235.06
8.	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण	288.64	139.54	303.20	124.98
9.	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	146.44	11.22	85.89	71.77
योग		3,698.04	1,412.59	3,613.52	1,497.11
महायोग		38,530.87	3,421.56	34,635.68	7,316.75



3.4 किए गए पुनर्विनियोग, जिनमें पूर्व वैधानिक प्राधिकार की आवश्यकता है

पुनर्विनियोजन एक अनुदान के भीतर विनियोग की एक इकाई से, जहाँ बचत प्रत्याशित है, दूसरी इकाई को, जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है, निधि का अंतरण है। वर्ष 2020-21 के दौरान उत्तराखण्ड में पुनर्विनियोजन का कोई भी प्रकरण नहीं पाया गया जिसके लिए पूर्व विधायी प्राधिकार की आवश्यकता हो।

3.4.1 अनावश्यक/अत्यधिक पुनर्विनियोग

बत्तीस प्रकरण जहाँ अंतिम बचत ₹ एक करोड़ से अधिक है, तालिका- 3.6 में दर्शाए गए हैं:

तालिका-3.6: अधिक/ अनावश्यक/ अपर्याप्त पुनर्विनियोग

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान संख्या एवं लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	योग		
1	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन 2029-भू-राजस्व 101-संग्रह शुल्क 03-भू-राजस्व (माल गुजारी) तकावी नहर और विविध सरकारी बकाया के लिए संग्रह शुल्क	79.83	-	0.15	79.98	71.42	8.56
2	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन 2053-जिला प्रशासन 093-जिला स्थापना 03-कलेक्ट्रेट की स्थापना	163.48	0.02	0.08	163.58	133.85	29.73
3	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन 2245-प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत राहत कार्य 80-सामान्य 102- प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन, आपदा संभावित क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाएँ 11-आपदा न्यूनीकरण निधि	13.00	-	3.50	16.50	15.00	1.50
4	07-वित्त, कर, योजना सचिवालय और विविध सेवाएं 2054-कोषागार और लेखा प्रशासन 095-लेखा एवं कोषागार निदेशालय 07-वित्तीय डेटा केंद्र	2.00	2.50	1.05	5.55	3.71	1.84

5	07-वित्त, कर, योजना सचिवालय और विविध सेवाएं 2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01-सिविल 105-पारिवारिक पेंशन 03-पारिवारिक पेंशन	870.00	-	180.00	1,050.00	1,008.76	41.24
6	08-आबकारी 2039-राज्य उत्पाद शुल्क 001-निदेशन और प्रशासन 04-भट्टियां	25.05	-	0.28	25.33	20.92	4.41
7	10-पुलिस व जेल 2055-पुलिस 001-निदेशन एवं प्रशासन 03-मुख्यालय	45.87	.02	0.21	46.10	40.38	5.72
8	10-पुलिस व जेल 2055-पुलिस 001-निदेशन एवं प्रशासन 04-अग्नि सुरक्षा और नियंत्रण की स्थापना	79.59	0.01	0.10	79.70	71.03	8.67
9	10-पुलिस व जेल 2055-पुलिस 003-शिक्षा एवं प्रशिक्षण 04-शिक्षा एवं प्रशिक्षण गृह	15.12	1.11	0.05	16.28	13.21	3.07
10	10-पुलिस व जेल 2055-पुलिस 104-विशेष पुलिस 03-स्टेट आर्म कॉन्स्टेबुलरी-मुख्य	258.02	2.34	0.28	260.64	234.17	26.47
11	11-शिक्षा, खेल, युवा कल्याण और संस्कृति 2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 001-निदेशन और प्रशासन 03-माध्यमिक शिक्षा की स्थापना	9.31	-	0.03	9.34	7.34	2.00
12	11-शिक्षा, खेल, युवा कल्याण और संस्कृति 2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 101-निरीक्षण 03-क्षेत्रीय निरीक्षण	32.39	-	0.06	32.45	24.64	7.81
13	11-शिक्षा, खेल, युवा कल्याण और संस्कृति 2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 109-सरकारी माध्यमिक विद्यालय 03-बालक और बालिका विद्यालय	3,059.23	1.60	4.18	3,065.01	2,566.34	498.67
14	11-शिक्षा, खेल, युवा कल्याण और संस्कृति 4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01-सामान्य शिक्षा 202-माध्यमिक शिक्षा 98-नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित	25.00	-	4.44	29.44	27.19	2.25

15	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 001-निदेशन और प्रशासन 03-मुख्यालय स्थापना	22.53	4.55	0.10	27.18	22.12	5.06
16	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य 02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-चिकित्सा की अन्य प्रणाली 102-होम्योपैथी 04-अस्पताल और औषधालय	10.64	0.20	0.16	11.00	8.96	2.04
17	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 110-अस्पताल और औषधालय 03-एलोपैथी अस्पताल एवं औषधालय की स्थापना	-	0.01	306.22	306.23	281.38	24.85
18	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य 06-लोक स्वास्थ्य 101-रोग की रोकथाम और नियंत्रण 06-कृष्ठ चिकित्सालय की स्थापना	8.74	0.04	0.10	8.88	7.36	1.52
19	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 2211-परिवार कल्याण 001-निदेशन और प्रशासन 01-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	8.67		0.25	8.92	5.69	3.23
20	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य 03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 110-अस्पताल और औषधालय 01-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	305.50	4.00	75.30	384.80	382.89	1.91
21	14-सूचना 2220-सूचना और प्रचार 60-अन्य 106-क्षेत्र प्रचार 03-स्थापना	4.26	-	0.04	4.30	3.13	1.17
22	14-सूचना 2220-सूचना और प्रचार 01-फिल्में 105-फिल्मों का निर्माण 03-स्थापना	6.21	-	3.85	10.06	6.51	3.55
23	15-कल्याण 2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण 03-पिछड़े वर्गों का कल्याण 102-आर्थिक विकास 01-केंद्र प्रायोजित योजना	24.68	-	12.06	36.74	29.77	6.96
24	17-कृषि कार्य और अनुसंधान 2401-फसल पालन 001-निदेशन और प्रशासन 01-केंद्र प्रायोजित योजना	100.30	103.87	27.48	231.65	211.38	20.27

25	20-सिंचाई और बाढ़ 2700-मुख्य सिंचाई 80-सामान्य 001-निदेशन और प्रशासन 03-कार्यकारी प्रतिष्ठान	321.40		0.87	322.27	228.43	93.84
26	20-सिंचाई और बाढ़ 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 01-बाढ़ नियंत्रण 103-सिविल कार्य 98-नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित	50.00	-	29.67	79.67	69.12	10.55
27	24-परिवहन 3055- सड़क परिवहन 190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों की सहायता 12-उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा पर्वतीय मार्गों में बस संचालन के कारण हुए नुकसान के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति	35.00	70.00	17.00	122.00	112.00	10.00
28	26-पर्यटन 5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय 80-सामान्य 104-संवर्धन और प्रचार 04-राज्य क्षेत्र	44.53	0.00	6.00	50.53	33.21	17.32
29	27-वन 2406-वानिकी और वन्य जीवन 02-पर्यावरण वानिकी और वन्य जीवन 110-वन्यजीव संरक्षण 01-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	49.32	2.92	0.62	52.86	36.88	15.98
30	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण 2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण 277-शिक्षा 03-औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	3.60	--	0.34	3.94	2.39	1.55
31	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण 4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 01-सामान्य शिक्षा 202-माध्यमिक शिक्षा 01-केंद्र प्रायोजित योजना	10.00	30.00	1.30	41.30	29.94	11.36
32	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण, 02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 277-शिक्षा 01-केंद्र प्रायोजित योजना	27.00	--	15.00	42.00	27.26	14.74

उत्तराखण्ड बजट नियमावली के अनुसार 2020-21 में राज्य सरकार ने अनुदान के अंदर ₹ 3,117.29 करोड़ पुनर्विनियोजित किए। इसमें से ₹ 42.46 करोड़ की राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्तिम कार्यदिवस (31 मार्च 2021) को पुनर्विनियोजित की गई थी। यह पुनर्विनियोग 32 प्रकरणों में से 21 प्रकरणों में (₹ 1.00 करोड़ से अधिक की बचत हो) अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि इन प्रकरणों में बचत पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी। हालाँकि, 2020-21 में पूँजीगत से राजस्व और इसके विपरीत तथा दत्तमत से भारित और इसके विपरीत में पुनर्विनियोजन का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया।

3.5 अव्ययित राशि और समर्पित विनियोजन और/अथवा वृहद बचत/ समर्पण

आकलन की पूर्ण शुद्धता हमेशा संभव नहीं होती है; पर जहाँ चूक अथवा अशुद्धता पूर्व विचार की कमी का परिणाम है, स्पष्टता की उपेक्षा अथवा असावधानी पूर्ण आकलन है, यह सामान्यतः क्षम्य नहीं है। समस्त आकलन अधिकारियों के लिए स्वर्णिम नियम होना चाहिए कि जो कुछ पूर्वाभास हो सके केवल जहाँ तक उसकी आवश्यकता हो उसके लिए बजट में प्रावधान किया जाए। प्रशासनिक एवं वित्त विभागों को आकलनों की जाँच में, पूर्व वास्तविकताओं के औसत की जात अथवा यथोचित निकट तथ्यों, जो उस औसत को संशोधित करते हैं उनसे अच्छी तरह परखी और साबित जाँच लगातार लागू करनी चाहिए।

बचत जिसे आदर्श रूप से समय पर समर्पित किया जाना चाहिए, को रखने से कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। इस कारण से, विनियोजन जिनके अव्ययित रहने की संभावना हो, उनको जितना शीघ्र संभव हो समर्पण के लिए रिपोर्ट करना चाहिए। यदि यह नहीं किया गया तो अन्य व्यय करने वाले विभाग निधियों से वंचित रह जाएंगे जिनका वो उपयोग कर सकते थे। समर्पण सामान्यतः मार्च माह में किए जाते हैं और व्यय के आँकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन तथा विगत माह के व्यय की प्रगति को देख कर एक नियंत्रण अधिकारी को अपनी अंतिम आवश्यकताओं को उचित स्तर की सटीकता के साथ तय करने में समर्थ होना चाहिए।

जब समर्पण की आवश्यकता स्वतः सुस्पष्ट हो, नियंत्रण अधिकारियों को, राशि जिसे समर्पित किया जा सकता है, का आकलन सावधानी से करना चाहिए। समर्पण का लक्ष्य इतना होना चाहिए कि व्यय संशोधित अनुदान के अंदर रखा जा सके।

अवास्तविक प्रस्तावों, व्यय की खराब अनुश्रवण प्रणाली, योजनाओं के क्रियान्वयन की कमजोर क्षमताओं एवं कमजोर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित बजटीय आवंटन वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों को जारी करने को बढ़ावा देते हैं, और विभागों द्वारा बड़ी राशि को शासकीय लेखों से बाहर बैंक खाते में रखने की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। अत्यधिक बचत भी अन्य विभागों को निधियों, जिसे वो प्रयोग कर सकते थे, से वंचित रखते हैं।

अनुदान में बड़ी बचत (₹ 100 करोड़ एवं अधिक) का विवरण नीचे तालिका- 3.7 में दिया गया है:

तालिका-3.7: वर्ष के दौरान अनुदान में बड़ी बचत (₹ 100 करोड़ एवं अधिक) का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	कुल योग	वास्तविक व्यय	बचत/आधिक्य	बचत कुल अनुदान की प्रतिशतता के रूप में	समर्पण को छोड़कर बचत
राजस्व (दत्तमत)								
1.	6-राजस्व व सामान्य प्रशासन	1,180.62	659.60	1,840.22	1,634.52	205.70	11.18	205.70
2.	7-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	9,781.03	10.82	9,791.85	9,091.88	699.97	7.15	699.97
3.	10-पुलिस व जेल	2,123.84	18.91	2,142.75	1,865.15	277.60	12.96	277.60
4.	11-शिक्षा, खेल, युवा कल्याण व संस्कृति	8,755.28	279.82	9,035.10	7,791.75	1,243.35	13.76	1,243.35
5.	12-चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	2,271.59	111.82	2,383.41	2,099.04	284.37	11.93	284.37
6.	13-जलापूर्ति, आवास व शहरी विकास	1,659.65	83.55	1,743.20	1,012.60	730.60	41.91	730.60
7.	15-कल्याण	1,890.59	82.36	1,972.95	1,494.45	478.50	24.25	478.50
8.	16-श्रम व रोजगार	355.23	135.37	490.60	334.85	155.75	31.75	155.75
9.	17-कृषि कार्य व अनुसंधान	1,037.18	139.28	1,176.46	988.48	187.98	15.98	187.98
10.	19-ग्रामीण विकास	983.21	41.61	1,024.82	772.91	251.91	24.58	251.91
11.	20-सिंचाई एवं बाढ़	559.26	0	559.26	430.73	128.53	22.98	128.53
12.	22-लोक निर्माण	966.86	20.00	986.86	769.70	217.16	22.01	217.16
13.	23-उद्योग	331.82	36.65	368.47	222.20	146.27	39.70	146.27
14.	25-खाद्य	222.49	0.65	223.14	92.14	131.00	58.71	131.00
15.	27-वन	1,036.17	30.99	1,067.16	779.99	287.17	26.91	287.17
16.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	1,082.17	129.49	1,211.66	932.89	278.77	23.01	278.77
17.	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	352.20	40.44	392.64	280.14	112.50	28.65	112.50
योग		34,589.17	1,821.36	36,410.53	30,593.40	5,817.13	15.98	5,817.13
राजस्व (भारित)								
1.	7-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय व विविध	6,045.74	--	6,045.74	4,924.36	1,121.38	18.55	1,121.38
योग		6,045.74	--	6,045.74	4,924.36	1,121.38	18.55	1,121.38
पूँजीगत (दत्तमत)								
1.	6-राजस्व व सामान्य प्रशासन	353.97	0	353.97	177.76	176.21	49.78	176.21
2.	7-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय व विविध	124.67	460.00	584.67	445.32	139.35	23.83	139.35
3.	12-चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	205.43	100.00	305.43	172.94	132.49	43.38	132.49
4.	13-जलापूर्ति, आवास व शहरी विकास	1,300.70	433.10	1,733.80	1,100.40	633.40	36.53	633.40
5.	18-सहकारिता	100.00	0	100.00	0	100.00	100.00	100.00
6.	20-सिंचाई एवं बाढ़	719.95	0	719.95	259.18	460.77	64.00	460.77
7.	21-ऊर्जा	353.00	0	353.00	170.56	182.44	51.68	182.44
8.	22-लोक निर्माण	1,079.70	200.00	1,279.70	1,044.64	235.06	18.37	235.06
9.	23-उद्योग	110.50	0	110.50	10.11	100.39	90.85	100.39
10.	24-परिवहन	448.06	0	448.06	48.86	399.20	89.10	399.20
11.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	288.64	139.54	428.18	303.20	124.98	29.19	124.98
योग		5,084.62	1,332.64	6,417.26	3,732.97	2,684.29	41.83	2,684.29
महायोग		45,719.53	3,154.00	48,873.53	39,250.73	9,622.80	19.69	9,622.80

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, कि शासन ने 20 अनुदानों के अन्तर्गत 29 प्रकरणों में ₹ 3,154.00 करोड़ का अनुपूरक अनुदान मांगा जो कि अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल बजट के सापेक्ष ₹ 9,622.80 करोड़ (21.05 प्रतिशत) की बचत थी। सरकार ने इन अनुदानों के अंतर्गत किसी भी राशि का अभ्यर्पण नहीं किया। बचत के कारण को न तो विनियोग लेख में दिया गया था और न ही राज्य सरकार द्वारा बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2022) में कोई विशिष्ट कारण दिया गया।

3.5.1 अनुदान/विनियोग जिसमें बजट उपयोग 50 प्रतिशत से कम हुआ

2020-21 के दौरान अनुदान/विनियोग जिसमें बजट का उपयोग 50 प्रतिशत से कम हुआ का विवरण तालिका 3.8 में दिया गया है।

तालिका-3.8: अनुदान/विनियोग जिसमें बजट का उपयोग 50 प्रतिशत से कम हुआ, (2020-21 में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या व नाम	2016-2017 (प्रतिशत)	2017-2018 (प्रतिशत)	2018-2019 (प्रतिशत)	2019-2020 (प्रतिशत)	2020-2021 (प्रतिशत)	वर्षों की संख्या	बजट 2020-21 (₹ करोड़ में)	विगत पाँच वर्षों का बजट (₹ करोड़ में)
1.	01-विधायिका खाद्य (पूँजीगत दत्तमत)	50.86	97.73	99.84	76.93	17.29	01	10.60	98.10
2.	04-न्यायिक प्रशासन (पूँजीगत दत्तमत)	19.45	79.68	89.71	47.68	44.15	03	55.80	222.80
3.	09-लोक सेवा आयोग (पूँजीगत दत्तमत)	---	---	100	100	17.42	01	5.28	9.28
4.	14-सूचना (पूँजीगत दत्तमत)	100	105.99	0	2.79	0	03	1.00	12.15
5.	15-कल्याण (पूँजीगत दत्तमत)	51.31	31.82	47.17	64.17	47.87	03	151.98	442.46
6.	18-सहकारिता (पूँजीगत दत्तमत)	25.24	24.95	66.98	99.98	0	03	100.00	220.88
7.	20-सिंचाई एवं बाढ़ (पूँजीगत दत्तमत)	61.66	115.64	78.16	52.23	36.00	01	719.95	2,893.00
8.	21-ऊर्जा (पूँजीगत दत्तमत)	34.66	41.98	76.95	39.60	48.32	04	353.00	1,841.27
9.	23-उद्योग	80.02	9.38	36.37	54.86	9.15	03	110.50	469.80
10.	24-परिवहन (पूँजीगत दत्तमत)	36.55	87.36	7.43	17.56	0.11	04	448.06	1,031.50
11.	25-खाद्य (राजस्व दत्तमत)	54.50	76.71	66.45	21.51	41.29	02	223.14	1,321.40
12.	28-पशुपालन (पूँजीगत दत्तमत)	73.07	46.39	32.88	35.15	29.32	04	28.96	113.10

जैसाकि उपरोक्त तालिका-3.8 में वर्णित है, 12 अनुदानों में बजट प्रावधान का कम उपयोग (50 प्रतिशत से कम) प्रकाश में आया। इसके अतिरिक्त, विश्लेषण से उद्घाटित हुआ कि तीन विभाग अर्थात (i) ऊर्जा (ii) परिवहन और (iii) पशुपालन विभाग विगत पाँच वर्षों में से चार वर्षों में बजट आवंटन के 50 प्रतिशत उपयोग करने में भी सक्षम नहीं थे।

3.5.2 ₹ एक करोड़ से अधिक की निधियों के समर्पण का विवरण

मार्च 2021 के अंत में ₹ एक करोड़ से अधिक की निधियों के समर्पण का विवरण तालिका- 3.9 में दिया गया है।

तालिका-3.9: 31 मार्च के अंत में ₹ एक करोड़ से अधिक की निधियों के समर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)


क्र.सं.	अनुदान संख्या व नाम	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	समर्पित राशि
शून्य							

उत्तराखण्ड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोई धनराशि समर्पित नहीं की।

3.5.3 उपयोग की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या

उपयोग की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या के वितरण का विवरण नीचे चार्ट- 3.2 में दिया गया है:

चार्ट- 3.2: उपयोग की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या के वितरण




जैसाकि उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है, 19 अनुदानों/विनियोगों में उपयोग बजट आवंटन के 70 प्रतिशत से अधिक था। यहाँ तीन अनुदानों/ विनियोगों में बजट आवंटन के 50 प्रतिशत से कम का उपयोग था और दो अनुदानों/विनियोगों नामतः 07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय व विविध और 19-ग्रामीण विकास में उपयोग 90 प्रतिशत से अधिक था।

3.5.4 वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति के पूर्व बचत एवं समर्पण का विवरण

वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति के पूर्व बचत एवं समर्पण का विवरण चार्ट 3.3 में दिया गया है:-

चार्ट-3.3: वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति के पूर्व बचत एवं समर्पण

(₹ करोड़ में)




जैसाकि उपरोक्त से स्पष्ट है, वर्ष 2020-21 के दौरान बजट के आँकड़ों की तुलना में ₹ 5,591 करोड़ की बचत हुई। तथापि, विभिन्न शासकीय विभागों ने वर्ष 2020-21 के दौरान किसी भी धनराशि का समर्पण प्रस्तावित नहीं किया और न ही किसी विभाग द्वारा कोई धनराशि समर्पित की गई थी।

3.5.5 बजट आवंटन और उसका उपयोग

बजट आवंटन (मूल व अनुपूरक) और उसके सापेक्ष उपयोग नीचे चार्ट- 3.4 में दिया गया है:

चार्ट-3.4: 2016-17 से 2020-21 में बजट उपयोग



3.6 अधिक व्यय और उसका नियमतीकरण

संविधान के अनुच्छेद 205 (1) (ब) के अनुसार यदि एक वित्तीय वर्ष में किसी सेवा में कोई धनराशि उस वर्ष के लिए उस सेवा हेतु आवंटित धनराशि से अधिक व्यय किया जाता है, राज्यपाल ऐसे आधिक्य की माँग को राज्य की विधान सभा में प्रस्तुत करेगा। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य हैं कि राज्य विधानसभा वित्तीय वर्ष के लिए अनुदानों/विनियोगों में आधिक्य का नियमतीकरण करें।

यद्यपि अनुच्छेद में अधिक व्यय के नियमतीकरण की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, अधिक व्यय का नियमतीकरण लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखों पर चर्चा समाप्त करने के बाद किया जाता है। ऐसा न करना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है और लोक धन के उपयोग पर कार्यपालिका के विधानसभा द्वारा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य को विफल करता है।

3.6.1 2020-21 से संबन्धित अधिक व्यय

वर्ष के लिए प्रावधान से अधिक व्यय न केवल विधायी स्वीकृति की आवश्यकता के प्रावधानों का उल्लंघन है बल्कि खराब योजना का सूचक भी है, जिससे इस उद्देश्य के लिए बनाए गए बजट के साथ व्यय की प्रगति को देखते हुए, बचा जा सकता था। वित्तीय वर्ष के लिए प्रावधान से अधिक व्यय का सार तालिका- 3.10 में दिया गया है।

तालिका- 3.10: 2020-21 के दौरान अनुदानों/विनियोजनों से अधिक वितरण का सार

(₹ करोड़ में)

	विभाग / अनुदान का नाम						
	07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय व विविध	17- कृषि, निर्माण एवं शोध	25- खाद्य	19-ग्राम्य विकास	29- उद्यान विकास		18- सहकारिता
पूँजीगत दत्तमत	0.00	16.19	81.17	13.07	2.31	राजस्व दत्तमत	5.53
पूँजीगत भारत	4,766.28	0	0	0	0	राजस्व भारत	0
अनुदान/ विनियोग की संख्या	01	01	01	01	01	अनुदान/ विनियोग की संख्या	01
कुल आधिक्य	4,766.28	16.19	81.17	13.07	2.31		5.53
महायोग	4,884.55						

स्रोत - विनियोग लेखें।

अधिक व्यय हेतु अनुमोदन प्राप्त न करने के कारणों को विभाग द्वारा अवगत (जनवरी 2022) नहीं कराया गया।

3.6.2 प्राधिकार से अधिक मुख्य शीर्ष वार वितरण का विवरण

उत्तराखण्ड बजट नियमावली के प्रस्तर 151 के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के खंड (1) उप-खंड (ब) के अन्तर्गत, यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सेवा पर उस वर्ष उस सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक राशि व्यय की गयी है तो ऐसे आधिक्य के लिए विधान सभा में माँग प्रस्तुत की जाएगी और इसका समाधान उसी प्रकार से किया जाना चाहिए जैसे कि अनुदान के लिए माँग।

2020-21 के दौरान राज्य की समेकित निधि से प्राधिकार से अधिक मुख्य शीर्ष-वार वितरण का विवरण तालिका-3.11 में दिया गया है।

तालिका-3.11: राज्य की समेकित निधि से प्राधिकार से अधिक मुख्य शीर्ष-वार वितरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	आधिक्य	विभाग द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण
1	2	3	4	5	6	7 = 5+6	8	9 = 8-7	10
1.	7	2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर,	31.65	0	31.65	35.49	3.84	विभाग द्वारा कारण उपलब्ध नहीं कराया गया।
2.	7	6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	3,442.20	0	3,442.20	8,211.09	4,768.89	
3.	17	4401	फसल व्यवस्था पर पूँजीगत परिव्यय	10.93	0	10.93	27.22	16.29	
4.	18	2425	सहकारी	99.69	0	99.69	105.22	5.53	
5.	19	4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	1,908.06	0	1,908.06	1,921.13	13.07	
6.	25	4408	खाद्य भंडारण एवं गोदाम पर पूँजीगत परिव्यय	12.00	0	12.00	93.17	81.17	
7.	29	4401	फसल व्यवस्था पर पूँजीगत परिव्यय	12.00	0	12.00	14.31	2.31	
8.	31	2501	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	21.86	0	21.86	24.25	2.39	
योग								4,893.49	

स्रोत - विस्तृत विनियोग लेखे।

जैसाकि उपरोक्त से देखा जा सकता है, सरकार आंतरिक ऋण के प्रति बजट प्रावधान का अनुमान नहीं लगा सकी, जो निश्चित रूप से पुनर्भुगतान दायित्वों के कारण था।

3.6.3 कतिपय अनुदानों में निरंतर आधिक्य

कुछ अनुदानों में वर्ष दर वर्ष अधिक व्यय की प्रवृत्ति देखी गयी है। निरंतर अधिक व्यय दर्शाता है कि विभाग में बजटीय नियंत्रण के साथ साथ वित्त विभाग की निगरानी अप्रभावी थी तथा बजट प्राक्कलन वास्तविक आधार पर नहीं बनाए गए थे। इस प्रकार बार-बार किए गए ऐसे अधिक व्यय राज्य विधानमंडल की इच्छा के विरुद्ध थे। विधायी प्राधिकार के बिना एक रुपया भी व्यय नहीं किया जा सकता है और इसलिए, यह कार्यपालिका की ओर से एक गंभीर चूक है। निरंतर आधिक्य, बजट तैयार करते समय अनुचित प्राक्कलन के कारण हो सकता है। तीन अनुदानों में वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान देखे गये निरंतर आधिक्य को नीचे तालिका- 3.12 में दिया गया है:

तालिका-3.12: 2016-17 से 2020-21 तक के दौरान तीन अनुदानों में देखी गयी अधिकता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	अनुदान संख्या-25: खाद्य					
	कुल अनुदान	12.07	19.27	19.00	28.50	12.00
	व्यय	2,257.87	1,341.66	1,433.04	1,011.08	93.17
	आधिक्य	2,245.80	1,322.39	1,414.04	982.58	81.17
2.	अनुदान संख्या-07: वित्त, कर, योजना, सचिवालय एवं विविध					
	कुल अनुदान	2,032.23	2,640.23	3,182.00	2,876.31	3,503.31
	व्यय	5,218.68	7,651.62	10,230.14	9,096.03	8,269.59
	आधिक्य	3,186.45	5,011.39	7,048.14	6,219.72	4,766.28
3.	अनुदान संख्या-17: कृषि, निर्माण एवं अनुसंधान					
	कुल अनुदान	108.33	23.03		25.00	11.03
	व्यय	124.41	26.75	आधिक्य नहीं	37.18	27.22
	आधिक्य	16.08	3.72		12.18	16.19

स्रोत: संबन्धित वर्ष के विनियोग लेखे।

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2016-17 से 2020-21 की अवधि में अनुदान संख्या 7- 'वित्त, कर, योजना, सचिवालय एवं विविध', 17- 'कृषि, निर्माण एवं अनुसंधान' एवं 25- 'खाद्य' में निरंतर अधिकता देखी गयी है। सरकार द्वारा उपरोक्त के कोई कारण नहीं दिये गए हैं। यह इस बात का संकेतक है कि उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के अध्याय XIII के अनुच्छेद 121 के तहत आवश्यक बजट अभ्यास नहीं किया जा रहा है।

3.6.4 विगत वित्तीय वर्षों के अतिरिक्त व्यय का विनियमितीकरण

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के अध्याय XIII के अनुच्छेद 121 में परिकल्पित है कि यदि वर्ष के समापन के पश्चात यह ज्ञात होता है कि विनियोग लेखे के माध्यम से उस वर्ष के लिए अंतिम विनियोजन से अधिक किसी भी अनुदान या आरोपित विनियोग के तहत कोई व्यय किया गया था, तो, व्ययाधिक्य को लोक लेखा समिति की अनुशंसा के आधार पर विधान सभा को प्रस्तुत करके, संविधान के अनुच्छेद 205(1) (ब) के अन्तर्गत नियमित किया जाना चाहिए। यद्यपि, 2005-06 से 2019-20 तक विगत वर्षों के ₹ 42,873.61 करोड़ का व्ययाधिक्य अभी तक विधानसभा द्वारा नियमित नहीं किया गया है। विनियमितीकरण के लिए लंबित व्ययाधिक्य का वर्ष वार विवरण तालिका-3.13 में दिया गया है।

तालिका-3.13: नियमितीकरण के लिए लंबित व्ययाधिक्य धनराशि का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान संख्या /विनियोग	अनुदान/विनियोग विवरण	विनियोग लेखों में वर्णित नियमितीकरण योग्य अतिरिक्त राशि	नियमितीकरण की स्थिति
2005-06	7	7,8,17,20,22,25 एवं 29	663.50	अभी तक नियमित नहीं
2006-07	6	7,17,20,22,25 एवं 29	935.92	
2007-08	6	7,17,20,22,25 एवं 29	733.79	
2008-09	6	7,17,20,22,25 एवं 29	1,146.41	
2009-10	7	7,17,18,21,22,25 एवं 29	1,007.49	
2010-11	9	10,12,15,17,20,21,22,25 एवं 29	1,295.40	
2011-12	5	7,17,22,25 एवं 29	1,611.40	
2012-13	7	12,14,17,21,22,25 एवं 29	1,835.34	
2013-14	3	22,25 एवं 29	1,837.15	
2014-15	4	17,22, 25 एवं 29	1,922.80	
2015-16	4	17,22,25 एवं 29	2,334.24	
2016-17	4	7,17,25 एवं 29	5,457.33	
2017-18	6	7,17,20,22,25 एवं 27	6,413.38	
2018-19	3	7,19 एवं 25	8,464.98	
2019-20	3	7,17 एवं 25	7,214.48	
योग			42,873.61	

स्रोत: विनियोग लेखों।

राज्य सरकार द्वारा इन व्ययाधिक्य का कोई कारण अवगत नहीं कराया गया है। इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 का उल्लंघन है, जिसमें प्रावधानित है कि राज्य विधायिका द्वारा कानून द्वारा किए गए विनियोग के सिवाय समेकित निधि से कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी। यह बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को विकृत करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, राज्य सरकार ने आश्वस्त किया कि राशि को राज्य विधानसभा से नियमित करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

3.7 पूँजीगत परिसंपत्ति के सृजन के लिए सहायता अनुदान

सहायता अनुदान, सहायता, दान या एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार, निकाय, संस्था या व्यक्ति को दिए गए योगदान के रूप में भुगतान है। परिसंपत्ति निर्माण के साथ-साथ किसी संस्था को निर्दिष्ट उद्देश्य का समर्थन करने हेतु सहायता अनुदान दिया जाता है।

भारत सरकार लेखा मानक-2 (आई जी ए एस-2) के अनुसार, अनुदान के लिए अनुदानकर्ता द्वारा वितरित सहायता अनुदान, उद्देश्य चाहे जो भी हो को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत एवं लेखांकित

किया जाएगा, सिवाय उन मामलों में जहाँ यह विशेष रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत किया गया है।

यह देखा गया है कि पूँजीगत परिसंपत्ति के लिए सहायता अनुदान को कभी-कभी पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इससे राजस्व घाटा न्यूनदर्शित होता है।

2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत सहायता अनुदान का विवरण तालिका-3.14 में दिया गया है।


तालिका-3.14: पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत सहायता अनुदान का विवरण

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
पूँजीगत व्यय के रूप में दर्ज सहायता अनुदान	138	48	47	46	80
कुल पूँजीगत व्यय	4,954	5,914	6,184	5,414	6,538
पूँजीगत व्यय में स अ का अंश (प्रतिशत में)	2.78	0.81	0.76	0.86	1.22
स अ से व्यय को राजस्व व्यय के रूप में दिखाने पर राजस्व घाटे (-)/ राजस्व अधिशेष (+) पर प्रभाव	(-) 521	(-) 2,026	(-) 1,027	(-) 2,182	(+)1,034

पूँजीगत व्यय में सहायता अनुदान के अंश का विवरण नीचे दिए गए चार्ट-3.5 में दिया गया है।

चार्ट-3.5: पूँजीगत व्यय में सहायता अनुदान का अंश



राज्य सरकार ने 2016-17 से 2020-21 की अवधि में सहायता अनुदान को पूँजीगत व्यय के रूप में दर्ज करना जारी रखा है। इसके परिणामस्वरूप 2016-17 से 2020-21 की अवधि में राजस्व अधिशेष को 0.76 प्रतिशत से 2.78 प्रतिशत तक अधिक दर्शाया गया।

बजटीय और लेखा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणी

एकमुश्त बजट प्रावधान

कोई एकमुश्त बजटीय प्रावधान नहीं किया गया।

3.8 अपेक्षा एवं वास्तविकता के बीच बजट प्रक्षेपण और अंतराल

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों की प्राप्ति के लिए संतुलन रखता है। अवास्तविक प्रस्तावों, खराब व्यय अनुश्रवण तंत्र, कमजोर योजना क्रियान्वयन क्षमता और कमजोर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर बजटीय आवंटन विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं के बीच उप-इष्टतम आवंटन की ओर ले जाता है। कुछ विभागों में अत्यधिक बचत, अन्य विभागों को उस धन से वंचित कर देती है जिसका वे उपयोग कर सकते थे। वर्ष 2020-21 के दौरान 31 अनुदानों/विनियोगों के संबंध में मूल और अनुपूरक प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की सारांशिकृत स्थिति तालिका-3.15 में दी गई है।

तालिका-3.15: 2020-21 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की सारंशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	निवल बचत (-) आधिक्य (+)	मार्च के दौरान समर्पण	
							धनराशि	प्रतिशत
दत्तमत	I. राजस्व	36,232.13	2,068.94	38,301.07	32,086.52	(-) 6,214.55	0.00	0.00
	II. पूँजीगत	7,382.56	1,992.37	9,374.93	6,601.94	(-) 2,772.99		
	III. ऋण एवं अग्रिम	251.43	0.00	251.43	37.55	(-) 213.88		
	कुल	43,866.12	4,061.31	47,927.43	38,726.01	(-) 9,201.42		
भारत	IV. राजस्व	6,157.54	2.48	6,160.02	5,004.51	(-) 1,155.51	0.00	0.00
	V पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	VI लोक ऋण पुनर्भुगतान	3,503.31	0.00	3,503.31	8,269.59	(+) 4,766.28		
कुल	9,660.85	2.48	9,663.33	13,274.10	(+) 3,610.77			
आकस्मिक निधि से विनियोग (यदि कोई हो)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
महायोग	53,526.97	4,063.79	57,590.76	52,000.11	(-) 5,590.65			

स्रोत: विनियोग लेखे।

जैसाकि उपरोक्त दर्शाया गया है, बजटीय आँकड़ों से ₹ 5,590.65 करोड़ की कुल निवल बचत हुई जो कि अनुदानों एवं विनियोगों में ₹ 10,356.93 करोड़ की बचत और ₹ 4,766.28 करोड़ के आधिक्य के प्रतिसंतुलन का परिणाम था।

2016-17 से 2020-21 के दौरान मूल बजट, पुनरीक्षित आकलन और वास्तविक व्यय का विवरण तालिका-3.16 में दिया गया है।

तालिका-3.16: 2016-17 से 2020-21 के दौरान मूल बजट, पुनरीक्षित आकलन और वास्तविक व्यय


(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
मूल बजट	40,422.21	39,957.78	45,585.09	48,663.90	53,526.97
अनुपूरक बजट	1,507.87	3,015.75	2,452.40	2,533.90	4,063.79
पुनरीक्षित अनुमान	32,049.06	37,992.87	43,460.93	45,081.50	51,343.15
वास्तविक व्यय	37,245.89	43,444.76	49,395.84	47,973.19	52,000.11
बचत (-)/आधिक्य(+)	(-)4,684.19	(+) 471.23	(+) 1,358.35	(-)3,224.61	(-)5,590.65
बचत की प्रतिशतता	11.17	लागू नहीं	लागू नहीं	6.30	9.71

स्रोत: विनियोग लेखे तथा संबन्धित वर्षों के बजट दस्तावेज़

विनियोग लेखों में विचलन के स्पष्टीकरण का सार नीचे दिए गए चार्ट-3.6 में दिया गया है।

चार्ट-3.6: विनियोग लेखों में विचलन के स्पष्टीकरण का सार



2020-21 के दौरान, राज्य सरकार ने 31 अनुदानों और विनियोगों में विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 1,251 विस्तृत शीर्षों के तहत व्यय निर्धारित किया। कुल बजट प्रावधान के सापेक्ष 1,251 विस्तृत शीर्षों में से 1011 विस्तृत शीर्षों में भिन्नता (20 प्रतिशत अथवा अधिक) देखी गयी। विनियोग लेखें 2020-21 में 1,251 विस्तृत शीर्षों में से 240 विस्तृत शीर्ष के सम्बंध में औचित्य दिया गया तथा 1011 विस्तृत शीर्ष में कोई औचित्य नहीं दिया गया।

3.9 अनुपूरक बजट और अवसर लागत

अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय विभाग कई बार विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों के अंतर्गत, विभिन्न प्रयोजनों के लिए बड़ी अतिरिक्त आवश्यकता के लिए विधायिका को प्रतिवेदित करते हैं, लेकिन अंत में वे न केवल सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान या उसके भागों बल्कि मूल बजट प्रावधान को भी खर्च करने में असमर्थ होते हैं। वहीं उस समय कुछ योजनाएँ धन की कमी के कारण अपूर्ण रह जाती हैं। इस प्रकार, अपूर्ण योजनाओं के लाभ को, जनता तक नहीं पहुँचाया जाता है। इसके अलावा, इससे परियोजना की लागत में वृद्धि होती है।

सरकार, वित्त मंत्री के बजट भाषण और अन्य बजट दस्तावेजों के माध्यम से कई नई नीतियाँ/योजनाओं को लागू करने के लिए घोषणा करती है जो या तो उसी वित्तीय वर्ष के लिए अर्थात् एक बार की गतिविधि या आवृत्ति प्रकृति की होती हैं।

पूँजीगत दत्तमत खंड के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों का विवरण तालिका-3.17 में दिया गया है।

तालिका-3.17: पूँजीगत दत्तमत खंड के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल आवंटन	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त निधि
पूँजीगत (मतदेय)						
1.	7 वित्त, कर, योजना, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	124.67	460.00	584.67	445.32	139.35
2.	11 शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति	393.96	30.25	424.21	352.53	71.68
3.	12 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	205.43	100.00	305.43	172.94	132.49
4.	13 जल आपूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	1,300.70	433.11	1,733.81	1,100.40	633.41
5.	15 कल्याण	123.50	28.48	151.98	72.75	79.23
6.	16 श्रम और रोजगार	35.00	10.00	45.00	35.85	9.15
7.	22 लोक निर्माण	1,079.70	200.00	1,279.70	1,044.64	235.06
8.	27 वन	84.35	0.10	84.45	48.25	36.20
9.	28 पशुपालन	27.58	1.37	28.95	8.49	20.46
10.	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण	288.64	139.54	428.18	303.20	124.98
11.	31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	146.43	11.23	157.66	85.89	71.77
योग		3,809.96	1,414.08	5,224.04	3,670.26	1,553.78

वर्ष के दौरान, धन की कमी के कारण पूर्ण नहीं की जा सकने वाली योजनाओं/परियोजनाओं के संबंध में राज्य सरकार से आँकड़ों की अनुपलब्धता के कारण, लेखापरीक्षा में यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या उन योजनाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पूँजी खंड के अंतर्गत ₹ 1,553.78 करोड़ की बचत का उपयोग किया जा सकता है।

3.10 विनियोग के संबंध में वित्तीय शक्ति का उल्लंघन

पुनर्विनियोग आदेशों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से जात हुआ कि सभी पुनर्विनियोग वित्त विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी किए गए थे। अनुदान और मूल बजट में योजनाओं के अंतर्गत ₹ 3,117.29 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया गया था। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद पुनर्विनियोग का कोई प्रकरण नहीं हुआ है।

3.11 व्यय की तीव्रता

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के अध्याय XVII के अनुच्छेद 183 में अंकित है कि वित्तीय वर्ष के समाप्ति माह में व्यय की तीव्रता से बचा जाना चाहिए। उचित वित्तीय प्रबंधन के लिए, व्यय की एक समान प्रवृत्ति को बनाए रखा जाना चाहिए। इसके विपरीत, वर्ष 2020-21 के लिए 20 मुख्य शीर्षों से संबन्धित कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक का व्यय मार्च 2021 में किया गया, जैसाकि नीचे दी गयी तालिका-3.18 में सूचीबद्ध है।

तालिका-3.18: अनुदान, जहाँ केवल मार्च माह में ही 50 प्रतिशत से अधिक व्यय किया गया था (प्रतिशतता में)


(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चतुर्थ तिमाही	योग	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय, कुल व्यय की प्रतिशतता में
1.	2217	शहरी विकास	8.37	12.52	51.95	556.87	629.71	521.22	82.77
2.	2220	सूचना और प्रचार	12.27	13.53	16.24	64.84	106.88	61.13	57.19
3.	2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक का कल्याण	11.03	25.65	19.19	181.23	237.10	161.04	67.92
4.	2245	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	82.58	84.41	122.88	812.96	1,102.83	758.90	68.81
5.	2405	मत्स्य पालन	2.25	2.92	2.94	16.42	24.53	12.47	50.84
6.	2408	खाद्य भंडारण और गोदाम	9.17	10.59	10.05	51.04	80.85	46.37	57.35
7.	2425	सहकारी	7.88	9.98	18.99	75.18	112.03	71.06	63.43
8.	2801	ऊर्जा	0.00	0.00	0.00	11.38	11.38	11.38	100
9.	2851	ग्राम्य और लघु उद्योग	22.57	20.12	26.88	85.02	154.59	77.66	50.24
10.	4055	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	1.75	2.41	17.08	21.24	11.67	54.94
11.	4059	लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	11.69	98.18	623.80	733.67	528.34	72.01
12.	4210	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	1.30	27.55	12.86	131.23	172.94	125.24	72.42
13.	4216	आवास पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.00	12.00	30.09	42.09	29.68	70.52
14.	4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	0.57	15.25	5.99	72.99	94.80	64.42	67.95
15.	4405	मत्स्य पालन पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	1.39	0.00	2.91	4.30	2.91	67.67
16.	4406	वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	4.62	2.42	43.21	50.25	38.77	77.15
17.	4700	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	0.87	16.14	23.04	92.23	132.28	68.44	51.74
18.	4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	11.32	4.75	66.03	82.10	54.61	66.52
19.	4801	ऊर्जा परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	8.73	0.53	138.33	147.59	111.50	75.55
20.	4859	दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	2.86	2.86	2.86	100
योग			158.86	278.56	431.30	3,075.70	3,944.22	2,759.67	69.97

मासिक व्यय में एकरूपता नहीं थी जैसाकि उत्तराखण्ड बजट नियमावली के अंतर्गत आवश्यक था, क्योंकि 20 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत किये गए व्यय का 77.98 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही में किया गया था। यद्यपि, आगे विश्लेषण से पता चला कि दो मुख्य शीर्षों 2801-ऊर्जा और 4859-दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण व्यय मार्च 2021 में किया गया था। तथापि, माह के दौरान आहरित कोई धनराशि लोक लेखों में हस्तांतरित नहीं की गई थी।


मासिक प्राप्तियाँ और इन प्राप्तियों के सापेक्ष व्यय का विवरण नीचे चार्ट-3.7 में दिया गया है।

चार्ट-3.7: वर्ष 2020-21 के दौरान मासिक प्राप्तियाँ और व्यय



सहकारिता विभाग में वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए मासिक व्यय विवरण के साथ माह मार्च 2021 में किये गये अधिकतम व्यय प्रतिशतता का विवरण नीचे चार्ट-3.8 में दिया गया है:

चार्ट-3.8: मार्च माह के अधिकतम व्यय प्रतिशतता के साथ सहकारिता विभाग का माहवार व्यय



जैसाकि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है कि सहकारिता विभाग के अंतर्गत व्यय का 63 प्रतिशत व्यय माह मार्च 2021 में किया गया था। माह के दौरान विभाग द्वारा आहरित कोई राशि लोक लेखा में हस्तांतरित नहीं की गई।

3.12 चयनित अनुदानों की समीक्षा

3.12.1 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

अनुदान संख्या-11: शिक्षा, खेल, युवा कल्याण और संस्कृति और अनुदान संख्या-20: सिंचाई और बाढ़ के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की अवधि के लिए प्राप्तियों एवं व्ययों की समीक्षा से निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई।

अनुदान संख्या- 11: शिक्षा, खेल, युवा कल्याण और संस्कृति

अ. राजस्व व्यय

वर्ष 2019-20 के दौरान कुल राजस्व व्यय में पिछले वर्ष से 4.75 प्रतिशत की वृद्धि और वर्ष 2020-21 के दौरान पिछले वर्ष से 5.25 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जैसाकि तालिका-3.19 में सारांशित है।

तालिका-3.19: वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति (₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
2202- सामान्य शिक्षा	2018-19	7,424.30	185.44	7,609.74	7,067.33	542.41	7.13	-
2203- तकनीकी शिक्षा	2019-20	8,151.25	228.52	8,379.77	7,402.91	976.86	11.66	4.75
2204-खेल, युवा सेवाएँ	2020-21	8,755.28	279.82	9,035.10	7,791.75	1,243.35	13.76	5.25
2205- कला और संस्कृति								
योग		24,330.83	693.78	25,024.61	22,261.99	2762.62	11.04	--

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2018-19 से 2020-21 के दौरान निरंतर बचत हुई। वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान ₹ 693.78 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि विगत तीन वर्षों में मूल प्रावधान (₹ 24,330.83 करोड़), वास्तविक व्यय (₹ 22,261.99 करोड़) से अधिक था।

इस अनुदान के नीचे कुछ मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में किए गए व्यय की नमूना जाँच से पता चला कि इन वर्षों के दौरान व्यय की प्रवृत्ति में विचलन हुआ है। ₹ 20 करोड़ से अधिक के विचलन को आधार के रूप में लिया गया है। विवरण नीचे तालिका-3.20 में दिखाया गया है।

तालिका-3.20: अनुदान में विगत वर्षों की तुलना में व्यय में बड़े अंतर की प्रवृत्तियाँ

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	व्यय (₹ लाख में)			विचलन (₹ लाख में)		विचलन (प्रतिशत में)	
		2018-19	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
1.	शासकीय प्राथमिक विद्यालय- शासकीय प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूल	2,23,346.61	2,28,349.55	2,31,792.75	5,002.94	3,443.20	2.24	1.51
2.	अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता- शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति	5,000.00	13,741.42	15,835.54	8,741.42	2,094.12	174.83	15.24

3.	शासकीय माध्यमिक विद्यालय- बालक एवं बालिका विद्यालय	2,50,874.79	2,55,051.66	2,56,634.34	4,176.87	1,582.68	1.66	0.62
4.	शासकीय माध्यमिक विद्यालय - अतिथि शिक्षकों का मानदेय	417.43	15.40	5,067.56	(-)402.03	5,052.16	(-)96.31	32,806.23
5.	अशासकीय माध्यमिक विद्यालय को सहायता- अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए अनुदान	43,088.43	43,075.71	45,935.76	(-)12.72	2,860.05	(-)0.03	6.64
6.	शासकीय कॉलेज और संस्थान- राजकीय महाविद्यालय	10,562.39	24,715.57	31,697.46	14,153.18	6,981.89	134.00	28.25
7.	अशासकीय कॉलेजों और संस्थानों को सहायता- अशासकीय महाविद्यालयों को सहायता अनुदान	8,089.11	9,518.63	12,072.79	1,429.52	2,554.16	17.67	26.83

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

ब. पूँजीगत व्यय

वर्ष 2019-20 के दौरान कुल पूँजीगत व्यय में 80.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 2020-21 के दौरान पूर्व वर्ष के सापेक्ष में 36.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जैसाकि नीचे तालिका-3.21 में सारांशित है।

तालिका-3.21: 2018-19 से 2020-21 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशिक स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	2018-19	277.31	20.62	297.93	142.79	155.14	52.07	-
	2019-20	387.73	59.50	447.23	257.91	189.32	42.33	80.62
	2020-21	393.96	30.25	424.21	352.53	71.68	16.90	36.69
योग		1,059.00	110.37	1,169.37	753.23	416.14		

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान निरंतर बचत हुई है। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान ₹ 110.37 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल प्रावधान (₹ 1,059.00 करोड़) वास्तविक व्यय ₹ 753.23 करोड़ से काफी अधिक था।

अनुदान संख्या-11 में पिछले वर्षों की तुलना में प्रत्येक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹ 20 करोड़ और उससे अधिक विचलन का विवरण तालिका-3.22 में दर्शाया गया है।

तालिका-3.22: पिछले वर्षों की तुलना में व्यय की प्रवृत्ति में विचलन

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	व्यय (₹ लाख में)			विचलन (₹ लाख में)		विचलन (प्रतिशत में)	
		2018-19	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
1	केंद्रीय योजना/केंद्र प्रायोजित योजनाएं	3,168.76	7,360.72	10,027.38	4,191.96	2,666.66	132.29	36.23
2	केंद्रीय योजना/केंद्र प्रायोजित योजनाएं	904.39	4,704.59	1,808.65	3,800.20	(-)2,895.94	420.19	(-)61.56
3	राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण	1,544.00	1,354.44	3,300.00	(-)189.56	1,945.56	(-)12.28	143.64
4	38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन	1,247.10	2,000.00	3,000.00	752.90	1,000.00	60.37	50.00

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

मुख्य शीर्ष के लघु शीर्षों के भीतर विचलन की प्रवृत्तियों के विश्लेषण से पता चला कि लघु शीर्षों में वर्ष के दौरान व्यय विचलन विगत वर्ष की तुलना में (-) 61.56 प्रतिशत से 549.94 प्रतिशत के बीच था। यह अनुदान के लघु शीर्षों में अनुपयुक्त व्यय प्रवृत्ति को दर्शाता है।

स. सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहना

उप-शीर्षों की नमूना जाँच से पाया गया कि वर्ष के अन्त में विभाग 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान समग्र बजट आवंटन का उपयोग करने में सक्षम नहीं था (₹ एक करोड़ को आधार के रूप में लिया गया है)।

तालिका-3.23: 2018-19 से 2020-21 के दौरान अनुपयोगी समग्र प्रावधान की सारांशिक स्थिति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	वर्ष	योजना का नाम	मूल	अनुपूरक	बचत
1.	2018-19	विद्यालय गरीब मेधावी छात्रों को लैपटॉप/ मोबाइल वितरण	150.00	0.00	150.00
2.		तकनीकी शिक्षा-इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज और संस्थान-सी एस एस	1,000.00	0.00	1,000.00
3.		माध्यमिक शिक्षा- कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का हाई स्कूल स्तर तक उन्नयन	100.00	0.00	100.00
4.		अन्य व्यय-एन सी सी प्रशिक्षण अकादमी	200.00	0.00	200.00
5.		पॉलिटेक्निक- केंद्रीय योजना/केंद्र प्रायोजित योजना	500.00	0.00	500.00
6.		राजकीय बालिका इंजीनियरिंग कॉलेज, देहरादून	100.00	0.00	100.00
7.		इंजीनियरिंग कॉलेज टनकपुर	100.00	0.00	100.00
8.		इंजीनियरिंग कॉलेज, उत्तरकाशी	100.00	0.00	100.00
9.		पिथौरागढ़ में सीमांत औद्योगिक संस्थान (एस पी ए)	100.00	0.00	100.00
10.		इंजीनियरिंग कॉलेज सल्ट (अल्मोड़ा) के लिए भवन निर्माण	100.00	0.00	100.00
11.		केंद्रीय योजना/केंद्र प्रायोजित योजना	400.00	0.00	400.00
12.		स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण (नया कार्य)	200.00	0.00	200.00

13.		राज्य स्तर पर त्रिपेन सिंह नेगी युवा विकास केन्द्र की स्थापना	200.00	0.00	200.00
उप योग					3,250.00
14.	2019-20	कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का अंतर्राज्यीय स्तर तक विस्तार	128.00	0.00	128.00
15.		बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साइकिल) योजना	1,600.00	0.00	1,600.00
16.		गरीब मेधावी छात्रों को लैपटॉप/मोबाइल वितरण	150.00	0.00	150.00
17.		विश्वविद्यालय परिसरों का आधुनिकीकरण	200.00	0.00	200.00
18.		नैक प्रत्यायन के लिए कॉलेजों को सुदृढ़ बनाना	100.00	0.00	100.00
19.		एड्युसैट के माध्यम से राजकीय कालेज/विश्वविद्यालयों में शिक्षा	0.00	100.00	100.00
20.		तकनीकी शिक्षा- पॉलिटेक्निक- केंद्रीय योजना/केंद्र प्रायोजित योजना	1,388.06	0.00	1,388.06
21.		खेल और युवा सेवाएं- स्पोर्ट्स और गेम- 38वें राष्ट्रीय खेलों से पूर्व राज्य के खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर	200.00	0.00	200.00
22.		जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए भवन का निर्माण	250.00	0.00	250.00
23.		कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय स्कूलों का हाई स्कूल स्तर तक उन्नयन	100.00	0.00	100.00
24.		राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण	400.00	0.00	400.00
25.		उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय जयहरीखाल का भवन निर्माण	0.00	150.00	150.00
26.		अल्मोड़ा आवासीय विश्वविद्यालय	500.00	0.00	500.00
27.		विधि विश्वविद्यालय	500.00	0.00	500.00
28.		सामान्य शिक्षा- एन सी सी प्रशिक्षण अकादमी का निर्माण	500.00	0.00	500.00
29.		तकनीकी शिक्षा- पॉलिटेक्निक- केंद्रीय योजना/केंद्र प्रायोजित योजना	363.25	0.00	363.25
30.		राजकीय बालिका इंजीनियरिंग कॉलेज, देहरादून	100.00	0.00	100.00
31.		इंजीनियरिंग कॉलेज टनकपुर	100.00	0.00	100.00
32.		इंजीनियरिंग कॉलेज, उत्तरकाशी	100.00	0.00	100.00
33.		पिथौरागढ़ में सीमांत औद्योगिक संस्थान (एस पी ए)	100.00	0.00	100.00
34.	पॉलिटेक्निक कॉलेज, बीरोखाल पौड़ी के लिए भूमि का क्रय/भवन निर्माण	100.00	0.00	100.00	
35.	केंद्रीय योजना/केंद्र प्रायोजित योजना	400.00	0.00	400.00	
36.	खेल एवं युवा सेवाएं- स्पोर्ट्स स्टेडियम- राज्य स्तर पर त्रिपेन सिंह नेगी युवा विकास केन्द्र की स्थापना	200.00	0.00	200.00	
37.	संग्रहालय भवन का निर्माण	300.00	0.00	300.00	
उप-योग					8,029.31
38.	2020-21	अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता-छात्रों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पुस्तकों का वितरण	624.29	0.00	624.29
39.		निर्देशन एवं प्रशासन- दून पुस्तकालय एवं अनुसंधान केन्द्र को अनुदान	120.00	0.00	120.00
40.		शासकीय माध्यमिक विद्यालय- उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय जयहरीखाल	113.02	0.00	113.02

41.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विकास कार्यों के लिए राजकीय महाविद्यालयों को अनुदान	216.00	0.00	216.00
42.	कला और संस्कृति- कला और संस्कृति को बढ़ावा देना- राज्य के तीर्थों और धार्मिक स्थानों, प्राचीन मंदिरों और मंदिरों और तीर्थस्थलों का अनुरक्षण और नवीनीकरण	200.00	0.00	200.00
43.	विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-कुमाऊं विश्वविद्यालय	250.00	0.00	250.00
44.	सामान्य- एन सी सी प्रशिक्षण अकादमी का निर्माण	500.00	0.00	500.00
45.	केंद्रीय योजना/केंद्र प्रायोजित योजना	282.54	0.00	282.54
46.	तीन नए पॉलीटेक्निकों के लिए भूमि का क्रय/भवन का निर्माण	500.00	0.00	500.00
47.	इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी	200.00	0.00	200.00
48.	इंजीनियरिंग कॉलेज टनकपुर	100.00	0.00	100.00
49.	इंजीनियरिंग कॉलेज, उत्तरकाशी	100.00	0.00	100.00
50.	पिथौरागढ़ में सीमांत औद्योगिक संस्थान (एस पी ए)	100.00	0.00	100.00
51.	संग्रहालय भवन का निर्माण	500.00	0.00	500.00
52.	संस्कृति गांव	100.00	0.00	100.00
उप-योग				3,905.85

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

जैसाकि देखा जा सकता है कि वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए कुछ योजनाओं में क्रमशः ₹ 32.50 करोड़, ₹ 80.29 करोड़ और ₹ 39.06 करोड़ के पूर्ण बजट का उपयोग न करने के मामले विद्यमान थे।

द. प्राप्तियाँ

2018-19 से 2020-21 के दौरान चयनित अनुदान के मुख्य शीर्ष-0202 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तिओं की समग्र स्थिति तालिका-3.24 में सारांशित है।

तालिका- 3.24: अनुदान के मुख्य शीर्ष-0202 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तिओं की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	पुनरीक्षित आकलन से आधिक्य(+)/कमी(-)	पुनरीक्षित आकलन से विचलन प्रतिशत
0202- शिक्षा,	2018-19	55.72	70.22	81.48	11.26	16.04
खेल, कला	2019-20	91.40	200.90	198.83	(-)2.07	(-)1.03
एवं संस्कृति	2020-21	133.80	110.80	259.59	148.79	134.29

स्रोत: बजट एवं वित्त लेखे।

यद्यपि, कुछ शीर्षों की नमूना जाँच में विगत वर्षों में वास्तविक प्राप्तिओं की तुलना में आगामी वर्षों में प्राप्तिओं के आकलन में कमी/आधिक्य पाया गया जैसाकि तालिका-3.25 में दिया गया है।

तालिका-3.25: वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान प्राप्तियों की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	पुनरीक्षित आकलन से आधिक्य(+)/कमी(-)	पुनरीक्षित आकलन से विचलन प्रतिशत
1.	0202-01-101	2018-19	35.00	60.00	34.28	(-)25.72	(-)42.87
		2019-20	65.00	150.00	0.00	(-)150.00	(-)100.00
		2020-21	75.00	53.00	211.32	158.32	298.72
2.	0202-01-102	2018-19	5.57	5.57	10.55	4.98	89.41
		2019-20	15.60	14.60	0.00	(-)14.60	(-)100.00
		2020-21	16.60	15.60	29.39	13.79	88.40
3.	0202-01-103	2018-19	2.00	2.00	8.94	6.94	347.00
		2019-20	2.00	10.00	0.00	(-)10.00	(-)100.00
		2020-21	10.00	10.00	4.09	(-)5.91	(-)59.10
4.	0202-01-800	2018-19	-	0.00	0.38	0.38	---
		2019-20	0.00	0.00	0.73	0.73	---
		2020-21	0.00	0.00	2.02	2.02	---
5.	0202-02-101	2018-19	10.00	1.00	19.14	18.14	1,814.00
		2019-20	8.00	20.00	6.78	(-)13.22	(-)66.10
		2020-21	22.00	22.00	6.87	(-)15.13	(-)68.77
6.	0202-02-800	2018-19	1.00	1.00	5.41	4.41	44.10
		2019-20	0.05	5.55	2.09	(-)3.46	(-)62.34
		2020-21	7.05	7.05	3.43	(-)3.62	(-)51.35
7.	0202-03-101	2018-19	2.00	0.50	1.95	1.45	290.00
		2019-20	0.60	0.60	1.56	0.96	160.00
		2020-21	3.00	3.00	2.15	(-)0.85	(-)28.33
8.	0202-04-800	2018-19	0.10	0.10	0.00	(-)0.10	(-)100.00
		2019-20	0.10	0.10	1.35	1.25	1,250.00
		2020-21	0.10	0.10	0.27	(+) 0.17	(+) 170.00

स्रोत: बजट एवं वित्त लेख।

अनुदान संख्या-11 के अंतर्गत प्राप्तियों का विश्लेषण दर्शाता है कि केवल एक मुख्यशीर्ष है जिसके अंतर्गत प्राप्तियाँ दर्ज की जाती हैं और प्राप्तियों को मुख्यतः चार लघु शीर्षों² में दर्ज किया जाता है।

अनुदान संख्या-20: सिंचाई एवं बाढ़

अ. राजस्व व्यय

2019-20 के दौरान कुल राजस्व व्यय में 0.94 प्रतिशत की कमी आई और 2020-21 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 1.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जैसाकि तालिका-3.26 में सारांशित है।

² 101-प्रारम्भिक शिक्षा, 102-माध्यमिक शिक्षा, 103-विश्वविद्यालयी और उच्च शिक्षा और 800-अन्य प्राप्तियाँ।

तालिका-3.26: 2018-19 से 2020-21 के दौरान मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांश

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	विगत वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
2700-मुख्य सिंचाई	2018-19	494.00	6.17	500.17	427.96	72.21	14.44	--
2701-मध्यम सिंचाई	2019-20	521.79	55.92	577.71	423.94	153.77	26.62	(-)0.94
2702-लघु सिंचाई	2020-21	559.26	0.00	559.26	430.73	128.53	22.98	1.60
2711-बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी								
कुल		1,575.05	62.09	1,637.14	1,282.63	354.51		

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि 2018-19 से 2020-21 के दौरान लगातार बचत हुई। इस अवधि के दौरान, ₹ 62.09 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि मूल प्रावधान (₹ 1,575.05 करोड़) वास्तविक व्यय ₹ 1,282.63 करोड़ से कहीं अधिक था। विगत तीन वर्षों के लिए इस अनुदान के नीचे कुछ मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत किए गए व्यय की नमूना जाँच से पता चला कि इन वर्षों के दौरान व्यय की प्रवृत्ति में विचलन हुआ है। ₹ 50 लाख से अधिक की योजनाओं के परिव्यय के लिए अनुदान के लघु शीर्षों के अंतर्गत उप-शीर्ष स्तर पर अनुपयुक्त व्यय प्रवृत्ति को तालिका-3.27 में दर्शाया गया है।

तालिका-3.27: विगत वर्षों की तुलना में व्यय में बड़े विचलन की प्रवृत्तियां

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष स्तर पर योजना का नाम	व्यय (₹ लाख में)			विचलन (प्रतिशत में)	
		2018-19	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
1.	मुख्य सिंचाई-सामान्य-जाँच- डीपीआर के लिए निर्माण	347.75	138.07	81.38	(-)60.30	(-)41.06
2.	तुमरिया परियोजना-अनुरक्षण और मरम्मत-अन्य अनुरक्षण व्यय	254.94	374.95	515.07	47.07	37.37
3.	दून नहरें-अनुरक्षण और मरम्मत-अन्य अनुरक्षण व्यय	395.86	749.54	599.99	89.34	(-)19.95
4.	बांधों, बोर, बैराजों, झील जलाशयों का अनुरक्षण आदि-अनुरक्षण और मरम्मत-अन्य अनुरक्षण व्यय	252.89	377.41	549.10	49.24	45.49
5.	अन्य सिंचाई योजनाएँ- अन्य अनुरक्षण व्यय	415.21	394.21	548.46	(-)5.06	39.13
6.	जनपद हरिद्वार में नहरों का अनुरक्षण-अनुरक्षण-अन्य अनुरक्षण	177.11	215.98	346.51	21.95	60.44
7.	आवासीय/गैर-आवासीय भवनों का अनुरक्षण-अनुरक्षण और मरम्मत-अन्य अनुरक्षण व्यय	176.55	197.00	249.96	11.58	26.88
8.	लघु सिंचाई-भूजल-जाँच-अनुमान और भूमिगत जल सर्वेक्षण का सुदृढीकरण	3225.39	3132.96	2983.89	(-)2.87	(-)4.76
9.	पानी की टंकी-अन्य अनुरक्षण व्यय	799.64	846.35	999.57	5.84	18.10
10.	पानी की टंकी-निजी लघु सिंचाई योजनाएँ	99.64	398.38	619.32	299.82	55.46
11.	लिफ्ट नहर परियोजना-अनुरक्षण कार्य	485.77	530.71	922.84	9.25	73.89
12.	नलकूप- अनुरक्षण कार्य	4784.00	6198.26	6696.54	29.56	8.04
13.	बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी- बाढ़ नियंत्रण-सिविल कार्य-सिविल निर्माण कार्य	490.39	584.53	799.74	19.20	36.82

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

ब. पूँजीगत व्यय

विगत वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान कुल पूँजीगत व्यय में 8.65 प्रतिशत और 2020-21 में 22.47 प्रतिशत की कमी देखी गई, जैसाकि तालिका-3.28 में सारांशित है।

तालिका-3.28: 2018-19 से 2020-21 के दौरान मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य(+)	प्रतिशत में	
							बचत	पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	2018-19	426.28	41.92	468.20	365.92	(-)102.28	21.85	-
4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	2019-20	476.05	163.94	639.99	334.28	(-)305.71	47.77	(-) 8.65
4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	2020-21	719.95	0.00	719.95	259.18	(-)460.77	64.00	(-) 22.47

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान निरंतर बचत हुई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 और 2019-20 में अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय (₹ 700.20 करोड़) मूल अनुदान (₹ 902.33 करोड़) से कम था।

तालिका- 3.29: अनुदान संख्या- 20 में पिछले वर्षों की तुलना में व्यय में व्यापक विचलन की प्रवृत्ति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	व्यय (₹ लाख में)			विचलन (₹ लाख में)		विचलन (प्रतिशत में)	
		2018-19	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
1.	4702-00-800-98	500.00	747.26	1,177.35	247.26	430.09	49.45	57.56
2.	4711-01-103-03	717.42	399.59	223.28	(-)317.83	(-)176.31	(-)44.30	(-)44.12

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

स. सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहना

कुछ उप-शीर्षों की नमूना जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान वर्ष के अंत तक सम्पूर्ण प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) का उपयोग नहीं किया गया जैसाकि तालिका-3.30 में दिया गया है।

तालिका-3.30: 2018-19 से 2020-21 के दौरान सम्पूर्ण प्रावधानों के अनुपयोगी रहने की सारांशित स्थिति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	वर्ष	लेखाशीर्ष	मूल	अनुपूरक	बचत
1	2018-19	4700-00-052-01	100.00	0.00	100.00
2		4701-80-05-106	500.00	0.00	500.00
3		4701-80-051-07	300.00	0.00	300.00
4	2019-20	4700-00-052-01	100.00	0.00	100.00
5		4700-01-051-02	0.00	5,000.00	5,000.00
6		4701-80-051-04	100.00	0.00	100.00
7		4701-80-190-03	100.00	0.00	100.00
8		4702-00-102-01	0.00	500.00	500.00
9		4711-01-103-07	400.00	0.00	400.00
10		4711-03-103-02	200.00	0.00	200.00
11	2020-21	2700-80-001-97	700.00	0.00	700.00
12		2701-16-102-02	150.00	0.00	150.00
13		4700-00-001-01	1,500.01	0.00	1,500.01
14		4700-80-001-97	1,000.00	0.00	1,000.00
15		4701-00-001-02	1,000.00	0.00	1,000.00
16		4701-00-001-04	500.00	0.00	500.00
17		4701-00-001-05	300.00	0.00	300.00
18		4701-80-001-05	300.00	0.00	300.00
19		4701-80-190-03	150.00	0.00	150.00
20		4702-00-102-01	1,000.00	0.01	1,000.01
21		4711-01-103-01	1,000.00	0.00	1,000.00

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

द. प्राप्तियाँ

2018-19 से 2020-21 के दौरान, अनुदान के मुख्य शीर्ष 0700, 0701 और 0702 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की समग्र स्थिति तालिका- 3.31 में सारांशित है।

तालिका- 3.31: अनुदान के मुख्य शीर्ष 0700, 0701 और 0702 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य(+) /कमी(-)	पुनरीक्षित आकलन में विचलन प्रतिशतता
0700	2018-19	0.27	0.27	0.10	(-) 0.17	(-) 62.96
	2019-20	0.08	0.08	0.13	0.05	62.50
	2020-21	0.13	1.13	1.07	(-)0.06	(-)5.31
0701	2018-19	7.51	7.51	7.48	(-)0.03	(-)0.40
	2019-20	6.65	6.65	5.20	(-)1.45	(-)21.80
	2020-21	9.65	9.65	6.24	(-)3.41	(-)35.34
0702	2018-19	3.00	3.00	1.75	(-)1.25	(-)41.67
	2019-20	3.00	3.00	1.61	(-)1.39	(-)46.33
	2020-21	3.00	2.00	2.11	0.11	5.50

स्रोत: बजट एवं वित्तीय लेखे।

तथापि, कुछ शीर्षों की नमूना जाँच में विगत वर्षों में वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में आगामी वर्षों में प्राप्तियों के आकलन में कमी/आधिक्य पाया गया जैसाकि तालिका-3.32 में दिया गया है।

तालिका-3.32: मुख्य शीर्ष -0700,0701,0702 के अंतर्गत प्राप्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य(+)/कमी(-)	पुनरीक्षित आकलन में विचलन प्रतिशतता
1.	0700-01-101	2018-19	00.12	0.12	0.10	(-)0.02	(-)16.67
		2019-20	0.00	0.00	0.12	0.12	-----
		2020-21	0.00	0.50	0.04	(-)0.46	(-)92.00
2.	0700-01-800	2018-19	0.07	0.07	0.00	(-)0.07	(-)100.00
		2019-20	0.06	0.06	0.00	(-)0.06	(-)100.00
		2020-21	0.11	0.52	1.03	0.51	98.08
3.	0701-01-101	2018-19	6.00	6.00	5.22	(-)0.78	(-)13.00
		2019-20	6.00	6.00	3.15	(-)2.85	(-)47.5
		2020-21	6.00	6.00	1.93	(-)4.07	(-)67.83
4.	0701-01-110	2018-19	0.01	0.01	0.00	(-)0.01	(-)100.00
		2019-20	0.01	0.01	0.02	0.01	100.00
		2020-21	0.01	0.01	0.00	(-)0.01	(-)100.00
5.	0701-01-800	2018-19	0.00	0.00	0.00	0.00	---
		2019-20	0.00	0.00	0.30	0.30	---
		2020-21	0.00	0.00	1.51	1.51	---
6.	0701-03-101	2018-19	0.00	0.00	0.00	0.00	---
		2019-20	0.00	0.00	0.02	0.02	---
		2020-21	0.00	0.00	0.02	0.02	---
7.	0701-03-800	2018-19	0.00	0.00	0.00	0.00	---
		2019-20	0.00	0.00	0.03	0.03	---
		2020-21	0.00	0.00	0.32	0.32	---
8.	0701-04-800	2018-19	0.00	0.00	2.27	2.27	---
		2019-20	0.00	0.00	1.35	1.35	---
		2020-21	3.00	3.00	2.20	(-)0.80	(-)26.67
9.	0701-05-101	2018-19	1.20	1.20	0.00	(-)1.20	(-)100.00
		2019-20	0.50	0.50	0.28	(-)0.22	(-)44.00
		2020-21	0.50	0.50	0.20	(-)0.30	(-)60.00
10.	0701-05-110	2018-19	0.00	0.00	0.00	0.00	---
		2019-20	0.00	0.00	0.00	0.00	---
		2020-21	0.00	0.00	0.01	0.01	---
11.	0701-05-800	2018-19	0.00	0.00	0.00	0.00	---
		2019-20	0.00	0.00	0.01	0.01	---
		2020-21	0.00	0.00	0.00	0.00	---
12.	0702-01-101	2018-19	3.00	3.00	1.65	(-) 1.35	(-)45.00
		2019-20	3.00	3.00	0.61	(-)2.39	(-)79.67
		2020-21	3.00	2.00	1.04	(-)0.96	(-)48.00
13.	0702-01-102	2018-19	0.00	0.00	0.00	0.00	---
		2019-20	0.00	0.00	0.05	0.05	---
		2020-21	0.00	0.00	0.06	0.06	---
14.	0702-01-800	2018-19	0.00	0.00	0.07	0.07	---
		2019-20	0.00	0.00	0.19	0.19	---
		2020-21	0.00	0.00	0.43	0.43	---
15.	0702-02-101	2018-19	0.00	0.00	0.00	0.00	---
		2019-20	0.00	0.00	0.28	0.28	---
		2020-21	0.00	0.00	0.16	0.16	---
16.	0702-02-800	2018-19	0.00	0.00	0.02	0.02	---
		2019-20	0.00	0.00	0.47	0.47	---
		2020-21	0.00	0.00	0.41	0.41	---

स्रोत: बजट एवं वित्तीय लेखे।

अनुदान संख्या- 20 के अन्तर्गत प्राप्तियों के विश्लेषण दर्शाते हैं कि तीन मुख्य शीर्ष³ हैं जिनके अन्तर्गत प्राप्तियाँ दर्ज की जाती हैं।

3.13 निष्कर्ष

- 2020-21 के दौरान, ₹ 57,590.76 करोड़ के कुल अनुदानों और विनियोगों के सापेक्ष ₹ 5,590.65 करोड़ की कुल बचत हुई।
- उनतीस प्रकरणों में ₹ 3,421.56 करोड़ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। बत्तीस प्रकरणों में निधियों का पुनर्विनियोजन तर्कसंगत नहीं था जिसके परिणामस्वरूप प्रावधानों में ₹ एक करोड़ से अधिक की बचत हुई।
- विधायी स्वीकृति के बिना वर्ष 2005-06 से 2019-20 तक की अवधि से संबन्धित व्ययाधिक्य की धनराशि ₹ 42,873.61 करोड़ को राज्य विधानमंडल द्वारा विनियमित किया जाना बाकी है।
- ₹ 14.30 करोड़ का व्यय राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज किया गया। इस व्यय को पूँजीगत अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था क्योंकि यह व्यय वृहद निर्माण कार्यों से संबंधित था, जिसे सामान्यतः पूँजीगत अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज किया जाता है। इसी प्रकार, ₹ 207.85 करोड़ का व्यय पूँजीगत अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज किया गया था। यह व्यय राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था, क्योंकि, यह व्यय सहायता अनुदान, लघु निर्माण कार्य और रख-रखाव से संबंधित था।

3.14 संस्तुतियाँ

- राज्य सरकार को अपने बजटीय आकलन में अधिक यथार्थवादी होना चाहिए और बचत/ आधिक्य व्यय को कम करने के लिए प्रभावी नियंत्रण तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए।
- राज्य सरकार वित्तीय वर्ष की समाप्ति से काफी पहले बचत/आधिक्य का आकलन और समर्पण कर सकती है ताकि अन्य क्षेत्रों/योजनाओं में उनका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके।
- राज्य सरकार को विधायिका द्वारा प्राप्त अनुमोदन से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए।
- राज्य सरकार को राजस्व व्यय को पूँजीगत व्यय में एवं पूँजीगत व्यय को राजस्व व्यय में दर्ज करने के प्रकरणों को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।

³ 0700-मुख्य सिंचाई, 0701-मध्यम सिंचाई और 0702-लघु सिंचाई।

अध्याय-4

लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य

अध्याय-4

लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य

यह अध्याय लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यों में पूर्णता, पारदर्शिता, माप और प्रकटीकरण के संबंध में निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन पर एक अवलोकन प्रदान करता है।

प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी के साथ एक कुशल आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली राज्य सरकार द्वारा कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस प्रकार के अनुपालन की स्थिति पर वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ समयबद्धता और रिपोर्टिंग की गुणवत्ता कुशल शासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन और नियंत्रण पर रिपोर्ट, यदि प्रभावी और परिचालित है, तो सामरिक योजना और निर्णय लेने सहित सरकार को अपने नेतृत्व की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करती है।

4.1 राज्य की समेकित निधि अथवा लोक लेखा के अलावा निधि

4.1.1 नियामक

संविधान के अनुच्छेद 12 के संदर्भ में नियामक प्राधिकरण 'राज्य' हैं। उनके द्वारा प्राप्त किया जा रहा धन 'सरकार की ओर से' कार्य के निर्वहन के कारण है। इसलिए, उनकी निधियों को भारत/राज्य के लोक लेखे में रखा जाना चाहिए। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार के कानून मंत्रालय की निर्धारित स्थिति है।

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की स्थिति नीचे तालिका-4.1 में दी गई है।

तालिका-4.1:-नियामक और निधियों का विवरण

क्रम संख्या	नियामक प्राधिकरण का नाम	निधि का गठन	शासन पर बकाया धनराशि
1.	उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	निधि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जाएगी और ऐसे बैंकों की अन्य शाखाओं में सहायक लेखों का रख रखाव किया जाएगा। निधि में लाइसेंस शुल्क, याचिका शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क, अर्थदंड और प्राप्तियाँ सम्मिलित होंगी।	सरकार पर कोई धनराशि बकाया नहीं है।

4.2 विभागों की स्पष्ट देयताओं को सम्मिलित नहीं करना

31 मार्च 2021 तक, सिंचाई विभाग द्वारा उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को विद्युत उपयोग हेतु भुगतान न किए जाने के कारण और कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत चिकित्सा विभाग द्वारा दवा खरीद और टाई अप अस्पताल बिलों की प्रतिबद्ध देयता के कारण ₹ 373.63 करोड़ (मूलधन ₹ 277.01 करोड़ और विलम्बित भुगतान अधिभार के रूप में ₹ 96.62 करोड़) का एक आस्थगित दायित्व का विवरण तालिका-4.2 में दिया गया है।

तालिका-4.2: वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान स्पष्ट देनदारियों को शामिल न करना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	देय देयता	मूल राशि	विलंबित भुगतान अधिभार	कुल राशि
1.	सिंचाई विभाग	यू पी सी एल	166.52	96.62	263.14
2.	चिकित्सा विभाग	अस्पताल	110.49	00.00	110.49
योग			277.01	96.62	373.63

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि राज्य विभागों द्वारा यू पी सी एल के प्रति विद्युत बकाया का भुगतान न करने के कारण आस्थगित दायित्व, संबन्धित विभागों द्वारा यू पी सी एल के साथ पुस्तकीय समायोजन नहीं किए जाने के कारण थीं। दवा खरीद के कारण आस्थगित दायित्व के संबंध में, विभाग ने माना कि इस संबंध में बजट सरकार से माँगा जाएगा।

4.3 ब्याज सहित जमाओं के ब्याज के सम्बंध में देनदारियों का निर्वहन नहीं किया जाना

ब्याज सहित जमाओं (लेखों के मुख्य शीर्ष - 8342) में धनराशि पर ब्याज की व्यवस्था और भुगतान करना सरकार की एक देयता है। इस संबंध में देयता के निर्वहन का विवरण निम्न तालिका-4.3 में दिया गया है:

तालिका-4.3: ब्याज सहित जमा के प्रति ब्याज के संबंध में देयता का निर्वहन न करना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ब्याज सहित जमा का नाम	1 अप्रैल 2020 को शेष राशि	ब्याज दर	ब्याज की धनराशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया
1.	ब्याज सहित निधि (एस डी आर एफ सहित)	3,253.55	4.06 प्रतिशत डबल्यू एवं एम की	132.09
2.	ब्याज सहित जमा (सी पी एस 8342-117 को छोड़कर)	292.68	ब्याज दर का औसत	11.88
3.	एन पी एस के अर्न्तगत अहस्तांतरित धनराशि (8342-117)	164.64	7.10 प्रतिशत सरकार द्वारा अधिसूचित जी पी एफ को देय	11.69
योग		3,710.87		155.66

स्रोत: उत्तराखण्ड सरकार के 2020-21 के वित्त लेखे।

राज्य सरकार को वर्ष 2020-21 के दौरान ब्याज युक्त जमाओं के प्रारम्भिक शेष पर 4.06 प्रतिशत की दर से ब्याज का प्रावधान करने की आवश्यकता थी। हालाँकि, सरकार ने इन जमाओं पर वर्ष के दौरान ₹ 155.66 करोड़ का आवश्यक प्रावधान नहीं किया। इसने उस सीमा तक राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटे को प्रभावित किया।

4.4 क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित की जाने वाली निधियाँ

केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए तत्संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप पर्याप्त धनराशि सीधे क्रियान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को हस्तांतरित करती है। ये स्थानान्तरण वित्त लेखों के खंड-II के परिशिष्ट-VI में प्रदर्शित किए गए हैं।

सी जी ए के पी एफ एम एस पोर्टल के अनुसार, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 2020-21 के दौरान उत्तराखण्ड में 335 क्रियान्वयन एजेंसियों को 104 योजनाओं के अर्न्तगत सीधे ₹ 4,056.80 करोड़ जारी किए। क्रियान्वयन एजेंसियों को धनराशि का सीधा हस्तांतरण 2019-20 में ₹ 2,304.31 करोड़ से 76.05 प्रतिशत बढ़कर 2020-21 में ₹ 4,056.80 करोड़ हो गया है। कुछ प्रमुख क्रियान्वयन एजेंसियों के नाम जिन्हें 2020-21 के दौरान भारत सरकार से सीधे धनराशि प्राप्त हुआ था, उन्हें नीचे तालिका-4.4 में दिया गया है।

तालिका-4.4: क्रियान्वयन एजेंसियों के नाम जिन्होंने 2020-21 के दौरान भारत सरकार से सीधे धनराशि (₹ 50 करोड़ से अधिक) प्राप्त किया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	भारत सरकार की योजना का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	भारत सरकार द्वारा 2020-21 के दौरान जारी की गई धनराशि
1.	एन एफ एस ए के तहत खाद्यान की विकेंद्रीकृत खरीद के लिए खाद्य सब्सिडी	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड	1371.34
2.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	उत्तराखण्ड राज्य रोजगार गारंटी संस्था	736.13
3.	प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि	कृषि विभाग, उत्तराखण्ड	531.87
4.	प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	एम्स, ऋषिकेश	860.33
5.	स्वामित्व	सर्वे ऑफ इंडिया, उत्तराखण्ड भू-अभिलेख आधुनिकीकरण सोसाइटी	75.07
6.	2019-20 के लिए चीनी मिलों को सहायता के लिए योजना	उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड	82.03
योग			3,656.77


विगत तीन वर्षों के दौरान क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित धनराशि का समग्र विवरण तालिका-4.5 में प्रदर्शित है।

तालिका-4.5: राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित धनराशि

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21
क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित धनराशि (₹ करोड़ में)	1,778.24	2,304.31	4,056.80

क्रियान्वयन एजेंसी जिन्होंने भारत सरकार से 2020-21 के दौरान विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये सीधे धनराशि प्राप्त की तथा उस धनराशि की मात्रा का विवरण चार्ट-4.1 में दिया गया है।

चार्ट4.-1: क्रियान्वयन एजेंसियाँ जिन्होंने भारत सरकार से 2020-21 के दौरान सीधे धनराशि प्राप्त किया



स्रोत: 2020-21 के लिए पी एफ एम एस डाटा।

जहाँ सरकारी विभाग योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग / कार्यालय के रूप में कार्य करते हैं।

\$ जहाँ सरकारी संस्थान विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को निष्पादित करते हैं।

4.5 स्थानीय निधियों में जमा

उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 (खण्ड 40, 80 और 119) के अनुसार पंचायत निकाय निधि शासकीय कोषागार और उप-कोषागार अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, स्थानीय बैंक, सहकारी बैंक और डाक घर में रखी जाएगी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1916 (खंड 115) जिसे उत्तराखण्ड द्वारा अंगीकृत किया गया है, के अनुसार भी नगर निगम निधियाँ (यू एल बी के लिए), शासकीय कोषागार अथवा उप-कोषागार अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा सहकारी बैंक अथवा अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी। यू एल बी ट्रेजरी सिस्टम के माध्यम से संचालित हो रहे जबकि पी आर आई राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से संचालित हो रहे हैं।

तालिका-4.6: स्थानीय निधि में जमा

(₹ करोड़ में)

वर्ष		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
पंचायत निकाय निधि (8448-109)	प्रारम्भिक शेष	14.62	14.62	14.62	14.79	14.79
	प्राप्ति	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00
	व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अंतिम शेष	14.62	14.62	14.79	14.79	14.79
	प्रतिशत उपयोगिता	0	0	0	0	0
नगर पालिका निधि (8448-102)	प्रारम्भिक शेष	44.18	66.15	236.59	340.59	441.61
	प्राप्ति	345.54	728.37	711.61	835.76	941.81
	व्यय	323.57	557.93	607.61	734.74	888.01
	अंतिम शेष	66.15	236.59	340.59	441.61	495.41
	प्रतिशत उपयोगिता	83.02	70.22	64.08	62.46	64.19

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हक) उत्तराखण्ड द्वारा तैयार किया गया वित्त लेखा 2020-21।

जैसाकि ऊपर दी गई तालिका-4.6 से स्पष्ट है, पंचायत निकाय निधि 2016-17 से लगभग निष्क्रिय है। हालाँकि, नगरपालिका निधि संचालन में है और 31 मार्च 2021 तक इसमें ₹ 495.41 करोड़ का

समय शेष है। इसके अलावा, नगरपालिका निधि का उपयोगिता प्रतिशत 2017-18 से 2019-20 में घटा है। 2018-19 में धनराशि का उपयोग 64.08 प्रतिशत, 2019-20 में 62.46 प्रतिशत था। हालांकि, वर्ष के दौरान उपयोगिता प्रतिशत में 1.73 प्रतिशतता की मामूली वृद्धि हुई और यह 64.19 प्रतिशत थी। बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, वित्त सचिव ने संबन्धित अधिकारियों को मामले की जाँच कर सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए।

4.6 उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

उत्तराखण्ड वित्तीय नियमों के प्रस्तर 369-सी सी (ए) में प्रावधान है कि विशिष्ट उद्देश्यों हेतु प्रदान किए गए अनुदानों के लिए, अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ प्र) विभागीय अधिकारियों द्वारा इस रूप में प्राप्त किया जाना चाहिए, जैसाकि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा सहमति दी गई है और इसे अनुदान की स्वीकृति की तिथि से 12 माह के भीतर जब तक अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, महालेखाकार (लेखा और हकदारी) को अग्रेषित किया जाना चाहिए। मार्च 2021 तक ₹ 1,888.97 करोड़ के कुल 457 उ प्र लंबित थे। उपयोगिता प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने के संबंध में आयु-वार स्थिति को तालिका-4.7 में सारांशित किया गया है।

तालिका-4.7: आयु-वार बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्रस्तुतिकरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		परिवर्धन		निकासी		प्रस्तुत करने के लिए देय	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
2018-19 तक	209	343.04	122	479.16	212	468.87	119	353.33
2019-20	119	353.33	149	1,537.25	67	253.89	201	1,636.69
2020-21	201	1,636.69	338*	1,016.32	82	764.04	457	1,888.97

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हक) उत्तराखण्ड।


*उनको छोड़कर जिसमें स्वीकृति आदेश में विनिर्दिष्ट किया हो, 2020-21 के दौरान निकाले गए सहायता अनुदान की उ प्र केवल 2020-21 में देय होती है।

विभागीय अधिकारियों ने मार्च 2021 तक जमा करने के योग्य 119 उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं किए, जिसके लिए विशिष्ट उद्देश्यों हेतु मार्च 2020 तक ₹ 872.65 करोड़ की धनराशि दी गई थी। उपरोक्त में से, ₹ 264.19 करोड़ की राशि वाले 37 उ प्र अगस्त 2021 तक प्राप्त हुए थे। सभी लंबित उ प्र, पंचायती राज संस्थानों/शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित थे। 31 मार्च को बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र का वर्ष-वार विवरण नीचे तालिका-4.8 में दिया गया है।

तालिका-4.8: 31.03.2021 को बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र का वर्षवार विवरण

वर्ष जिसमें सहायता अनुदान स्थानांतरित किया गया	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
2018-19 तक	03	5.46
2019-20	08	20.82
2020-21	108	846.37
योग	119	872.65

उ प्र की अनुपस्थिति में, यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या प्राप्तकर्ताओं ने अनुदान का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया था जिसके लिए ये स्वीकृत किए गए थे। उ प्र का लंबित होना, निधियों के दुर्विनियोजन और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा हुआ था।



4.6.1 अनुदानग्राही संस्थानों को “अन्य” के रूप में दर्ज करना

कुछ राज्यों में सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले विभिन्न निकायों और प्राधिकरणों को संस्थान कोड देने का एक तंत्र है। ये अनुदान कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की वी एल सी प्रणाली में भी दर्ज किए जाते हैं और प्रत्येक संस्थान के बकाया धनराशि के सापेक्ष उ प्र की निगरानी की जाती है। इस प्रणाली को काम करने के लिए, अनुदानग्राही संस्थान को ठीक से दर्ज किया जाना चाहिए। उचित कोड के अभाव में, प्रत्येक संस्थानों के सापेक्ष बकाया धनराशि का पता नहीं लगाया जा सकता है।

सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 228 के अनुसार, यदि अनुदान सहायता राज्य के कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो यह आवश्यक है कि सरकार लेखों की पारदर्शिता के लिए अनुदानग्राही संस्था के विवरण और प्रकृति प्रदान करे।

उत्तराखण्ड में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र की निगरानी के लिए उत्तराखण्ड सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं को कोई कोड आवंटित नहीं किया जा रहा है।

वित्त लेखे 2020-21 के विवरण-10 के अनुसार, वर्ष के दौरान विभिन्न संस्थानों को अनुदान के रूप में ₹ 6,440.77 करोड़ की धनराशि दी गई। जिसमें प्रमुख लाभार्थी थे (i) पंचायती राज निकाय ₹ 955.29 करोड़, (ii) शहरी स्थानीय निकाय ₹ 976.91 करोड़, (iii) स्वायत्त निकाय (विश्वविद्यालय, विकास प्राधिकरण, सहकारी संस्थाएँ) ₹ 924.67 करोड़ (iv) गैर-सरकारी संगठन ₹ 126.97 करोड़ और (v) अन्य ₹ 3,456.93 करोड़। कुल अनुदान सहायता ₹ 6,440.77 करोड़ में से, ₹ 3,456.93 करोड़ (53.67 प्रतिशत) अन्य के रूप में दी गई थी। सरकार ने, अन्य के रूप में अनुदान की पर्याप्त मात्रा में रिकॉर्ड करना जारी रखा है, यह 2018-19 में 42.44 प्रतिशत, 2019-20 में 50.47 प्रतिशत और 2020-21 के दौरान 53.67 प्रतिशत था।

4.7 सार आकस्मिक बिल

वर्ष 2020-21 तक वर्ष-वार सार आकस्मिक बिलों (ए सी) के सापेक्ष लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों (डी सी सी) का विवरण तालिका-4.9 में नीचे दिया गया है।

तालिका-4.9: ए सी बिलों के सापेक्ष डी सी सी बिलों के जमा करने में विलम्ब

(₹ करोड़ में)


वर्ष	प्रारम्भिक शेष		परिवर्धन		निकासी		अंतिम शेष	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
2018-19 तक	16	0.59	19	0.73	25	0.76	10	0.56
2019-20	10	0.56	61	6.03	34	3.58	37	3.01
2020-21	37	3.01	78	5.67	38	5.24	77	3.44

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले एवं हक), उत्तराखण्ड द्वारा संकलित सूचना।

तालिका-4.9 से पता चलता है कि 2020-21 के दौरान ₹ 5.67 करोड़ की राशि के लिए 78 ए सी बिल आहरित किए गए तथा ₹ 5.24 करोड़ की राशि के लिये 38 डी सी सी बिलों को वर्ष के दौरान प्रस्तुत किया गया था। मार्च 2021 तक ₹ 3.44 करोड़ के 77 ए सी बिल अप्राप्त थे। लम्बित 77 डी सी सी बिलों में ₹ 0.43 करोड़ धनराशि के सात बिल 2019-20 से संबंधित थे और 70 बिल 2020-21 से संबंधित थे। यद्यपि, 31 अगस्त 2021 तक ₹ 3.01 करोड़ की धनराशि के 70 डी सी सी बिल प्राप्त हुए थे।

सभी विभागों से संबन्धित लंबित डी सी सी बिलों की स्थिति को चार्ट-4.3 में दिया गया है।

चार्ट-4.3: लम्बित डी सी सी बिल



जैसाकि ऊपर विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है, धनराशि ₹ 3.44 करोड़ डी सी सी बिल (i) पशुपालन विभाग ₹ 1.59 करोड़, (ii) खेल और युवा कल्याण ₹ 1.05 करोड़, (iii) सामान्य प्रशासन ₹ 0.55 करोड़ (iv) संस्कृति विभाग ₹ 0.20 करोड़ और (v) गृह मामले विभाग ₹ 0.05 करोड़ से संबंधित है। ए सी बिल के विश्लेषण से पता चला कि ये बिल सामान्य उद्देश्यों के

लिए तैयार किए गए थे न कि पूँजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए। 31 अगस्त 2021 तक पशुपालन विभाग और एन सी सी मुख्यालय के सात ए सी बिलों के सापेक्ष डी सी सी बिल बकाया थे। पशुपालन विभाग ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन (इनोवेटिव पॉल्ट्री प्रोड्युक्टिविटी प्रोजेक्ट) के कार्यान्वयन के लिए ए सी बिल आहरित किए थे और एन सी सी मुख्यालय ने गणतंत्र दिवस 2021 के आयोजन के लिए ए सी बिल आहरित किए थे।

आहरित किये गये अग्रिम जो लेखाबद्ध नहीं किये गए हों अपव्यय/दुर्विनियोजन/दुष्कृत्य की संभावना को बढ़ाते हैं इसलिए, डी सी सी बिल जमा हो, यह सुनिश्चित करने के लिए करीबी से निगरानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, डी सी सी बिलों की अप्राप्ति की सीमा तक, वित्त लेखों में दिखाए गए व्यय को सही या अंतिम रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

4.8 व्यक्तिगत जमा लेखे

सरकार की देनदारियों के निर्वहन के लिए सरकार संचित निधि से धनराशि हस्तांतरित कर धनराशि जमा करने के लिए सरकार व्यक्तिगत जमा (पी डी) खाते खोलने के लिए अधिकृत है। वित्तीय नियम पुस्तिका खण्ड-5 (भाग-1) के प्रस्तर 340(ब)(2) के प्रावधान विभागीय अधिकारियों को व्यक्तिगत जमा खाते खोलने के लिए अधिकृत करता है। हालाँकि, निधियों की निकासी, जब तत्काल भुगतान की आवश्यकता हो, तय होगी और वित्त विभाग की सहमति के बिना कहीं और निवेश या जमा के लिए सरकारी लेखे से धनराशि नहीं निकाला जाएगा। इसके अलावा, बजट अनुदान के कालातीत होने से बचने और इस तरह के धनराशि को लोक लेखे में या बैंक के पास जमा करने की दृष्टि से धनराशि निकालने की प्रथा वर्जित है।

2020-21 के अंत में, 45 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 155.53 करोड़ की अनपेक्षित शेष धनराशि राज्य के संचित निधि में अहस्तांतरित रही। 2020-21 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति को तालिका-4.10 में दिया गया है।

तालिका-4.10: 2020-21 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों (मुख्य शीर्ष 8443-106) की स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान परिवर्धन		वर्ष के दौरान बंद		अंतिम शेष	
संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
48	200.29	---	5.53	03	50.29	45	155.53

निम्न तालिका में वित्त वर्ष 2016-21 के दौरान अंतिम दिन को 8443-106 जिला अधिकारी, देहरादून के व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी धनराशि की स्थिति दी गई है।

तालिका-4.11: 2016-17 से 2020-21 के दौरान डी एम देहरादून के व्यक्तिगत जमा खातों में धनराशि का पड़ा रहना

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
पी डी ए में रखी धनराशि	112.07	93.59	98.36	96.18	97.68

राज्य में 31 मार्च 2021 तक ₹ 155.53 करोड़ के अंतिम शेष के साथ 45 व्यक्तिगत जमा खाते थे। जिला अधिकारी, देहरादून के एक व्यक्तिगत जमा खाते से संबंधित ₹ 97.68 करोड़ (62.80 प्रतिशत) की धनराशि थी। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के पूर्व अनुमोदन के बाद खाता संचालित किया जा रहा था। हालाँकि, वित्तीय वर्ष के अंत में इसे बंद करने की आवश्यकता थी और शेष धनराशि संचित निधि में हस्तांतरित करनी थी। यह भी पाया गया कि डी एम, देहरादून के पी एल ए में जमा राशि राज्य सरकार के अन्य विभागों के उपयोग के लिए थी, जैसे राज्य संपदा विभाग (₹ 67.37 करोड़), विधान सभा (₹ 1.30 करोड़), खेल विभाग (₹ 10.00 करोड़) और उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय विभाग (₹ 5.13 करोड़) तथा यह तीन वर्षों से अधिक समय से अनुपयोगी पड़े थे। वर्ष 2019-20 के दौरान, इस लेखे से ₹ 3.95 करोड़ खर्च किए गए थे, और ₹ 1.76 करोड़ इस खाते में स्थानांतरित किए गए थे। व्यक्तिगत जमा लेखों में पड़ी हुई धनराशियाँ परिणाम स्वरूप व्यय को उस सीमा तक अधिक दर्शाती हैं। व्यक्तिगत जमा लेखों का समय-समय पर मिलान न करना और व्यक्तिगत जमा लेखों में पड़ी बकाया शेष धनराशि को संचित निधि में हस्तांतरित नहीं करना सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन के जोखिम को बढ़ाता है। बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, कोषागार निदेशक ने अवगत कराया कि कोषागारों को शून्य शेष वाले पी डी खाते बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दूसरे, बजट निदेशालय, पी डी खातों में तीन वर्ष से अधिक अप्रयुक्त पड़ी शेष धनराशि को जमा करने के लिए म ले (लेखा एवं हक.) कार्यालय द्वारा प्रदान किए गए मुख्य शीर्ष को खोलेगा।

तालिका-4.12: निष्क्रिय व्यक्तिगत जमा खाते

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष के बाद से रखी धनराशि	पी डी लेखों की संख्या	लेखों में रखी धनराशि (₹ लाख में)	पी डी लेखों की संख्या जिनमें शेष शून्य है
1.	2013-14	8	0.00	8
2.	2014-15	8	18.00	7
3.	2015-16	6	0.00	6
4.	2016-17	5	0.00	5
5.	2017-18	3	178.69	1
6.	2018-19	5	953.19	2
7.	2019-20	8	10,616.76	6
8.	2020-21	3	4,029.43	1
योग		46	15,796.07	36

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले.एवं हक.), उत्तराखण्ड (आई एफ एम एस डाटा)

कुल पी डी लेखे और इन लेखों के सापेक्ष राशि वित्त लेखों के आँकड़ों से भिन्न है। कुल 46 व्यक्तिगत जमा खातों में से, 36 खातों में शेष धनराशि शून्य है। 21 व्यक्तिगत जमा खाते पाँच वर्ष से अधिक समय से निष्क्रिय थे और छः व्यक्तिगत जमा खाते तीन वर्ष से अधिक समय से असंचालित थे। सामान्य वित्तीय नियम के अनुसार, इन जमाओं के तहत रखी गई धनराशि को राज्य के संचित निधि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। शून्य शेष वाले खातों को वर्ष के अंत में (31 मार्च 2021) बंद नहीं किया गया था।

4.8.1 निष्क्रिय और गैर-मिलान किए गए व्यक्तिगत जमा खाते

केन्द्रीय कोषागार देहरादून के निष्क्रिय व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण तालिका-4.13 में नीचे दिया गया है।

तालिका-4.13: केन्द्रीय कोषागार देहरादून के निष्क्रिय व्यक्तिगत जमा खाते (8443-106 से इतर)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	शीर्ष	पी डी ए धारक का नाम	अंतिम शेष	अंतिम लेन-देन की तिथि
1.	8443-00-111	कर्मचारी प्रतिकर ए डी एम (ए)	16.52	29.03.2014
2.	8443-00-800	एम डी/परिवहन निगम	100.00	29.02.2016
3.	8448-00-102	अ अ/नगर निगम (13 एफ सी), देहरादून	1.02	31.03.2016
4.	8448-00-102	अ अ/नगर पालिका परिषद (13 एफ सी), ऋषिकेश	0.09	27.01.2014
5.	8448-00-102	अ अ/नगर पालिका परिषद (13 एफ सी), विकासनगर	0.09	17.07.2015
6.	8448-00-102	अ अ/नगर पंचायत (एस एफ सी), सेलाकुई देहरादून	62.50	17.03.2018
7.	8448-00-120	वि अ/बेसिक शिक्षा कोष देहरादून	11.04	26.10.2016
योग			191.26	

स्रोत: मुख्य कोषागार कार्यालय, देहरादून।

जैसाकि ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है, मार्च 2021 तक 8443-106 से इतर सात निष्क्रिय व्यक्तिगत जमा खाते थे, जिसमें ₹ 1.91 करोड़ शेष था। उत्तर प्रदेश व्यक्तिगत जमा खाता नियमावली, 1998 (उत्तराखण्ड में लागू) के प्रस्तर 10 (2) के अनुसार, तीन वर्ष से अधिक समय तक असंचालित खातों को बंद किया जाना चाहिए और इन खातों में जमा राशि को सरकारी खाते में जमा किया जाना चाहिए। केन्द्रीय कोषागार, देहरादून के सात लेखों में से, किसी भी लेखे में, विगत तीन वर्षों या उससे अधिक समय से कोई लेन-देन नहीं किया गया था। इसलिए, सम्पूर्ण धनराशि ₹ 1.91 करोड़ सरकार के लेखे में जमा की जानी चाहिए थी।

4.9 लघु शीर्ष 800 का अविवेकी उपयोग

अन्य प्राप्तियों/अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष 800 केवल उन मामलों में संचालित किया जाना है, जहाँ लेखों में एक मुख्य शीर्ष के तहत उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया है। यदि इस प्रकार के दृष्टांत नियमित रूप से होते हैं, तो राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ चर्चा करे और उचित लघु शीर्ष खोलने की स्वीकृति प्राप्त करे। लघु शीर्ष 800 के तहत प्राप्तियों और व्यय को अविवेकपूर्ण दर्ज करने से लेन-देन की पारदर्शिता और प्रकृति प्रभावित होती है, और खातों को अपारदर्शी बनाता है। हालाँकि, 2020-21 के दौरान लघु शीर्ष 800 उन योजनाओं के लिए खोल दिया गया है, जिनके लिए कोई अन्य लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं था।

2020-21 के दौरान, लेखों के 34 मुख्य शीर्ष के तहत ₹ 1,030.48 करोड़ की राशि, जो कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय (₹ 43,629.24 करोड़) का 2.36 प्रतिशत है, को लेखों में लघु शीर्ष-800 'अन्य व्यय' के तहत वर्गीकृत किया गया था। इसी प्रकार, लेखे में 46 मुख्य शीर्ष के अर्न्तगत ₹ 2,945.62 करोड़, जो कुल प्राप्ति (₹ 38,204.56 करोड़) का 7.71 प्रतिशत है, को लघु शीर्ष-800

'अन्य प्राप्तियों' के तहत वर्गीकृत किया गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान ऐसे दृष्टांत जहाँ व्यय और प्राप्त की महत्वपूर्ण राशि (20 प्रतिशत या अधिक और ₹ 5.00 करोड़ से अधिक) को लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियों' और '800-अन्य व्यय' के तहत वर्गीकृत किया गया था, तालिका-4.14 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका-4.14: 2020-21 के दौरान लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियों/व्यय' में दर्ज की गई महत्वपूर्ण धनराशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	800-अन्य प्राप्तियाँ				800-अन्य व्यय			
	मुख्य शीर्ष	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बुकिंग	प्राप्तियों की प्रतिशतता	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बुकिंग	व्यय की प्रतिशतता
1.	0029-भू-राजस्व	16.91	12.37	73.15	2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर	35.49	34.29	96.62
2.	0049-ब्याज प्राप्तियाँ	98.52	58.78	59.66	2425- सहयोग	112.22	52.00	46.34
3.	0055-पुलिस	35.41	10.35	29.23	2810- नवीन और अक्षय ऊर्जा	9.17	9.17	100.00
4.	0059-लोक निर्माण	62.19	35.86	57.66	4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	733.66	464.78	63.35
5.	0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	62.93	47.39	75.31	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	42.09	40.73	96.77
6.	0071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए योगदान और वसूली	2,109.78*	2,060.47*	97.66	-	-	-	-
7.	0075-विविध सामान्य सेवाएँ	30.61	27.78	90.75	-	-	-	-
8.	0217-शहरी विकास	15.08	15.08	100.00	-	-	-	-
9.	0230- श्रम एवं रोजगार	15.28	6.29	41.16	-	-	-	-
10.	0235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	7.83	7.83	100.00	-	-	-	-
11.	0401- फसल वानिकी	8.89	6.92	77.84	-	-	-	-
12.	0406- वानिकी और वन्यजीव	512.27	139.48	27.23	-	-	-	-
13.	0435- अन्य कृषि कार्यक्रम	21.22	21.22	100.00	-	-	-	-
14.	0801-विद्युत	70.35	70.35	100.00	-	-	-	-
	योग	3,067.27	2,520.17	82.16	योग	932.63	600.97	64.44



स्रोत: महालेखाकार (ले. एवं हक.), उत्तराखण्ड द्वारा तैयार 2020-21 के वित्त लेख।

*पेंशनरी देयताओं के विभाजन के लेख में उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त ₹ 2,035.98 करोड़ सम्मिलित हैं।

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, वित्त, पुलिस, लोक निर्माण, शहरी विकास, श्रम, समाज कल्याण, कृषि और वन विभाग के 14 मुख्य शीर्षों से संबंधित लगभग 82.16 प्रतिशत प्राप्तियों को '800-अन्य प्राप्तियों' के तहत दर्ज किया गया था। इसी प्रकार, वाणिज्यिक कर, सहकारी, ऊर्जा, लोक निर्माण और शहरी विकास विभागों के पाँच मुख्य शीर्षों से संबंधित 64.44 प्रतिशत व्यय को '800-अन्य व्यय' के तहत दर्ज किया गया था। लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ/व्यय' के तहत दर्ज की

गई बड़ी धनराशियों का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता/निष्पक्ष तस्वीर को प्रभावित करता है और आवंटन प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को अस्पष्ट बनाता है।

2016-17 से 2020-21 के दौरान कुल व्यय और प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में लघु शीर्ष-800 के संचालन की सीमा चार्ट-4.4 और चार्ट-4.5 में दी गई है।



4.10 प्रमुख उच्चतम एवं प्रेषण शीर्ष के तहत बकाया शेष

अ) उच्चतम एवं प्रेषण शेष

वित्त लेखे उच्चतम और प्रेषण शीर्षों के तहत शुद्ध शेष धनराशि को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के तहत बकाया शेष धनराशि को अलग-अलग शीर्षों के तहत अलग-अलग बकाया डेबिट और क्रेडिट शेष को

मिलाकर किया जाता है। उच्चत और प्रेषण शीर्ष की मंजूरी राज्य कोषागार/निर्माण और वन प्रभाग आदि द्वारा प्रस्तुत विवरणों पर निर्भर करती है। पिछले तीन वर्षों के लिए प्रमुख उच्चत और प्रेषण शीर्षों के तहत सकल आँकड़ों की स्थिति तालिका-4.15 में दी गई है।

तालिका-4.15 : उच्चत एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत शेष

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2018-19		2019-20		2020-21	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
8658- उच्चत लेखे						
101- वेतन एवं लेखा कार्यालय-उच्चत	30.38	3.45	54.71	3.61	115.24	23.40
निवल	(डेबिट) 26.93		(डेबिट) 51.10		(डेबिट) 91.84	
102- उच्चत लेखे (सिविल)	549.40	368.32	566.35	411.83	574.13	379.40
निवल	(डेबिट) 181.08		(डेबिट) 154.52		(डेबिट) 194.73	
107- कैश सेटलमेंट उच्चत लेखे	3.16	0.26	966.77	885.52	81.39	0.26
निवल	(डेबिट) 2.90		(डेबिट) 81.25		(डेबिट) 81.13	
110- रिजर्व बैंक उच्चत-केन्द्रीय लेखा कार्यालय	214.67	219.61	214.67	219.61	214.67	219.61
निवल	(क्रेडिट) 4.94		(क्रेडिट) 4.94		(क्रेडिट) 4.94	
112- स्रोत पर कर कटौती (टी डी एस)	28.03	315.31	28.03	266.57	28.03	241.27
निवल	(क्रेडिट) 287.28		(क्रेडिट) 238.54		(क्रेडिट) 213.24	
113- भविष्य निधि उच्चत	24.75	24.78	24.75	24.64	24.75	24.64
निवल	(क्रेडिट) 0.03		(डेबिट) 0.11		(डेबिट) 0.11	
117- रिजर्व बैंक की ओर से लेन देन	18.12	17.94	18.12	17.94	18.12	20.33
निवल	(डेबिट) 0.18		(डेबिट) 0.18		(क्रेडिट) 2.21	
123- ए आई एस अधिकारी समूह बीमा योजना	0.27	0.50	0.29	0.53	0.32	0.57
निवल	(क्रेडिट) 0.23		(क्रेडिट) 0.24		(क्रेडिट) 0.25	
129- सामग्री खरीद निपटान उच्चत खाता	0.03	(-)0.73	0.03	(-)0.73	0.03	(-) 0.73
निवल	(डेबिट) 0.76		(डेबिट) 0.76		(डेबिट) 0.76	
8782- नकद प्रेषण और अधिकारियों के बीच समायोजन उसी लेखा अधिकारी को लेखे प्रदान करना						
102- लोक निर्माण प्रेषण	277.17	398.86	296.13	372.74	296.13	372.74
निवल	(क्रेडिट) 121.69		(क्रेडिट) 76.61		(क्रेडिट) 76.61	
103- वन प्रेषण	100.93	126.41	107.23	166.95	107.23	166.95
निवल	(क्रेडिट) 25.48		(क्रेडिट) 59.72		(क्रेडिट) 59.72	
8793- अन्तर्राज्यीय उच्चत लेखे	2090.76	2012.46	2087.89	2013.35	2095.05	2014.10
निवल	(डेबिट) 78.30		(डेबिट) 74.54		(डेबिट) 80.95	

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले एवं हक), उत्तराखण्ड द्वारा तैयार वित्त लेखे 2020-21।

उच्चत के तहत विभिन्न लघु शीर्षों के विश्लेषण की चर्चा नीचे की गई है:

लघु शीर्षो 101-पी ए ओ उचन्त के तहत उचन्त शेष (डेबिट/क्रेडिट), 102-उचन्त लेखा (सिविल) और 110-रिजर्व बैंक उचन्त - केंद्रीय लेखा कार्यालय के तहत मुख्य शीर्ष 8658 - उचन्त लेखे 2020-21 के वित्त लेखों में प्रदर्शित हैं उनका विवरण निम्नवत हैं:

वेतन और लेखा कार्यालय-उचन्त (लघु शीर्ष 101): यह लघु शीर्ष केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों के वेतन और लेखा कार्यालय (पी ए ओ) और महालेखाकार के तहत पी ए ओ की पुस्तकों में होने वाले अंतर-विभागीय और अंतर-सरकारी लेनदेन के निपटान के लिए संचालित होता है। इस शीर्ष के तहत बकाया डेबिट शेष (31 मार्च 2021) पिछले वर्ष के अंत में ₹ 51.10 करोड़ के डेबिट बैलेंस के सापेक्ष ₹ 91.84 करोड़ था। वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्तियों में 16.88 प्रतिशत और संवितरण 83.12 प्रतिशत किया गया। इस शीर्ष के तहत बकाया डेबिट शेष का अर्थ है कि अन्य पी ए ओ की ओर से पी ए ओ द्वारा भुगतान किया गया है, जो अभी तक वसूल किया जाना है।

उचन्त लेखे-सिविल (लघु शीर्ष 102): कुछ सूचनाओं/दस्तावेजों (चालान, वाउचर आदि) के अभाव में लेन-देन/रसीद लेखों को अंतिम शीर्ष तक नहीं लिया जा सकता है, उन्हें प्रारम्भ में इस उचन्त शीर्ष में दर्ज किया जाता है। वर्ष के दौरान, ₹ 574.13 करोड़ (60.21 प्रतिशत) की धनराशि को लघु शीर्ष से बाहर रखा गया था और ₹ 379.40 करोड़ (39.79 प्रतिशत) की राशि को इस लघु शीर्ष के तहत दर्ज किया गया था, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2019-20 के डेबिट शेष ₹ 154.52 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च 2021 तक ₹ 194.73 करोड़ का डेबिट शेष बकाया था। इसका अर्थ है कि 2020-21 के दौरान इस धनराशि के लेन-देन को लेखे के अंतिम शीर्ष में लेना बाकी था।

स्रोत पर कर कटौती (टी डी एस) उचन्त-(लघु शीर्ष 112): इस लघु शीर्ष का उद्देश्य स्रोत पर काटे गए आयकर के लेखों की प्राप्तियों को समायोजित करना है। इन क्रेडिटों को प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत तक समायोजित करना एवं आयकर (आई टी) विभाग को क्रेडिट करना है। वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹ 241.27 करोड़ (89.59 प्रतिशत) के क्रेडिट के सापेक्ष ₹ 28.03 करोड़ (10.41 प्रतिशत) की धनराशि लघु शीर्ष-112 से जारी की गई। इसका मतलब है कि मार्च 2021 तक आई टी विभाग को ₹ 213.24 करोड़ की धनराशि बिना क्रेडिट के पड़ी थी। हालाँकि, वर्ष 2020-21 के अंत में क्रेडिट शेष वर्ष 2019-20 (₹ 238.54 करोड़) की तुलना में कम था।

ब) मुख्य शीर्ष चेक और बिल्स

मुख्य शीर्ष 8670 चेक और बिल के तहत क्रेडिट शेष, यह इंगित करता है कि, चेक जारी किए गए परंतु नकदीकरण शेष है। 01 अप्रैल 2020 को प्रारम्भिक शेष ₹ 848.01 करोड़ (क्रेडिट) था। 2020-21 के दौरान, ₹ 40,291.28 करोड़ के चेक जारी किए गए, जिसके सापेक्ष ₹ 40,782.11 करोड़ का नकदीकरण किया गया। 31 मार्च 2021 को अन्तिम शेष ₹ 357.18 करोड़ (क्रेडिट) था। अंतिम शेष विभिन्न वित्तीय वर्षों में विभिन्न कार्यात्मक मुख्य शीर्षों के तहत मूल रूप से दर्ज किए गए व्यय को दर्शाता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्तराखण्ड सरकार को 31 मार्च 2021 तक कोई नकद बहिर्वाह नहीं हुआ है।

स) केंद्रीय सड़क निधि (के स नि)

भारत सरकार विशिष्ट सड़क परियोजनाओं पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार को के स नि के तहत वार्षिक अनुदान प्रदान करती है। विद्यमान लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, प्रारम्भ में अनुदानों को मुख्य शीर्ष '1601-सहायता अनुदान' के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाना है। तत्पश्चात इस प्रकार प्राप्त धनराशि को राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष '8449-अन्य जमा -103 केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान' के राजस्व व्यय मुख्य शीर्ष '3054 सड़क तथा सेतु' से लोक लेखे में स्थानांतरित किया जाना है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि अनुदान की प्राप्ति के परिणामस्वरूप लेखों में राजस्व अधिशेष अतिदर्शित या राजस्व घाटा न्यूनदर्शित नहीं है। के स नि के तहत निर्धारित सड़क कार्यों पर व्यय को पहले संगत पूँजीगत या राजस्व व्यय अनुभाग (मुख्य शीर्ष 5054 या 3054) में लेखांकित किया जाएगा और संबन्धित मुख्य शीर्ष (5054 या 3054 जैसा भी प्रकरण हो) के अन्तर्गत 'घटाएँ व्यय' के रूप में मुख्य शीर्ष 8449 के तहत लोक लेखे से प्रतिपूर्ति की जाएगी।

वर्ष 2020-21 के दौरान, भारत सरकार ने केंद्रीय सड़क निधि से ₹ 61.34 करोड़ राज्य सरकार को जारी किए, हालांकि, मुख्य शीर्ष 8449-103 के तहत मुख्य शीर्ष 3054 के माध्यम से राशि दर्ज करने की निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 5054-04-337 के तहत ₹ 85.18 करोड़ का व्यय किया जो कि केंद्रीय सड़क निधि से मुख्य शीर्ष 1601-06-104 अनुदान के तहत प्राप्त धनराशि से ₹ 23.84 करोड़ से अधिक दर्शाया गया था। इसके परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष को ₹ 61.34 करोड़ और राजकोषीय घाटे को ₹ 23.84 करोड़ तक बढ़ा कर दर्शाया गया है। केंद्रीय सड़क निधि का लेखा-जोखा न होने के कारण केंद्रीय सड़क निधि के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान के वास्तविक उपयोग में अस्पष्टता है।

द) प्रतिकूल शेष

वर्ष के दौरान लेखों में प्रदर्शित ऋण शेष नीचे दी गयी तालिका-4.16 में दिया गया है। इनके अंतर्गत ऋण शेष, गलत वर्गीकरण के कारण थे और समीक्षा/ सुधार के अधीन हैं।

तालिका-4.16: मुख्य शीर्ष 6851 और 7610 के अंतर्गत आने वाली ऋण शेष धनराशि।

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	ऋणात्मक शेष
6851	ग्राम्य एवं लघु उद्योग के लिए ऋण	(-)0.18
7610	सरकारी कर्मचारियों के लिए ऋण	(-)19.62


यह शेष धनराशि पहले उ प्र सरकार द्वारा दी गयी थी और उ प्र राज्य के विभाजन के बाद उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वसूल की गयी है। चूंकि इन मुख्य शीर्ष के तहत शेष धनराशि आवंटित नहीं की गयी है, इसलिए, शेष प्रतिकूल दिखाई देते हैं।

4.11 विभागीय आँकड़ों का मिलान न करना

उत्तराखण्ड बजट नियमावली, 2012 के प्रस्तर 109 के संदर्भ में, सभी नियंत्रक अधिकारियों को प्रत्येक माह महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में दर्ज आँकड़ों के साथ सरकार की प्राप्तियों और व्यय का मिलान करना आवश्यक है। यह नियंत्रण अधिकारी को खर्च पर प्रभावी नियंत्रण रखने और अपने बजटीय आवंटन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है, और उनके लेखों की सटीकता सुनिश्चित करता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, 62 मुख्य नियंत्रण अधिकारियों (मु नि अ) में से 53 मु नि अ [(85.48 प्रतिशत) (12 मु नि अ द्वारा पूर्ण रूप से तथा 41 मु नि अ द्वारा आंशिक रूप से)] ने ₹ 32,107.80 करोड़ (कुल व्यय ₹ 43,629.24 करोड़ का 73.59 प्रतिशत)¹ के व्यय का मिलान किया गया और 48 मु नि अ में से 26 मु नि अ [(54.17 प्रतिशत) (तीन मु नि अ द्वारा पूर्ण रूप से तथा 23 मु नि अ द्वारा आंशिक रूप से)] ने ₹ 36,512.20 करोड़ (कुल प्राप्तियों ₹ 38,204.56 करोड़ का 95.57 प्रतिशत) की प्राप्तियों का मिलान किया गया।

2018-19 से 2020-21 के दौरान नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों और व्यय के आँकड़ों के मिलान की स्थिति को चार्ट-4.6 में दिखाया गया है।



विगत तीन वर्षों के दौरान नियंत्रण अधिकारियों की संख्या और मिलान की सीमा से संबंधित ब्यौरा तालिका-4.17 में दिया गया है।

¹ कुल व्यय ₹ 43,629.24 करोड़ में, ऋण और अग्रिमों का ₹ 37.55 करोड़ का संवितरण सम्मिलित नहीं है।

तालिका-4.17: प्राप्तियों और व्यय के आँकड़ों के मिलान की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नियंत्रण अधिकारियों की कुल संख्या	पूर्ण रूप से समायोजित	आंशिक रूप से समायोजित	बिल्कुल समायोजित नहीं	कुल प्राप्तियाँ/व्यय	मिलान की गयी प्राप्तियाँ/व्यय	मिलान की प्रतिशतता
प्राप्तियाँ							
2018-19	48	48	-	00	31,216.45	29,555.88	94.68
2019-20	48	06	31	11	30,722.57	29,287.77	95.33
2020-21	48	03	23	22	38,204.56	36,512.20	95.57
व्यय							
2018-19	62	55	-	07	38,380.44	36,524.41	95.16
2019-20	62	07	42	13	38,272.98	21,153.13	55.27
2020-21	62	12	41	09	43,629.24	32,107.80	73.59

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड द्वारा 2020-21 में तैयार वित्त लेखों।

मिलान और आँकड़ों का सत्यापन वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस संबंध में कोडल प्रावधानों और कार्यकारी निर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप न केवल लेखों में प्राप्तियों और व्यय की गलत बुकिंग होती है, बल्कि बजटीय प्रक्रिया के मूल उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं होती। व्यय की राशि के संबंध में वर्ष 2020-21 में मिलान, वर्ष 2019-20 के 55.27 प्रतिशत से बढ़कर 73.59 प्रतिशत हो गया। बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान राज्य सरकार ने सूचित किया कि विभिन्न मु नि अ द्वारा व्यय के समाधान के लिए, मु नि अ की सूची को पुनर्गठित और युक्तिसंगत बनाना होगा। इसके लिए अलग से बैठक आयोजित की जाएगी।

4.12 नकद शेष राशि का मिलान

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के बहीखाते के अनुसार 31 मार्च 2021 तक का नकद शेष ₹ 167.30 करोड़ था। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), द्वारा निकाले गए नकद शेष और भारतीय रिज़र्व बैंक (आर बी आई) द्वारा रिपोर्ट किए गये नकद शेष जो ₹ 149.60 करोड़ था, के बीच ₹ 17.70 करोड़ का निवल अंतर था। यह अंतर स्कॉल न मिलने आदि के कारण था। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड ने कहा कि प्रकरण मिलान के लिए आर बी आई और कोषागारों के पास विचाराधीन था। वर्ष के दौरान विलंबित जमा राशियों के कारण एजेंसी बैंक द्वारा राज्य सरकार को भुगतान किए जाने वाले अर्थदंडात्मक ब्याज के रूप में कोई धनराशि नहीं निकाली गयी है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, मुख्यतः कोषागार द्वारा मिलान न करने के परिणामस्वरूप ₹ 149.60 करोड़ (डेबिट) का शुद्ध अंतर था। इस अंतर का समायोजन प्रक्रियाधीन है। 2020-21 में किसी नकद शेष अंतर को बड़े लेखे में नहीं डाला गया था।

4.13 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत सरकार द्वारा तीन, भारत सरकार के लेखांकन मानक (आई जी ए एस) अधिसूचित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा मौजूदा लेखा मानकों का अनुपालन तालिका-4.18 में विस्तृत है।

तालिका-4.18: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्र. सं.	लेखांकन मानक	आई जी ए एस का सार	सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
1.	आई जी ए एस-1: सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियाँ	इस मानक के लिए सरकार को वर्ष के अंत में अतिरिक्त, विलोपन, लागू कमी और बकाया के साथ-साथ अपने वित्तीय विवरणों में वित्तीय वर्ष के दौरान दी गई प्रतिभूतियों की अधिकतम धनराशि का खुलासा करने की आवश्यकता है।	आंशिक रूप से अनुपालन (वित्त लेखों के विवरण 9 एवं 20)	राज्य सरकार द्वारा अधिकतम प्रतिभूति के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके अलावा, प्रत्येक संस्थान के लिए प्रतिभूति की संख्या जैसी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी। अर्थात् यह विवरण उस सीमा तक अपूर्ण है।
2.	आई जी ए एस-2: सहायता-अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	सहायता अनुदान को अनुदानकर्ता के लेखों में राजस्व व्यय के रूप में और अनुदानग्राही के लेखों में राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, चाहे अंतिम उपयोग कुछ भी हो।	आंशिक रूप से अनुपालन (वित्त लेखों के विवरण 10 एवं परिशिष्ट III)	राज्य सरकार विभिन्न उद्देश्यों और योजनाओं के लिए विभिन्न निकायों को सहायता अनुदान प्रदान करती है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायता-अनुदान का ब्योरा आई जी ए एस-2 की आवश्यकता के अनुसार वित्त लेखों के विवरण-10 और परिशिष्ट-III में दर्शाया गया है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा सहायता-अनुदान संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसलिए आई जी ए एस-2 की जरूरत उस सीमा तक पूर्ण नहीं हुई है। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य ने ₹ 6,440.77 करोड़ की अनुदान राशि जारी की। ₹ 80.30 करोड़ का सहायता अनुदान पूंजीगत शीर्ष के अन्तर्गत दर्ज किया गया, जो आई जी ए एस-2 के प्रावधानों का उल्लंघन था।
3.	आई जी ए एस-3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम	यह मानक पूर्ण, सटीक और एक समान लेखांकन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में दिए गए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में मान्यता, मापन, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग से संबंधित है।	आंशिक रूप से अनुपालन (वित्त लेखों के विवरण 7 एवं 18)	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर वित्त लेखों के विवरण 7 और 18 आई जी ए एस-3 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं, सिवाय इसके कि ऋण, यदि कोई हो, जिसे नित्यता के लिए स्वीकृत किया गया था।

4.14 स्वायत्त निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को जमा करना

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के डी पी सी अधिनियम, 1971 की धारा 19 (3) के अनुसार, राज्यपाल/प्रशासक, जनहित में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से अनुरोध कर सकता है कि वह राज्य या संघ शासित प्रदेश के कानून द्वारा बनाए गए निगम के लेखों की लेखापरीक्षा करे, जैसा भी मामला हो, और जहाँ इस तरह का अनुरोध किया गया हो, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ऐसे निगम के लेखों का लेखापरीक्षण करेगा और इस तरह के लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे निगम के बहीखातों और लेखों तक पहुँच का अधिकार होगा।

धारा 19 के अलावा, जहाँ किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को विधि द्वारा या उसके अधीन नहीं सौंपी गयी है, वहाँ यदि उससे यथास्थिति राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के जिसमें विधान सभा है, के प्रशासक द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया गया तो वह ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लेखों की लेखापरीक्षा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर करेगा जो उसके और संबद्ध सरकार के बीच अनुबंधित पाए जाएं, और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिये उस निकाय के प्राधिकरण के बहीखातों और लेखों तक पहुँच का अधिकार (धारा 20) होगा।

उपर्युक्त स्वायत्त निकायों एवं प्राधिकरण के मामले में लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है बशर्ते नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक हो। इस प्रकार, इन निकायों और प्राधिकरणों को वार्षिक लेखा तैयार करने और इन्हें महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को जमा करने की आवश्यकता होती है। लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र के अलावा, वित्तीय लेखापरीक्षा के पूरा होने पर, लेखापरीक्षा कार्यालय पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एस ए आर) जारी करता है जो लेखों पर लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र का हिस्सा होती है। ये एस ए आर राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाते हैं।

4.14.1 निकायों एवं प्राधिकरणों के लेखों का बकाया

प्राधिकरणों के लेखों के बकाया का ब्योरा तालिका-4.19 में नीचे दिया गया है।

तालिका-4.19: निकायों एवं प्राधिकरणों के लेखों का बकाया

क्र. सं.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	लेखे जब से लंबित हैं	2019-20 तक लंबित लेखों की संख्या
1.	क्षतिपूरक वनीकरण प्रबंधन योजना प्राधिकरण	2017-18	02
2.	उत्तराखण्ड रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण	2019-20	01
3.	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, देहरादून	स्थापना (2005) से लेखे लंबित है।	
4.	उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	2020-21 तक के लेखे प्राप्त	

तालिका-4.19 से देखा जा सकता है कि दो प्राधिकरणों के लेखे, दो से 15 वर्ष तक लंबित है।

4.15 निकायों और प्राधिकरणों को दिये गए अनुदानों/ऋणों का विवरण प्रस्तुत नहीं करना

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के तहत लेखापरीक्षा को आकर्षित करने वाले संस्थानों की पहचान करने के लिए, सरकार/विभागों के प्रमुखों को प्रत्येक वर्ष विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता, जिस उद्देश्य के लिए सहायता प्रदान की गई थी, और संस्थानों का कुल व्यय आदि विस्तृत जानकारी, लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रदान करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा और लेखा विनियमन (संशोधन) 2020 यह प्रावधानित करता है कि सरकार और विभागों के प्रमुख जो निकायों या प्राधिकरणों को अनुदान और/या ऋण स्वीकृत करते हैं, इस तरह के निकाय और प्राधिकरण का एक विवरण, जिसमें ₹ 10 लाख या उससे अधिक का अनुदान और/या ऋण का भुगतान पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किया गया था, प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत तक लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। जिसमें (क) सहायता की धनराशि, (ख) जिस उद्देश्य के लिए सहायता स्वीकृत की गई थी, और (ग) प्राधिकरण या निकाय का कुल व्यय दर्शाया जाएगा।

यद्यपि, सरकार ने उत्तराखण्ड राज्य में स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लिए ₹ 10 लाख या उससे अधिक के अनुदान से संबंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। हालाँकि, 56 निकायों में से 39 निकायों के मामले में सूचना सीधे इस कार्यालय को उन संस्थाओं से प्राप्त हुई, जिनके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया गया था। सूचना का अप्रस्तुतिकरण लेखापरीक्षा और लेखा, (संशोधन) 2020 के विनियमों का उल्लंघन था।

4.16 समयबद्धता और लेखों की गुणवत्ता

2020-21 के दौरान सभी लेखा समर्पण करने वाली संस्थाएँ (कोषागार, लोक निर्माण एवं वन प्रभाग और वेतन एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली), जो अपने मासिक लेखों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को सौंपती हैं, ने समय पर अपने लेखों को सौंप दिया था और अपवाद का कोई प्रकरण नहीं था।

4.17 गबन, हानि, चोरी आदि

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-V, भाग-1, नियम 82 और परिशिष्ट XIX (ब) के प्रावधानों के अनुसार डी डी ओ को महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और (ले एवं हक) कार्यालयों को नुकसान के विवरण को सूचित करना चाहिए। वर्ष 2020-21 के दौरान डी डी ओ द्वारा गबन, हानि, चोरी आदि का कोई प्रकरण रिपोर्ट नहीं किया गया।

4.18 राज्य के वित्त की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य विधानमंडल की लोक लेखा समिति ने राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर इसके बनाए जाने से चर्चा नहीं की है।

4.19 निष्कर्ष

- विभागीय अधिकारियों ने विशिष्ट प्रयोजनों के लिए मार्च 2020 तक दिये गए ₹ 872.65 करोड़ के अनुदान के सापेक्ष 119 उपयोगिता प्रमाणपत्र (मार्च 2021 तक प्रस्तुति हेतु देय) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड को प्रस्तुत नहीं किए। मार्च 2021 तक ₹ 3.44 करोड़ के 77 सार आकस्मिक बिल बकाया थे। उपयोगिता प्रमाणपत्र और विशिष्ट कार्यक्रमों हेतु आहरित किए गए विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित वाले बिलों को जमा नहीं करने और स्वायत्त निकायों द्वारा लेखे न प्रस्तुत किए जाने से निर्धारित वित्तीय नियमों और निर्देशों का उल्लंघन हुआ था। यह राज्य सरकार के अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और अपूर्ण अनुश्रवण तंत्र को इंगित करता है।
- 2020-21 के दौरान मुख्य नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्ति और व्यय का मिलान क्रमशः 95.57 और 73.59 प्रतिशत था। राज्य के नियंत्रक अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई प्राप्तियों और व्यय का महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के आंकड़ों के साथ मिलान न किया जाना सरकार के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर खराब प्रभाव डालता है और लेखों की शुद्धता से संबंधित चिंताओं को बढ़ाता है।
- विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष '800- अन्य व्यय' और '800 अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत व्यापक मात्रा में व्यय (₹ 1,030.48 करोड़) और प्राप्तियाँ (₹ 2,945.62 करोड़) दर्ज किया जाना वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है। लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/अन्य प्राप्तियों का सार्वत्रिक संचालन वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है और आवंटन प्राथमिकताओं एवं व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को अस्पष्ट बनाता है।
- राज्य सरकार ने अभी तक राज्य में अधिसूचित भारत सरकार के लेखांकन मानकों को पूर्णतया लागू नहीं किया है, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता से समझौता हो रहा है।

4.20 संस्तुतियाँ

- सरकार को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उन्हे जारी अनुदानों के सम्बन्ध में समय से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना चाहिए और विभागों द्वारा विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का प्रेषण करना सुनिश्चित करना चाहिए।
- सरकार को अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियंत्रण अधिकारी निर्धारित अंतराल पर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ अपने व्यय के आँकड़ों का मिलान करें।
- राज्य सरकार को बहुप्रयोज्य लघु शीर्ष 800 का संचालन को हतोत्साहित करना चाहिए और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से परामर्श के बाद विशिष्ट समय सीमा तय करनी चाहिए

ताकि समुचित लेखा शीर्ष में पहचान कर पुस्तकों में ठीक प्रकार से लेन देन को वर्गीकृत किया जा सके।

- राज्य सरकार को वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य में भारत सरकार के लेखांकन मानकों को पूर्णतया लागू करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

अध्याय-5
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

अध्याय-5

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

इस अध्याय में सरकारी कंपनियों, सांविधिक निगमों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा की गयी है, जैसाकि उनके लेखों से विदित होता है। वर्ष 2020-21 (या पूर्व के वर्षों में जिन्हें वर्तमान वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया था) में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि म ले प) द्वारा निष्पादित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (रा सा क्षे उ) के वित्तीय विवरण की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों के प्रभाव पर भी चर्चा की गयी है।

5.1 सरकारी कंपनियों की परिभाषा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार सरकारी कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जिसमें प्रदत्त अंश पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग केंद्र सरकार, या किसी भी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केंद्र सरकार के द्वारा या आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो एवं इसमें एक कंपनी, जो सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी हो, भी सम्मिलित है।

इसके अतिरिक्त, किसी भी अन्य कंपनी¹ जिसका स्वामित्व या नियंत्रण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और एक या एक से अधिक राज्य सरकार का है को इस अध्याय में सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के रूप में संदर्भित किया है।

5.2 लेखापरीक्षा अधिदेश

सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की लेखापरीक्षा भारत के नि म ले प द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के साथ सहपठित नि म ले प के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों के अधीन की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत, नि म ले प चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कंपनियों के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त करता है और लेखों की लेखापरीक्षा करने के तरीके पर दिशा-निर्देश देता है। इसके अतिरिक्त, नि म ले प को अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। तीन सांविधिक निगमों² को शासित करने वाली विधियों के अनुसार निगमों के लेखों की लेखापरीक्षा केवल नि म ले प द्वारा की जाएगी तथा

¹ कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 4 नवंबर 2014 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से जारी कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) सातवां आदेश, 2014।

² उत्तराखण्ड परिवहन निगम (यू पी एन), उत्तराखण्ड वन विकास निगम (यू एफ डी सी), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (पेयजल संसाधन)।

उत्तराखण्ड स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (यू एस डब्ल्यू सी)³ के संबंध में नि म ले प अनुपूरक लेखापरीक्षा करता है।

5.2.1 रा सा क्षे उ की संख्या

31 मार्च 2021 तक, उत्तराखण्ड राज्य में नि म ले प के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 32 रा सा क्षे उ थे। इनमें चार सांविधिक निगम और 28 सरकारी कंपनियाँ (नौ⁴ अकार्यरत सरकारी कंपनियाँ⁵ और एक सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनी⁶ सहित) शामिल हैं जिनका विवरण **परिशिष्ट 5.1** में दिया गया है। इनमें से कोई भी सरकारी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। यह प्रतिवेदन पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2018-19 से 2020-21 (या इन वर्षों से संबंधित कम से कम एक लेखा) के दौरान लेखों की प्राप्ति के आधार पर, 14 रा सा क्षे उ⁷ के वित्तीय प्रदर्शन को सारांशित करती है। तदनुसार, इस प्रतिवेदन के, आगामी प्रस्तारों में शामिल रा सा क्षे उ को **तालिका-5.1** में दर्शाया गया है:

तालिका 5.1: इस रिपोर्ट में शामिल रा सा क्षे उ का कवरेज और स्वरूप

रा सा क्षे उ का वर्गीकरण	राज्य में रा सा क्षे उ की कुल संख्या	प्रतिवेदन में शामिल रा सा क्षे उ की संख्या			योग	प्रतिवेदन में शामिल नहीं किए गए रा सा क्षे उ की संख्या
		प्राप्त लेखे				
		2020-21 तक	2019-20 तक	2018-19 तक		
कार्यरत रा सा क्षे उ						
सरकारी कंपनियाँ	18	05 ⁸	06 ⁹	-	11	07 ¹⁰
सांविधिक निगम	04	-	-	02 ¹¹	02	02 ¹²
सरकार द्वारा नियंत्रित	01	-	01 ⁶	-	01	-

³ सितंबर 2020 में प्र म ले (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड को लेखापरीक्षा सौंपा गया।

⁴ यू पी ए आई, ट्रांस केबल्स लिमिटेड (टी सी एल), उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (यू पी डी एल), कुमट्रॉन लिमिटेड (कुमट्रॉन) उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हिलट्रॉन), उत्तर प्रदेश हिल फोन लिमिटेड (यू पी एच पी एल), उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड (यू पी एच क्यू एल), गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (जी ए जे वी एन एल), कुमाऊं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (के ए जे वी एन एल)।

⁵ अकार्यरत सरकारी कंपनी का अर्थ है ऐसी कंपनी जो कोई व्यवसाय या संचालन नहीं कर रही है, या तीन वर्ष से अधिक समय से कोई महत्वपूर्ण लेखांकित लेनदेन नहीं किया है।

⁶ उत्तराखण्ड सीड्स एव तराई डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (यू के टी डी सी)।

⁷ नौ अकार्यरत रा सा क्षे उ के अलावा, नौ रा सा क्षे उ जिनके लेखे 30 नवंबर 2021 को तीन वर्ष या उससे अधिक (अर्थात् 2018-19 से पहले प्राप्त नहीं हुए) के लिए बकाया थे, इसलिए, इन 18 रा सा क्षे उ को प्रदर्शन विश्लेषण के उद्देश्य से सम्मिलित नहीं किया गया है।

⁸ उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल), यू जे वी एन लिमिटेड (यू जे वी एन), किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड (के सी एल), उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू के एम आर सी) और उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (यू पी एन एल)।

⁹ पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (पी टी सी यू एल), देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड (डी ई एस सी एल), किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड (के एस सी एल); ब्रिज, रोपवे, टनल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (ब्रिडकुल); उत्तराखण्ड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू पी डी सी सी एल) और डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड (डी ओ एस सी एल)।

¹⁰ उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (यू बी वी वी एन), स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (एस आई आई डी सी यू एल), कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड (के एम वी एन एल), गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड (जी एम वी एन एल), उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विकास निगम (यू ए के डब्ल्यू वी एन), सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड (एस पी पी एल) और इकोटूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड (ई टी डी सी)।

¹¹ यू एफ डी सी और पेयजल संसाधन।

¹² यू पी एन और यू एस डब्ल्यू सी।

अन्य कंपनियां						
अकार्यरत रा सा क्षे उ						
सरकारी कंपनियां	09	-	-	-	-	09
योग	32	05	07	02	14	18

5.3 रा सा क्षे उ और राज्य के स रा घ उ में उनका योगदान

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में राज्य सरकार की कंपनियाँ और सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। रा सा क्षे उ की स्थापना लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने लिए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों के सम्पादन हेतु की जाती हैं।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) से रा सा क्षे उ के टर्नओवर का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में रा सा क्षे उ की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले दो वर्षों की अवधि के लिए इस अध्याय में शामिल 14 रा सा क्षे उ के कुल टर्नओवर का विवरण तालिका-5.2 में दिया गया है।

तालिका-5.2: उत्तराखण्ड के स रा घ उ के सापेक्ष रा सा क्षे उ के कुल टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21
रा सा क्षे उ का कुल टर्नओवर	8,659.69	9,651.64	9,290.14
उत्तराखण्ड का स रा घ उ	2,36,768	2,53,666	2,37,747
उत्तराखण्ड के स रा घ उ से रा सा क्षे उ के कुल टर्नओवर का प्रतिशतता	3.66	3.80	3.91

उपरोक्त तालिका-5.2 से देखा जा सकता है कि रा सा क्षे उ के कुल टर्नओवर में 2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान 11.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई, हालांकि, 2020-21 में उनके नवीनतम लेखा परीक्षित लेखों के अनुसार इसमें 3.75 प्रतिशत की कमी आई। स रा घ उ में रा सा क्षे उ का योगदान सीमांत रहा।

5.4 रा सा क्षे उ में निवेश और बजटीय सहायता

5.4.1 रा सा क्षे उ में इक्विटी होल्डिंग और ऋण

31 मार्च 2021 को क्षेत्र-वार कुल इक्विटी उत्तराखण्ड सरकार (उ स) द्वारा इक्विटी योगदान और उ स द्वारा दिए गए ऋणों सहित दीर्घकालिक ऋण तालिका-5.3 में दिए गए हैं। रा सा क्षे उपक्रम-वार इक्विटी और ऋण का विवरण परिशिष्ट-5.2 के अनुसार है।

तालिका-5.3: रा सा क्षे उ में क्षेत्रवार निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	निवेश ¹³				कुल (इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण)
	इक्विटी		दीर्घकालिक ऋण		
	कुल	उ स	कुल	उ स	
ऊर्जा	3,422.31	3,421.56	4,578.23	527.50	8,000.54
वित्त	24.45	17.88	2.86	1.00	27.31
सेवाएं	258.81	249.57	123.86	31.73	382.67
आधारभूत संरचना	33.00	30.30	225.42	21.02	258.42
अन्य	41.45	35.93	292.63	270.96	334.08
योग	3,780.02	3,755.24	5,223.00	852.21	9,003.02

स्रोत: नवीनतम वित्तीय विवरण और रा सा क्षे उ से प्राप्त जानकारी।

यह देखा जा सकता है कि रा सा क्षे उ के निवेश का जोर मुख्य रूप से उर्जा क्षेत्र पर था। इस क्षेत्र को कुल ₹ 9,003.02 करोड़ के निवेश का 88.87 प्रतिशत (₹ 8,000.54 करोड़) प्राप्त हुआ था।

5.4.2 रा सा क्षे उ द्वारा प्राप्त अनुदान/सब्सिडी

2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान भारत सरकार (भा स) तथा उ स से प्राप्त कुल अनुदान/सब्सिडी का विवरण तालिका-5.4 में दिया गया है।

तालिका-5.4: रा सा क्षे उ द्वारा प्राप्त अनुदान/सब्सिडी का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/सब्सिडी		कुल
	उ स	भा स	
2018-19	1,149.09	79.18	1,228.27
2019-20	223.69	465.49	689.18
2020-21	101.34	292.53	393.87
योग	1,474.12	837.20	2,311.32

स्रोत: नवीनतम वित्तीय विवरण और रा सा क्षे उ से प्राप्त जानकारी।

2018-19 के दौरान पेयजल संसाधन को कुल अनुदान/सब्सिडी की बड़ी धनराशि ₹ 858.78 करोड़ (37.16 प्रतिशत) प्राप्त हुई थी (राज्य में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए ₹ 760.78 करोड़ और राजस्व व्यय के लिए ₹ 98.00 करोड़), परंतु पेयजल संसाधन द्वारा वर्ष 2019-20 और 2020-21 की जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गई थी। इसके अलावा, 2018-19 से 2020-21 के दौरान, डी ई एस सी एल ने भारत सरकार की स्मार्ट सिटी विकास योजना के लिए ₹ 377.50 करोड़ (भा स: ₹ 245.50 करोड़ और उ स: ₹ 132 करोड़) प्राप्त किए, यू पी सी एल ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना तथा भारत सरकार की एकीकृत विद्युत विकास योजना के लिए भारत सरकार से ₹ 452.22 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया, डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड

¹³ निवेश में इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण शामिल हैं।

(डी ओ एस सी एल) और के एस सी एल को उ स से किसानों को गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु ₹ 334.53 करोड़ प्राप्त हुए।

5.4.3 विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण

वर्ष 2020-21 के दौरान रा सा क्षे उ के विनिवेश/पुनर्गठन/निजीकरण का कोई प्रकरण नहीं था। उ स ने रा सा क्षे उ में निवेशित राज्य सरकार की इक्विटी के विनिवेश पर कोई नीति तैयार नहीं की है।

5.5 रा सा क्षे उ से प्रतिफल

5.5.1 रा सा क्षे उ द्वारा अर्जित लाभ

रिपोर्ट में शामिल 14 रा सा क्षे उ¹⁴ में से, 2020-21 में लाभ अर्जित करने वाले रा सा क्षे उ की संख्या नौ थी (2019-20 के समान)। अर्जित लाभ, 2019-20 में ₹ 262.36 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 271.86 करोड़ हो गया। इसके अलावा, इन नौ रा सा क्षे उ का इक्विटी पर प्रतिफल (आर ओ ई) 2019-20 के दौरान 8.28 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 2020-21 में 8.90 प्रतिशत हो गया। पाँच रा सा क्षे उ जिन्होंने लाभ में अधिकतम योगदान दिया का विवरण तालिका-5.5 में दिया गया है।

तालिका-5.5: शीर्ष पाँच रा सा क्षे उ जिन्होंने लाभ में अधिकतम योगदान दिया

रा सा क्षे उ का नाम	शुद्ध अर्जित लाभ (₹ करोड़ में)	रा सा क्षे उ के कुल लाभ में, लाभ की प्रतिशतता
यू जे वी एन	136.95	49.52
पी टी सी यू एल	97.34	35.19
यू एफ डी सी	15.88	5.74
के एस सी एल	12.58	4.55
यू पी एन एल	9.11	3.29
योग	271.86	98.29

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम वित्तीय विवरण।

2020-21 के दौरान, नौ रा सा क्षे उ के कुल लाभ में, पाँच रा सा क्षे उ द्वारा 98.29 प्रतिशत का योगदान दिया गया, जिसमें यू जे वी एन ने अधिकतम लाभ अर्जित किया।

5.5.2 रा सा क्षे उ की परिचालन दक्षता

12 रा सा क्षे उ द्वारा कुल लाभ/हानि, परिचालन गतिविधियों से आय और अन्य आय का विवरण तालिका-5.6 में दिया गया है:

¹⁴ नौ रा सा क्षे उ ने लाभ अर्जित किया; तीन रा सा क्षे उ को हानि हुई; और दो रा सा क्षे उ (डी ई एस सी एल और के सी एल) शून्य लाभ/हानि रहा क्योंकि इन रा सा क्षे उ ने अपना परिचालन शुरू नहीं किया था।

तालिका-5.6: रा सा क्षे उ की परिचालन दक्षता

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21
क. परिचालन गतिविधियों से आय (कुल टर्नओवर)	8,659.69	9,651.64	9,290.14
ख. अन्य आय	206.44	216.82	183.16
ग. लाभ/हानि (-)	(-)450.60	(-)334.40	104.76
घ. परिचालन दक्षता प्रतिशत (ग/क*100)	(-)5.20	(-)3.46	1.13
ड. यू पी सी एल को हुआ नुकसान	(-)553.23	(-)577.31	(-)151.75
च. यू पी सी एल को छोड़कर अन्य रा सा क्षे उ का लाभ (ग - ड)	102.63	242.91	256.51

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम वित्तीय विवरण।

वर्ष 2020-21 के दौरान, 12 रा सा क्षे उ का कुल लाभ/हानि, 1.13 प्रतिशत की परिचालन दक्षता के साथ, ₹ 9,290.14 करोड़ की परिचालन गतिविधियों से आय के सापेक्ष में ₹ 104.76 करोड़ था। परिचालन दक्षता में 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान (-) 5.20 प्रतिशत से 1.13 प्रतिशत तक की वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शायी है। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान 12 रा सा क्षे उ द्वारा वहन की गई हानि के साथ-साथ अर्जित परिचालन आय में यू पी सी एल प्रमुख योगदानकर्ता था। शेष 11 रा सा क्षे उ में सकारात्मक परिचालन दक्षता थी जो 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान ₹ 102.63 करोड़ से ₹ 256.51 करोड़ तक के लाभ में वृद्धि के साथ बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है। अन्य आय परिचालन गतिविधियों से आय का 2.38 प्रतिशत से 1.97 प्रतिशत के बीच थी।

5.5.3 रा सा क्षे उ द्वारा लाभांश का भुगतान

राज्य सरकार ने ऐसी कोई लाभांश नीति नहीं बनाई थी जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा योगदान की गई शेयर पूँजी पर रा सा क्षे उ द्वारा न्यूनतम प्रतिफल का भुगतान करना होगा। रा सा क्षे उ द्वारा भुगतान किए गए लाभांश, जहाँ उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इक्विटी का संचार किया गया था, को तालिका-5.7 में दर्शाया गया है।

तालिका-5.7: रा सा क्षे उ का लाभांश भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लाभांश घोषित करने वाले रा सा क्षे उ की संख्या	प्रदत्त पूँजी	निवल लाभ	घोषित लाभांश
1	2	3	4	5
2018-19	1	1,190.99	26.24	22.55
2019-20	2	1,829.06	220.35	16.94
2020-21	2	1,871.65	234.29	44.87

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम वित्तीय विवरण।

2018-19 के दौरान केवल यू जे वी एन ने लाभांश का भुगतान किया तथा 2019-20 और 2020-21 में यू जे वी एन और पी टी सी यू एल ने लाभांश का भुगतान/घोषित किया था। वर्ष 2020-21 के दौरान यू जे वी एन और पी टी सी यू एल ने क्रमशः प्रतिधारित आय के 3.32 प्रतिशत और 4.00 प्रतिशत की दर से लाभांश का भुगतान / घोषित किया था। उर्जा क्षेत्र के अलावा, लाभ अर्जित करने वाले किसी भी रा सा क्षे उ ने लाभांश घोषित/भुगतान नहीं किया था।

5.6 ऋण सेवा

5.6.1 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग किसी कंपनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना ब्याज और करों से पहले कंपनी के उपार्जन (ई बी आई टी) को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की कंपनी की क्षमता उतनी कम होगी। एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात दर्शाता है कि कंपनी अपने ब्याज के व्ययों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त राजस्व नहीं जुटा पा रही है। रा सा क्षे उ जिसमें ब्याज का भार था, ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण तालिका-5.8 में दिया गया है।

तालिका-5.8: रा सा क्षे उ का ब्याज कवरेज अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब्याज	ब्याज और कर से पूर्व आय (ई बी आई टी)	सरकार और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देयता वाले रा सा क्षे उ की संख्या	एक से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या	एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या
2018-19	236.80	(-) 223.77	9	6 ¹⁵	3 ¹⁶
2019-20	256.29	(-) 39.70	8	6 ¹⁷	2 ¹⁸
2020-21	251.18	393.75	8	6 ¹⁹	2 ²⁰

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम वित्तीय विवरण।

यह देखा गया कि 2020-21 के दौरान छः रा सा क्षे उ का ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक था, परंतु दो रा सा क्षे उ (यू पी सी एल और डी ओ एस सी एल) का ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था। ये रा सा क्षे उ अपनी ब्याज देयताओं को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त राजस्व नहीं जुटा पा रहे थे।

¹⁵ पी टी सी यू एल, यू जे वी एन, के एस सी एल, ब्रिडकुल, यू पी एन एल और पेयजल संसाधन।

¹⁶ यू पी सी एल, डी ओ एस सी एल, और यू के टी डी सी।

¹⁷ पी टी सी यू एल, यू जे वी एन लिमिटेड, के एस सी एल, ब्रिडकुल, यू के टी डी सी और पेयजल संसाधन।

¹⁸ यू पी सी एल और डी ओ एस सी एल।

¹⁹ पी टी सी यू एल, यू जे वी एन लिमिटेड, ब्रिडकुल, के एस सी एल, यू के टी डी सी और पेयजल संसाधन।

²⁰ यू पी सी एल और डी ओ एस सी एल।

5.6.2 उत्तराखण्ड सरकार के ऋणों पर अदत्त ब्याज का आयु-वार विश्लेषण

31 मार्च 2021 तक उत्तराखण्ड सरकार द्वारा तीन रा सा क्षे उ को प्रदान किए गए दीर्घकालिक ऋणों पर ₹ 428.06 करोड़ की ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया गया था। रा सा क्षे उ में उत्तराखण्ड सरकार के ऋणों पर अदत्त ब्याज का आयु-वार विश्लेषण तालिका-5.9 में दर्शाया गया है।

तालिका-5.9: राज्य सरकार ऋणों पर अदत्त ब्याज

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनी का नाम	ऋणों पर कुल अदत्त ब्याज	एक वर्ष से कम समय के लिए अदत्त ब्याज	1 से 3 साल के लिए अदत्त ब्याज	3 साल से अधिक के लिए अदत्त ब्याज
1	डी ओ एस सी एल	235.26	21.53	64.58	149.15
2	के एस सी एल	187.06	18.35	55.05	113.66
3	यू जे वी एन	05.74	02.09	03.65	0.00
	कुल योग	428.06	41.97	123.28	262.81

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम वित्तीय विवरण।

31 मार्च 2021 तक ₹ 428.06 करोड़ के कुल अदत्त ब्याज में से ₹ 250.46 करोड़ के कुल ऋणों के सापेक्ष डी ओ एस सी एल और के एस सी एल द्वारा ₹ 422.32 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया था। ऋण की प्राप्ति के बाद 2001-02 से 2015-16 (डी ओ एस सी एल) और 2002-03 से 2018-19 (के एस सी एल) के दौरान ब्याज की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया था। इन दोनों रा सा क्षे उ ने ऋणों का भुगतान भी नहीं किया था। यू जे वी एन ने 2019-20 और 2020-21 हेतु ब्याज का भुगतान नहीं किया था।

5.7 रा सा क्षे उ का प्रदर्शन

5.7.1 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आर ओ सी ई) एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूँजी नियोजित है। आर ओ सी ई की गणना ब्याज और करों से पूर्व कंपनी की आय (ई बी आई टी) को नियोजित पूँजी²¹ द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान 14 रा सा क्षे उ के आर ओ सी ई का विवरण तालिका-5.10 में दिया गया है।

तालिका-5.10: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ई बी आई टी	नियोजित पूँजी	आर ओ सी ई (प्रतिशत में)
2018-19	(-) 208.06	4,150.19	(-) 5.01
2019-20	(-) 24.42	4,377.61	(-) 0.56
2020-21	417.33	5,194.63	8.03

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम वित्तीय विवरण।

²¹ नियोजित पूँजी = प्रदत्त अंश पूँजी + मुक्त कोष और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानियाँ - आस्थगित राजस्व व्यय

यह देखा गया कि 2018-19 और 2019-20 में आर ओ सी ई नकारात्मक थी परंतु 2020-21 में बढ़कर 8.03 प्रतिशत हो गयी थी। 2020-21 में सकारात्मक आर ओ सी ई का मुख्य कारण यू पी सी एल की ई बी आई टी में 2019-20 में (-) ₹ 477.57 करोड़ से 2020-21 (-) ₹ 20.22 करोड़ का सुधार था।

5.7.2 रा सा क्षे उ द्वारा इक्विटी पर प्रतिफल

इक्विटी पर प्रतिफल (आर ओ ई) वित्तीय प्रदर्शन का एक माप है, जिससे यह आकलन किया जाता है कि लाभ अर्जित करने के लिए किसी कंपनी की परिसम्पत्ति का कितना प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। आर ओ ई की गणना निवल आय (अर्थात् करों के बाद निवल लाभ) को शेयरधारकों की निधि²² से विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशतता के रूप में दर्शाया जाता है एवं यदि निवल आय और शेयरधारकों की निधि दोनों धनात्मक संख्या हैं तो इसकी गणना किसी भी कंपनी के लिए की जा सकती है

शेयरधारकों की निधि से पता चलता है कि कंपनी के हितधारकों के लिए कितना शेष होगा, यदि सभी परिसम्पत्तियाँ बेची जाती हैं और सभी ऋणों का भुगतान किया जाता है। एक सकारात्मक शेयरधारक की निधि से पता चलता है कि कंपनी के पास अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त परिसम्पत्ति है जबकि नकारात्मक शेयरधारक इक्विटी का अर्थ है कि देनदारियां परिसम्पत्ति से अधिक हैं।

रा सा क्षे उ से संबंधित कुल निवल आय, शेयरधारकों की निधि और आर ओ ई का विवरण तालिका-5.11 में दिया गया है।

तालिका-5.11: रा सा क्षे उ से संबंधित इक्विटी पर प्रतिफल जिनमें राज्य सरकार द्वारा निधियों का संचार किया गया था

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल निवल आय	शेयरधारकों की निधि	आर ओ ई (प्रतिशतता में)
2018-19	(-) 450.60	673.83	--
2019-20	(-) 334.40	411.80	--
2020-21	104.76	341.98	30.63

चूंकि 2018-19 से 2019-20 के दौरान रा सा क्षे उ की कुल शुद्ध आय नकारात्मक थी, इसलिए आर ओ ई की गणना नहीं की जा सकी थी। यू पी सी एल की हानियों में, 2019-20 में (-) ₹ 577.31 करोड़ से 2020-21 में (-) ₹ 151.75 करोड़ की गिरावट आने के कारण 2020-21 में आर ओ ई सकारात्मक थी।

²² शेयरधारकों की निधि = प्रदत्त पूँजी और मुक्त कोष में से, निवल संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय को घटाकर की जाती है।

5.7.3 सरकारी निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आर ओ आर आर)

आर ओ आर आर इक्विटी तथा समान गैर-ब्याज वाली पूँजियों का समय मूल्य {वर्तमान मूल्य (पी वी)} पर समायोजन करने के पश्चात, उनके निवेश की लाभप्रदता और दक्षता को मापता है तथा पारंपरिक प्रतिफल दर (आर ओ आर) के साथ तुलना करने पर महत्व रखता है, जिसकी गणना करारोपण के पश्चात लाभ को निवेश की मूल लागत से विभाजित करके की जाती है।

14 रा सा क्षे उ में उत्तराखण्ड सरकार के निवेश की आर ओ आर आर की गणना निम्नलिखित धारणा के आधार पर की गई है:

- रा सा क्षे उ में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इक्विटी, ब्याज मुक्त ऋण के रूप में किये गये वास्तविक निवेश तथा सा क्षे उ को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा परिचालन और प्रशासनिक खर्चों के लिए प्रदान किए गए अनुदान एवं सब्सिडी को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निवेश के रूप में माना गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर को पी वी के निर्धारण हेतु चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि यह वर्ष के लिए निधियों के निवेश हेतु सरकार द्वारा वहन की गई लागत को दर्शाते हैं और इसलिए इसे सरकार द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना गया था।
- उत्तराखण्ड सरकार के निवेश की आर ओ आर आर गणना हेतु 2000-01 से 2020-21 तक की अवधि को लिया गया है तथा 31 मार्च 2001 को इन 14 रा सा क्षे उ में निवेश को माना गया है, क्योंकि 2000-01 के प्रारम्भ में उत्तराखण्ड सरकार के निवेश का पी वी माना गया है।

2000-01 से 31 मार्च 2021 तक 14 रा सा क्षे उ उत्तराखण्ड सरकार के निवेश के आर ओ आर आर की समेकित स्थिति तालिका 5.12 में दर्शाई गई है।

तालिका-5.12: सरकारी निवेश पर आर ओ आर आर पर आधारित निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष की शुरुआत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान उ स द्वारा निवेशित इक्विटी	वर्ष के दौरान उ स द्वारा दिए गए ब्याज मुक्त ऋण	परिचालन और प्रशासनिक व्यय के लिए उ स द्वारा दिए गए अनुदान/सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	उ स की उधारी पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए निधियों की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल आय
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ण	ट
					ग+घ+ङ.	ख+च		छ*(1+ज/100)	छ*ज/100	
प्रा अ		17.54	0.00	0.00	17.54	17.54	0.00	17.54		
2001-02	17.54	16.00	0.00	0.00	16.00	33.54	8.36	36.34	2.80	-30.06
2002-03	36.34	1.20	1.00	0.00	2.20	38.54	10.40	42.55	4.01	-13.80
2003-04	42.55	0.00	0.00	0.25	0.25	42.80	8.51	46.45	3.64	-34.73
2004-05	46.45	169.66	0.00	0.40	170.06	216.51	9.10	236.21	19.70	-180.75
2005-06	236.21	241.64	0.00	1.58	243.22	479.43	7.47	515.24	35.81	-125.29
2006-07	515.24	119.98	-0.25	1.00	120.73	635.97	7.79	685.51	49.54	-180.25
2007-08	685.51	229.20	0.00	0.00	229.20	914.71	7.99	987.80	73.09	-206.65

2008-09	987.80	72.08	0.00	3.35	75.43	1063.23	7.75	1145.63	82.40	-347.35
2009-10	1145.63	697.83	0.00	9.18	707.01	1852.64	7.64	1994.18	141.54	-543.10
2010-11	1994.18	31.78	0.00	0.12	31.90	2026.08	7.34	2174.79	148.71	-196.78
2011-12	2174.79	42.78	0.00	0.00	42.78	2217.57	7.83	2391.21	173.64	5.33
2012-13	2391.21	517.30	0.00	0.00	517.30	2908.51	8.50	3155.73	247.22	8.80
2013-14	3155.73	258.80	0.00	0.29	259.09	3414.82	7.57	3673.33	258.50	339.32
2014-15	3673.33	171.25	0.00	0.35	171.60	3844.93	7.73	4142.14	297.21	-134.66
2015-16	4142.14	208.54	8.00	19.60	236.14	4378.28	8.19	4736.86	358.58	155.53
2016-17	4736.86	130.01	0.00	12.96	142.97	4879.83	8.91	5314.62	434.79	-175.02
2017-18	5314.62	53.15	0.00	61.21	114.36	5428.98	8.27	5877.96	448.98	-136.60
2018-19	5877.96	193.01	0.00	232.01	425.02	6302.98	8.15	6816.67	513.69	-464.53
2019-20	6816.67	133.34	0.00	128.79	262.13	7078.80	7.26	7592.72	513.92	-334.40
2020-21	7592.72	147.58	0.00	101.28	248.86	7841.58	6.83	8377.16	535.58	104.76
योग		3452.67	8.75	572.37	4033.79					

स्रोत: नवीनतम वित्तीय विवरण और रा सा क्षे उ से प्राप्त जानकारी।

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि इन रा सा क्षे उ में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निवेश की शेष राशि 2000-01 में ₹ 17.54 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 4,033.79 करोड़²³ हो गई क्योंकि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इक्विटी (₹ 3,435.13 करोड़), ब्याज मुक्त ऋण (₹ 8.75 करोड़) तथा अनुदान / सब्सिडी (₹ 572.37 करोड़) के रूप में 2001-02 से 2020-21 की अवधि के दौरान अतिरिक्त निवेश किया गया था। 31 मार्च 2021 को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निवेश किये गए धन का पी वी ₹ 8,377.16 करोड़ था।

मात्र 2013-14 के दौरान इन 14 रा सा क्षे उ की आय आर ओ आर आर से अधिक थी। शेष वर्षों में आय आर ओ आर आर से कम थी जो कि मुख्यतः डी ओ एस सी एल, के एस सी एल और यू पी सी एल द्वारा वहन की गई हानि के कारण थी। दो रा सा क्षे उ अर्थात् पी टी सी यू एल और यू जे वी एन ने, उत्तराखण्ड राज्य में एकमात्र ऊर्जा प्रेषक (पी टी सी यू एल) और मुख्य विद्युत उत्पादक (यू जे वी एन) होने के कारण, 2018-19 से 2020-21 के दौरान बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के कारण अधिकतम लाभ अर्जित किया।

5.8 रा सा क्षे उ जिनमें हानि हुई

5.8.1 वहन की गई हानि

इस अध्याय में शामिल 14 रा सा क्षे उ में से तीन²⁴ रा सा क्षे उ ने मार्च 2021 को समाप्त हुई अवधि के लिए अपने नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार हानि वहन की थी। इन रा सा क्षे उ द्वारा वहन की गई हानि 2018-19 में ₹ 570.60 करोड़ से घटकर 2020-21 में ₹ 171.82 करोड़ हो गई। जैसाकि तालिका-5.13 में दर्शाया गया है।

²³ ₹ 4033.79 करोड़ = ₹ 3452.67 करोड़ (इक्विटी) + ₹ 8.75 करोड़ (ब्याज मुक्त ऋण) + ₹ 572.37 करोड़ (परिचालन और प्रशासनिक व्यय के लिए अनुदान/सब्सिडी)

²⁴ यू पी सी एल, यू के एम आर सी और डी ओ एस सी एल

तालिका-5.13: हानि वहन करने वाले रा सा क्षे उ का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	हानि वहन करने वाले रा सा क्षे उ की संख्या	वर्ष के लिए निवल हानि	संचित हानि	निवल मूल्य ²⁵
2018-19	4	(-) 570.60	(-)3,532.66	(-) 2,093.57
2019-20	3	(-) 596.76	(-) 4,098.90	(-)2,647.89
2020-21	3	(-)171.82	(-) 4,251.98	(-) 2,770.97

2020-21 में, तीन रा सा क्षे उ द्वारा वहन की गई ₹ 171.82 करोड़ की कुल हानि में से, ₹ 151.75 करोड़ की हानि का योगदान अकेले उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) द्वारा किया गया था। यू पी सी एल के संबंध में हानि का मुख्य कारण ₹ 4.97 प्रति यूनिट की औसत लागत के सापेक्ष ₹ 4.86 प्रति यूनिट की राजस्व वसूली थी। डी ओ एस सी एल के संबंध में हानि वहन करने का मुख्य कारण ₹ 18.75 करोड़ की हानि के सापेक्ष ₹ 21.43 करोड़ की उच्च वित्तीय लागत थी।

5.8.2 रा सा क्षे उ में पूँजी का क्षरण

31 मार्च 2021 तक छः रा सा क्षे उ²⁶ की संचित हानि ₹ 4,810.16 करोड़ की थी, जिसमें से तीन रा सा क्षे उ²⁷ को वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 171.82 करोड़ की हानि हुई थी। इसके अलावा, अन्य तीन रा सा क्षे उ²⁸ ने हानि वहन नहीं की यद्यपि उनकी संचित हानि ₹ 558.18 करोड़ की थी।

संचित हानियों से इन छः रा सा क्षे उ का निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया था और उनका निवल मूल्य नकारात्मक था। 31 मार्च 2021 को इन रा सा क्षे उ का निवल मूल्य, ₹ 1,499.75 करोड़ के इक्विटी निवेश के सापेक्ष (-) ₹ 3,307.08 करोड़ था। छः रा सा क्षे उ में से, जिनकी पूँजी का क्षय हुआ था, तीन रा सा क्षे उ²⁹ ने 2020-21 की अवधि के दौरान ₹ 15.09 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। छः रा सा क्षे उ में से पाँच³⁰ में, जिनकी पूँजी का क्षय हो गया था, 31 मार्च 2021 को उत्तराखण्ड सरकार का बकाया ऋण ₹ 302.39 करोड़ था।

5.9 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और (7) के अंतर्गत सरकारी कंपनी और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की

²⁵ निवल मूल्य = प्रदत्त शेयर पूँजी और स्वतंत्र आरक्षित जमा और अधिशेष के कुल योग में से संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय को घटाना। स्वतंत्र आरक्षित जमा का अर्थ है, लाभ के लिए सभी भंडार और शेयर प्रीमियम खाता, लेकिन परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से सृजित भंडार और मूल्यहास प्रावधान इसमें सम्मिलित नहीं है।

²⁶ यू पी सी एल, डी ओ एस सी एल, के एस सी एल, यू के एम आर सी, पेयजल संसाधन और यू के टी डी सी।

²⁷ यू पी सी एल, डी ओ एस सी एल, यू के एम आर सी।

²⁸ के एस सी एल, पेयजल संसाधन और यू के टी डी सी।

²⁹ के एस सी एल, पेयजल संसाधन और यू के टी डी सी।

³⁰ यू पी सी एल, डी ओ एस सी एल, के एस सी एल, पेयजल संसाधन और यू के टी डी सी।

नियुक्ति करते हैं। नि म ले प को अनुपूरक लेखापरीक्षा करने और सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर टिप्पणियाँ जारी करने या अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। कुछ निगमों को शासित करने वाली विधियों के अनुसार उनके लेखों की लेखा परीक्षा नि म ले प द्वारा की जाएगी तथा लेखा परीक्षित लेखे एवं पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट विधायिका को प्रस्तुत की जाए।

5.10 नि म ले प द्वारा रा सा क्षे उ के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधानित है कि सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति नि म ले प द्वारा वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 180 दिनों की अवधि के भीतर किया जाना है। वर्ष 2020-21 के लिए इन कंपनियों के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति नि म ले प द्वारा की गयी।

5.11 रा सा क्षे उ द्वारा लेखों का प्रस्तुतिकरण

5.11.1 वार्षिक रिपोर्ट और लेखे समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, किसी सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों पर वार्षिक रिपोर्ट उसकी वार्षिक आम बैठक³¹ (ए जी एम) के तीन माह के भीतर तैयार की जानी है। उसके बनने के तुरन्त बाद, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं नि म ले प की टिप्पणियों या लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुपूरक की प्रति के साथ वार्षिक प्रतिवेदन विधायिका के समक्ष रखा जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में मौजूद समान प्रावधान हैं। यह तंत्र राज्य की संचित निधि से कंपनियों में निवेश किए गए लोक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयर धारकों की ए जी एम आयोजित करने की आवश्यकता होती है। यह भी अंकित है कि एक ए जी एम की तारीख से आगामी ए जी एम के मध्य 15 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में यह निर्धारित किया गया है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को उनके विचारार्थ उक्त ए जी एम में प्रस्तुत करना होता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर कंपनी के निदेशकों सहित उत्तरदायी व्यक्तियों पर जुर्माना और कारावास जैसे दंड का प्रावधान है।

³¹ प्रथम ए जी एम के मामले में, प्रथम वित्तीय वर्ष के समापन की तारीख से नौ माह की अवधि के भीतर और किसी भी अन्य मामले में वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर आयोजित किया जाएगा। यद्यपि, 2020-21 के दौरान ए जी एम की तारीख को 30 नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है।

विभिन्न रा सा क्षे उ के वार्षिक लेखे 30 नवंबर 2021 को बकाया थे, जैसा कि निम्नलिखित प्रस्तर में दिया गया है।

5.11.2 रा सा क्षे उ द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता

31 मार्च 2021 तक, नि म ले प के लेखापरीक्षा दायरे में 28 सरकारी कंपनियाँ थीं। यद्यपि, पाँच सरकारी कम्पनियों ने 30 नवम्बर 2021 तक लेखे तैयार कर नि म ले प को लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किये थे। 21 सरकारी कम्पनियों के लेखे बकाया थे। सरकारी कम्पनियों के जमा किये जाने वाले शेष लेखों का विवरण तालिका-5.14 में दिया गया है।

तालिका-5.14: सरकारी कम्पनियों के जमा किये जाने वाले शेष लेखों का विवरण

विवरण		संख्या
31 मार्च 2021 को नि म ले प के लेखापरीक्षा दायरे में आने वाली कंपनियों की कुल संख्या		28
30 नवंबर 2021 तक लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2020-21 का लेखा प्रस्तुत करने वाली कंपनियों की संख्या		05 ³²
परिसमापन के अंतर्गत कंपनियों की संख्या		02 ³³
कंपनियों की संख्या जिनके लेखे बकाया थे		21
21 कंपनियों के बकाया लेखों की संख्या		234
बकाया का विभाजन	(i) अकार्यरत (परिसमापन के अंतर्गत दो कंपनियों को छोड़ कर सात कंपनियाँ)	171
	(ii) अन्य (14 कंपनियाँ)	63
“अन्य” श्रेणी के सापेक्ष बकाया का आयु-वार विश्लेषण		
आठ कंपनियों के एक वार्षिक (2020-21) लेखे		08
दो वर्ष (2019-20 और 2020-21)		शून्य
तीन वर्ष और उससे अधिक (छः कंपनियाँ ³⁴)		55

राज्य में नौ अकार्यरत कंपनियाँ (परिसमापन के अंतर्गत दो सहित) हैं, जिनके लेखों का बकाया सात से 34 वर्षों के बीच है। उत्तराखण्ड सरकार ने इन अकार्यरत कंपनियों में ₹ 37.31 करोड़ (इक्विटी ₹ 12.28 करोड़ और ऋण ₹ 25.03 करोड़) का निवेश किया था। यह एक गंभीर क्षेत्र है क्योंकि इन अकार्यरत कंपनियों में निवेश उत्तराखण्ड के आर्थिक विकास में योगदान नहीं देता है और राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर है (परिशिष्ट 5.1)।

इसके अलावा, 14 कार्यरत कंपनियाँ, जिनके 30 नवंबर 2021 तक, 63 वार्षिक लेखे एक वर्ष से 16 वर्षों तक बकाया में थे। लेखों के बकाये की अवधि के दौरान, उत्तराखण्ड सरकार ने छः कंपनियों में ₹ 234.29 करोड़ (अनुदान/सब्सिडी: ₹ 155.26 करोड़, इक्विटी ₹ 79.03 करोड़) का निवेश किया था जबकि पाँच कंपनियों में कोई और निवेश नहीं किया गया था और तीन कंपनियों ने न तो कोई जानकारी प्रस्तुत की थी और न ही अपने प्रथम लेखे प्रस्तुत किए थे। इन कंपनियों के लेखों को

³² यू के एम आर सी, यू जे वी एन, यू पी सी एल, के सी एल और यू पी एन एल।

³³ यू पी ए आई और यूपी डिजिटल्स लिमिटेड।

³⁴ सिडकुल, के एम वी एन, जी एम वी एन, यू ए के डब्ल्यू वी एन, ई टी डी सी और यू बी वी वी एन।

अंतिम रूप दिए जाने के अभाव में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया गया निवेश, लेखापरीक्षा और राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहा (परिशिष्ट 5.3)।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) ने इन कंपनियों के लेखों को अंतिम रूप दिए जाने में शीघ्रता हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार के साथ नियमित पत्राचार किया।

5.11.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता

नि म ले प द्वारा चार सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा की गयी। किसी भी सांविधिक निगम ने वर्ष 2020-21 के लिए 30 नवंबर 2021 तक, लेखापरीक्षा हेतु अपने लेखे तैयार और प्रस्तुत नहीं किए थे। 30 नवंबर 2021 तक इन सांविधिक निगमों के पंद्रह लेखे, दो से छः वर्ष की अवधि के लिए बकाया थे।

5.12 नि म ले प का पर्यवेक्षण - लेखों की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा

5.12.1 वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचा

कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप और केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा सिद्धान्त के अनुपालन में लेखा मानको पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से वित्तीय विवरण तैयार करने आवश्यक हैं। सांविधिक निगमों को, नि म ले प के परामर्श से नियमों के अंतर्गत बनाए गए निर्धारित प्रपत्र तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में दिए गए लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान के अंतर्गत अपने लेखों को तैयार करने की आवश्यकता है।

5.12.2 सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नि म ले प द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा करते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

नि म ले प सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन के पर्यवेक्षण के लिए एक समग्र भूमिका निभाता है, जिससे कि सांविधिक लेखापरीक्षक उसे सौंपे गए कार्यों को ठीक और प्रभावी ढंग से निर्वहन करें। यह कार्य शक्तियों के प्रयोग द्वारा निर्वहन किया जाता है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को दिशा-निर्देश जारी करना, और
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर अनुपूरक लेखापरीक्षा अथवा टिप्पणी करना।

5.12.3 सरकारी कंपनियों के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचे के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने का मुख्य उत्तरदायित्व इकाई के प्रबंधन का है।

सांविधिक लेखापरीक्षक जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नि म ले प द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत, भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की मानक लेखापरीक्षा पद्धतियों तथा नि म ले प द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश के अन्तर्गत एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरण पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत नि म ले प को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।

नि म ले प द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखों की समीक्षा अनुपूरक लेखापरीक्षा द्वारा की जाती है। इस प्रकार की समीक्षा के आधार पर, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ, यदि कोई हो, को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत प्रतिवेदित कर ए जी एम के सम्मुख रखा जाएगा।

5.13 नि म ले प के पर्यवेक्षण की भूमिका का परिणाम

5.13.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा

1 जनवरी 2021 से 30 नवंबर 2021 की अवधि के दौरान दस सरकारी कंपनियों से वर्ष 2020-21 और विगत वर्षों के लिए पंद्रह वित्तीय विवरण प्राप्त हुए थे। जिनमें से नि म ले प द्वारा लेखापरीक्षा में रा सा क्षे उ के दस वित्तीय विवरणों की समीक्षा की गई और शेष पाँच वित्तीय विवरणों के संबंध में समीक्षा न करने का निर्णय लिया गया था। समीक्षाओं के परिणाम निम्नलिखित प्रस्तर में विस्तृत हैं:

5.13.2 सरकारी कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के अनुपूरक के रूप में जारी नि म ले प की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2020-21 और विगत वर्षों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के पश्चात्, नि म ले प ने दस सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की। सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ, जिसका लाभप्रदता के साथ-साथ परिसंपत्तियों/देनदारियों पर ₹ 88.82 करोड़ का वित्तीय प्रभाव था, नीचे तालिका-5.15 में वर्णित है।

तालिका-5.15: सरकारी कंपनियों की लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव

कंपनी का नाम (लेखों का वर्ष)	टिप्पणियाँ
1. यू जे वी एन लिमिटेड (2020-21)	व्यापार प्राप्य के साथ-साथ लाभ को निम्नलिखित के कारण ₹ 35.99 करोड़ से अधिक दर्शाया गया: क. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) द्वारा जारी टैरिफ आदेश के प्रावधान के विपरीत, अग्रिम कर के विलंबित भुगतान पर ₹ 3.62 करोड़ के दंडात्मक ब्याज को यू पी सी एल से वसूली योग्य दर्शाया। ख. यू ई आर सी के निर्देशों के विपरीत यू पी सी एल (₹ 27.61 करोड़) और एच पी एस ई बी (₹ 4.76 करोड़) से वसूली योग्य राशि का अधिक समावेश किया गया।
2. यू पी सी एल (2020-21)	लेखा मानक-5 की आवश्यकता के उल्लंघन में यू पी सी एल ने वर्ष 2019-20 के लिए यू जे वी एन लिमिटेड को देय जल कर की राशि के रूप में ₹ 13.44 करोड़ के पूर्व अवधि व्यय को प्रकट नहीं किया था।
3. सिडकुल (2017-18)	निम्नलिखित के कारण अल्पावधि प्रावधानों को कम दर्शाया गया और लाभ को ₹ 8.00 करोड़ से अधिक दर्शाया गया: क. 01.01.2017 से 28.02.2018 तक की अवधि से संबंधित 7वें वेतन आयोग के बकाया के भुगतान हेतु ₹ 0.50 करोड़ का प्रावधान नहीं किया गया था। ख. हुडको से ₹ 200.00 करोड़ के ऋण के संबंध में, राज्य सरकार को देय ₹ 3.75 करोड़ की गारंटी शुल्क और उस पर ₹ 3.75 करोड़ के जुर्माने के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
4. जी एम वी एन लिमिटेड (2015-16)	मौजूदा देनदारियों और हानि को ₹ 34.64 करोड़ से कम दर्शाया गया था क्योंकि बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार एल आई सी द्वारा निर्धारित उपदान देयता का प्रावधान लेखों में नहीं किए जाने के कारण, लेखों में इसका प्रावधान नहीं किया गया था।
5. पी टी सी यू एल (2019-20)	क. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के साथ-साथ लाभ को ₹ 0.83 करोड़ से अधिक दर्शाया गया था क्योंकि भिलंगना हाइड्रो पावर लिमिटेड से पारेषण शुल्क पर प्राप्य दिखाए गए विलम्ब भुगतान अधिभार के सापेक्ष संदिग्ध ऋण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। ख. इनवेंटरी के साथ-साथ लाभ को ₹ 9.36 करोड़ से अधिक दर्शाया गया क्योंकि अनुपयोगी इनवेंटरी: ₹ 0.16 करोड़, अप्रचलित इनवेंटरी: ₹ 5.77 करोड़ और स्ट्रेप: ₹ 3.43 करोड़ के घटे हुए मूल्य के लिए प्रावधान नहीं किया गया था।

5.13.3 सांविधिक निगम जहाँ नि म ले प एकमात्र लेखापरीक्षक है

चार सांविधिक निगमों अर्थात् यू पी एन, यू एफ डी सी, पेयजल संसाधन और यू एस डब्ल्यू सी की लेखा परीक्षा नि म ले प द्वारा की जाती है। 1 जनवरी 2021 से 30 नवंबर 2021 की अवधि के दौरान इन निगमों ने लेखापरीक्षा हेतु अपना कोई भी लेखा प्रस्तुत नहीं किया।

5.14 लेखा मानकों/ इंड-एएस के प्रावधानों का अनुपालन न करना

कंपनी अधिनियम की धारा 129(1), धारा 132 और धारा 133 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा लेखा मानक एक से सात और नौ से 29 निर्धारित किये गये हैं। इनके अलावा, केंद्र सरकार ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2016 के माध्यम से 41 भारतीय लेखा मानकों (इंड-एएस) अधिसूचित किया गया है।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान, रा सा क्षे उ द्वारा लेखा मानकों का अनुपालन उचित रहा। यह देखा गया था कि सांविधिक लेखापरीक्षक ने दो³⁵ लेखों पर लेखा मानकों के गैर-अनुपालन के सात दृष्टान्तों को इंगित किया और नि म ले प द्वारा अपनी अनुपूरक लेखापरीक्षा में, छः³⁶ लेखों पर लेखांकन मानकों के गैर-अनुपालन के नौ दृष्टान्तों और इंड-एस के गैर-अनुपालन के एक³⁷ दृष्टान्त को इंगित किया गया।

5.15 प्रबंधन पत्र

नि म ले प द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत रा सा क्षे उ के वित्तीय विवरणों पर मुख्य प्रेक्षण को टिप्पणियों के रूप में प्रतिवेदित किया गया। इन टिप्पणियों के अलावा, वित्तीय रिपोर्टों में या रिपोर्टिंग प्रक्रिया में नि म ले प द्वारा अवलोकित की गयी अनियमितताओं या कमियों में सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए प्रबंधन पत्रों के माध्यम से संबंधित रा सा क्षे उ के प्रबंधन को भी सूचित किया गया। 1 जनवरी से 30 नवंबर 2021 की अवधि के दौरान, तीन रा सा क्षे उ अर्थात् सिडकुल, यू जे वी एन एल और यू पी सी एल को प्रबंधन पत्र जारी किए गए थे। प्रबंधन के ध्यान देने की आवश्यकता वाली कमियों को इन प्रबंधन पत्रों में उजागर किया गया।

5.16 निष्कर्ष

- 31 मार्च 2021 तक, विगत सात से 34 वर्षों से नौ अकार्यरत रा सा क्षे उ (दो परिसमापन के अंतर्गत सहित) थे, जिसके लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उनके संचालन/बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया था।
- 11 रा सा क्षे उ द्वारा अर्जित कुल ₹ 276.58 करोड़ के लाभ में से 98.29 प्रतिशत का योगदान पाँच रा सा क्षे उ द्वारा किया गया था। लाभ कमाने वाले रा सा क्षे उ में से दो ने वर्ष 2020-21 के दौरान उत्तराखण्ड सरकार को लाभांश घोषित/भुगतान किया था परन्तु अन्य नौ रा सा क्षे उ ने लाभांश का भुगतान/घोषणा नहीं किया था।
- तीन रा सा क्षे उ द्वारा वहन की गयी ₹ 171.82 करोड़ की कुल हानि में से, ₹ 151.75 करोड़ की हानि का योगदान अकेले यू पी सी एल द्वारा किया गया था।
- रा सा क्षे उ कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अपने वार्षिक लेखे जमा करने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं कर रहे थे, परिणामस्वरूप, 21 सरकारी कंपनियों के 234 वार्षिक लेखे बकाया थे। इसमें सात अकार्यरत कंपनियों के 171 लेखे शामिल थे। इसके अतिरिक्त चार सांविधिक निगमों के 15 लेखे भी बकाया थे।
- रा सा क्षे उ के वित्तीय विवरणों पर नि म ले प की टिप्पणियों का वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 88.82 करोड़ था।

³⁵ यू पी सी एल और ब्रिडकुल वर्ष 2019-20 के दौरान।

³⁶ पी टी सी यू एल, डी ओ एस सी एल, यू पी एन एल, यू के एम आर सी, यू पी डी सी सी एल और यू एफ डी सी।

³⁷ पी टी सी यू एल।

5.17 संस्तुतियाँ

राज्य सरकार:

- सात अकार्यरत रा सा क्षे उ के विषय में परिसमापन प्रक्रिया प्रारम्भ करने के संबंध में निर्णय लें और परिसमापन के अंतर्गत दो रा सा क्षे उ की परिसमापन प्रक्रिया में तेजी ला सकती है।
- लाभ अर्जित करने वाले रा सा क्षे उ द्वारा योगदान की जाने वाली लाभांश की न्यूनतम दर को निर्दिष्ट करते हुए एक लाभांश नीति तैयार कर सकती है।
- यू पी सी एल को व्यवहार्य बनाने के लिए योजना तैयार कर सकती है।
- रा सा क्षे उ के वित्तीय विवरण समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर सकती है।

देहरादून
दिनांक: 12 मई 2022



(प्रवीन्द्र यादव)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
उत्तराखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 18 मई 2022



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1
(संदर्भ: प्रस्तर-1.1; पृष्ठ 1)
राज्य की रूपरेखा

क्र. सं.	विवरण		आँकड़े
1.	क्षेत्रफल		53,483 वर्ग किमी
	क.	पर्वतीय	46,035 वर्ग किमी
	ख.	मैदान	7,448 वर्ग किमी
	ग.	वनीय	38,117 वर्ग किमी
2.	जनपद (10 पर्वतीय क्षेत्र तथा 3 मैदानी क्षेत्र)		13 जनपद
3.	जनसंख्या		
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार	84.89 लाख
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार	100.86 लाख
4.	क.	जनसंख्या घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व =324 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी)	159 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
	ख.	जनसंख्या घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी)	189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
5.	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी पी एल) (अखिल भारतीय औसत=21.92 प्रतिशत)		11.26 प्रतिशत
6.	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत=64.80 प्रतिशत)	71.62 प्रतिशत
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत=73.00 प्रतिशत)	78.80 प्रतिशत
7.	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय औसत=30 प्रति 1,000 जीवित जन्म)		27
8.	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत=69.40)		70.90
9.	एच डी आई मूल्य उत्तराखण्ड (एच डी आर 2019) (अखिल भारतीय औसत=0.645)		0.72
10.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) 2020-21 प्रचलित दरों पर (₹ करोड़ में)		2,37,747
11.	प्रति व्यक्ति स रा घ उ सी ए जी आर (2011-12 से 2020-21)	उत्तराखण्ड	9.17
	प्रति व्यक्ति स घ उ सी ए जी आर (2011-12 से 2020-21)	अखिल भारतीय	8.21
12.	स रा घ उ सी ए जी आर (2011-12 से 2020-21) प्रचलित दरों पर	उत्तराखण्ड	8.37
	स घ उ सी ए जी आर (2011-12 से 2020-21) प्रचलित दरों पर	अखिल भारतीय	9.48
13.	जनसंख्या वृद्धि (2011 से 2021)	उत्तराखण्ड	12.83
		अखिल भारतीय	12.30

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: प्रस्तर-2.3.3 एवं 2.6; पृष्ठ 24 एवं 36)

राज्य सरकार के वित्त पर समय श्रृंखला आँकड़े

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
भाग अ. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	24,889	27,105	31,216	30,723	38,205
(i) कर राजस्व	10,897 (44)	10,165 (37)	12,188 (39)	11,513 (37)	11,938 (31)
एस जी एस टी	--	1,972 (19)	4,802 (39)	4,931 (43)	5,053 (42)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	7,154 (66)	3,703 (37)	1,883 (15)	1,811 (16)	1,858 (16)
राज्य आबकारी	1,906 (18)	2,262 (22)	2,871 (24)	2,727 (24)	2,966 (25)
वाहनों पर कर	556 (5)	816 (8)	909 (8)	908 (8)	741 (6)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	778 (7)	882 (9)	1,015 (8)	1,072 (9)	1,107 (9)
भू-राजस्व	160 (1)	24 (-)	34 (-)	24 (-)	17 (0)
माल एवं यात्रियों पर कर	--	--	--	--	00 (0)
अन्य	343 (3)	506 (5)	674 (6)	40 (-)	196 (2)
(ii) करेत्तर राजस्व	1,346 (5)	1,770 (7)	3,310 (10)	3,999 (13)	4,171 (11)
(iii) केन्द्रीय करों और शुल्कों का राज्यांश	6,412 (26)	7,085 (26)	8,011 (26)	6,902 (22)	6,569 (17)
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	6,234 (25)	8,085 (30)	7,707 (25)	8,309 (27)	15,527 (41)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--	--	0.01	--	0.20
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूतियाँ	35	34	27	19	23
4. कुल राजस्व एवं ऋणेततर पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	24,924	27,139	31,243	30,742	38,228
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	6,501	7,526	7,275	6,148	9,787
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	6,355(98)	7,412 (98)	7,170 (99)	5,765 (94)	6,728 (69)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	--	--	--	313 (05)	--
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	146 (2)	114 (2)	105 (1)	70 (01)	3,059 (31)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	31,425	34,665	38,518	36,890	48,015
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	395	105	217	94	02
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	27,855	37,571	41,790	45,330	47,563
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	59,675	72,341	80,525	82,314	95,580
भाग ब. व्यय/संवितरण¹					
10. राजस्व व्यय	25,272	29,083	32,196	32,859	37,091
आयोजनागत					
राज्य निधि व्यय	6,344 (25)	25,570 (88)	28,296 (88)	28,893 (88)	32,678 (88)
आयोजनेत्तर					
केंद्रीय सहायता	18,928 (75)	3,513 (12)	3,900 (12)	3,966 (12)	4,413 (12)
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतानों सहित)	9,934 (39)	12,409 (43)	13,525 (42)	13,844 (42)	14,826 (40)
सामाजिक सेवाएँ	10,529 (42)	10,929 (37)	12,209 (38)	12,593 (39)	14,762 (40)

¹ वित्त पोषण का आयोजनागत और आयोजनेत्तर विभाजन, वर्ष 2017-18 से बंद कर दिया गया है और राज्य निधि व्यय और केंद्रीय सहायता में द्विविभाजित किया जा रहा है।

आर्थिक सेवाएँ	3,903 (15)	4,276 (15)	5,003 (16)	4,704 (14)	5,571 (15)	
सहायता अनुदान एवं अंशदान	906 (4)	1,469 (5)	1,459 (4)	1,717 (5)	1,932 (5)	
11. पूँजीगत व्यय	4,954	5,914	6,184	5,414	6,538	
आयोजनागत	राज्य निधि व्यय	4,076 (82)	4,274 (72)	3,533 (57)	3,055 (56)	3,192 (49)
आयोजनेत्तर	केंद्रीय सहायता	878 (18)	1,640 (28)	2,651 (43)	2,359 (44)	3,346 (51)
सामान्य सेवाएँ	72 (1)	804 (14)	454 (7)	362 (7)	755 (11)	
सामाजिक सेवाएँ	948 (19)	1,086 (18)	1,099 (18)	1,610 (30)	1,938 (30)	
आर्थिक सेवाएँ	3,934 (80)	4,024 (68)	4,631 (75)	3,442 (63)	3,845 (59)	
12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	165	77	183	126	38	
13. राज्य का कुल व्यय (10+11+12)	30,391	35,074	38,563	38,399	43,667	
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1,128	1,721	2,057	2,131	2,921	
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	1,093	1,681	2,013	2,084	2,550	
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	--	--	--	--	313	
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	35	40	44	47	58	
15. आकस्मिकता निधि को विनियोग	--	-250	0	0	0	
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	31,519	36,545	40,620	40,530	46,588	
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	228	482	107	26	226	
18. लोक लेखा संवितरण	26,607	35,366	39,947	42,569	47,261	
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	58,354	72,393	80,674	83,125	94,075	
भाग स. घाटा/आधिक्य						
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+) (1-10)	(-) 383	(-) 1,978	(-) 980	(-) 2,136	(+) 1,114	
21. राजकोषीय घाटा (4-13)	5,467	7,935	7,320	7,657	5,439	
22. प्राथमिक घाटा (-)/ प्राथमिक आधिक्य (+) (21+23)	(-) 1,744	(-) 3,948	(-) 2,845	(-) 3,153	(-) 666	
भाग द. अन्य आँकड़े						
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	3,723	3,987	4,475	4,504	4,773	
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	3,850	3,664	4,466	4,800	6,441	
25. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपभोग (दिवस)	90	90	167	140	96	
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	3.84	5.24	6.08	5.18	5.21	
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ)[@]	1,95,125	2,19,954	2,36,768	2,53,666	2,37,747	
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अन्त में)	44,583	51,831	58,039	65,982	73,751	
29. बकाया प्रत्याभूतियाँ (वर्ष के अन्त में) (ब्याज रहित)	1,248	1,173	1,311	854	729	
30. प्रत्याभूत अधिकतम धनराशि (वर्ष के अन्त में)	2,805	2,105	2,105	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या (संख्या में)	297	260	202	210	143	
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी (₹ करोड़ में)	1,007.56	631.94	480.30	627.08	437.61	
भाग य. राजकोषीय सुदृढ़ता-सूचक (अनुपात में)						
I संसाधन का जुटाव						
स्वयं का कर राजस्व/स रा घ उ	0.056	0.046	0.051	0.045	0.050	
स्वयं का करेत्तर राजस्व/स रा घ उ	0.007	0.008	0.014	0.016	0.018	
केन्द्रीय अन्तरण/स रा घ उ	0.065	0.069	0.066	0.060	0.093	
II व्यय प्रबन्धन						
कुल व्यय/स रा घ उ	0.156	0.159	0.163	0.151	0.184	
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	1.22	1.29	1.24	1.25	1.14	
राजस्व व्यय/ कुल व्यय	0.83	0.83	0.83	0.86	0.85	

*नोट: बदला हुआ प्रपत्र

सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.38	0.34	0.35	0.37	0.38
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.26	0.24	0.25	0.21	0.22
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.16	0.17	0.16	0.14	0.15
सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.16	0.15	0.15	0.13	0.13
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स रा घ उ	(-) 0.002	(-) 0.009	(-) 0.004	(-) 0.008	(+) 0.005
राजकोषीय घाटा /स रा घ उ	(-) 0.028	(-) 0.036	(-) 0.031	(-) 0.030	(-) 0.023
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स रा घ उ	(-) 0.009	(-) 0.018	(-) 0.012	(-) 0.012	(-) 0.003
राजस्व आधिक्य (घाटा)/राजकोषीय घाटा	(+) 0.070	(+) 0.249	(+) 0.134	(+) 0.279	(-) 0.205
निवल प्राथमिक राजस्व शेष/स रा घ उ	(-) 0.021	(-) 0.027	(-) 0.023	(-) 0.026	(-) 0.015
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/स रा घ उ	0.23	0.24	0.25	0.26	0.31
राजकोषीय दायित्व/राजस्व प्राप्ति	1.79	1.91	1.86	2.15	1.93
ऋण पुनर्भुगतान से ऋण प्राप्ति (प्रतिशत में)	17.35	22.87	28.27	34.66	29.85
V अन्य राजकोषीय सुदृढ़ता सूचक					
निवेश का प्रतिफल	15.21	22.69	18.69	14.08	40.02
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/दायित्व	0.96	0.94	0.93	0.90	0.93

कोष्ठकों के आँकड़े प्रत्येक उपशीर्षों के योग से प्रतिशतता (पूर्णांक) को प्रस्तुत करते हैं।

@ आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखण्ड सरकार की वेबसाईट से स रा घ उ आकलन से चालू मूल्य पर स रा घ उ के आँकड़े प्राप्त किये गये हैं।

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: प्रस्तर-3.1; पृष्ठ 77)

बजट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली

क्र. सं.	शब्द	व्याख्या
1.	एक वर्ष का 'लेखा' या 'वास्तविक'	1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और संवितरणों की मात्रा, अंत में लेखा प्राधिकरण की पुस्तकों में दर्ज की गई (जैसाकि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित है)। अंतिम लेखों से तात्पर्य अलेखापरीक्षित लेखों से है।
2.	किसी योजना, प्रस्ताव या कार्य की 'प्रशासनिक स्वीकृति'	व्यय के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा औपचारिक स्वीकृति। बजट में निधि के प्रावधान के साथ, यह उस विशेष वर्ष के दौरान कार्य के लिए वित्तीय स्वीकृति के रूप में कार्य करता है जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है।
3.	वार्षिक वित्तीय विवरण	बजट के रूप में संदर्भित का अर्थ है संसद/राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी गई प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र/राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण।
4.	विनियोजन	संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत राशि के अलग-अलग प्राथमिक इकाई के तहत व्यय के लिए प्राधिकृत राशियाँ उसमें से एक हिस्सा, जो संवितरण अधिकारी के निपटान में रखा जाता है।
5.	भारित व्यय	ऐसा व्यय जिसे संविधान के प्रावधानों के तहत विधानमंडल के वोट के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाना है।
6.	भारत/राज्य की समेकित निधि	संघ/राज्य सरकार के सभी राजस्व, इसके द्वारा जुटाए गए ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राप्त सभी धन भारत और राज्य के समेकित निधि का निर्माण करते हैं। इस निधि से निकले किसी भी धन को कानून के अनुसार और संविधान में प्रदान किए गए तरीके के अलावा विनियोजित नहीं किया जा सकता है।
7.	आकस्मिकता निधि	यह एक अग्रदाय की प्रकृति का है। आकस्मिकता निधि का उद्देश्य संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अपने प्राधिकरण को लंबित, एक वर्ष के दौरान होने वाले अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए कार्यकारी/सरकार को अग्रिम प्रदान करना है। संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अनुपूरक मांगों के माध्यम से अनुमोदित करने के बाद, आकस्मिकता निधि से निकाली गई राशि को वापस ले लिया जाता है।
8.	नियंत्रक अधिकारी (बजट)	एक अधिकारी जिसे विभाग द्वारा व्यय और/या राजस्व के संग्रह को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इस शब्दावली में विभागाध्यक्ष और प्रशासक भी शामिल हैं।
9.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	राज्य सरकार की ओर से देयको के आहरण एवं भुगतान करने हेतु कार्यालय प्रमुख और अन्य अधिकारी भी जो कि राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा नामित किया गया है। इस शब्द में एक विभागाध्यक्ष भी शामिल हो सकता है जहाँ वह स्वयं ऐसे कार्य का निर्वहन करता है।
10.	अतिरिक्त अनुदान	अतिरिक्त अनुदान का अर्थ है, मूल/पूरक अनुदान के माध्यम से अनुमति दिए गए प्रावधान के ऊपर और उसके बाद व्यय की मात्रा, जिसे संविधान के अनुच्छेद 115/205 के तहत संसद/राज्य विधानमंडल से अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करके नियमितीकरण की आवश्यकता है।
11.	लोक लेखे	संविधान के अनुच्छेद 266 (2) में उल्लिखित लोक लेखा से अर्थ है। जमा और संवितरण जैसे जमा, आरक्षित निधि, प्रेषण, आदि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं बनती हैं, लोक लेखे में शामिल हैं। लोक लेखे से संवितरण संसद/ राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं, क्योंकि वे भारत/राज्य के समेकित निधि से जारी किए गए धन नहीं हैं।
12.	पुनर्विनियोजन	एक ही अनुदान या भारित विनियोग के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विनियोग की एक ईकाई में हुई बचत को दूसरी ईकाई के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय हेतु हस्तान्तरित करना।
13.	पुनरीक्षित अनुमान	एक वित्तीय वर्ष के लिए संभावित प्राप्तियों या व्यय का एक अनुमान, जो उस वर्ष के लिए तैयार किया गया है, जिसमें शेष वर्ष के लिए प्रत्याशित पहले से दर्ज किए गए लेन-देन और पहले से ही जारी किए गए आदेश।

14.	अनुदान के लिए अनुपूरक माँग	विधायिका के समक्ष रखी गई अनुपूरक माँगों के विवरण का अर्थ है, उस वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राधिकृत व्यय से अधिक और एक वित्तीय वर्ष के संबंध में आवश्यक व्यय की अनुमानित राशि दिखाना। अनुपूरक की माँग टोकन, तकनीकी या मूल/नकदी हो सकती है।
15.	मुख्य शीर्ष	राज्य की प्राप्तियों और संवितरणों को रिकॉर्ड करने और वर्गीकृत करने के उद्देश्य के लिए एक मुख्य शीर्ष है। एक मुख्य शीर्ष, विशेष रूप से समेकित निधि के भीतर आने वाला, आमतौर पर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे सरकार के एक 'कार्य' से मेल रखता है।
16.	उप-मुख्य शीर्ष	एक मुख्य शीर्ष और उसके अधीन लघु शीर्षों के बीच शुरू किए गए लेखों का एक मध्यवर्ती शीर्ष है, जब लघु शीर्ष कई हैं और ऐसे मध्यवर्ती शीर्ष के तहत आसानी से एक साथ समूहीकृत किया जा सकता है।
17.	लघु शीर्ष	लघु शीर्ष से तात्पर्य एक मुख्य शीर्ष या उप-मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ शीर्ष से है। मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ एक लघु शीर्ष मुख्य शीर्ष द्वारा दर्शाए गए कार्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए एक "प्रोग्राम" को दर्शाता है।
18.	उप-शीर्ष	मतलब लघु शीर्ष के अधीनस्थ लेखा की एक इकाई, जो सामान्य रूप से उस लघु शीर्ष या प्रोग्राम के तहत स्कीम या संगठन को दर्शाता है।
19.	मुख्य निर्माण	मुख्य निर्माण से तात्पर्य उस मूल निर्माण से है, जिसकी अनुमानित लागत विभागीय शुल्कों को छोड़कर समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित राशि से अधिक है।
20.	लघु निर्माण	लघु निर्माण से तात्पर्य उस मूल निर्माण से है, जिसकी अनुमानित लागत विभागीय शुल्कों को छोड़कर समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होती है।
21.	संशोधित अनुदान या विनियोजन	इसका मतलब विनियोग के किसी भी उप-शीर्ष को आवंटित धनराशि से है क्योंकि यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनःविनियोग या एक अतिरिक्त या पूरक अनुदान की मंजूरी के बाद आता है।
22.	अनुपूरक एवं अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन	इसका अर्थ है कि उस वर्ष के लिए पहले विनियोग अधिनियम में शामिल राशि से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए एक वित्तीय वर्ष के दौरान विनियोग अधिनियम में शामिल एक प्रावधान।
23.	नए व्यय के लिए अनुसूची	का अर्थ है आगामी वर्ष के लिए बजट में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित नए व्यय की वस्तुओं का विवरण।

परिशिष्ट - 5.1

(संदर्भ: प्रस्तर 5.2.1 एवं 5.11.2 पृष्ठ 138 एवं 150)

नवीनतम वर्ष के लिए राज्य सा क्षेत्र के वित्तीय परिणाम जिसके लेखे प्राप्त हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	रा सा क्षेत्र का नाम	नवीनतम वर्ष जिसके लिए लेखे प्राप्त किए गए	प्रदत्त पूंजी	ऋण	लाभांश, ब्याज से पहले शुद्ध लाभ / हानि	लाभांश, ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभ / हानि	लाभांश, ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ / हानि	वित्त लागत	आवर्त	नियोजित पूंजी	कुल मूल्य	संचित लाभ/ हानि (-)
कार्यरत रा सा क्षेत्र (इस रिपोर्ट में शामिल)												
1	उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	1474.91	1596.43	(-)135.17	(-) 20.22	(-)151.75	114.95	6453.92	(-)779.67	(-)76.10	(-) 3851.01
2	पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2019-20	564.88	867.16	127.08	161.62	97.34	34.54	386.14	1700.68	833.52	268.64
3	यूजेवीएन लिमिटेड	2020-21	1306.77	2042.85	141.12	190.77	136.95	49.65	929.83	4402.71	2359.86	1053.09
4	किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	5.75	0.00
5	ब्रिडकुल*	2019-20	4.00	0.00	3.00	3.25	2.02	0.25	74.03	15.05	15.05	11.05
6	डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड	2019-20	6.00	131.92	(-) 18.75	2.68	(-)18.75	21.43	91.78	(-) 260.79	(-) 392.71	(-) 398.71
7	किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड	2019-20	17.99	119.32	12.58	30.93	12.58	18.35	145.39	-160.70	(-) 280.02	(-) 298.01
8	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2020-21	1.00	0.00	9.11	9.11	9.11	0.00	419.85	66.86	66.86	65.86
9	उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	0.10	0.00	(-) 1.66	(-) 1.66	(-) 1.32	0.00	0.00	(-) 2.16	(-) 2.16	(-) 2.26
10	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
11	उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2019-20	1.07	0.00	0.25	0.25	0.19	0.00	11.70	1.34	1.34	0.27
12	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम	2018-19	0.00	75.47	9.60	19.14	0.06	9.54	82.08	(-) 157.32	(-) 232.79	(-) 232.79
13	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2018-19	0.00	0.00	15.88	15.88	15.88	0.00	640.75	366.28	366.28	366.28
14	उत्तराखण्ड सीड्स और तराई विकास निगम लिमिटेड (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी)	2019-20	4.08	19.50	3.11	5.58	2.45	2.47	54.67	(-) 3.80	(-) 23.30	(-) 27.38
	कुल (क)		3386.95	4852.65	166.15	417.33	104.76	251.18	9290.14	5194.63	341.98	(-) 3044.97

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

कार्यरत रा सा क्षे उ (इस रिपोर्ट ² में शामिल नहीं है)												
15	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2008-09	8.43	3.23	1.00	1.14	0.86	0.14	1.03	14.19	10.96	2.53
16	राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड	2017-18	28.50	196.15	13.70	20.65	5.91	6.95	16.77	622.88	426.73	398.23
17	कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड	2005-06	13.42	0.43	(-) 0.30	0.91	(-) 1.51	1.21	100.49	13.18	12.75	(-) 0.67
18	गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड	2015-16	6.79	10.12	(-) 7.12	(-) 6.40	(-) 7.12	0.72	194.27	37.65	27.53	20.74
19	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2015-16	238.60	2.66	(-) 11.99	-11.99	(-) 11.99	0.00	323.77	(-) 186.39	(-) 189.05	(-) 427.65
20	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	<i>पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए</i>										
21	उत्तराखण्ड इकोटूरिज्म विकास निगम लिमिटेड											
23	उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम											
23	सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड ³											
कुल (ख)			295.74	212.59	(-) 4.71	4.31	(-) 13.85	9.02	636.33	501.51	288.92	(-) 6.82
अकार्यरत रा सा क्षे उ												
24	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2013-14	8.95	0.00	(-) 2.21	(-) 2.21	(-) 2.21	0.00	1.32	(-) 15.98	(-) 15.98	(-) 24.93
25	यू पी ए आई (परिसमापन के अधीन)	1988-89	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	(-) 0.05
26	कुमट्रोन लिमिटेड (हिलट्रॉन की सहायक कंपनी)	1989-90	0.18	0.00	(-) 0.02	(-) 0.02	(-) 0.02	0.00	0.00	0.16	0.16	(-) 0.02
27	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (जी एम वी एन लिमिटेड की सहायक कंपनी)	2008-09	0.50	2.36	(-) 0.16	(-) 0.13	(-) 0.19	0.03	0.00	(-) 0.75	(-) 3.11	(-) 3.61
28	कुमाऊं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (के एम वी एन लिमिटेड की सहायक कंपनी)	1986-87	0.50	0.00	(-) 0.02	(-) 0.02	(-) 0.02	0.00	0.10	0.46	0.46	(-) 0.04
29	ट्रांस केबल्स लिमिटेड (के एम वी एन लिमिटेड की सहायक कंपनी)	1999-00	1.63	2.75	(-) 0.84	(-) 0.84	(-) 0.84	0.00	2.80	(-) 1.42	(-) 4.17	(-) 5.80
30	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड, परिसमापन के अधीन (केएमवीएन लिमिटेड की सहायक कंपनी)	1996-97	0.35	19.92	(-) 1.19	(-) 1.19	(-) 1.19	0.00	0.00	13.32	(-) 6.60	(-) 6.95
31	उत्तर प्रदेश हिल फोन लिमिटेड (हिलट्रॉन की सहायक कंपनी)	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड (हिलट्रॉन की सहायक कंपनी)	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग (ग)			12.28	25.03	(-) 4.44	(-) 4.41	(-) 4.47	0.03	4.22	(-) 4.09	(-) 29.12	(-) 41.40
कुल योग (क+ख+ग)			3694.97	5090.27	157.00	417.23	86.44	260.23	9930.69	5692.05	601.78	(-) 3093.19

*ब्रिज, रोपवे, टनल और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड जिसे पहले उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के रूप में जाना जाता था।

² कार्यरत रा सा क्षे उ जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में से किसी के लिए भी अपना लेखे जमा नहीं किया है, अर्थात् 2018-19, 2019-20 और 2020-21 को इस रिपोर्ट में विस्तार से शामिल नहीं किया गया है।

³ 21 फरवरी 2020 को निगमित।

परिशिष्ट- 5.2

(संदर्भ: प्रस्तर 5.4.1; पृष्ठ 139)

31 मार्च 2021 को रा सा क्षेत्र से संबंधित इक्विटी और दीर्घावधि ऋणों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

रा सा क्षेत्र के नाम	(₹ करोड़ में)							
	प्रदत्त पूंजी				दीर्घावधि ऋण			
	राज्य	केंद्रीय	अन्य	कुल	राज्य	केंद्रीय	अन्य	कुल
उर्जा क्षेत्र								
1. उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1474.91	0.00	0.00	1474.91	14.56	0.00	1581.87	1596.43
2. पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	634.88	0.00	0.00	634.88	178.51	0.00	760.44	938.95
3 यू जे वी एन लिमिटेड	1306.77	0.00	0.00	1306.77	334.43	0.00	1708.42	2042.85
4. किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5.00	0.00	0.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
उर्जा क्षेत्र की कुल (क)	3421.56	0.00	0.75	3422.31	527.50	0.00	4050.73	4578.23
वित्त क्षेत्र								
5. उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवम विकास निगम लिमिटेड	17.46	5.99	0.00	23.45	0.00	0.00	1.65	1.65
6. गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	0.20	0.00	0.30	0.50	1.00	0.04	0.17	1.21
7. कुमाऊं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	0.22	0.00	0.28	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्त क्षेत्र की कुल (ख)	17.88	5.99	0.58	24.45	1.00	0.04	1.82	2.86
सेवा क्षेत्र								
8. कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड	13.42	0.00	0.00	13.42	28.07	0.00	0.00	28.07
9. गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड	6.79	0.00	0.00	6.79	1.00	0.00	9.12	10.12
10. उत्तराखण्ड परिवहन निगम	229.36	9.24	0.00	238.60	2.66	0.00	83.01	85.67
11. उत्तराखण्ड इकोटूरिज्म विकास निगम	जानकारी उपलब्ध नहीं है							
सेवा क्षेत्र की कुल (ग)	249.57	9.24	0	258.81	31.73	0	92.13	123.86
अवसंरचना क्षेत्र								
12. राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड	26.00	0.00	2.50	28.50	0.00	0.00	149.95	149.95
13. ब्रिज, रोपवे, टनल और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

14. उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
15. देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.20	0.00	0.20	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
16. उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवम निर्माण निगम	0.00	0.00	0.00	0.00	21.02	0.00	54.45	75.47
अवसंरचना क्षेत्र की कुल (घ)	30.30	0.00	2.70	33.00	21.02	0.00	204.40	225.42
अन्य क्षेत्र								
17. उत्तराखण्ड अल्पसांख्यिक कल्याण तथा वकफ विकास निगम	जानकारी उपलब्ध नहीं है							
18. उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम	जानकारी उपलब्ध नहीं है							
19. सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	जानकारी उपलब्ध नहीं है							
20. उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8.95	0.00	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21. यू पी ए आई ,1991 से परिसमापन के अधीन	0.17	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22. कुमट्रॉन लिमिटेड	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
23. उत्तर प्रदेश हिल फोन लिमिटेड	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
24. उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25. ट्रांस केबल्स लिमिटेड	0.00	0.00	1.63	1.63	2.75	0.00	0.00	2.75
26. उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड ,2006 से परिसमापन के अधीन	0.00	0.00	0.35	0.35	1.40	18.52	0.00	19.92
27. उत्तराखण्ड सीड्स और तराई विकास निगम लिमिटेड	1.20	0.00	2.88	4.08	19.50	0.00	0.00	19.50
28. डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड	6.00	0.00	0.00	6.00	127.99	0.00	3.15	131.14
29. किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड	17.54	0.00	0.45	17.99	119.32	0.00	0.00	119.32
30. उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	1.07	0.00	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
31. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32. उत्तराखण्ड वन विकास निगम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य क्षेत्र की कुल (ङ)	35.93	0.00	5.52	41.45	270.96	18.52	3.15	292.63
कुल योग (क+ख+ग+घ+ङ)	3755.24	15.23	9.55	3780.02	852.21	18.56	4352.23	5223.00

परिशिष्ट 5.3

(संदर्भ: प्रस्तर 5.11.2; पृष्ठ 151)

कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति दर्शाने वाले निवेश का (ऋण और अनुदान / सब्सिडी) विवरण जिस अवधि के लिए उनके लेखे बकाया हैं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	रा सा क्षे उ के नाम	अवधि जिसके लेखे को अंतिम रूप दिया गया है	वह अवधि जिसके लिए लेखे बकाया हैं	नवीनतम अंतिमीकृत लेखे के अनुसार प्रदत्त पूंजी	राज्य सरकार द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया निवेश जिसके लिए लेखे बकाया हैं			
					इक्विटी	ऋण	अनुदान / सब्सिडी	कुल
कार्यरत कंपनियाँ⁴								
1	पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2019-20	2020-21	564.88	70.00	0.00	0.00	70.00
2	उत्तराखण्ड पुल, रोपवे, सुरंग और अन्य बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	2019-20	2020-21	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड	2019-20	2020-21	6.00	0.00	0.00	44.64	44.64
4	किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड	2019-20	2020-21	17.54	0.00	0.00	48.10	48.10
5	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	2020-21	0.20	0.00	0.00	5.00	5.00
6	उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2019-20	2020-21	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
7	उत्तराखण्ड सीड्स और तराई विकास निगम लिमिटेड	2019-20	2020-21	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
8	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवम विकास निगम लिमिटेड	2008-09	2009-10 से 2020-21	8.43	9.03	0.00	0.00	9.03
9	राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड	2017-18	2018-19 से 2020-21	26.00	0.00	0.00	57.52	57.52
10	कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड	2005-06	2006-07 से 2020-21	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17 से 2020-21	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (क)			649.53	79.03	0.00	155.26	234.29

⁴ उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, उत्तराखण्ड इकोटूरिज्म विकास निगम और सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड द्वारा न तो कोई जानकारी और न ही अपने पहले लेखों को प्रस्तुत किया।

कार्यरत सांविधिक निगम ⁵								
12	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2015-16	2016-17 से 2020-21	229.36	0.00	0.00	0.00	0.00
13	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2018-19	2019-20 से 2020-21	0.00	0.00	---	--	--
14	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2018-19	2019-20 से 2020-21	0.00	0.00	---	--	--
	कुल (ख)			229.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग (क+ख)				79.03	0.00	155.26	234.29

नोट: पेयजल संसाधन और यू एफ डी सी से कोई सुचना प्राप्त नहीं हुई है।

⁵ उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम द्वारा न तो कोई जानकारी और न ही अपने पहले लेखों को प्रस्तुत किया।

परिशिष्ट 6.1
शब्दावली

क्र. सं.	शब्द	व्याख्या
1.	राज्य के क्रियान्वयन अभिकरण	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्था जो राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं जैसे सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन समिति तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन आदि।
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की कुल आय या चालू कीमतों पर श्रम और उत्पादन के सभी अन्य कारकों को प्रयुक्त करते हुए उत्पादित माल या सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
3.	उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत चर में किए गए परिवर्तन के संदर्भ में राजकोषीय चर की तन्यता अथवा प्रभावशीलता के स्तर को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्प्लावकता अन्तर्निहित करती है कि यदि स रा घ उ में एक प्रतिशत तक की वृद्धि होती है, तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशतता बिन्दु तक वृद्धिगत होने का प्रयास करती हैं।
4.	आन्तरिक ऋण	इसमें मुख्यतः बाजार ऋण और राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि (रा ल ब) को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।
5.	कोर पब्लिक एवं मेरिट गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स ऐसी वस्तुएँ हैं जिनका इस आशय से सभी नागरिक लाभ लेते हैं कि ऐसी वस्तु का किसी व्यक्ति के उपभोग से उसी वस्तु को दूसरे व्यक्ति के उपभोग में कोई कमी नहीं आती है, उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था को लागू किया जाना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण-मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय वस्तुएँ तथा सड़कें इत्यादि। मेरिट गुड्स ऐसी वस्तुएँ हैं जिनको सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर उपलब्ध कराता है क्योंकि एक व्यक्ति अथवा समाज को उन्हें सरकार को भुगतान करने की क्षमता और इच्छा के बजाय आवश्यकता की किसी धारणा के आधार पर प्राप्त करना चाहिए और इसलिए वह उनके उपभोग को प्रोत्साहित करने की इच्छा रखता है। ऐसी वस्तुओं के उदाहरणों में गरीबों को पोषण में सहायक मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर खाद्य सामग्री का प्रावधान, जीवन स्तर में सुधार करने एवं रूग्णता को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, सर्वजन को आधारभूत शिक्षा, पेयजल तथा स्वच्छता आदि प्रदान करना सम्मिलित है।
6.	विकासपरक व्यय	व्यय के आँकड़ों का विश्लेषण, विकासपरक और अविकासपरक व्यय में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बन्धित सभी व्यय को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं में श्रेणीबद्ध किया जाता है। मोटे तौर पर, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ विकासपरक व्यय को संस्थापित करती हैं जबकि सामान्य सेवाओं पर हुए व्यय को गैर विकासपरक व्यय के रूप में माना जाता है।

7.	ऋण वहन क्षमता	<p>ऋण वहन क्षमता को किसी समयावधि के सतत ऋण-जी डी पी अनुपात को बनाए रखने के राज्य के सामर्थ्य के रूप में परिभाषित किया गया है और इसे ऋण के शोधन की क्षमता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।</p> <p>इसलिए ऋण वहन क्षमता चालू या वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल चालू परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और ऐसे ऋणों के प्रतिफल के साथ अतिरिक्त ऋणों की लागत के संतुलन को बनाए रखने की क्षमता को भी संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे की वृद्धि का ऋण चुकाने की क्षमता की वृद्धि के साथ मिलान होना चाहिए।</p>
8.	ऋण स्थिरीकरण	<p>स्थायित्व के लिए एक आवश्यक शर्त यह बताती है कि यदि अर्थव्यवस्था वृद्धि की दर लोक ऋणों की लागत या ब्याज दर से अधिक होती है तो ऋण-जी डी पी अनुपात भी स्थिर रहना चाहिए बशर्ते कि प्रारंभिक अवशेष या तो शून्य है या धनात्मक या लगभग नकारात्मक है। दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार) ऋण वहन क्षमता की शर्त बताती है कि यदि मात्रा विस्तार के साथ-साथ प्राथमिक घाटा शून्य है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी तरफ यदि प्राथमिक घाटे के साथ-साथ मात्रा विस्तार ऋणात्मक हो जाता है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात उच्च हो जाएगा और धनात्मक होने की दशा में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात गिरेगा।</p>
9.	ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	<p>बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के लिए राज्य की बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण वहन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से सुविधाजनक बनाया जा सकता है, यदि बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्तियाँ बढ़ते हुए ब्याज भार और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकते।</p>
10.	उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	<p>कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के रूप में परिभाषित अनुपात है तथा यह सीमा इंगित करता है कि जहाँ तक ऋण प्राप्तियों का उपयोग ऋण विमोचन के लिए किया गया। ऋण निधियों की निवल उपलब्धता को दर्शाते हुए।</p>
11.	ऋणोत्तर प्राप्तियाँ	<p>बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आवृत करने हेतु राज्य की बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता। यदि बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्तियाँ बढ़ते हुए ब्याज भार व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकें तो ऋण वहन क्षमता महत्वपूर्ण रूप से सुगम हो सकेगी।</p>
12.	निवल ऋण की उपलब्धता	<p>लोक ऋण पुनर्भुगतान, ऋण एवं अग्रिम का संवितरण तथा लोक ऋण पर ब्याज अदायगी के सापेक्ष लोक ऋण प्राप्तियाँ तथा ऋण एवं अग्रिम प्राप्तियों का आधिक्य।</p>

© भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<http://agua.cag.gov.in>